खण्ड-06 सत्र -05 (भाग-05) / अंक-58

शुक्रवार

11 अगस्त, 2017 / 20 श्रावण, 1939 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

पांचवां सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-05 (भाग-05) में अंक 55 के अंक 58 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा प्रिन्टो ग्राफ, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

सत्र–5 भाग (5) शुक्रवार, 11 अगस्त, 2017/20 श्रावण 1939 (शक) अंक–58

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3–50
3.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	50–123
4.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	123–264
5.	विशेष उल्लेख नियम (नियम–280)	264–282
6.	शोक संवेदना	282–300
7.	बधाई प्रस्ताव (नियम–114)	300–318
8.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	300–318
9.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सी.सी.टी.वी. सिस्टम लगाने में विलम्ब पर।	318–321
10.	विधेयक पर विचार एवं पारण : ''दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) संशोधन विधेयक, 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या–06)	321–347
11.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) (1984 के दोषियों को सजा देने में केन्द्र द्वारा गठित एस.आई.टी. की ओर से कथित निष्क्रियता के संबंध में)	347–406

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–5 भाग (5) शुक्रवार, 11 अगस्त, 2017/20 श्रावण 1939 (शक) अंक–58

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूचीः

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री वेद प्रकाश
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री संदीप कुमार
11. श्री रघुविंद्र शौकीन
12. श्रीमती बंदना कुमारी
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री आसिम अहमद खान
18. श्री विशेष रवि
19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री जरनैल सिंह

23. श्री जरनैल सिंह
24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री नरेश बाल्यान
26. श्री आदर्श शास्त्री
27. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
28. सुश्री भावना गौड़
29. श्री सुरेन्द्र सिंह
30. श्री विजेन्द्र गर्ग
31. श्री प्रवीण कुमार
32. श्री मदन लाल
33. श्रीमती प्रमिला टोकस
34. श्री नरेश यादव
35. श्री अजय दत्त
36. श्री दिनेश मोहनिया
37. श्री सौरभ भारद्वाज
38. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
39. श्री सही राम
40. श्री नारायण दत्त शर्मा
41. श्री राजू धिंगान
42. श्री मनोज कुमार
43. श्री नितिन त्यागी
44. श्री एस.के. बग्गा
45. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
46. श्री श्रीदत्त शर्मा
47. चौ. फतेह सिंह
48. श्री जगदीश प्रधान
49. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 भाग (5) शुक्रवार, 11 अगस्त, 2017/20 श्रावण 1939 (शक) अंक-58

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : आज के सत्र में सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन और स्वागत है।

श्री नितिन त्यागी : एक मोशन ऑफ थैंक्यू का एक सर, छोटा सा प्रस्ताव लें।

अध्यक्ष महोदय : लेता हूं, मैं टेकअप करता हूं। मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता जी नेता प्रतिपक्ष से नियम–54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हुई है। आज एक विधेयक पारित होना है तथा दो अल्पकालिक चर्चाएं और गैर सरकारी सदस्यों के तीन संकल्प सूचीबद्ध हैं। कल भी सदन का समय शोर शराबे में व्यर्थ हुआ। सदन के समय के अधिकतम सदुपयोग के लिए आज कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जा सकता इसलिए उक्त सूचनाओं को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। इससे पहले कार्यवाही आरंभ करूं...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आज प्राइवेट मेंबर बिल डे होता है। फ्राइडे यहां भी होता है, पार्लियामेंट में भी होता है लेकिन जिस तरह से पूरा नोर्मल बिजनेस का...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, दिया है न मैंने इसमें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अल्पकालिक चर्चा नियम–55 और प्राइवेट मेंबर तो लिये ही नहीं जायेंगे। जो असली डे है जिसका मुझे मालूम है, वहां तक नम्बर ही नहीं आएगा। अगर इतने सारे डिस्कशन पहले ही हो जाएंगे अदरवाइज ये परिपाटी...

अध्यक्ष महोदय : चलिए मैं देखता हूं इसमें आज हम समय को थोड़ा खराब न करें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मेरा इतना अनुरोध है कि माइंड से सदस्य आते हैं कि आज का दिन हमारा है और हमारे दिए हुए बिल पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं करता हूं उसको मैं करता हूं। करेंगे, उसपे करेंगे। समय बढ़ाना होगा, बढ़ाएंगे। मैं माननीय सदस्यों से एक अनुरोध कर रहा हूं कि दो दिन से थोड़ा सा गतिरोध चल रहा था जिसके विषय में सत्ता पक्ष, विपक्ष से कल भी बैठना हुआ, आज भी बैठना होगा। उसमें सिम्पली मेरा ये कहना है कि एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और हम भविष्य में व्यक्तिगत टिप्पणियां न करें। इससे हमें बचना चाहिए। दूसरा, जो भी बात कहनी है, अपनी सीट पर खड़े होकर कहें। उसके आगे बढ़कर न

कहें। दूसरा, मेरा ये कहना है। तीसरा, मुझ पर ये बातचीत छोड़ी गई है, अभी निर्णय नहीं हुआ।

...(व्यवधान)

(श्री कपिल मिश्रा द्वारा बैनर प्रदर्शित करने पर)

अध्यक्ष महोदय : ये बैनर लेके आए हैं सिक्योरिटी गार्ड, मार्शल्स बैनर, बैनर अलाउड नहीं है, बाहर करें। मार्शल्स बार करें इमीजेट, मार्शल्स इमीजेट बाहर करें। पूरे समय के लिए सदन से बाहर करें, पूरे समय के लिए सदन से बाहर करें।

(माननीय सदस्य श्री कपिल मिश्रा को मार्शल्स द्वारा सदन से बाहर किया गया)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उस विषय पर इतना कह रहा हूं कि विपक्ष ने मेरे विवेक पर छोड़ा है कि आप जो निर्णय करेंगे, हम वो स्वीकार करेंगे। तो अभी निर्णय मैं नहीं कर पाया हूं उस पर सारा टोटल मिलाके और उस चीज को आज मैं डिक्लेर नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मैं उसका निर्णय ले करके के भविष्य में उसको जैसा भी निर्णय होगा, उसकी आप सबको जानकारी दूंगा। स्टार्ड क्वश्चन श्री महेन्द्र गोयल जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : स्टेटमेंट हाउस में जानकारी दी उसको लेकर क्योंकि...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, देखो सिरसा जी अब।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : सर, मेरी तो एक मिनट में बात खत्म हो जाएगी। मैं अपनी बात बता देता हूं। उसके बाद अगर इनको...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर स्वीकार नहीं कर रहा हूं प्लीज। भाई अजय दत्त जी, आप बैठिए प्लीज। जगदीप जी बैठिए, जगदीप जी बैठिए, बैठिए। मैं बैठा रहा हूं न उनको, मैं बैठा रहा हूं। मैंने कहा, उनको बैठा रहा हं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए सिरसा जी, प्लीज। नहीं प्लीज बैठिए। मैं अगर कोई भी बात है आप मेरे से 4 बजे मिल लीजिएगा। फिर से समय खराब होगा फिर विजेन्द्र जी ने अभी जो बात रखी है। हां, श्री महेन्द्र गोयल जी अनुपस्थित। भाई जगदीप जी मैं प्लीज नहीं कोई जरूरी बात नहीं। श्री श्रीदत्त शर्मा जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने बाहर कर दिया न, मैंने उनको बाहर कर दिया न चलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी, इसको संज्ञान में लेंगे। अब जो कुछ भी है, बातचीत करके उसपे क्या एक्शन हो सकता है, देखेंगे। अभी मुझे स्टार्ड क्वैश्चन चलाने दीजिए, बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई अभी 114 में वो भी कह रहे हैं और 114 में आप भी हैं। हां, तो इसको मैं देख लूंगा न। अभी मुझे स्टार्ड क्वेश्चन एक बार। अभी समय है विजेन्द्र जी? हम एक ओर तो कह रहे हैं समय की बात है। हां, तो मैं इसको टेकअप कर लूंगा न। हम एक ओर तो कह रहे हैं समय की बात है। हां, तो मैं इसको टेकअप कर लूंगा न। अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो। अब कोई ऐसी घटना हुई मैं इसको।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हम ये चाहते हैं कि सरकार बयान दे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भाई विजेन्द्र जी, जो नियम है, उस नियम के अनुसार जो भी कुछ है, वो 114 नियम के अन्तर्गत मैं आपको समय दे दूंगा इस पर। अभी बैठिए दो मिनट। भई, ऐसा तो नहीं चल सकता सदन। नहीं, अगर सबने ऐसे ही करना है तो फिर बाद में आप कहते हैं स्टार्ड क्वैश्चन नहीं हुआ। आप 280 में आएगा, तब ले लीजिएगा। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं प्लीज। भई जब 280 शुरू होगा तब क्यों नहीं रख सकते आप? भई मैं कोई अलाउ नहीं कर रहा हूं प्लीज नहीं। श्री श्रीदत्त शर्मा जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं बैठ जाएं। बैठिए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए। श्री श्रीदत्त शर्मा जी।

श्री श्रीदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 62 प्रस्तुत है :

क्या जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बस क्यू शेल्टरों पर पेयजल उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा भजनपुरा, खजूरी खास, गामड़ी गांव, पांचवां पुश्ता, पुश्ता नंबर 3, जगजीत नगर, पुश्ता नंबर 2, न्यू उस्मानपुर गांव में भी उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो कितने समय में ये सुविधाएं प्रारंभ कर दी जाएगी?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

जल मंत्री (श्री राजेन्द्र पाल गौतम) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 62 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) दिल्ली जल बोर्ड का बस क्यू शेल्टरों पर पेय जल उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परंतु कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के तहत 25 प्याऊ महात्मा गांधी मार्ग पर भीड़–भाड़ वाली जगहों में उचित स्थान चुनकर, दिल्ली जल बोर्ड की सहायता से लगाने का कार्य किया जा रहा है; और

(ख) एवं (ग) जी नहीं।

श्री श्रीदत्त शर्मा : सर सबसे भीड़–भाड़ वाला क्षेत्र हमारा पूर्वी क्षेत्र ही आता है। अब भीड़–भाड़ वाला क्षेत्र देखना है तो सर उसको भी देख लें हमारी तरफ भी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, उनका प्रश्न उचित है।

जल मंत्री : प्रश्न उचित है तो उसमें एम.एल.ए. लैड फंड से अगर पैसा देते तो उसे लगवाया जा सकता है। चूंकि ये तो सी.एस.आर. फंड से हैं जो 25 लग रहे हैं। अगर हमारे सम्मानीय सदस्य चाहते हैं कि उनके क्षेत्रों में लगें, वो अपने एम.एल.ए. लैड फंड से फंड दे दें, तो उससे भी लगा देंगे हम।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेण्ड, उनका सप्लीमेंट्री पूरा होने दो।

श्री श्रीदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सोनिया विहार में एक यू.जी.आर. बनना था, उसकी स्थिति क्या है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इससे संबंध है क्या ये?

श्री श्रीदत्त शर्मा : इसी से संबंधित है। ये जल बोर्ड से ही है।

अध्यक्ष महोदय : चलिए।

जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इससे अलग है अगर इसके बारे में जानना है मेरे पास आ जाना ऑफिस में मैं आपको इसकी पूरी डिटेल, जानकारी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछली बार जैसे कह रहे हैं, सी.एस.आर. के फंड से लगाया गया। क्या इस बार भी सी.एस.आर. के फंड से ऐसा कुछ प्याऊ लगाए जाने की कोई और स्कीम है या और हम

लगाएंगे या इस साल का जो सी.एस.आर. का फंड आएगा जल बोर्ड में, उसका हम क्या उपयोग करेंगे, इसके बारे में जानकारी दे दें।

जल मंत्री : अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है लेकिन भविष्य में अगर इस तरह का फण्ड वहां से और कुछ मिलता है तो उस पर हम काम कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं—नहीं, उन्होंने राजेन्द्र जी ये पूछा है कि ये फण्ड आगे भविष्य में और लगाया जा सकता है या नहीं।

जल मंत्री : नहीं, अभी तो जो फण्ड आया है, उससे हम लगा रहे हैं। भविष्य में इस तरह का फण्ड आयेगा तो उस तरह की योजना पर काम किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अखिलेश जी हो गया? अलका जी।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहती हूं कि ठीक है, जल बोर्ड के पास इस बार सी.एस.आर. का फण्ड नहीं आया पर मेरी अगर अपनी—अपनी विधान सभाओं की बात करें। हमारे एफट्र्स से काफी सी.एस.आर. कम्पनियां हैं, जो फण्ड देने को तैयार हैं। क्या उनसे फण्ड लेकर हम विधायक फण्ड में लाकर ऐसी कोई योजना को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हम भी प्रयास करें इस पर?

अध्यक्ष महोदय : जल मंत्री।

जल मंत्री : तो ये दोनों अलग—अलग बातें हो गयी। एक तो हो गया कि अगर वो कम्पनियां देती हैं, तो लगा सकते हैं। तब तो लगा ही सकते हैं। जल बोर्ड उस काम को कर सकता है। अगर इस तरह

फण्ड मिलता है लेकिन एम.एल.ए. लैड फण्ड अलग है। उससे आप लोग चाहें लगवाना, तो उससे भी लग सकता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं अखिलेश जी, आप देखिए, खड़े होके ऐसे बोलेंगे। न तो हाथ उठाया। न मैंने आपको एक मौका दे दिया। ये दिक्कत है, बहुत दिक्कत है।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, जैसे चांदनी चौक मार्केट, कश्मीरी गेट है, काफी व्यापारी है। सी.एस.आर. से अगर फण्ड देना चाहें अपनी विधान सभा के लिए। चांदनी चौक के लिए, कश्मीरी गेट के लिए, तो क्या वो फण्ड लेकर हम अपनी ही विधान सभा में वो लगवा सकते हैं, मैं ये पूछ रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : जल मंत्री।

जल मंत्री : वो तो मैंने जवाब दे ही दिया कि अगर उस तरह कोई फण्ड डोनेट करता है, जल बोर्ड को तो बिल्कुल उसी विधान सभा में लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसी विधान सभा में लग सकती है। ठीक है। जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष जी, मेरा एक पूरक सवाल है जल बोर्ड से सम्बन्धित और स्वास्थ्य से। की मैंने पिछली विधान सभा सत्र में दो–तीन बार जीन्स की फैक्ट्रियों का मुद्दा उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बिल्कुल इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री जगदीश प्रधान : सर इतना गम्भीर!

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी उत्तर नहीं दे पायेंगे।

श्री जगदीश प्रधान : आप बोलेंगे तो, आप कहेंगे बोल लिया। सर, आदमियों को कैन्सर की शिकायत आयी है मेरी विधान सभा के अन्दर। पानी की वजह से, 61 आदमी! आप स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, आप उनसे जानकारी ले लें कि जो रिपोर्ट इन्होंने मंगायी है। उसके बाद मुझे पता लगा है कि...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वो विजेन्द्र जी, ठीक है। वो रिपोर्ट अखबारों में मैंने भी पढ़ा है। लेकिन इस प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। विजेन्द्र जी, देखिए मेरी प्रार्थना है, सुनिए एक बार। पानी पर परसों क्वेश्चन चला। जल बोर्ड पर पूरा चला लेकिन आज इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। पूरक प्रश्न इससे निकलता है क्या? देखिए आप, देखिए ऐसा नहीं, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न ये हैं कि मंत्री जी ये बतायें कि मुस्तफाबाद की विधान सभा में जल बोर्ड का पानी उपलब्ध नहीं है ओर जो लोग मजबूर है जमीन से निकला हुआ पानी पीने के लिए। वो कन्टेनिमेटेड है तो सरकार, इस कन्टेनिमेटेड वाटर की स्थिति में मुस्तफाबाद विधान सभा में क्या एरेंजमेन्ट करेगी कि जिससे लोगों को कैन्सर की बीमारी न हो। इसके बारे में क्या कोई जांच कराई जाएगी? इस पर क्या रिपोर्ट ली जाएगी और ये इन्श्योर किया जाये कि लोगों को

वहां पर पानी से जो बीमारी पैदा हो रही हैं, उसको रोका जाएगा। इस पर मंत्री जी बताएं कि उस रिपोर्ट के अनुसार क्या सरकार की योजना है?

अध्यक्ष महोदय : जल मंत्री।

जल मंत्री : अभी मेरे संज्ञान में ये कभी सब्जेक्ट आया नहीं है। आज आपने मेरे संज्ञान में भेजा है तो मैं इसकी पूरी जानकारी लेके आपको इन्फार्मेशन दे दूंगा और दूसरा जो अभी एक सवाल जो पूछा था उसको मैं थोड़ा क्लीरिफाई कर दूं। हम लोग कारपोरेट्स को मोटिवेट करते हैं कि वो फण्ड ऐसे काम के लिए दें और अगर एम.एल.ए. लैड फण्ड वाले में भी एक काम करना पड़ेगा। अगर एम.एल.ए. चाहते हैं, हमारे यहां हो तो यू.डी. से परमीशन उसके लिए लेनी पड़ेगी। चूंकि अभी तक जो एम.एल.ए. लैड फण्ड की लिस्ट है, उस लिस्ट में वो कवर नहीं है। तो अगर वो चाहते हैं कि उनके फण्ड से बन जाये तो यू.डी. से उसकी परमीशन लेके उस काम को किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरीश सोनी जी।

श्री गिरीश सोनी : धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न जो मंत्री जी से है, वो आर.आर. कट को लेके है। काफी समस्याएं है जो आर. आर. कट में आ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : भई इसको देखिए कहां से? नहीं–नहीं, सोनी जी, मैं एलाउ नहीं कर रहा हूं प्लीज, मैं एलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री गिरीश सोनी : अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा में भी बहुत समय से, दो साल से एक समस्या है, वो एक करोड़ सत्रह लाख का

आर.आर. कट है जो कि सी.ई.ओ. लेबल की पॉवर है। वो अभी तक पास नहीं हुआ है और काफी समय से अटका हुआ है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोनी जी, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में से नहीं निकलता। अगर ढाई साल हो गये हैं। हमें प्रश्न की नेचर समझ के क्वेश्चन करना चाहिए। ये उसका उत्तर मंत्री जी नहीं दे पाएंगे। नहीं, मंत्री जी उसका उत्तर आज नहीं देंगे।

श्री गिरीश सोनी : मेरी एक समस्या ये है कि इस कट का मंत्री जी ये बताएं।

अध्यक्ष महोदय : ये उनके पास होगा ही नहीं इसका उत्तर।

श्री गिरीश सोनी : सी.ई.ओ. साहब भी यहां बैठे हैं। कब तक ये उसका फण्ड पास होगा क्योंकि पता है इसके लिए एक चीज और बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सोनी जी, देखिए।

श्री गिरीश सोनी : इसके लिए एक चीज और बताना चाहता हूं। उसको सुनने की कोशिश कीजिए। जो आर.आर. कट का पैसा है। नहीं–नहीं, उसमें एक मिनट आपको सुनना पड़ेगा अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन नहीं चल पाएगा। सदन की कार्यवाही...

श्री गिरीश सोनी : इसकी एक बहुत बड़ी वजह है आर.आर. कट का पैसा 18 लाख रुपये की लाईन है। आर.आर. कट का पैसा 72 लाख

रुपए बनाके दिया हुआ है एम.सी.डी. ने। आर.आर. कट का 1 लाख 17 हजार रुपया कट का पैसा बनाके दिया हुआ है एम.सी.डी. ने और जिसका मैंने गलियों का एस्टीमेंट बनाता तो 80 लाख है तो ये क्या हेराफेरी है, ये समझ नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : सोनी जी ये आप एक अलग से लिखके दे दीजिए प्लीज। नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादव : मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेहरौली में कुतुबमीनार वहां लाखों लोग आते हैं। अगर वहां पर कोई ई–प्याउ अगर सी.एस.आर. फण्ड से लगा दी जाये तो बहुत अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय : जल मंत्री।

जल मंत्री : अगर पैसा उस फण्ड से आये तो उस पर किया जा सकता है आगे। सी.एस.आर. से अभी तक जो हुआ, वो 25 के लिए हुआ है। भविष्य में फिर आएगा तो फिर उस पर किया जा सकता है काम।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं प्लीज, बंदना कुमारी जी।

श्रीमती बंदना कुमारी : माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रश्न संख्या 63 का उत्तर दें जो कि निम्नानुसार है:

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष में विभिन्न अकादमियों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा;

(ख) क्या यह सत्य है कि हिंदी अकादमी और भोजपुरी अकादमी को अन्य अकादमियों की तुलना में कम धनराशि आबंटित की गई है, और

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इन दोनों अकादमियों को आबंटित धनराशि को बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी

भाषा, कला व संस्कृति मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या – 63 का उत्तर प्रस्तुत है :

चालू वित्त वर्ष में विभिन्न अकादमियों के आवंटित धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है :

(क)

क्र.सं.	अकादमी / संस्था का नाम / योजना	आबंटित बजट (2017–18) (Rs. In Crore)
1.	हिन्दी अकादमी	15.75
2.	उर्दू अकादमी	12.00
3.	पंजाबी अकादमी	25.41
4.	संस्कृत अकादमी	6.50
5.	सिंधी अकादमी	4.60
6.	मैथिली–भोजपुरी अकादमी	1.70
7.	डॉ. गो.गी.ला.शा.प्र.वि.प्र.	0.40
8.	साहित्य कला परिषद्	16.00

(ख) जी नहीं। हिन्दी अकादमी और भोजपुरी अकादमी सहित सभी अकादमियों को उनकी आवश्यकतानुसार धनराशि आबंटित की जाती है;

(ग) वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि उनकी आवश्यकतानुसार धन राशि बढ़ाई जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : बन्दना जी।

श्रीमती बंदना कुमारी : अध्यक्ष जी, हमारे पूरी दिल्ली में सभी विधान सभा में पूर्वांचल वासी रहते हैं और हमारी सबसे कम जो भोजपुरी और मैथिली अकादमी का फण्ड है 1 करोड़ 70 लाख। तो मैं मंत्री जी ये कहना चाहूंगी की इसको बढ़ाने की कोई योजना है और इसकी नहीं योजना है तो जल्द से जल्द इसको बढ़ाने की कृपा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : भाषा, कला व संस्कृति मंत्री।

भाषा, कला व संस्कृति मंत्री : प्रश्न 63 के भाग (ख) में मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां बंदना जी कोई और सप्लीमेंन्ट्री।

श्रीमती बंदना कुमारी : सर, इसके बढ़ाने की क्या पैमाना है और क्या जनसंख्या के आधार पर हम इस एमाउन्ट को रखते हैं या क्या?

भाषा, कला व संस्कृति मंत्री : यह अकादमी जनसंख्या के आधार पर कोई कार्यक्रम नहीं करती हैं बल्कि समय–समय पर अलग–अलग परम्पराओं और सांस्कृतिक अवस्थाओं के अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम करती हैं और हर साल इनका एक बजट बनता है अगले साल के कार्यक्रमों के लिए। उसके हिसाब से इसका बजट तैयार किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : संजीव झा जी।

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा कि भाग (ख) में जवाब है कि आवश्यकतानुसार धनराशि आबंटित की जाती है। मैं बता दूं जैसा अभी बंदना जी बता रही थी कि 45 लाख के करीब लोग यहां रहते हैं जो कि पूर्वांचल के लोग हैं। हमारी दो भाषाएं हैं। एक मैथिली है और भोजपुरी भी है। मैथिली भाषा की अपनी लिपि है। आज तक उस लिपि पर कोई काम नहीं हुआ। मुझे लगता है कि किसी भी अकादमी, किसी भी फण्ड से सबसे ज्यादा फण्ड मैथिली, भोजपुरी पर होना चाहिए था। मेरा निवेदन भी है ओर कोई पैमाना हो तो पैमाना बता दें ताकि हम लोग अगर हो सकता है कि कोई वोट करके हो या।

अध्यक्ष महोदय : नहीं क्वैश्चन करिए न झा साहब।

श्री संजीव झा : हमारा सवाल ये है कि इसका किस तरह से चूंकि आवश्यकता तो बहुत है। मैं ये इत्तेफाक नहीं रखता कि आवश्यकता नहीं है। पचास लाख लोग हैं यहां तो उनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी अपनी लिपि है। उस लिपि के विकास में कुछ नहीं किया गया। तमाम तरह के कल्चरल प्रोग्राम जो हमारा नहीं हो पा रहा है और दो भाषाओं की अकादमी है ये, तो दोनों भाषा अकादमी के हिसाब से ये बहुत कम राशि है। तो इसको बढ़ाने के क्या उपाय हैं, यह बता दें ताकि हम लोग इस पर काम करें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : अध्यक्ष जी, यह फैसला बजट बनाते वक्त ही हो सकता है ओर इसको यहां कोई प्रोसीजर इसका,

हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि अलग–अलग समय पर अलग–अलग कार्यक्रम होते हैं। अब अगर अपेक्षा सोचें तो हर भाषा बोलने वाले व्यक्ति की अपेक्षा यह रहेगी कि कहीं न कहीं दिल्ली में, कोई भी भाषा सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में किसी भाषा के बोलने वाले ज्यादा हैं या कम है। मुझे लगता है उस हिसाब से नहीं, बल्कि देश की एक समृद्ध परंपरा है, संस्कृति है, हर भाषा के बोलने वालों के पीछे, उस संस्कृति को दिल्ली में बढ़ावा देने के लिए और मैं यहां भी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से चाहे जितने भी कार्यक्रम कर लिए जाएं लेकिन समाज की संस्कृति को बचाने का काम हमेशा समाज द्वारा किया जाता है और उस सामाजिक रूप से हर भाषा एक्टिव है क्योंकि मुझे भी बतौर अतिथि और बाकी सब सदस्यों को भी बतौर अतिथि बुलाते रहते हैं तो हर भाषा की अलग–अलग अकादमियां हैं वो समय–समय पर अपने कार्यक्रम करती रहती हैं तो मैं समझता हूं भाषा, सरकार की मेहरबानी पर निर्भर नहीं है। भाषा अपने आप में समृद्ध है, भाषाओं को समाज जिंदा रखता है। सरकार तो छोटी–छोटी सांस्कृतिक गतिविधियां करके उसमें महज थोड़ा सा अपना रोल अदा करती हैं। इसको इस रूप में न देखा जाए कि सरकार जितना फंड देगी, भाषा उतनी बचेगी। किसी भी सरकार को इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि अकादमी या यह बनाकर वो भाषा बचालेगी या वो भाषा को आगे बढ़ाएगी और न हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए। विशुद्ध रूप से भाषा और संस्कृति को समाज बढ़ावा देता है, समाज उसको जिंदा रखता है, समाज अपने दम पर उसको आगे बढ़ाता है, समाज अपने दम पर उसको समृद्ध बनाता है लेकिन सरकार की ओर से यह छोटा सा योगदान होता है जिसको हम या सरकारों ने करने की कोशिश की है, यह भी करने की कोशिश करते हैं अगर माननीय सदस्यों का कोई इसमें सुझाव होगा तो उस पर विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : सोमदत्त जी। मैंने देख लिया है, आपसे पहले उनका हाथ उठा हुआ है।

श्री सोमदत्त : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अन्य भाषाओं की अकादमियां भी बनाई जाएंगी। मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है?

उप मुख्यमंत्री : इसका प्रस्ताव, मैंने पिछले साल बजट में भी बात की थी कि देश की सभी प्रमुख भाषाओं की अकादमियां हों। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहां पर होनी चाहिए और उस पर अभी पिछले कुछ दिनों से हमारे विभाग में कार्य चल रहा है और भारत की विभिन्न भाषाओं की परंपराओं के आधार पर दिल्ली में उनका प्रचार–प्रसार या उनके कार्यक्रम करने के लिए और उसकी और भी गतिविधियों को रखने के लिए इसकी अकादमी बनाने का काम चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्कर : माननीय मंत्री महोदय ने सम्भवत': इसका उत्तर इसमें शामिल है कि कुमाउंनी और गढ़वाली के लिए आपका एक आश्वासन है, आपने बहुत धैर्यता से सुना है। मेरा जो दूसरा प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय हर अकादमी के कुछ पुस्तकालय हैं, उसका एक पारंपारिक तरीके से चल रहा है, मेरा एक सुझाव भी है। प्रश्न यह है कि उसको थोड़ा आधुनिक बनाना, उसको डिजिटलाइज बनाना और दूसरी बात केवल पंजाबी अकादमी की है तो वो पंजाबी अकादमी केवल हिंदी अकादमी...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पुष्कर जी, क्वेश्चन करिये ना आप। क्वेश्चन निकालिये, क्या क्वेश्चन है आपका?

श्री पंकज पुष्कर : प्रश्न है कि क्या अकादमियों की लाइब्रेरियों की आधुनिकीकरण को लेकर और उनकी बहुभाषित लाइब्रेरी बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव आपके विचारार्थ है? बस यह है।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष जी, अकादमी द्वारा चलाई गई लाइब्रेरी का समय–समय पर हम लोग निरीक्षण करते रहते हैं और उनको और उपयोगी बनाई जा सके, उसमें अगर डिजिटलाइजेशन की सम्भावना है तो डिजिटलाइजेशन के जरिये भी, यह बहुत विस्तृत लाइब्रेरी योजना के तहत नहीं होती है लेकिन समाज के छोटे–छोटे एरियाज में कहूं, पर मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि अगर इसमें उनका कोई सुझाव है और उनके मन में कोई ऐसा विचार है कि हम लाइब्रेरी को और समृद्ध बना सकते हैं तो मैं उनके विचारों का, उनके प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री दलाल जी।

श्री सुखबीर सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक गुजारिश है क्योंकि हम भी हरियाणा से विलोंग करते हैं। सारी दिल्ली में जो गांव थे, दिल्ली देहात का कोई रागिनी–वागनी है, ऐसी हरियाणवीं अकादमी, उससे कल्चर का बड़ा वो होगा।

अध्यक्ष महोदय : मनीष जी, हरियाणा वाले बाजी मार जाते हैं। बाजी मार गये दलाल।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष जी, मैं इस बात से सहमत हूं और उस दिशा में भी काम चल रहा है लेकिन साथ–साथ में उनको सूचना देना चाहता

हूं अभी मेरी पिछले दिनों कुछ बैठकें हुई हैं अधिकारियों के साथ में तो मैंने उनसे भी कहा था, आपके साथ भी उस दिन प्रोग्राम में गए थे वहां भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हरियाणी विशेषकर रागिनियों के कार्यक्रम जो दिल्ली देहात के क्षेत्रों से बार–बार मांग उठती रहती है तो अकादमी की ओर से, हमारे कला विभाग की ओर से कुछ कराये जाएंगे तो जरूर आपके वहां करवाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : अंतिम ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविन्द : अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल करना चाहता हूं कि दिल्ली प्रदेश के अंदर जो आधी आबादी है, वो भोजपुरी और मैथिली स्पीकिंग है बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग हैं ओर जिस हिसाब से आपने फंड आबंटित किया है, मुझे लगता है कि आबादी के हिसाब से वो बहुत कम है, जिस प्रकार से और जिस लेवल पर इसका प्रचार–प्रसार होना चाहिए और उनकी भागीदारी है और उनकी भागीदारी को जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिल रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका फंड भी बढ़ाया जाए ताकि इसका जो पूरा कल्चरल प्रचार–प्रसार है, उस लेवल पर बढ़ाया जा सके, थैंक यू।

उप मुख्यमंत्री : उनका जो सुझाव है, उस पर विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश त्रिपाठी जी, प्रश्न संख्या 64।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : अध्यक्ष जी, मैं माननीय जल मंत्री जी से चाहता हूं कि प्रश्न संख्या 64 का उत्तर दें–

क्या जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2014 में यह निर्णय किया गया था कि मॉडल टाउन के डेरावाल नगर में एक यू.जी.आर. बनाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस परियोजना को प्रारम्भ किए जाने में होने वाले विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

जल मंत्री : अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 64 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी नहीं।

(ख), (ग) एवं (घ) उपरोक्त के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी को यह बताना भी चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं कि मेरी विधान सभा ऐसी विधान सभा है, जहां पर दो यू.जी.आर. से पानी आता है, जीतगढ़ से जिसका टेल–एंड हमारी विधान सभा पड़ती है। एक आता है केवल पार्क यू.जी.आर. से। दोनों के एंड में पड़ने के नाते सारा पानी डिस्ट्रिब्यूट होता हुआ हमारी विधान सभा में पहुंचता है। बहुत कम मात्रा में हमें मिल पाता है पानी। अभी इस टाइम में तो काम चल जाता है

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेख जी, क्वेश्चन करिये।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : अध्यक्ष जी, गर्मी के मौसम में डेरावाल, गुजरावाल और ऊँचाई पर स्थिति संगम पार्क, राजपुरा गांव की स्थिति ऐसी हो जाती है कि जगह–जगह गंदे पानी की समस्या आ जाती है और पानी बिल्कुल नहीं आता। इसी को लेकर के 2014 में मीटिंग हुई थी जल बोर्ड के तत्कालीन सी.ई.ओ. से। उन्होंने सहमति दी थी सैद्धांतिक कि यहां पर बनेगा। वहां जगह भी है और मीटिंग के मिनट्स भी है उसको अगर कहेंगे तो हम रख देंगे तो उसके आलोक में आप कुछ बताना चाहें कि अगर ऐसी सैद्धांतिक स्वीकृति थी तो ऐसा क्या हो गया कि अभी कहा जा रहा है कि इस पर कोई योजना नहीं है, इस पर उत्तर दें।

जल मंत्री : अध्यक्ष जी, ऐसी कोई स्वीकृति थी नहीं, लेकिन एशियन डेवलपमेंट फंड बैंक की सहायता से इस क्षेत्र में जो वजीराबाद डब्ल्यू.टी. पी. है वहां और उसके कमांड एरिये में सुधार के कार्य को प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है जिसमें आपके क्षेत्र में भी काफी सुधार आएगा।

अध्यक्ष महोदय : और है सप्लीमेंट्री। हां, क्वैश्चन करिये।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : पांच क्वैश्चन कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं इतना कुछ नहीं है। आपमें योग्यता हे दो क्वेश्चन में काम खत्म होना चाहिए।

श्री अखिलेश त्रिपाठी : पांच।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसे नहीं। आप क्वेश्चन कर लीजिए जो करना है। समय खराब होगा, बेमतलब का।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : बस एक। पिछले साल जल अधिकार अधिनियम के तहत सब को कनेक्शन झुग्गी–झोपड़ी में देने का प्रस्ताव था सरकार का, तो उस क्या सरकार कर रही है इस समय और उस योजना पर कितना काम हो गया और कब तक हम पानी की लाइन बिछाना शुरू करेंगे, झुग्गियों में ताकि कनेक्शन दे पाएं, उस पर मंत्री जी विस्तार से बताये।

जी मंत्री : अध्यक्ष जी, इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार है। जल्दी ही वो कैबिनेट के सामने आएगा। उसके बाद इस पर हम काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कमांडो जी।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं दिल्ली कैंट जो क्षेत्र है उसमें लगभग दस हजार की आबादी झुग्गी में रहती है, वहां पर न बिजली है, न ही पानी, किसी प्रकार का पानी नहीं। न ही बोरवेल का पानी है, न ही दिल्ली जल बोर्ड का पानी है। मैं दिल्ली जल बोर्ड से 2014 से लगातार आग्रह कर रहा हूं और माननीय सी.ई.ओ. साहब ने मुझे आश्वासन भी दिया है पानी का कनेक्शन देने के लिए, पर उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि उसमें कितना टाइम लगेगा?

अध्यक्ष महोदय : कमांडो जी, इस प्रश्न से नहीं निकलता। फिर भी मंत्री जी से प्रार्थना है कि उत्तर दे दें।

जल मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा कमांडो जी से, एक बार पर्सनली मेरे से मिल लें, कभी मेरे नोटिस में नहीं लाया है, तो जो भी स्टेटस होगा, वो पता कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। देखिये, यह मॉडल टाउन के संबंध में अखिलेश जी का प्रश्न है। हम चाहेंगे अपनी—अपनी विधान सभा के बारे में क्वेश्चन खड़ा करें। मंत्री जी उत्तर नहीं दे पाएंगे। यह केवल पर्टिक्युलर मॉडल टाउन के विषय में क्वेश्चन किया है। हां, जगदीप जी बताइए।

श्री जगदीप सिंह : सर, इसी तरीके से एक यू.जी.आर. हमारे क्षेत्र में भी बनना है। दिसंबर, 2013 में पहली मीटिंग हुई थी सी.ई.ओ. से, लैंड भी अलॉट हो चुकी है, एक मिनट, डी.डी.ए. ने लैंड अलॉट कर दी है, फंड अलॉट हुआ है, एस्टिमेट हुआ है, टेंडर हुआ है। सिर्फ उसमें 33 पेड़ लगे हुए हैं। उसके काटने के ऑर्डर जो हैं, वो सी.ई.ओ. साहब खुद फॉरेस्ट के ऑफिसर रह चुके हैं, वो क्यों नहीं इसका अप्रूव कर रहे। उसके लिए 33 पेड़ों को हटाने के लिए जो ओर पेड़ लगाने हैं उसके लिए जगह देनी होगी। हमारे दिल्ली जल बोर्ड की बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, वो जगह दे दें ताकि वो यू.जी.आर. बन जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यही पूछना चाहूंगा कि वो फॉरेस्ट आफिसर होते हुए भी उन्होंने पूरे एक साल में उसकी क्यों नहीं उसका अप्रूवल दिया?

जल मंत्री : मायापुरी यू.जी.आर. के संदर्भ में डी.जे.बी. ने एप्लीकेशन सब्मिट की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास और रिक्वेस्ट की है कि 30 दिन के अंदर उसको अप्रूव कर दें।

अध्यक्ष महोदय : चलिए, जगदीप जी, अब तो मेज थपथपा दीजिए, बैठिए। नारायण दत्त जी, बोलिए। ये अंतिम है इस पर बस।

श्री नारायण दत्त शर्मा : अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपका। जलमंत्री जी से मैं पता करना चाहंगा कि मेरी बदरपुर विधानसभा में पिछले 2 साल से बीसियों मीटिंग मैंने जलबोर्ड के अधिकारियों के साथ में करी है। सी.ई.ओ. साहब के साथ में करी हैं। पूर्व के मंत्री साहब के साथ भी करी हैं और अभी जो मंत्री हैं गौतम जी इन्होंने दौरा भी किया है क्षेत्र का। लास्ट में विधानसभा पड़ती है जी। बदरपुर बार्डर में 6 लाख लोग रहते हैं 2 एम.जी.डी. पानी भी मुझे नहीं लगता पहुंचता होगा। आधी पब्लिक प्यासी रहती है। विधानसभा के बीच में रहता हूं। रात को दो बजे भी लोग आ जाते हैं और दिन भर पानी के लिए और बच्चे ये कहते हैं कि कहां फंसा दिया! ये दिन रात रोज मटका लेकर आ जाते हैं तो मेरा निवेदन यह है कि बदरपुर लास्ट में टेल एरिया में अपोलो से पानी जाता है, थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया जाए। हाथ जोड़कर निवेदन है। दो साल हो गए हैं जी।

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन नहीं हो रहा है।

श्री नारायण दत्त शर्मा : अच्छा बढ़ाये जाने की क्या योजना है, ये पूछ रहा हूं जी।

अध्यक्ष महोदय : भई सोमदत्त जी, मेरे लिए ये सारा मुश्किल हो जाएगा कवर करना। ये सारे कवर करने हैं। बीस क्वैश्चन्स हैं।

जल मंत्री : मैं सभी सम्मानित सदस्यों को एक आश्वासन देना चाहता हूं आज। जलबोर्ड पानी के नये स्रोत तलाशने में लगा है। पानी हमारे पास

उतना ही है। नये सोर्सेज नहीं हैं लेकिन हम इस दिशा में अब काम कर रहे हैं कि पानी को कैसे बचा सकते हैं। वेस्ट जो हो रहा है, उसको कैसे रोक सकते हैं और कोशिश करेंगे कि जहां जहां पानी की ज्यादा समस्या है, खासतौर पर साउथ दिल्ली के एरियाज हैं उसके सुधार पर हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद कीजिए कुछ दिनों बाद ये स्थिति आपको बदली नजर आएगी।

अध्यक्ष महोदय : सोमदत्त जी, चलिए प्लीज। क्वैश्चन करिए, भाषण नहीं।

श्री सोमदत्त : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि क्या जेड.आर.ओ. आफिसेज को विधानसभा स्तर पर रिस्ट्रक्चर करने का कोई प्रपोजल है क्योंकि मेरी खुद की असेंबली में तीन बार जेड.आर.ओ. लगते हैं। पब्लिक परेशान होती है। कभी करोल बाग जेड.आर.ओ. के पास भागते हैं। कभी प्रताप नगर जेड.आर.ओ. और कभी जेड.आर.ओ. मुखर्जी नगर तो क्या इसमें कोई प्रस्ताव है। सभी असेंबलियों से जुड़ा हुआ कॉमन इश्यू है जी।

अध्यक्ष महोदय : विधानसभानुसार जेड.आर.ओ.?

जल मंत्री : अभी तक तो कोई ऐसा प्रपोजल हमारे पास नहीं है लेकिन जल्दी ही इसके बारे में डिटेल बात करके मैं सबको जानकारी दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गुप्ता जी। प्रश्न सं. 65

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 65 प्रस्तुत हैं :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 जनवरी 2017 को 'मल्टी इयर टैरिफ (एम.वाई.टी)' रेगुलेशन बिना सार्वजनिक सुनवाई के, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 181 (3) का उल्लंघन करते हुए जारी की गई थी;

(ख) क्या यह सत्य है कि डी.आर.सी. द्वारा 'एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट (ए.आर.आर.)' को बिजनेस प्लान रेगुलेशन 2017' को पूरा किए बिना ही अंतिम रूप दिया जा रहा है, और यह भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि 'बिजनेस प्लान रेगुलेशन 2017' इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 का उल्लंघन करता है क्योंकि डी.ई.आर.सी. ने प्रेस में विज्ञापन जारी किए बिना ही दिनांक 9 जून, 2017 को जनता की प्रतिक्रिया मांग ली थी, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता बिजनेस प्लान रेगुलेशन की घोषणा से अनभिज्ञ थे;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि डिस्कॉम को खुश करने के लिए 14 प्रतिशत की इक्विटी प्रस्तावित की गई है जबकि यह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती और इसे एम.वाई.टी. का भाग होना चाहिए था, जबकि यह बिजनेस प्लान में शामिल की गई है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि डी.ई.आर.सी. जुलाई 2017 में वर्ष 2017–2021 के लिए बिजनेस रेगुलेशन 2017 को अंतिम रूप दिए बिना

ही 'मल्टी इयर ए.आर.आर. पेटीशन ऑफ दिल्ली पावर यूटिलिटी एंड डिस्कॉम्स को अंतिम रूप देने जा रही है;

(च) क्या यह सत्य है कि डी.ई.आर.सी. ने दिनांक 19.7.2017 को 'बिजनेस प्लान रेगुलेशन' तथा 'ए.आर.आर.' पर जनता के विचारों पर ध्यान न देते हुए एकतरफा सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया था, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय जनता पार्टी और आर.डब्ल्यू.ए. ने कार्यवाहियों का बहिष्कार किया था; और

(छ) इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

ऊर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–65 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) से (च) यह प्रश्न टैरिफ आर्डर से सम्बंधित है जो कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग डी.आर.सी. द्वारा जारी किया जाता है।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एक स्वायत्त आयोग है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग बिजली अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है।

इस प्रश्न का संदर्भ आयोग से ही है। इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब संलग्न[1] है;

---

[1]www.assemblydelhi.nic.in पर उपलब्ध

(छ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : एक पूरक प्रश्न है मेरा। अध्यक्ष जी, डी.आर. सी. सिंगल मेंबर कमिशन के रूप में काम कर रही है और डी.आर.सी. में चेयरमैन भी नहीं है। पिछले दिनों सरकार ने जो नियुक्ति की थी, वो दोषपूर्ण थी जिसके कारण, मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार डी.आर.सी. को व्यवस्थित करने के लिए चेयरमैन की नियुक्ति के संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है और क्योंकि नियमों का जिस तरह पालन नहीं किया गया था और बिल लौटकर के दोबारा ठीक करके लाए गए तो क्या डी.आर.सी. के चेयरमैन के मामले में भी सरकार विधिवत रूप से पूरी प्रक्रिया करने के बाद ये नियुक्ति हो सके उसमें कोई आश्वस्त कर पाएगी सदन को कि क्या सरकार की मंशा है या सिंगल मेंबर कमिशन होने से लोगों के साथ न्याय हो पाएगा, इस पर हमको प्रश्नचिन्ह लगता है। उसका कारण यह है कि कमीशन जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं होगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं न मेरी ड्यूटी है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है कि जो डिस्काम्स हैं उनको 14 परसेंट इक्विटी दी जा रही है और ये डाक्यूमेंट पुराना है 2002 का। उस समय जो बैंक रेट्स थे वो 12 से 15 प्रतिशत के बीच में थे।

अध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन लीजिए न विजेन्द्र जी इसमें क्वैश्चन लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या सरकार इक्विटी को 10 प्रतिशत करने का कोई कदम उठाने पर सोच रही है क्योंकि जब बैंक के इंटरस्ट इतने नीचे आ गए हैं उसके बावजूद 14 परसेंट इक्विटी हम दे रहे हैं तो शायद ये बिजली के बिलों पर इसका वजन पड़ता है। उन दोनों स्थिति में सरकार का क्या सोचना है और क्या रोडमैप है, उससे हमको अवगत कराया जाए।

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, डी.आर.सी. चेयरमैन की नियुक्ति प्रॉपर तरीके से की गई थी। उसके लिए विज्ञापन किया गया था। कमेटी बनाई गई थी, उस पर नियुक्ति हुई थी। एल.जी. साहब ने उस नियुक्ति को निरस्त कर दिया। अब इसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही जो भी होगा, उसको किया जाएगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कोर्ट में इस पर्टीकुलर केस का पड़ना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, एक बार उनको पूरा तो उत्तर देने दो। आपको दूसरा सप्लीमेंटरी मिलेगा न। फिर, दूसरा सप्लीमेंटरी मिलेगा आपको, आप होल्ड कर लीजिए।

ऊर्जा मंत्री : जहां तक माननीय प्रतिपक्ष नेता की चिंता है बिजली के रेट कम करने के बारे में, मैं इनको कहना चाहूंगा हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत सारे पॉवर परचेज एग्रीमेंट्स डिस्काम्स के और कंपनियों के बीच में कराए थे। मैं पिछले ढाई साल से कोशिश कर रहा हूं। केन्द्रीय मंत्री से भी कई बारी मिला हूं और उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि भई जो

पावर परचेज एग्रीमेंट छः रुपये युनिट, सात रुपये युनिट, आठ रुपये युनिट किए हुए हैं, उनको हमें रद्द करने का अलाउ किया जाए। शुरू में मेरी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि आप जितनी बिजली छोड़ना चाहें, छोड़ दीजिएगा। मैंने 2200 मेगावाट लिखकर दिया कि मैं ये छोड़ना चाहता हूं तो बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया कि बिल्कुल एक मेगावाट भी नहीं छोड़ सकते। तो अगर इतनी ही चिंता है तो केन्द्रीय बिजली मंत्री के पास जाएं या उनसे रिक्वेस्ट करें। इनकी बात शायद मान लेंगे जो 2200 मेगावाट बिजली दिल्ली को इतनी महंगी बिजली मिलती है, उसको हमें छोड़ने का मौका दिया जाए। छः–छः रुपये युनिट बिजली खरीद रहे हैं। सात–सात रुपये यूनिट खरीद रहे हैं तो वो दिल्ली में कहते हैं छः रुपये, सात रुपये खरीदने का कोई लाजिक नहीं बनता है और वो लूटने के लिए बनाया गया है और कुछ नहीं है, दिल्ली को लूटने के लिए बनाया गया है। दूसरी, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो एन.टी.पी.सी. है, वो केन्द्र सरकार का एक उपक्रम है। हमने कहा, "भई एन.टी.पी.सी. किसी प्लांट से एक रुपये युनिट देती है किसी से पाँच रुपये युनिट देती है, किसी से छः रुपये युनिट देती है। अरे भई दूध है तो दूध का रेट पूरे मदर डेयरी का दूध सब जगह हर बूथ से एक जैसा ही मिलता है एक ही रेट है। मदर डेयरी के रेट अलग अलग थोड़ा ही होते हैं। अमूल के रेट अलग थोड़े होते हैं!" कहते हैं, "नहीं जी, हम नहीं करेंगे।" तो मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि पूरे देश में कम से कम यह एक संस्था अपने रेट तय कर ले हम उसको देने को तैयार हैं। जो भी रेट नार्मलाइज होगा, सबको एक रेट रखो। ये क्या तरीका हुआ कि झझर की बिजली देंगे आठ रुपये युनिट,

क्योंकि दिल्ली खरीद रहा है और दूसरी बिजली देंगे दो रुपये यूनिट और तीसरा वो कहेंगे यू.पी. वाले पॉवर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हैं, दिल्ली वाले नहीं कर सकते। तो मेरा यही कहना है कि अगर इतनी ही चिंता है तो केंद्रीय सरकार क्योंकि इनकी अपनी सरकार है, उनसे ये भी रिक्वेस्ट करें कि एक तो पॉवर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल करने का हमारे को मौका दिया जाए कि उसको हम कैंसिल कर सकें।

दूसरी बात जो इंटरेस्ट जो उनको कंपनियों को जो दिया गया है 16 परसेंट, 14 परसेंट नहीं 16 परसेंट, 14+2 है। हमें इसकी अथॉरिटी दिलवा दी जाए। कल ही दस नहीं, आठ करवा देंगे। इसके लिए करने तो दें। ये तो क्या कहते हैं दोनों तरफ की बात, चित भी मेरी पट भी मेरी। कल भी ये इसलिए चिल्ला रहे थे जी, एल.जी. के पास जाने की क्या जरूरत है। भाई साहब, बिना एल.जी. के आप मेरे को काम करा दो। दूसरे तो कोर्ट में जाकर खड़े हो जाते हैं जी, इस विधानसभा की क्या पॉवर है। हर चीज के लिए ये लोग कहते हैं जी, एल.जी. साहब से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब तो होगा। अगर ये सीरियस हैं तो इन दोनों मैटर के अंदर ये सीरियसली कम से कम जवाब ये कह दें। हम तैयार हैं, इतना ही कह दें विधान सभा के अंदर के जी, मैं तैयार हूं। मैं उसको प्रिंट निकलवा लूंगा और ले जाकर मंत्री को दिखाऊंगा, देखो जी, आपके विपक्ष के नेता कहते हैं हम तैयार हैं इसके लिए, मैं दिखाऊंगा उसको।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। उनके जवाब राजनीति से प्रेरित हैं। मैं आज फिर आग्रह कर रहा हूं।

14 परसैंट इक्विटी की बात की तो आप ये करवा दीजिए, आप चिट्ठी ले लीजिए। सीधा सीधा विषय है कि जब बैंक इंटररेस्ट कम हो गया है तो उसके अनुसार इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। सरकार इस पर गौर करे, मेरा इतना कहना है। यहां पर जो भी आप कह रहे हैं, वो सरकार के जवाब नहीं है। सरकार को जिस तरह जवाब देना चाहिए था, मैं माफी चाहूंगा, इसका मतलब ये है कि सरकार सारे मामलों पर संवेदनशील नहीं है। दूसरा आपने कहा कमीशन का एक चेयरमैन के मामले में। कमीशन का चेयरमैन, क्या हम ये मान लें?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई भारद्वाज जी, मैं कर रहा हूं ना कंट्रोल। आप क्वैश्चन कर लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में भी कमिशन के चेयरमैन को नियुक्त करने के बारे में आप सदन को आश्वस्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते या ये कमिशन...

अध्यक्ष महोदय : ये तो बता दिया। इन्होंने बता दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कुछ नहीं बताया। उन्होंने तो इतना कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से कमिशन को लेकर के मामला है, ये जो है डी.ई.आर.सी. का चेयरमैन जो है, सुप्रीम कोर्ट चला गया। बताइए मेरे को, है तो बताइए। है तो आप बताइए।

अध्यक्ष महोदय : हो गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : डी.ई.आर.सी. के चेयरमैन की नियुक्ति का मामला उसको सरकार हल करेगी या नहीं करेगी और अगर हल करेगी तो आश्वस्त करेगी और नहीं करेगी तो बताएं।

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा से जवाब दे देता हूं। दिल्ली सरकार ने पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए अध्यक्ष की नियुक्ति की थी। अब ये राजनीतिक बात कर रहे हैं। राजनीतिक मामले से प्रेरित होकर ही उनकी नियुक्ति को रद्द किया गया था। मैं अभी जो वर्तमान एल.जी. महोदय हैं, उनसे भी मिला था। उनसे भी रिक्वेस्ट की थी। कमिशन के चेयरमैन की नियुक्ति को दोबारा से बहाल कर दिया जाए। जिसके लिए वो एग्री नहीं हुए। क्योंकि केस कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद ही...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अगर हार्ट कोर्ट ने रद्द की है नियुक्ति, आप जो कह रहे हैं, तभी तो गए हैं आप।

ऊर्जा मंत्री : हाई कोर्ट के आर्डर को चैलेन्ज किया है हमने।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : तो वही तो कहना है हमारा, जब रद्द दिया हाई कोर्ट ने तो स्टे किया नहीं हाई कोर्ट ने, तो फिर आप नियुक्त करिए। यही तो हम कह रहे हैं। आपने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

अध्यक्ष जी, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। तो चलता रहेगा मामला। कमिशन का चेयरमैन तो लाइए।

अध्यक्ष महोदय : वह फिर दोबारा रद्द होगा। फिर दोबारा से रद्द होगा। मैं समझ गया इस मामले को। अब बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये कमिशन का मामला है, चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्या ये वास्तविकता से लोगों को न्याय मिलेगा? क्योंकि जब तक कमिशन पूरी नहीं होगी, हमें न्याय मिलेगा। हमारे साथ न्याय नही हो रहा, जनता के साथ।

ऊर्जा मंत्री : ऐसा है जी, न्याय की बात मैं बता देता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जिस तरह से इन्होंने अभी 19 जुलाई को सुनवाई की है...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी एक सैकेंड। विजेन्द्र जी, अब भाषण कर रहे हैं आप। आप क्वैश्चन नहीं कर रहे हैं। चर्चा का विषय इसको बनाना है तो अलग बात है। देखिए, मेरी बात सुनिये एक सैकेंड। एक सैकेंड विजेन्द्र जी। विजेन्द्र जी, आपने इसको हटा करके बिल पर ले आए। अब बिल पर मेरी बात सुनिए, क्या सदन में बिल...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड मेरी बात सुन लीजिए। आपने बिल की बात की। बिल की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। क्या ये उचित है? आप दिल्ली के नेता विपक्ष हैं आप! क्या ये उचित है कि गवर्नमेंट के डैफिनेशन ये हो। गवर्नमेंट की डैफिनेशन ये हो कि गवर्नमेंट मीन्स एल. जी. ऑफ दिल्ली! नॉट द इलैक्टिड गवर्नमेंट। ये डैफिनेशन होनी चाहिए। नहीं, आप सहमत हैं इस बात से। सदन को कहिए सहमत हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नहीं मिलेगा चेयरमैन।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप सहमत हों तो कहिए, मैं सहमत हूं। ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : यानि चेयरमैन नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, तो बिल का जिक्र किया, बिल इसलिए वापिस आया। भई सिरसा जी, देखिए, आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न ये था, आखिरी हिस्सा है वो बिजनेस प्लान रेगूलेशन और ए.आर.आर. दोनों की सुनवाई 19 जुलाई को एक साथ की गई है। जबकि वास्तविकता ये है कि पहले बिजनेस प्लान रेगूलेशन तैयार होंगे, फिर ए.आर.आर. आएगी।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, अब आपको कुछ इसमें है, तो इसी में सारा समय खराब हो जाएगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अंत में इतना जानना चाहिता हूं कि क्या ए. आर.आर. पर जो कार्रवाई शुरू की है कमिशन ने, उससे पहले बिजनेस प्लान रेगूलेशन 2017 फाइनल होंगे कि नहीं होंगे या उसके साथ–साथ ए.आर.आर. पहले फाईनल हो जाएंगे? ये पूरी प्रक्रिया से सन्तुष्ट हैं जो डी.आर.सी. में चल रही है?

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं, पहले प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा है कि वो चौदह परसैंट प्लस दो परसैंट को कम

किया जाए, दस परसैंट लाया जाए। ये मुझे प्रावधान देखकर बताएं किस प्रावधान के अंदर...आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई भी प्रावधान है जिसमें दिल्ली सरकार उस वेट को एक परसैंट भी कम कर सकती है, तो मैं आठ परसैंट कम करने के लिए आज ही आदेश जारी कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि मैं इसको करने को तैयार हूं अगर कोई प्रावधान नहीं, उन्होंने उत्तर दिया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंदर सरकार जो उनको गारंटी देगी कि 25 साल का एग्रीमेंट है, जो उसको चेंज कर सके। मैं जरूर चाहूंगा, इनसे पहले मैं चाहूंगा, उसको चेंज किया जाए और किसी भी तरीके से अगर उसमें चेंज किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : भई विजेन्द्र जी, ये तो तरीका ठीक नहीं है। सिरसा जी, ये तरीका तो ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी हो गया। एनी सप्लीमेंटरी किसी का है?

ऊर्जा मंत्री : इसके अंदर जो भी चेंज हो सकता है, केन्द्र सरकार

की अनुमति से ही हो सकता है। अदरवाइज नहीं हो सकता जिसको वो फिर राजनीति की बात है कि वो होने नहीं देंगे, सामने बैठे हैं।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : सर, दूसरा काम मैं नहीं होने दूंगा। मैं बिजली के रेट नहीं बढ़ने दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, बैठिए। भई सिरसा जी, क्वैश्चन उनका है, पूरक वो करेंगे या आप करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा! मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। नहीं, पूरक वो कर रहे हैं आप भी पूरक कर रहे हैं। नहीं, उन्होने कह दिया, उत्तर दे दिया। बैठिए प्लीज, बैठिए।

ऊर्जा मंत्री : दस सैकेंड और सुन लो। बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। अरे! सुन लो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई संजीव जी, ऐसे नहीं। बैठ जाएंगे। संजीव जी; सौरभ जी, नहीं ये तरीका ठीक नहीं है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है सौरभ जी। तो मेरी जरूरत नहीं है यहां। आपको ही डायरेक्शन देनी है। मैं बार–बार कह रहा हूं बैठिए। प्लीज बैठिए। मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं। आप बीच–बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो हर बार उठ जाते हैं बीच में। उनको इतना सब्र नहीं है। मंत्री जी अपना उत्तर पूरा कर लें।

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे महत्वपूर्ण जवाब देना चाहूंगा। अभी चार–तीन पहले आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया ट्विटर बेस पर कि आज ही कल ही रेट बिजली के बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जायेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई ऐसे ठीक नहीं है। अगर आप कुछ भी बोल सकते हैं तो मंत्री ठीक नहीं बोल सकते। उन्होंने अभियान चलाया नहीं चलाया तो मना करेंगे नहीं चलाया। आप बैठिए ऐसे नहीं। नहीं सवाल का जवाब दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : आप सुन लीजिए। पहले हिम्मत करिये सुनने की। इन्होंने कहा कि बिजली के बढ़ाये जा रहे हैं। हमारी तरफ से नहीं, इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। इसलिए दो साल रेट नहीं बढ़ने दिये।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : दो साल रेट नहीं बढ़ने दिये, इस साल भी नहीं बढ़ने दूंगा। इस साल भी नहीं बढ़ने दूंगा।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : आपको बताने जा रहे हैं, दो साल रेट नहीं बढ़ने दिये दिल्ली में। इस साल भी रेट नहीं बढ़ने देंगे।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : गारंटी देता हूं मैं।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : और आप जितनी मर्जी जोर लगा लेना। आपने यू.पी. में रेट बढ़ाये हैं।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : दिल्ली में रेट नहीं बढेंगे, देख लेना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, बैठिये बैठिये, बैठिये प्लीज। सच्चाई जो है, सच्चाई कुछ कड़वी होती है बैठिए।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक सैकेंड। बस, दस सैकेण्ड लूंगा। दस सैकेण्ड इन्हें चुप करा लीजिए।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : दस सैकेण्ड घड़ी देख कर, दस सैकेण्ड सुन लीजिए। अच्छी स्टेटमेंट दे रहा हूं। आपके भी काम आयेगी, आप उससे आंदोलित न हों।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : आंदोलित हो जाते हैं आप ज्यादा।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : उत्तेजित हो जाते हैं।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : ऊपर मत चढ़ना, बस बाकी ठीक है।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार देश के अंदर अकेली सरकार है जिसने पिछले दो साल में बिजली का एक भी पैसा, रेट नहीं बढ़ने दिया और मैं इस भरे हुए सदन में फिर से...

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : सुन तो लो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, ये बात ठीक नहीं है। आप बीच में टोकते हैं मंत्री जी को। जब सप्लीमेंट्री का पूरा उत्तर मिल रहा है, उनको पूरा बोलने नहीं देते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये उचित नहीं है। नहीं, ये उचित नहीं है सिरसा जी।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दस सैकेण्ड मांगे हैं, दस सैकेण्ड की

वैसे दिक्कत है कि इनको दो साल हो गये, रेट बढ़ने नहीं दिये। इस साल भी दिल्ली सरकार पूरी अपनी कोशिश करेगी।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : सर जी, बढ़ने नहीं देंगे।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, तब भी नहीं बढ़ने देंगे, जाओ

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : आप जो मर्जी कोशिश कर लें, रेट नहीं बढ़ने देंगे, गारंटी देता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिए प्लीज। अनिल बाजपेयी जी। बस, एक ही इस पर।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कमांडो जी, आप को दे दिया था मैंने समय। नहीं अभी और नहीं प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये एक क्वैश्चन और गुलाब सिंह जी की बारी आज आई है। मुझे उनको ले लेने दो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इधर क्वैश्चन करिये, उधर मत देखिए आप।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : मैं डी.आर.सी. की ही बात पर आ रहा हूं सर। बात डी.आर.सी. के चेयरमेन की नियुक्ति को लेकर है। हम सब लोग चुनाव जीत कर आये हैं। चाहे हम हों सर, आप हों या मंत्री जी हों और विजेन्द्र गुप्ता जी, आप सब हों, अगर दिल्ली का भला चाहते हैं तो सारा सदन आपके साथ है। आप एल.जी. के पास चलिये हमारे साथ और जो...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन करिये ना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही तो दिक्कत है सिरसा जी, यही तो दिक्कत है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, आर्डर गलत नहीं है। ऑर्डर गलत नहीं है। हाई कोर्ट के विषय में चर्चा नहीं कराना चाह रहा मैं। बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बाजपेयी जी, क्वैश्चन क्या है?

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : क्वैश्चन सर मेरा ये है कि मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : भई, क्वैश्चन निकालिये आप।

...(व्यवधान)

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : सर, मैं डी.आर.सी. पर ही आ रहा हूं मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी जो हमारे विपक्ष के सदस्य ये कह रहे थे कि दिल्ली की सरकार ने कुछ नहीं किया दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान...

अध्यक्ष महोदय : अरे भई, क्वैश्चन?

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : जिसने आज तक बिजली के रेट बढ़ने नहीं दिये।

अध्यक्ष महोदय : बाजपेयी जी, बैठिये श्री गुलाब सिंह जी, आप बैठिए। कोई और क्वैश्चन नहीं होगा। अखिलेश जी, बैठिए प्लीज, हाथ नीचे। बाजपेयी जी बैठिए।

प्रश्न संख्या 66 श्री गुलाब सिंह जी। नहीं, अब नहीं अगर क्वैश्चन है तो क्वैश्चन करिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, करिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक क्वैश्चन करना चाहता हूं। मैं जहां माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उस विधानसभा से संबंध रखता हूं...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गुलाब सिंह जी, नहीं है क्या?

श्री सुरेन्द्र सिंह : और प्रधानमंत्री जी लगातार पूरे 15 अगस्त के दौरान लाल किले के ऊपर चढ़ कर कहते हैं गांव गांव तक बिजली पहुंचा दी, गांव गांव तक पानी पहुंचा दिया।

अध्यक्ष महोदय : भई, क्वैश्चन करो।

श्री सुरेन्द्र सिंह : कैन्ट विधानसभा के अंदर दस हजार लोग ऐसे रहे रहे हैं जहां पर बिजली के कनैक्शन नहीं हैं और डी.आर.सी. के अंदर 2013 से वो मुद्दा अटका हुआ है। डी.आर.सी. ने उस जगह को डिमार्केशन करके एम.ई.एस. से टाटा पॉवर या बी.एस.सी.एस. को...

अध्यक्ष महोदय : भई, कमांडो जी, क्वैश्चन नहीं निकाल रहे आप।

श्री सुरेन्द्र सिंह : जिम्मेवारी देने वहां लाईट लगाने की। 2013 से डी.आर.सी. के अन्दर दिल्ली कैंट विधानसभा में दस हजार लोग ऐसे रहे रहे हैं। वहां पर झुग्गी के एरिया में उस एरिया का डिमार्केशन करके और जो बिजली जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उन कंपनियों को डिमार्केशन करना, 2013 से अभी तक नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से भी लगातार इस बारे में मिल चुका हूं तो डी.आर.सी. का ये बतायें मंत्री जी कि कब तक उसका डिमार्केशन हो जायेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं और नहीं लूंगा मैं, समय हो गया। नहीं, प्लीज।

ऊर्जा मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कमांडो साहब ने जो प्रश्न रखा है कि कुछ एरियाज में बिजली नहीं लग पा रही है झुग्गी झोपड़ियों, में ये सिर्फ इन्हीं की विधानसभा की नहीं है। कुछ रेलवे ट्रैक केसाथ की झुग्गियां हैं, वहां पर भी रेलवे वाले नहीं लगने दे रहे हैं। पूरे देश के अंदर जो सुदूर दस घर हैं, उनके लिये तो कहा जाता है कि उनके लिये भी बिजली पहुंचाई जायेगी और दिल्ली जो देश की राजधानी है, एक ही विधानसभा में अगर दस हजार घर हैं या झुग्गियां हैं, उनके अंदर बिजली नहीं लग पा रही है। बड़ा दुःखद है। जब भी दिल्ली कंटूनमैंट बोर्ड एन.ओ.सी. दे देगी, हम तुरंत बिजली लगवा देंगे। इसके लिए किसी फॉमेलिटी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एन.ओ.सी. की जरूरत है। डिस्कोम से कोई सर्वे की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। इसकी गारंटी हम लेते हैं। आप एन.ओ.सी. दिलवा दीजियेगा। बिजली लगाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम लगवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब हो गया कमांडो जी हो गया?

श्री सुरेन्द्र सिंह : प्लीज सर, प्लीज

अध्यक्ष महोदय : क्लीयर उत्तर आ गया। अब नहीं प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंह : इसमें सर लिखा है कि हम सिविल जनता को बिजली नहीं देंगे। आप डिमार्केशन करा के इस एरिया को वो ज्यूडिशियल में एम.वी.एस. में हैं, तो उस एरिया को टाटा पॉवर को ट्रांसफर कर दिया

जाये और टाटा पावर को एरिया ट्रांसफर होने के बाद में वहां पर मुझे उम्मीद है भारत सरकार तो इसमें कदम नहीं उठा रही है पर दिल्ली सरकार के इस कदम की वजह से वहां पर बिजली के कनेक्शन हो सकेंगे और वहां पर रहने वाले बच्चे जिन का भविष्य अंधकारमय है...

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन क्या है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है?

श्री सुरेन्द्र सिंह : वो पढ़ सकेंगे क्वैश्चन वो है, डिमार्केशन करके एरिया टाटा पॉवर को ट्रांसफर करना।

अध्यक्ष महोदय : चलिये, नहीं अब नहीं, प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं 280 का पूरा कर लूं, समय बचेगा, मैं उस में लूंगा। दो मिनट बैठिए।

श्री पवन शर्मा : मैं ये पूछना जानना चाहता हूं कि जैसे केन्द्र सरकार की मंशा है दिल्ली में बिजली के रेट बढ़वाने की तो दिल्ली सरकार जो है, उसके लिये क्या कर रही है?

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने सारे केलकुलेशन कर कर पीछे डी.आर.सी. को दी है इस तरह की बड़ी कोशिशें की गई थीं कि बिजली के रेट बढ़ाये जायें। मैं फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे दो साल से रेट नहीं बढ़ने दिये गये, इस साल भी रेट नहीं बढ़ने दिये जायेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिये आश्वस्त हैं और हमें अपनी केलकुलेशन पर परा भरोसा है।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : सर, बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : चलो, देर आये दुरुस्त आये।

ऊर्जा मंत्री : सर जी, आप पूरी कोशिश कर लेना। आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, हम घटाने की करेंगे।

...(व्यवधान)

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

61. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बुध विहार की आठ अनधिकृत कॉलोनियों में कई वर्ष बाद पिछले दो वर्षों में पानी की लाइनें डाली गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या पाइप लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों को ठीक करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कितने समय में ये सड़कें मरम्मत के बाद पूरी तरह ठीक कर दी जाएंगी?

जल मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) बची हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य दो माह में पूरा कर दिया जाएगा।

66. श्री गुलाब सिंह : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मटियाला विधानसभा क्षेत्र में नांगलोई वॉटर स्कीम को पूरा करने की निर्धारित समयावधि क्या है;

(ख) इस कार्य के प्रथम चरण को पूरा करने की निर्धारित समयावधि क्या है;

(ग) इस कार्य के द्वितीय चरण को पूरा करने की निर्धारित समयावधि क्या है;

(घ) क्या निर्धारित समयावधि के अनुसार इस कार्य में कोई विलंब हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस विलंब के लिए जिम्मेदार संस्थाओं को दंडित करने का कोई प्रावधान है; और

(छ) इस विलंब के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

जल मंत्री : (क) से (ग) मटियाला विधानसभा (पार्ट) में पानी की लाइने डालने, का कार्य नांगलोई वॉटर स्कीम अनुबंध के अनुसार दो फेज में बांटा गया है। फेज एक को पूरा करने की तिथि 22.03.2015 तथा फेज दो को पूरा करने की तिथि 22.09.2017 थी। परन्तु कार्य में देरी के कारण

फेज एक व दो का कार्य अब 30.09.2018 तक पूरा करने की संभावना है।

(घ) जी हां।

(ङ) विभागीय परमिशन व कम्पनी द्वारा धीमी गति के कारण कार्य में विलंब हो रहा है।

(च) जी हां।

(छ) नियमानुसार कार्य में कम्पनी द्वारा देरी के लिए कम्पनी की देय राशि में से अब रुपये 8.88 करोड़ रोक दिए गए हैं।

67. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल बोर्ड के कार्यों के निष्पादन में आर.आर. शुल्क तथा नगर निगमों से अनुमति के कारण परेशानी आ रही है;

(ख) आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में आर.आर. कट शुल्क के मुद्दों के कारण निष्पादित न हो पाने वाली विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा;

(ग) आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में आर.आर. शुल्क जमा कर दिए जाने के बावजूद जिन परियोजनाओं को प्रारंभ/पूर्ण नहीं किया जा सका है, उनका ब्यौरा;

(घ) क्या सरकार का इन प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए कोई कदम

उठाने का प्रस्ताव है जिससे दिल्ली जलबोर्ड के इन परियोजनाओं को सुगमता से पूरा किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा?

जल मंत्री : (क) जल बोर्ड के कार्यों के निष्पादन में आर.आर. शुल्क की दर के कारण तथा अनुमति में देरी के कारण परेशानी आती है, जो कि संबंधित अधिकारियों से बैठक करके सुलझा ली जाती है।

(ख) आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कोई परियोजना नहीं है जिसका निष्पादन आर.आर. शुल्क के मुद्दे की वजह से नहीं हो पा रहा है।

(ग) आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कोई परियोजना नहीं है, जिसका प्रारम्भ आर.आर. शुल्क जमा करने के बावजूद नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में पी.डी.एम. प्रणाली के तहत रोड कटिंग के लिए रु. 3500/– प्रति वर्ग मीटर फिक्स किया गया है तथा कम से कम 1.50 मी. चौड़ाई का रेट लागू होगा, जिसके प्रति मीटर 5250/– रुपये लाइने डालने के देने होंगे। यह निर्धारित मूल्य सभी प्रकार की रोड, कच्चा, पक्का, सी.सी., बिचुमन इत्यादि बहुत अधिक है। जिसको पुनः जांच कर ठीक करने के लिए जल बोर्ड द्वारा विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है। जिसका ब्यौरा संलग्न है।

Govt. of NCT of Delhi
PWD Secretarial : 5th Level, B-Wing
Delhi Sectt. : I.P. Estate, New Delhi

No. F. 04(25)/2015-16/PWD-II/Roads/9857 Dated : 14/07/2017
CD No. 057353966

To

The Chief Executive Officer,
Delhi Jal Board,
Varunalaya Phase-II,
Karol Bagh, N. Delhi-110005

Sub : Regarding review of rates of Road Restoration charges fixed by the Committee @ 3500/- per sq. mts.

Sir,

I am directed to refer to your D.O. letter No. CED/DJB/2017/153 dated 05.07.2017 on the subject above and to say that the issue should stand sorted out when the RR Charges will actually be on the basis of actual expenditure and amount paid by the applicant will be adjusted/refunded, accordingly.

As regards the restoration by the PPP opearator, you are requested to furnish the details of the relavant contracts.

Sd/-

Yours faithfully
(P.R. MEENA)
SPL. SECRETARY (PWD)

केशव चन्द्रा
भा.प्र.से.
KESHAV CHANDRA
I.AS.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

दिल्ली जल बोर्ड
DELHI JAL BOARD
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली सरकार
Govt. of National Capital Territory of Delhi
वरूणालय फेज–2, करोल बाग, नई दिल्ली–5
Varunalaya Phase-2, Karol Bagh, New Delhi-5
Tel. : 23511658, 23544795
Fax : 23516182
E-mail: ceodelhi.djb@nic.in
D.O.No./CEO/DJB/2017/118
Date. 16/05/2017

Dear Sir,

I would like to bring to your kind notice the discussions held in the meeting under the chairmanship of Chief Secretary, Delhi in the recent past. It was requested to allow the cost of RR charges worked out by the Committee chaired by the Pr. Chief Engineer, PWD @. Rs. 3500/ - per sq mtr x 1.5 times irrespective of the type of road which is not rational & logical. This flat rate is applicable to even kachha road, foot path, brick on edge of flooring, WBM, bituminous and dense-carpet road. The Chief Secretary, Delhi directed Principal Chief en,ineer, PWD to hold a meeting with senior officers of Delhi Jal Board to review the RR charges depending on the type of road.

Sh. Vikram Singh Chief Engineer (Dr) Pro-II was nominated as the Member of the Committee to be chaired by Principal CE, PWD for consideration of the rates.

It has been reported that the Committee was apprised the detailed RR estimates based on current DSR varying from Rs. 1966/- per sq mtr to Rs. 3098/- per sq mtr depending on the types of road which is lower than the flat rate fixed by the Committee @ Rs. 5250/- per sq mtr (Rs. 3500 × 1.5 times). In addition, the departmental charges @ 12% and the way leave charges are not applicable to DJB.

It has been brought to my notice that the Principal CE, PWD flatly refused to consider these rates as the Committee had already decided fixed rate @ Rs. 3500/- per sq mtr + 1.5 times.

It is worthwhile to mention that I have already requested the former Special Secretary, PWD on 28.01.2016 vide letter no. DJB/CEO/2016/D-835 dated 28.01.2016 regarding consideration of the objection raised by DJB (Copy enclosed). This request has never been considered. I would, therefore, request you to hold the meeting at your level to rationalise the rates.

Sd/-

Yours sincerely,
(KESHAV CHANDRA)

Shri Ashwani Kumar,
Secretary, PWD,
Govt of NCT of Delhi
5th floor, B wing,
Delhi Sectt.
New Delhi

केशव चन्द्रा
भा.प्र.से.
KESHAV CHANDRA
I.AS.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

दिल्ली जल बोर्ड
DELHI JAL BOARD
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली सरकार
Govt. of National Capital Territory of Delhi
वरूणालय फेज–2, करोल बाग, नई दिल्ली–5
Varunalaya Phase-2, Karol Bagh, New Delhi-5
Tel. : 23511658, 23544795
Fax : 23516182
E-mail: ceodelhi.djb@nic.in
D.O.No./CEO/DJB/2017/153
Date. 05.07.2017

Dear Sir,

Kindly refer to my earlier D.O. No. CED/DJB/2017/118 dated 16.05.17 drawing your attention towards discussions held in the meeting chaired by Chief Secretary, Delhi regarding review of RR charges rates fixed by the committee @ Rs. 3500 per Sqm. for all kind of roads. In compliance to the same, a meeting of the RR committee under the chairmanship of Pr. Chief Engineer, PWD was held on 25.04.17 wherein DJB representative shown the RR estimates raised by PWD itself varying from Rs. 1966/- per Sqm. to Rs. 3098/- per Sqm. Further PWD was requested to share its own details of working out the rate of Rs. 3500/- per sqm. for all type of services.

Both these issues of high rates of Rs. 3500/- per sqm against the exiting PWD RR estimates varying from Rs. 1966/- to Rs. 3098/- and seeking the details of working out the rate of 3500/- per sqm. by PWD were again raised by DJB in meeting held in your office on 22.05.17. However, it was clarified in the meeting that Road Restoration charges paid @ Rs. 3500/- per sqm. for seeking permission will be subject to adjustment on completion of work and amount as per actual expenditure will be charged. Considering the above clarifications that RR charges will be adjusted as per actual expenditure, DJB has started applying for RR permissions online.

With the implementation of uniform single rate of Rs. 3500/- per sqm and width of road cut 1.5 m or Rs. 5250/- per m. for all type of services, the progress of ongoing works will be badly affected particularly PPP Projects for which Chief Secretary, Delhi had allowed Dig and Restore policy, and restoration was to be done by the PPP operator at an estimated rate of Rs. 1570/- per sqm. This abnormal increase in RR rates will increase the cost of all projects including PPP Project exorbitantly requiring revision in cost of the project. Hence, it is once again earnestly requested to impress upon the RR committee to provide the basis of working out rate of Rs. 3500/- per sqm. for all types of services.

केशव चन्द्रा
भा.प्र.से.
KESHAV CHANDRA
I.AS.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

दिल्ली जल बोर्ड
DELHI JAL BOARD
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली सरकार
Govt. of National Capital Territory of Delhi
वरूणालय फेज–2, करोल बाग, नई दिल्ली–5
Varunalaya Phase-2, Karol Bagh, New Delhi-5
Tel. : 23511658, 23544795
Fax : 23516182
E-mail: ceodelhi.djb@nic.in
D.O.No./CEO/DJB/2017/835
Date. 28.01.2016

Dear Shri Jain

I would like to refer to the letter No. F-83DJB/M(WS)/2015/3271-3274 dated: 15.12.2015 of Member (Water), Delhi Jal Board giving comments on the draft Cabinet Note regarding comments on Planning, Digging, & Monitoring (PDM) Application in Delhi (Copy of letter is enclosed). It has been. seen from the revised draft Cabinet Note recently circulated by the Dy. Secy. (MB), department of Up that none of the suggestions has been incorporated in the draft Cabinet Note. It is to point out that the suggestions proposed in the draft Cabinet Note have a lot of financial implications and will increase the cost of water and sewerage infrastructure manifold causing ultimately burden in the Plan

Fund at the Delhi Govt .. There are some practical difficulties which should be borne in mind before the Cabinet Note is put up before Council of Ministers.

It will be appreciated if the suggestions are again deliberated and incorporated in the draft Cabinet Note for ease of operation at a later stage.

With regard.

Sd/-

Yours sincerely,

Encl : As above

(KESHAV CHANDRA)

Sh. P.C. Jain,
Special Secretary (PWD),
Government of NCT of Delhi,
5th Level, Delhi Secretariat
New Delhi-110002

68. श्री जनरैल सिंह : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने इस वर्ष वृद्धावस्था पेंशन के लिए बड़े पैमाने पर आवेदन आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में स्वीकार किए जाने वाले आवेदनों की संख्या;

(ग) आवेदन जमा कराने के बाद आवेदक द्वारा पेंशन प्राप्ति में लगने वाली समय सीमा;

(घ) जिन आवेदकों को पेंशन मिलनी प्रारंभ हो गई है, उनकी संख्या;

(ङ) क्या विभाग इस संख्या से संतुष्ट है;

(च) पात्र आवेदकों को पेंशन मिलने में अनावश्यक विलंब के क्या कारण हैं; और

(छ) उन वृद्ध आवेदकों के लिए विभाग द्वारा क्या वैकल्पिक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है जिनकी उंगलियों के निशान उनकी अधिक आयु के कारण नहीं लिए जा सके?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राजेन्द्र पाल गौतम) : (क) जी हां। 29.09.2016 को केबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन की संख्या एक लाख बढ़ाई है एवं मा. उपराज्यपाल की मंजूरी के पश्चात् दिनांक 27/02/2017 से वृद्धावस्था के नये आवेदन ऑनलाइन करने का प्रावधान है।

(ख) विधानसभा क्षेत्रानुसार स्वीकृत किये गये आवेदनों की सूची संलग्न है।

(ग) सामान्यतः 45 दिन के अन्दर आवेदनों का निपटान कर दिया जाता है। चूंकि ऑनलाइन आवेदन जमा किये जाने की प्रक्रिया अभी नई शुरू की गई है एवं बहुत से आवेदन एक साथ प्राप्त होने के कारण अभी इसे व्यवस्थित होने में थोड़ा समय लग रहा है इसलिए वर्तमान में निर्धारित समय सीमा का अनुपालन नहीं हो पा रहा है।

(घ) कुल 9305 आवेदकों को पेंशन मिलनी प्रारम्भ हो गई है।

(ङ) विभाग इस संख्या को बढ़ाने के लिये निरन्तर प्रयासरत् है।

(च) विभाग द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था/विकलांग योजना के अन्तर्गत पेंशन भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये परिवर्तन किया जा रहा है। सभी पेंशन सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली (PFMS) से प्रेषित की जायेगी। इसके अतिरिक्त हाल ही में कम्प्यूटर प्रणाली में वायरस के खतरे को देखते हुये नया पोर्टल तकनीकी सुधार के दौर से गुजर रहा है जिसमें अभी कुछ समय लग गया। IT एक्ट के लागू होने के कारण लाभार्थियों की व्यक्तिगत सूचना e-district Portal पर ब्लॉक कर दी गई जिस कारण मई माह में नये आवेदकों की जांच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ।

(छ) इस संदर्भ में ऐसे वृद्ध आवेदकों की आंखों की पुतलियों के द्वारा सत्यापन हेतु मशीन सभी संबंधित जिला कार्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही है।

Department of Social Welfare

Financial Assistance Section

List of Approved (New Cases) upto the 31st July

CN. No.	Number of the A.C.	Name of The MLA	New Cases
1	2	3	4
01.	Narela	Shri Sharad Kumar	94
02.	Burari	Shri Sanjeev Jha	35
03.	Timarpur	Shri Pankaj Pushkar	326
04.	Adarsh Nagar	Shri Pawan Kumar Sharma	88
05.	Badli	Shri Ajesh Yadav	35
06.	Rithala	Shri Mohinder Goyal	165
07.	Bawana	Shri Ved Parkash	97
08.	Mundka	Shri Sukhvir Singh	72
09.	Kirari	Shri Rituraj Govind	160
10.	Sultaupur Majra	Shri Sandeep Kumar	60
11.	Nangloi Jat	Shri Raghuvinder Shokeen	454
12.	Mangol Puri	Kum. Rakhi Birla	114

1	2	3	4
13.	Rohini	Shri Vijender Kumar	10
14.	Shalimar Bagh	Smt. Bandana Kumari	125
15.	Shakoor Basti	Shri Satyendra Kumar Jain	159
16.	Tri Nagar	Shri Jitender Singh Tomar	79
17.	Wazirpur	Dr Rajesh Gupta	214
18.	Model Town	Shri Akhilesh Pati Tripathi	15
19.	Sadar Bazar	Shri Som Dutt	393
20.	Chandni Chowk	Smt. Alka Lamba	54
21.	Matia Mahal	Mohd. Asim Ahmed Khan	198
22.	Ballimaran	Mohd. Imran Hussain	242
23.	Karol Bagh	Shri Vishesh Ravi	334
24.	Patel Nagar	Shri Hazari Lal Chauhan	210
25.	Moti Nagar	Shri Shiv Charan Goel	245
26.	Madipur	Shri Girish Soni	155
27.	Rajouri garden	Shri Jarnail Singh	264
28.	Hari Nagar	Shri Jagdeep Singh	148
29.	Tilak Nagar	Shri Jarnail Singh	299
30.	Janakpuri	Shri Rajesh Rishi	602
31.	Vikaspuri	Shri Mahinder Yadav	302

1	2	3	4
32.	Uttam Nagar	Shri Naresh Balyan	187
33.	Dwarka	Shri Adarsh Shastri	35
34.	Matiala	Shri Gulab Singh	190
35.	Najafgarh	Shri Kailash Gahlot	218
36.	Bijwasan	Col Devinder Sehrawat	90
37.	Palam	Smt. Bhavna Gaur	18
38.	Delhi Cantt.	Shri Surender Singh	43
39.	Rajinder Nagar	Shri Vijender Garg Vijay	92
40.	New Delhi	Shri Arvind Kejriwal	72
41.	Jangpura	Shri Praveen Kumar	264
42.	Kasturba Nagar	Shri Madan Lal	178
43.	Malviya Nagar	Shri Somnath Bharti	44
44.	R.K. Puram	Smt. Parmila Tokas	11
45.	Mehrauli	Shri Naresh Yadav	14
46.	Chhatarpur	Shri Kartar Singh Tanwar	8-
47.	Deoli	Shri Prakash	8
48.	Ambedkar Nagar	Shri Ajay Dutt	33
49.	Sangam Vihar	Shri Dinesh Mohaniya	13
50.	Greater Kailash	Shri Saurabh Bharadwaj	28
51.	Kalkaji	Shri Avtar Singh	15

1	2	3	4
52.	Tughlakabad	Shri Sahi Ram	3
53.	Badarpur	Shri Narayan Dutt Sharma	7
54.	Okhla	Mohd. Amanatullah Khan	36
55.	Trilokpuri	Shri Raju Dhingan	142
56.	Kondli	Shri Manoj Kumar	142
57.	Patparganj	Shri Manish Sisodia	163
58.	Laxmi Nagar	Shri Nitin Tyagi	322
59.	Vishwas Nagar	Shri am Prakash Sharma	32
60.	Krishna Nagar	Shri S.K. Bagga	464
61.	Gandhi Nagar	Shri Anil Kumar Bajpai	129
62.	Shahdra	Shri Ram Niwas Goel	249
63.	Seemapuri	Shri Rajendra Pal Gautam	40
61.	Rohtash Nagar	Smt. Sarita Singh	15
65.	Seelampur	Mohd. Ishraque	23
66.	Ghonda	Shri Shri Dutt Sharma	27
67.	Babarpur	Shri Gopal Rai	18
68.	Gokalpur	Shri Fateh Singh	23
69.	Mustafabad	Shri Jagdish Pradhan	63
70.	Karawal Nagar	Shri Kapil Mishra	98
MP			
MS			9305

69. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारका विधान सभा क्षेत्र में कोई नशामुक्ति केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण;

(घ) नशे के आदी व्यक्तियों के नशामुक्ति व उनके पुनर्वास के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा।

उपमुख्यमंत्री : (क) से (ग) इस विभाग में अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि विभाग द्वारा मैसर्स मुस्कान फाउंडेशन, प्लॉट नं. 53, अम्बराही विलेज, सैक्टर–19, द्वारका, नई दिल्ली जोकि एक समाज सेवी संस्था है, का 15+15=30 बिस्तर का प्रोजेक्ट, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना के अंतर्गत मार्च, 2017 में अनुदान हेतु अनुशंसित किया गया है। वर्तमान में संस्था द्वारा लोगों को नशामुक्ति एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

वर्ष 2016–17 में सभी अनुशंसित प्रोजेक्ट की सूची संलग्नक–ए के अनुसार संलग्न है।

(घ) नशे की बुराइयों को दूर करने हेतु विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जाते हैं :–

1. विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा नशामुक्ति प्रचार कार्यक्रम।

2. विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में मेला, प्रदर्शनी लगाई जाती है। सलाहकार द्वारा सलाह सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

3. लोगों को जागरूक करने हेतु दौड़ तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

4. भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गीत एवं नाटक प्रभाग के पंजीकृत दल द्वारा नशाग्रस्त क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक कार्यक्रमों द्वारा जनता को जागरूक किया जाता है।

5. विभिन्न प्रकार के सर्वे किए जाते हैं।

6. हेल्पलाईन नं. 1800110031 द्वारा लोगों को सलाह दी जाती है।

Annexure A

List of NGOs under DRUGS Scheme which was recommended for GIA for the FY 2016-17

Sl. No.	Name & Address of NGO	File No.	Nature/Title of the Project	Project Address	District	Project
1	2	3	4	5	6	7
1.	MANAV PAROPKARI SANSTHA, A-416, GALI NO. 10, ROAD NO. 4, MAHIPALPUR, NEW DELHI-110037 30 DEDDED PROJECT	F. NO. 32(01)/DRUGS/ VAC/ DSW / 2016-17	Integrated Rehabilititation Centre for Addicts (IRCA)	F-1, Jawahar Park, Delhi Road, Khanpur, New, Delhi-110062	Sout-West	Ongoing

1	2	3	4	5	6	7
2.	MANAV PAROPKARI SANSTHA, A-416, GAll NO. 10, ROAD NO.4, MAHIPALPUR, NEW DELHI-110037, 15 DEDDED PROJECT	F. NO. 32(02)/DRUGS/ VAC/ DSW/ 2016-17	Integrated Rehabilititation Centre for Addicts (IRCA)	A-416 Road, No.4, Gali No. 10, MahipalPur, New Delhi-110037	South-West	Ongoing
3.	SPYM CENTER, OFFICE ADD :- 111/9, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070	F. NO. 32(03)/DRUGS/ VAC/DSW / 2016-17	Integrated Rehabilititation Centre for Addicts (IRCA)	SPYM CENTRE 111/9, OPPOSITE SECTOR B-4, VASANT KUNJ, NEW DELHI	Central	Ongoing

4.	SPYM CENTER, OFFICE ADD :- 111/9, VASANT KUNJ, NEW DELHI- 10070	F. NO. 32(04)/DRUGS/ VAC/ DSW / 2016-17	Integrated Rehabilititation Centre for Addicts (IRCA)	MCD Barat Ghar, Opposite Bapu Park, Kotla Mubarkpur	South-West .	Ongoing
5.	SPYM CENTER, FFICE ADD:- 111/9, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070	F. NO. 32(05)/DRUGS/ VAC/DSW/ 2016-17	Innovative Intervention to Strenthen to Community based Rehabilitation	Community center Fatehpuri	South	Ongoing
6.	SPYM CENTER, OFFICE ADD:- 111/9, VASANT KUNJ, NEW DELHI- 110070	F. NO. 32(06)/DRUGS/ VAC/ DSW/ 2016-17	Innovative Intervention to Strenthen to Community based Rehabilitation	Parda Bagh, Delhi, Near Jama Masjid	Central	Ongoing

1	2	3	4	5	6	7
7.	SPYM CENTER, OFFICE ADD:- 111/9, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070	F. NO. 32(07)/DRUGS/ VAC/DSW/ 2016-17	Innovative Intervention to Strenthen to Community based Rehabilitation	Community Hall Kalka ji, Community Hall	New Delhi	Ongoing
8.	TURNING POINT FOUNDATION, TOWARDS A NEW LIFE, PROJECT ADD:- KHSRA NO. 558, BANK STREET, NEHRU ENCLAVE	F. NO. 32(08)/DRUGS/ VAC/ DSW / 2016-17	15 Badded, Integrated Rehabilitation center for addicts (IRCA)	Khsra No. 558, Bank, Street Nehru Enclave, Alipur, Delhi	NW-II	Ongoing
9.	BHARTIYA PRIVARDHAN,	F. NO. 32(09)/DRUGS/	30 Bedded Integrated	D-1/D-2, Basti Vikas	North-East	Ongoing

	D- 1, BASTI VIKAS KENDRA, NAND NAGRI, DELHI- 110093	VAC/ DSW/ 2016-17	Rehabilititation Centre for Addicts (IRCA)	Kendra, Nand Nagari, Delhi		
10.	Muskan Foundation, WZ-Al/l, Shop No.-4, Bhodhela MKT. Vikash Puri	F. NO. 32(10)/DRUGS/ VAC/ DSW/ 2016-17	Integrated Rehabilititation Centre for Addicts (IRCA)	Plot No-53, Amberhai VIllage, Sector-19, Dwarka, New Delhi	South-West	Ongoing
11.	Samaj Sewa Sangh, No.-69/10, Gali No.- 16, Brahmpuri, Delhi-110053	F. NO. 32(12)/DRUGS/ VAC/ DSW / 2016-17	15 Badded, Integrated Rehabilitation center for addicts (IRCA)	A-108, Dilshad Colony, New Seemapuri, Delhi-110095	North-East	Ongoing

70. श्री एस.के. बग्गा : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों में कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में बी.एस.ई.एस. द्वारा बदले खंभों की संख्या;

(ख) कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में खराब मीटरों के निरीक्षण का ब्यौरा और विगत दो वर्षों में बदले गए मीटरों की संख्या;

(ग) क्या यह सत्य है कि देय भुगतान के बिल, जो 25 वर्ष तक पुराने हैं, वसूली के लिए भेजे जा रहे हैं;

(घ) ऐसी परिसंपत्तियों का ब्यौरा जहां पुरानी देनदारी होने के बावजूद नए मीटर कनेक्शन लगाए गए हैं;

(ङ) कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के निपटान हेतु जिम्मेदार व्यक्ति का सम्पर्क–ब्यौरा; और

(च) क्या बी.एस.ई.एस. ने अस्थाई आधार पर कुछ वसूली एजेंटों को नियुक्ति किया है जो उपभोक्ताओं को डराने–धमकाने के तरीके अपना रहे हैं?

ऊर्जा मंत्री : (क) विगत दो वर्षों में कृष्णा नगर विधान सभा में 102 खंभे बदले गए हैं।

(ख) विगत दो वर्षों में कृष्णा नगर विधान सभा में बी.एस.ई.एस. यमुना पॉवर ने 2496 मीटरों का निरीक्षण करने के बाद इन सभी मीटरों को बदल दिया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) पुरानी देनदारी होने पर बी.एस.ई.एस. द्वारा नए मीटर नहीं लगाए जाते। नए मीटर डी.ई.आर.सी. के Supply code और Performance Standard Regulation 2007 के अनुरूप लगाए जाते हैं।

(ङ) श्री दीपक बैंजामिन, दूरभाष संख्या 8588887590, पता—बी.एस.ई.एस. दफ्तर, एफ 15/2, कृष्णा नगर, नई दिल्ली—51

(च) बी.वाई.पी.एल. ने किसी अस्थाई वसूली एजेन्सी को नियुक्त नहीं किया है। यद्यपि बी.वाई.पी.एल. ने प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा स्थाई वेन्डर नियुक्त किए हैं जोकि लंबित वसूली बिना डराये धमकाये करते हैं।

BSES

BSES Yamuna Power Limited

NO. Head [Distribution]/1560 **4th August, 2017**

Shri Chandan Sen Gupta,
Dy. Secretary [Power]
Department of Power.
Govt. of NCT of Delhi.
8th Level, B Wing.
Delhi Secretariat;
I.P. Estate, New Delhi-110002.

Subject : Vidhan Sabha Starred Question No. 70 (with supplimentary) Vidhan Sabha Un-Starred Question No. 248, 249, 256, 258, 259, 261

Sir,

Please refer to your office letter No. F. 11 [130]/2015/VS/Power/ 2170 dated 02.08.2017 on the subject cited above. In this connection the supplementary reply is as under :-

Q. No. 70 raised by Sh. S.K. Bagga

a. The list of areas along with pec poles chanqed in the Krishna Nagar Constituency is enclosed.

b. The summary of meter replaced (2496 Nos) is given below.

DISCRIPSIONS	FY 2015-16	FY 2016-17	Total
Summary of Meter Replaced	1606	890	2496

Yours faithfully.

(PAREEKSHIT BHARADWAJ)
HEAD [Distribution]

Encl: as above.

Sl. No.	Area Name	No. of Poles
1.	5 Block Geeta Colony	1
2.	2 Block Geeta Colony	1
3.	Gandhi Nagar Primary school near 9 Block Geeta	3
4.	7 Block Geela Colony	1
5.	6 block Geeta Colony	1
6.	03 Block Geeta Colony	1
7.	17 Block Geeta Colony	3
8.	Prem Gali 9 Block Geeta Colony	2
9.	Patparganj Main Road near Rashid Market	2

Sl. No.	Area Name	No. of Poles
10.	Near Taj Enclave	1
11.	Sarojni Park	2
12.	5 Block Geeta Colony	2
13.	Darbar Marg near 7 Block Geeta Colony	2
14.	09 block Geeta Colony	1
15.	Road opposite Kanchan appt & Geeta Apt.	2
16.	12 Block Geeta Colony	2
17.	Main Road Gandhi Nagar Read in front govt. School	2
18.	Main Road near Jheel	1
19.	New Lahore Extn	1
20.	Munshi Colony	2
21.	16 Block Geeta Colony	1
22.	Dholak Jhuggi 8 Block Geeta Colony	2
23.	14 Block Geeta Colony	2
24.	13 Block Geeta Colony	1
25.	Jheel Sabji Mandi	1

Sl. No.	Area Name	No. of Poles
26.	12 Block Geeta Colony	2
27.	7 Block Geeta Colony	1
28.	3 Block Geeta Colony	2
29.	West Laxmi Market	3
30.	11 Block Geeta Colony	1
31.	Khureji	2
32.	Govind Pura new	1
33.	Parwana Rd	1
34.	brijpuri	1
35.	Red No 57 near Jagatpuri	1
36.	Jagatpuri 8 block	1
37.	Layal Pur	1
38.	Chander Nagar	2
39.	Gyan Park	1
40.	Ram nagar Exn	1
41.	Laxman Park	2
42.	Old Govind Pura	1

Sl. No.	Area Name	No. of Poles
43.	Rashid Park main Road	2
44.	Som Bazar Chowck	1
45.	Gagan Vihar	2
46.	Jagatpuri Main road	2
47.	Jitar Nagar	2
48.	A Block Jagatpuri	1
49.	F Block Jagatpuri	1
50.	Rashid market	1
51.	south anarkali	2
52.	Bedi market	1
53.	Gopal park	4
54.	Jheel market	3
55.	Shastri Park Ghondly	2
56.	satnam park	1
57.	Old anarkali	1
58.	Radney puri	3
59.	C Bleck Krishna Nagar	1

Sl. No.	Area Name	No. of Poles
60.	E block Krishna Nagar	1
61.	West Arjun Nagar	1
62.	B Glock Krishna Nagar	1
63.	F Block Krishna Nagar	1
64.	Pandit Park	2
65.	Shiv Puri Extn.	1
66.	New Krishna Nagar	1
	Total	102

71. श्री शिव चरण गोयल : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा फरवरी 2015 से 31 जुलाई, 2017 की अवधि के दौरान प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा; और

(ख) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा फरवरी 2015 से 31 जुलाई, 2017 की अवधि के दौरान लागू की गई विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा?

जल मंत्री : (क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा फरवरी 2015 से 31 जुलाई, 2017 की अवधि के दौरान प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा अनुलग्नक निम्न है।

जल विभाग : अनुलग्नक 'क' में संलग्न है।

सीवर विभाग : अनुलग्नक 'ग' में संलग्न है।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा फरवरी 2015 से 31 जुलाई, 2017 की अवधि के दौरान लागू की गई विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न है।

जल विभाग : अनुलग्नक 'ग' में संलग्न है।

सीवर विभाग : अनुलग्नक 'घ' में संलग्न है।

Annexure-A (क)

(जल विभाग)

(a) The Project proposed between Feb. 2015 to July 2017.

S. No.	Name of works	Details of Proposal before Board and its approval
1	2	3
1.	Replacement of old 900 mm dia PSC Duplicate Main from Majnoo ka Teela (Pontoon Pul) to Rajghat. Old Fort to Moolchand Hyover/GK UGR and 800 mm dia Okhla Main from Barapullah Nallah to UGR. Okhla WIP.	The proposal for award of work amounting of Rs. 52.70 Cr. was placed before the board in meeting dated 16.02.2017 and was approved vide Resolution no. 394.

1	2	3
2.	Replacement of 600 mm dia old damaged M.S. Water Main with 600 mm dia M.S. Lined & coated Pipes from Baba Colony More to Burari UGR near Transport Athority.	The Proposal for administrative approval of Estimate amounting to Rs. 3.21 cr. was placed before the board in meeting dated 01.03.2016 and was approved vide Resolution no. 273
3.	P/1/J 600 mm dia M.S. Feeder main from 1000 dia Peeragarhi main (at outer Riag Road). Kanjhawala Crossing to Mangolpuri, Y-Block UGR.	The Proposal for administrative approval of Estimate amounting to Rs. 3.21 cr. was placed before the board in meeting dated 24.07.2015 and was approved vide Resolution no. 221.
4.	Replacement of 1500 mm dia South Delhi main & 1000 mm dia Palam main in left out portion from Haiderpur WIP to Dear Park & Palam Reservior.	The Proposal for award of work amounting to Rs. 70.92 Cr. was placed before the board in meeting dated 15.06.2016 and was approved vide Resolution no. 311
5.	Construction of 12.40 Ml. capacity UGR/BPS at Mayapuri New Delhi	The Proposal for award of work amounting to Rs. 14.47 Cr. was placed before the board in meeting dated 05.12.2016 and was approved vide Resolution no. 373.

1	2	3
6.	P/1/J feeder & peripheral water line network for Karawal Nagar AC & Mustafabad AC in the command area of 26.80 Ml. (5.90 MG) Sonia Vihar UGR/BPS.	The Proposal for award of work amounting to Rs. 28.46 Cr. was placed before the board in meeting dated 05.12.2016 and was approved vide Resolution no. 374.
7.	Rehabilitation & Automation of existing tube wells and ranney wells to augment water supply in flood plains of Palla.	The Proposal for award of work amounting to Rs. 16.49 Cr. was placed before the board in meeting dated 19.03.2015 and was approved vide Resolution no. 195.
8.	Construction of New Office Building Phase-III at Varunalaya. Karol Bagh.	The Proposal for administrative approval of Estimate amounting to Rs. 61.45 cr. was placed before the board in meeting dated 05.12.2016 and was approved vide Resolution no. 355.
9.	Project management consultancy for Delhi water supply improvement investment programme in Wazirabad WTP command area.	The Proposal for award of work amounting to Rs. 98.65 Cr. was placed before the board in meeting dated 05.12.2016 and was approved vide Resolution no. 372.

Annexure-B (ख)

(जल विभाग)

The Projects Commissioned/Completed/Started between Feb. 2015 to July 2017.

Sl.No.	Brief particulars of works	Date of award	Project Cost (Rs. in Cr.)	Status
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitation & Automation of existing tube wells and ranney wells to augment water supply in flood plains of Palla.	11.05.2015	16.49	Project commissioned
2.	C/o 27.10 Ml. capacity UGR at Bawana and P/I. peripheral water mains.	17.07.2007	26.94	Project commissioned
3.	C/o 5.8 Ml. capacity UGR at Narela. P/I. peripheral and feeder mains.	27.12.2007	25.26	Project commissioned

1	2	3	4	5
4.	C/o 15.5 Ml. capacity UGR at Janakpuri and P/I. peripheral water mains.	07.10.2007	24.58	Project commissioned
5.	C/o 11 Ml. capacity UGR at Sector 7 Rohini	22.04.2010	20.15	Project commissioned
6.	P/I/J 600 mm dia M.S. Feeder main from 1000 dia Peeragarhi main (at outer Ring Road). Kanjhawala Crossing to Mangolpuri, Y-Block UGR.	08.12.2015	1.71	Project commissioned
7.	Construction of 1.25 Ml. capacity UGR/BPS at Mangolpur Kalan village, Feeder and Peripheral mains.	03.09.2015	8.67	Project commissioned
8.	Replacement/shifting of 900 mm dia CI Kilokri main in to 900 mm dia MS pipe from Majnu ka teela Pontoon Bridge to Salim Garh Fort Delhi	03.06.2013	10.12	Project commissioned
9.	Replacement/shifting of 900 mm dia CI	22.05.2013	10.06	Project commissioned

	Friplicate water main in to 900 mm dia MS pipe from Majnu ka teela Pontoon Bridge to Salim Garh Fort Delhi			
10.	Providing and fixing of SS containers on 04 Kl and 09 Kl chassis for new water tankers of DJB (M/s PMI)	07.01.2016	5.53	Work is completed
11.	Providing and fixing of SS containers on 04 Kl and 09 Kl chassis for new water tankers of DJB (M/s PMI)	07.01.2016	3.68	Work is completed
12.	Replacement of old 900 mm dia PSC Duplicate Main from Majnoo Ka Teela (Pontoon Pul) to Rajghat. old Fort to Moolchand Flyover/GK UGR and 800 mm dia Okhla Main from Barapullah Nallah to UGR. Okhla WIP.	08.03.2017	52.70	Work under progress. progress achived
13.	Replacement of 600 mm dia old damaged M.S. Water Main with 600 mm dia M.S. Lined & coated pipes from Baba Colony More to burari UGR near Transport Athority.	03.10.2016	2.17	Work completed except interconnection.

1	2	3	4	5
14.	Replacement of 1500 mm dia South Delhi main & 1000 mm dia Palam main in left out portion from Haiderpur WIP to Dear Park & Palam Reservoir.	05.09.2016	70.92	Work under progress. 35" progress achived
15.	Construction of 12.40 MI. capacity UGR/BPS at Mayapuri New Delhi	30.01.2017	14.47	Work yet to start, tree cutting permission under purstance.
16.	P/I/J feeder & peripheral water line network for Karawal Nagar AC & Mustafabad AC in the command area of 26.80 MI. (5.90 MG) Sonia Vihar UGR/BPS.	30.01.2017	28.46	Work under progress. 8" progress achived.
17.	Project management consultancy for Delhi water supply improvement investment programme in Wazirabad WTP command area.	27.12.2016	98.65	Work in progress
18.	Improvement and revamping of existing water supply, transmission and	23.09.2013	652.32	Water supply laid and commissioned in 36 USA

	distribution network under the command area of Nangloi Water Treatment Plant, Delhi {Civil and (O&M)}			colonies by laing 580 km length of water line. Works are in progress in 98 U/A colonies. In addition work of constn. of 2 new UGRs at Najafgarh B and Mundka are also m progress.
19.	Improvement m service level for water supply m Mehrauli Project Area and Vasant Vihar Project Area	27.09.12	201	1955 m length of water line laid Now the I & M work of Qutub phase I and T at Tanki are in progress
20.	Pilot Project for improving efficieny of water distribution network under Malviya Nagar UGR command area.	01.01.2013	171	Water supply land and commissioned in 9 U/A colonies by laing 19 km length of water line

Sub : **Vidhan Sabha starred Question No, 71 Dated 11.8.2017 of Shri Shiv Charan Goel.**

Supplymentary Information

The details of the projects proposed for approval before the Board between February, 2015 to July, 2017 have been given in Annexure-(A) for Part (a) (क) of the Question.

Further the details of the projects along with status, which have been started/completed/commissioned during February, 2015 to July, 2017 have been given in Annexure-(B) for Part (b) (ख) of the Question. These include those projects also, which were awarded before February, 2015, but got completed/commissioned during February, 2015 to July, 2017.

CE(W) Projects **SE (Proj) W-1/III**

अनुलग्नक 'ग'

(सीवर विभाग)

1. रोहिणी–रिठाला क्षेत्र के अन्तर्गत बुधविहार समूह की कालोनियों में 280 मि.मी. से 1000 मि.मी. व्यास की आंतरिक और परिधीय सीवर लाइनें बिछाने के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति।
2. हैदरपुरी सीवेज पम्पिंग स्टेशन, सेक्टर–06, रोहिणी से रिठाला अवजल शोधन संयंत्र तक 1400 मि.मी. व्यास की राइजिंग मेन डालने के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति।

3. ड्रैन न. 6 के अवजल को नरेला अवजल शोधन संयंत्र में परिशोधन हेतु इकट्‌ठा करना तथा दस मिलियन गैलन प्रतिदिन क्षमता के सीवेज पंपिंग स्टेशन निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति।

4. कोरोनेशन पिलर 70 मिलियन गैलन प्रतिदिन क्षमता के अवजल शोधन संयंत्र के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एवं कार्य आवंटन।

5. कोरोनेशन पिलर दिल्ली अवजल शोधन संयंत्र के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत भलस्वा कॉलोनी के समूह में 250 मि.मी. से 900 मि.मी. व्यास तक की आंतरिक एवं परिधीय सीवर लाइन को बिछाने के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन।

6. कोरोनेशन पिलर दिल्ली अवजल शोधन संयंत्र के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत वजीराबाद कॉलोनी के समूह में 250 मि.मी. से 710 मि. मी. व्यास तक की आंतरिक एवं परिधीय सीवर लाइन को बिछाने के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन हेतु।

7. यमुना विहार अवजल शोधन संयंत्र के प्रभाव क्षेत्र मुस्ताफाबाद एवं गोकुलपुर विधान सभा के जोन–II के सब जोन I की कॉलोनियों में 250 मि.मी. से 710 मि.मी. व्यास की आंतरिक सीवर लाइन डालने कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन।

8. यमुना विहार अवजल शोधन संयंत्र के प्रभाव क्षेत्र गोकुलपुर विधान सभा के जोन–III की कॉलोनियों में 250 मि.मी. से 710 मि.मी. व्यास की आंतरिक सीवर लाइन डालने कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन।

9. मंडावली सीवेज पम्पिंग स्टेशन से कोण्डली अवजल शोधन संयंत्र तक 1000 मि.मी. व्यास की राइजिंग मेन डालने के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन।

10. घिटोरनी एस.टी.पी. में 8 एम.जी.डी. अपशिष्ट जल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण

11. ''जन जल संसाधन योजना के तहत उपनिवेशों को जल एवं सीवरेज सेवाएं प्रदान करने'' के कार्यों के लिए सी.एस.आई.आर. –एन.ई.ई.आर.आई. की परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्ति (जे.जे.वाई.पी.)

12. एम.बी. रोड पर बत्रा हॉस्पिटल में मथुरा रोड के जंक्शन तक 1100 1200 मिलीमीटर व्यास की सीवर लाइन का सी.आई.पी.पी. लाइनर द्वारा पुनरुथान

13. मुख्य तिगड़ी रोड पर दक्षिणी पुरी एस.पी.एस. तक माइक्रो टनलिंग के साथ 100/1000/1100 मि.मी. व्यास की परिधीय सीवर लाइन बिछाना।

14. ओखला ड्रेनेज जोन के अंतर्गत संगम विहार समूह कॉलोनियों (चरण–1) में 250 एम.एम. से 700 एम.एम. तक की आंतरिक और परिधीय सीवर लाइन प्रदान करना और बिछाना।

15. ओखला ड्रेनेज जोन के तहत संगम विहार समूह की कॉलोनियों में परिधीय सीवर लाइन प्रदान करना और बिछाना।

16. नजफगढ़ ड्रेन की कमांड में न 9 अवजल शोधन संयंत्र (एस.टी.

पी.) एक अवजल पंपिंग स्टेशन तथा पैरीफेरल सीवर लाइन डालने का कार्य (ढांसा से गोयला)

17. नांगलोई एस.पी.एस. से ज्वालापुरी इंटरसैप्टर तक 600 मि.मी. व्यास की पंपिंग मैन डालना जोड़ना और बिछाना का कार्य।

18. द्वारका जल शोधन संयंत्र व पपनकलां अवजल शोधन संयंत्र पर जलाशय तथा पपनकलां अवजल शोधन संयंत्र पर पंप हाउस का निर्माण और पंपिंग मैन का डालने का कार्य।

19. मधु विहार कालोनी समूह, पालम विधान सभा में नयी सीवर लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित

20. राज नगर भाग–II कालोनी समूह, बिजवासन विधान सभा में नयी सीवर लाइन बिछाने का कार्य

21. धरमपुरा कालोनी समूह, नजफगढ़ विधान सभा में नयी सीवर लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित

22. रिंग रोड ट्रंक सीवर का प्रगति मैदान के अंदर स्थानांतरण

23. नजफगढ़ ड्रेन की कमांड में न. 5 अवजल शोधन संयंत्र (एस. टी.पी.) दो अवजल पंपिंग स्टेशन तथा पैरीफेरल सीवर लाइन डालने का कार्य (गोयला से केशोपुर)

24. दिल्ली में केशोपुर में WWTP के जलग्रहण के क्षेत्र के अंतर्गत भूपेंदर सिंह नगर जी.ओ.सी. में 250 से 500 मि.मी. व्यास डी.डब्ल्यू. सी. एच.डी.पी.ई. पाइप आंतरिक और परिधीय सीवर लाइन प्रदान करना और देना मैसर्स के.वी. अभियांत्रिकी

अनुलग्नक : 'घ'

(सीवर विभाग)

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 से 31 जुलाई, 2017 की अवधि के दौरान लागू विभिन्न परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

1. कोरोनेशन पिलर 70 मिलियन गैलर प्रतिदिन क्षमता के अवजल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य।
2. कोरोनेशन पिलर दिल्ली अवजल शोधन संयंत्र के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत भलस्वा कॉलोनी के समूह में 250 मि.मी. से 900 मि.मी. व्यास तक की आंतरिक एवं परिधीय सीवर लाइन को बिछाने के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन।
3. कोरोनेशन पिलरी दिल्ली अवजल शोधन संयंत्र के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत वजीराबाद कॉलोनी के समूह में 250 मि.मी. से 710 मि. मी. व्यास तक की आंतरिक एवं परिधीय सीवर लाइन को बिछाने के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन।
4. यमुना विहार अवजल शोधन संयंत्र के प्रभाव क्षेत्र मुस्ताफाबाद एवं गोकुलपुर विधान सभा के जोन–II के सब जोन I की कॉलोनियों में 250 मि.मी. से 710 मि.मी. व्यास की आंतरिक सीवर लाइन डालने कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन।
5. यमुना विहार अवजल शोधन संयंत्र के प्रभाव क्षेत्र गोकुलपुर विधान सभा के जोन–III की कॉलोनियों में 250 मि.मी. से 710

मि.मी. व्यास की आंतरिक सीवर लाइन डालने कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन।

6. मंडावली सीवेज पम्पिंग स्टेशन से कोण्डली अवजल शोधन संयंत्र तक 1000 मि.मी. व्यास की राइजिंग मेन डालने के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन।

7. दिल्ली में ओखला डब्ल्यू.डब्ल्यू.टी.टी.पी. के तहत आने वाले मालवीय नगर कॉलोनियों के समूह में 250 एम.एम. से 500 एम. एम. व्यास की आंतरिक और परिधीय सीवर लाइन प्रदान करना और बिछाना।

8. ''बी–द्वितीय ब्लॉक मदनगीर से एंड्रयूज गंज पंपिंग स्टेशन तक सीवर लाइन का पुनरुथान'' के काम के लिए संशोधित अनुमान

9. ओखला ड्रेनेज जोन के तहत संगम विहार समूह की कॉलोनियों में परिधीय सीवर लाइन प्रदान करना और बिछाना।

10. 8.0 एम.जी.डी. अपशिष्ट जल पंपिंग स्टेशन (डब्ल्यू.पी.पी.एस.) के साथ घिटोरनी डब्ल्यू.डब्ल्यू.टी.पी., नई दिल्ली में डी.बी.ओ. आधार पर पम्पिंग मेन और अन्य संबंधित जुड़े/संबद्ध अनुप्रयोगों के साथ।

11. नांगलोई एस.पी.एस. से ज्वालापुरी इंटरसैप्टर तक 600 मि.मी. व्यास की पंपिंग मैन डालना जोड़ना और बिछाना का कार्य।

12. नजफगढ़ ड्रेन की कमांड में न. 9 अवजल शोधन संयंत्र (एस. टी.पी.) एक अवजल पंपिंग स्टेशन तथा पैरीफेरल सीवर लाइन डालने का कार्य (ढांसा से गोयला)।

13. दिल्ली में केशोपुर में WWTP के जलग्रहण के क्षेत्र के अंतर्गत भूपेंदर सिंह नगर जी.ओ.सी. में 250 से 500 मि.मी. व्यास डी.डब्ल्यू. सी. एच.डी.पी.ई. पाइप आंतरिक और परिधीय सीवर लाइन प्रदान करना और देना मैसर्स के.वी. अभियांत्रिकी

14. जे.एल.एन. मेट्रो स्टेशन के निकट अक्षय उर्जा भवन के निर्माण के लिए निर्धारित भूखंड से गुजरने वाली जुड़वा 66" (1650 मि. मी.) की दीया सीवर लाइनों का स्थानांतरण। मैसर्स तिरुपति सीमेंट प्रोडक्ट्स।

15. उत्तर–उत्तर पश्चिम दिल्ली (पैकेज 5) में रोहिणी, पीतमपुरा, शालीमार बाग क्षेत्र, शकेनगर क्षेत्र, आजादपुर और आसपास के क्षेत्र में डी.आई.ए. 450–1400 मि.मी. के परिधीय मल के पुनर्वास एम/एस के.के.एस.पी.–ओ. लाइनर जे.वी.

16. उत्तम नगर, पश्चिम विहार, सरस्वती विहार, मोती नगर और पश्चिम–उत्तर पश्चिम दिल्ली के आस–पास के इलाकों में सी.आई. पी.पी. संरचनात्मक अस्तर विधि द्वारा डी.आई.ए. 450–1000 मि.मी. के परिधीय मल के पुनर्वास का पुनर्वास (पैकेज 6) एम./एस. मिशिगन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

17. जनकपुरी, तिलक नगर, पटेल नगर, करोल बाग और पश्चिम दिल्ली के अड़ने क्षेत्रों में डी.आई.ए. 450–1200 मिमी. सी.आई.पी. पी. संरचनात्मक अस्तर विधि द्वारा परिधीय मल के पुनर्वास (पैकेज 7) एम./एस. के.के.एस.पी.–ओ. लाइनर जे.वी.

18. राठला जलग्रहण क्षेत्र में गिरने वाले राजधानी समूह में पी/एल 280 से 560 मि.मी. नाममात्र दिया आंतरिक भूमि परिधीय सीवर लाइन एम/एस खुखरैन बिल्डर्स लिमिटेड।

19. ओखला विहार में 8 एम जी.डी. अपशिष्ट जल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण।

20. नजफगढ़ डेन के कमांड में नं. 9 अवजल शोधन संयंत्र (एस.टी. पी.) एक अवजल पम्पिंग स्टेशन तथा पेरीफेरल सीवर लाईन डालने का कार्य (ढांसा से गोयल)

72. **श्री नरेश बाल्यान** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में नए पावरग्रिड लगाने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा; और

(ग) ये किस समय तक पूरी तरह सक्रिय हो जायेंगे?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी हां।

(ख) गांव नवादा उत्तमनगर विधान सभा क्षेत्र में एक 66 के.वी. का ग्रिड लगाना प्रस्तावित है, इस संदर्भ में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग से भूमि हस्तांतरण के लिए प्रक्रिया चल रही है।

73. **श्री पंकज पुष्कर** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीवरों तथा सेप्टिक टैंकों में मारे जाने वाले व्यक्तियों की वर्ष 1993 के बाद की संख्या, जब से इस प्रथा पर रोक लगा दी गई थी;

(ख) क्या सरकार की इस अमानवीय प्रथा पर रोक लगाने की कोई योजना है;

(ग) क्या हाथों से सफाई की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा बार–बार दोहराई गई एक कानूनी अनिवार्यता है, के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है;

(घ) रिट याचिका (सिविल) 583/2003 में उच्चतम न्यायालय के दिए आदेश के अनुसार वर्ष 1993 के बाद से हाथों से सफाई करने वाले मृतकों के पीड़ित परिवारों के लिए दस लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की क्या स्थिति है;

(ङ) इन सभी प्रभावित परिवारों को किस समय तक उनको देय क्षतिपूर्ति राशि मिल जाएगा;

(च) जो व्यक्ति हाथ से सफाई के काम में लगे थे या लगे हैं क्या उनको और उनके परिवारों को वैकल्पिक रोजगार व कौशल उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कोई कदम उठाए हैं;

(छ) हाथ से सफाई के दौरान मृत व्यक्तियों के परिवारों को प्रदान की गई सरकारी नौकरियों का ब्यौरा, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनिवार्य है; और

(ज) हाथ से सफाई दौरान में मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को आबंटित भूमि/प्लॉटों का ब्यौरा, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनिवार्य है?

राजस्व मंत्री : (क) से (ज) सूचना बहुत विस्तृत है, एकत्र की जा रही है एवं शीघ्र ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

74. श्री राजेश गुप्ता : क्या **मुख्यमंत्री/माननीय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाइ टेंशन केबलों को हटाने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) उन खंभों को हटाए जाने की प्रक्रिया जो भवन निर्माण में बाधक हैं या जो पहले से बने हुए भवनों के बीच में हैं; और

(ग) लोकनिर्माण विभाग द्वारा बजीरपुर विधानसभा में एल.ई.डी. लाईटों के लगाने से बिजली की कितनी बचत हुई?

मुख्यमंत्री : (क) हाई टेंशन केबलों को हटाने की कोई नीति नहीं है क्योंकि केबल भूमिगत होते हैं यद्यपि हाई टेंशन ओवरहैड लाइनें हटाने की नीति एवं प्रक्रिया बनी हुई है और 'क' पर संलग्न है।

(ख) बिजली की लाइनों के लिए खम्बे सब प्राधिकरणों से अनुमति लेकर ही लगाये जाते हैं। इनके आस–पास अतिक्रमण होने पर समय–समय पर बिजली कंपनियों द्वारा नोटिस दिये जाते हैं और आवश्यकता होने पर अतिक्रमण हटाया जाता है।

(ग) ब्यौरा 'ख' पर संलग्न है।

Government of National Capital Torrrory of Delhi
(Pepartment of Power)
Secretariat, 8th, Level, B-WINC
New delhi-110002

No. F.11 (09)/2007/Power/4040 Dated : the 27 Nov., 2009

To,

The Pr. Secretary (UD),
Urban Development Deptt.,
Govt. of NCT of Delhi,
Delhi

The Secretary,
DERC, Vinyamalc Bhawan,
Shivalik, Malviya Nagar,
Delhi-110017

The C.E.O.
BSES Rajdhani Power Ltd.,
BSES Bhawan, Nehru Place, Delhi
Delhi

The C.E.O.,
BSES, Yamuna Power Ltd.,
Karkardooma,
Delhi

The C.E.O.,
NDPL, Hudeon Lines,
Kingaway, Camp,
Delhi

Sub : Policy of Shifting of HT (11000V & 33000V)/LT(400V) Electricity Transmission Lines posing threat to human lives - Modification of Cabinet decision no. 1310 dated 20.11.2007 thereof.

Sir,

I am directed to convey the approval of the Cabinet of Govt. of NCT of Delhi vide cabinet decision no. 1588 dated 09.11.2009 on the

subject cited above. The Cabinet has considered and approved the proposal of Power Department for partial modification of the existing policy on shifting of HT/LT lines. The new modified Policy on Shifting of HT (11000V & 33000V)/LT(400V) Electricity Transmission Lines posing threat to human lives is trained as under :

(i) In case of colonies set up under 20 point programme in the rural areas, the shifting of HT/LT lines would be done through the MLALAD funds, which would provide for 100% of the cost of shifting.

(ii) In respect of other rural areas, like Lal Dora areas end extended Lal Dora, areas, the cost of shifting of HT/LT lines would also be made from the MLALAD funds, which woale provide for 100% of the cost of shifting.

(iii) In respect of farmhouses, the entire cost of shifting will be borne by the affected consumers. In case of farmers other than farmhouse owners, 50% of the estimated cost of shifting is to be borne by the affected consumers and other 50% would be borne from the MLALAD funds.

(iv) In respoect of regularized unauthorized colonies including urbanized villages and resettlement colonies, 50% of the cost of shifting will be borne from the MLALAD funds and the balance 50% would be borne by the Government from the budget of the Power Department.

(v) In case of MT/LT lines passing through Government Institutions, Public Authority building schools, hospitals, colleges

of Public nature and which are awriod by the Government, 100% of the funding would be met by the concerned department/agency for shifting of the lines.

(vi) In case of private Institutions of a Public nature like educational and health institutions etc, 20% of the cost of shifting would be borne by the agency concerned and 80% by the concerned department in whose juriadiction the agency functions.

(vii) Scope of the HT/LT lines to be covered will include the HT Transmission lines of 11 KV as well as 33 KV and LT lines of 400 V associated with the HT network.

This is for your kind information and necessary action please.

Yours faithfully,

(S.M. Ali)
Dy. Secretary (Power)

Copy for information to :-

1. All Hon'ble MLAs, Govt. of NCT of Delhi.
2. Pr. Secretary to C.M., Delhi
3. Pr. Secretary (Finance), GNCTD
4. C.M.D., Delhi Transco Limited.
5. OSD to C.S., Delhi.
6. FA to Secreatry (Power), GNCTD.

GOVT. OF NCT OF DELHI
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT

F.18(385)/A/UD/Plg./2013/18213 **Dated : 23/9/13**

MEMORANDUM

Subject :- Shifting of HT/LT Lines in Un-authorised Colonies.

With the approval of Council of Ministers vide Cabinet Decision no. 2067 datcd.26.08.20 13, the modalities for processing the proposal of shifting of HT/LT lines in un-authorised colonies would be as follows :-

1. The proposal for shifting of HT/LT Lines in un-authorised colonies Will be funded by Urban Development Department under plan scheme "Provision of Essential Services in Un-authorised Colonibs."

2. The projects of shifting of HT/LT Lines will be considered initially in 895 un-authorised colonies covered under this department's order dated 4.09.2012 and will also be applicable in such other colonies for which order for regularisation would be issued in due course of time as per the Regulations for regularisation of Unauthorised Colonies dated 24.03.2008, and as modified from time to time.

3. The Hor'ble MLAs will send specific proposal with their request to Power Department and Power Department will obtain technical feasibility report along with the estimates

from DISCOM concerned and make their recommendations to the UD Deptt.

4. The UD Deptt. will release the funds to Power Deptt. for execution of the scheme as per their recommendations.

(R.K. Srivastava)
Secretary (U.D.)

F.18(385)/A/UD/P1g./2013/ **Dated :**

Copy to :-

1. All MLA's.
2. Principal Secretary to Lt. Governor.
3. Secretary to Speaker, Delhi Legislative Assembly.
4. Principal Secretary, Power Department.
5. Principal Secretary, Planning Department.
6. Principal Secretary, Finance Department.
7. Principal Secretary to Chief Minister, Delhi.
8. Secretaries to All Ministers.
9. OSD to Chief Secretary.

(R.K. Srivastava)
Secretary (U.D.)

अनुलग्नक 'ख'

PWD Street light Consumption Report
(w.r.t. LED lights installed)

CA No.	PWD Division	Supply Address	Total Street light points	No. of LED points installed	Month/ Year of LED Installed	Average Consum-ption before LED	Average Consum-ption after LED (Units)	Differ-ence (Units) (Units)	Reducti on (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60021468396	M-353	Pt. Lekh Ram Sharma Marg	102	20	Apr'16	11586	11804	-218	-2%
60021468388	M-353	Pardeshwar Dham Mandir Marg	66	66	Apr'16	8130	5661	2469	30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60021471036	M-353	Swami Dayanand Marg	55	34	Apr'16	8214	4660	3554	43%
60021471044	M-353	Gulab Singh Marg	88	70	Apr'17	5370	5349	21	0%
60021471200	M-353	Gulab Singh Marg	88	70	Apr'17	6299	4022	2277	36%
60021471176	M-353	Deep Cinema Road	80	40	Apr'17	7638	6197	1441	19%

75. श्री नितिन त्यागी : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल बोर्ड में किसी कर्मचारी को स्थानांतरित करने के मानदंड क्या हैं;

(ख) किसी कर्मचारी के किसी एक पद पर पदस्थ रहने की अधिकतम अवधि क्या है;

(ग) उन कर्मचारियों का ब्यौरा जो एक ही पद, स्थान व एक ही अवस्थिति में पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि से कार्यरत हैं;

(घ) उन कर्मचारियों का ब्यौरा जो एक ही पद, स्थान व एक ही अवस्थिति में तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि से कार्यरत हैं;

(ङ) इन कर्मचारियों के एक ही स्थान पर इतनी लंबी अवधि तक पदस्थ रहने के कारण?

जल मंत्री : (क) दिल्ली जल बोर्ड के परिपत्र दिनांक 30.08.2016 के अनुसार ग्रुप क, ख एवं ग कर्मचारियों का एक ही स्थान पर रहने की सामान्य अवधि तीन वर्ष निर्धारित की गई है तथा ग्रुप घ का एक ही स्थान पर रहने की सामान्य अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड के परिपत्र दिनांक 30.08.2016 के अनुसार ग्रुप क, ख एवं ग कर्मचारियों का एक ही स्थान पर रहने की सामान्य अवधि तीन वर्ष निर्धारित की गई है तथा ग्रुप घ का एक ही स्थान पर रहने की सामान्य अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है।

(ग) सूची अनुलग्नक 'क' संलग्न है।

(घ) सूची अनुलग्नक 'ख' संलग्न है।

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत जो कर्मचारी एक ही स्थान पर तीन साल या पांच साल से अधिक समय तक कार्यरत हैं उनका स्थानांतरण उक्त परिपत्र दिनांक 30.08.2016 के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

76. श्री राजेश ऋषि : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के असालतपुर गांव में एक वृद्धाश्रम बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत वृद्धावस्था पैंशनों का ब्यौरा; और

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याण योजनाओं का विवरण क्या है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में कुल स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशनों का ब्यौरा संलग्न है।

(ग)

1. विकलांग व्यक्तियों हेतु आर्थिक सहायता (पेंशन) योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत रुपये 2500/– (प्रतिमाह) की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

2. विभाग निशक्त जन हेतु ''नेशनल प्रोग्राम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसबिलिटीस'' (एन.पी.आर.पी.डी.) के अंतर्गत सामान्य विकलांगता शिविर, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से आयोजित करता है। इस शिविर के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

   गत वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा कुल 11 सामान्य विकलांगता शिविर आयोजित किए गए थे व इस वर्ष विभाग कुल 12 शिविर आयोजित करने का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है।

3. पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट 1995 के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा उन संस्थाओं का पंजीकरण करता है जो विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। अभी तक कुल 83 गैर सरकारी संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा पंजीकरण किया जा चुका है।

4. दिल्ली अनुदान योजना के अंतर्गत, विभाग, गैर सरकारी संस्थाओं, संगठनों को जो विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही है, को अनुदान देती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 7 एन.जी.ओ. को अनुदान दिया गया है।

5. समाज कल्याण विभाग द्वारा उन गैर–सरकारी संस्थाओं को संस्तुति भारत सरकार को की जाती है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे कि दीन दयाल रिहैबिलिटेशन स्कीम (डी.डी.आर.एस.), अवेयरनस जनरेशन प्रोग्राम (ए.जी.पी.), असिस्टेंश टू डिसअब्ल्ड परसन फॉर पर्चेसिंग/फीटिंग ऑफ एड्स/एप्लीएंसिस स्कीमस (ए.डी.आई.पी.) और स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन आफ परसन्स विद डिसअबिलिटी

एक्ट (एस.आई.पी.डी.ए.) के तहत आवेदन करते हैं। वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा 23 संस्थाओं को अनुदान देने हेतु संस्तुति दी गई।

6. विभाग द्वारा मानसिक बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए 5 हाफ–वे–होम शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें से एक हाफ–वे–होम (महिलाओं) के लिए सेक्टर–3, रोहिणी (क्षमता 40 लोग) 8 अगस्त से प्रारंभ करने के लिये प्रस्तावित है।

7. समाज कल्याण विभाग द्वारा मूक बधिर छात्रों के लिए पांच स्कूल, दृष्टिबाधित के लिए एक स्कूल हॉस्टल के साथ, एक हॉस्टल दृष्टिबाधित कॉलेज जाने वाले लड़कों के लिए, छः संस्थाएं मानसिक रूप से विकलांग लोगों और एक स्कूल मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए दिल्ली की विभिन्न जगहों पर चलाए जा रहे हैं।

8. सुगम्य भारत अभियान का क्रियान्वयन केंद्रीय सरकार ने 3 दिसंबर, 2015 को शुरू की जिसके तहत, इमारतों, यातायात व संचार के साधनों में विकलांगों के लिए सुगम्यता बढ़ाई जाए। अभियान के पहले चरण के अंतर्गत दिल्ली की 23 इमारतों को का ऑडिट किया गया। जिनमें से 19 इमारतें दिल्ली सरकार की हैं। ऑडिट के अनुसार केंद्र सरकार ने 18 इमारतों में सुधार व सुगम्य बनाने के लिए 13.48 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दे दी है।

77. श्री सुखवीर सिंह दलाल : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रोहतक रोड, टिकरी कलां में ऐतिहासिक

आजाद हिंद ग्राम के पुनर्निर्माण या सौंदर्यकरण के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) मुंडका गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न अन्य प्रस्तावों का ब्यौरा;

(घ) दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग के उत्तरदायित्व;

(ङ) क्या कंझावला में डी.एस.आई.आई.डी.सी. के पास उपलब्ध भूमि को डिस्ट्रिक्ट पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो इस प्रक्रिया का ब्यौरा?

पर्यटन मंत्री : (क) दिल्ली पर्यटन एवम् परिवहन विकास निगम लि. द्वारा टिकरी कलां, रोहतक रोड़ स्थित आजाद हिंद ग्राम का नवीनीकरण व सौन्दर्यकरण करने का काम नियमित रूप से किया जाता है।

(ख) 2016–17 में दिल्ली पर्यटन द्वारा आगंतुकों की जनसुविधा सेवा, इस परियोजना की दीवार की मरम्मत, गलियारे की मरम्मत, नेताजी सुभाष चन्द बोस की प्रतिमा के चबूतरे के टूटे हुए ग्रेनाईट पत्थरों को बदलना, और नेताजी के बारे में पत्थरों पर उकेरना, स्टील की रेलिंग लगाना और पार्किंग एरिया का विकास और छत की वाटर प्रुफिंग आदि कार्य किए गए।

2017–18 में आजाद हिंद ग्राम में स्मारक और म्यूजियम को नवीनीकरण और सौन्दर्यकरण के संबंध में प्रस्ताव भेजा था। दिल्ली पर्यटन की इंजीनियरिंग विंग स्मारक और म्यूजियम को आगंतुकों के लिए आकर्षक और

शिक्षाप्रद बनाने के लिए एक कंस्लटेंट को नियुक्त करने पर काम कर रही है।

(ग) वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार के पास दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने और इससे संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने का दायित्व है। विभाग, पर्यटन संबंधित विभिन्न योजनाओं का समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी भी करता है।

इस संबंध में विभिन्न योजनाओं का निष्पादन पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार के निकाय, दिल्ली पर्यटन एवम परिवहन विकास निगम लि. द्वारा किया जाता है।

(ङ) जी नहीं,

डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार यह भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए है और इसे एम.पी.डी.–2021 के मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाएगा।

(च) उपरोक्त उत्तर (ड़) के अनुसार।

78. श्रीमती अल्का लाम्बा : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली में बाल–भिखारियों का कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा;

(ग) क्या सरकार के पास इन बच्चों के पुनर्वास की कोई योजना है;

(घ) क्या भिक्षावृत्ति को रोकने और उनके पुनर्वास के लिए कोई वैध ाानिक प्रावधान हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा; और

(च) जो बच्चे भीख मांगते पाए गए उनके पुनर्वसन का ब्यौरा?

समाज कल्याण मंत्री : (क) व (ख) विभाग किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बाल भिखारी श्रेणी को बालकों की देखरेख और संरक्षण के अन्तर्गत डाला गया है, इसी कारण वश बाल भिखारियों का कोई भी आंकड़ा अलग से उपलब्ध नहीं हैं, यदि इस प्रकार की कोई भी सूचना पुलिस अथवा चाइल्ड लाइन को प्राप्त होती है तो उस बच्चे को रेस्क्यू करने का प्रावधान है। और ये समितियां बच्चों के ममाले में उपरोक्त एक्ट के अन्तर्गत निर्णायक अधिकारी है।

(ग) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 14 बाल गृह कार्यरत है जिसमें निराश्रित, अनाथ, बालभिक्षु, विपदाग्रस्त व विशेष संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को रखा जाता है जिसमें की जरूरत वाले बच्चों को रखा जाता है जिसमें कि उनकी भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती है।

(2) विभाग द्वारा आठ बाल कल्याण समितियां कार्यरत हैं। बाल कल्याण समिति ऐसी इकाई है जो कि निराश्रित, अनाथ बच्चों से सम्बन्धि ात निर्णय लेने हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000/2015 के तहत सक्षम समिति हैं।

(3) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) पांचवां तल आई.एस.बी.टी., बिल्डिंग का गठन किया है जो कि बच्चों के अधिकार से सम्बन्धित मामलों की कार्यवाही करते हैं तथा बाल अधिकार संरक्षण के लिए समय–समय पर बनाए गये किसी भी कानून द्वारा और उसके तहत मुहैया कराए गए सुरक्षा उपायों की जांच तथा पुनरीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए माप दण्डों की सिफारिश करना है।

(4) दिल्ली सरकार के द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) भी चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण और उन परिस्थितियों तथा गतिविधियों की सुमेद्यता में कमी लाने में योगदान देना है तथा समेकित बाल संरक्षण स्कीम के तहत योजनाओं को कार्यरत करना है।

(5) इसके अतिरिक्त 80 गैर सरकारी बाल गृह, एवं 13 ओपन शेल्टर होम भी कार्यरत है जिसके अंतर्गत बच्चों को भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, तथा सुरक्षा की सुविधाएं दी जाती है। इन संस्थाओं में भी बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चों को प्रवेश दिया जाता है।

(घ) व (ङ) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत बाल भिक्षावृत्ति को रोकने का प्रावधान है, जिसमें की जो व्यक्ति बच्चों से भिक्षावृत्ति करवायें अथवा क्रूर व्यवहार करें तो ऐसे व्यक्ति के लिए 5 से लेकर 10 साल तक कारावास तथा 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।

(च) जैसा कि आपको उपरोक्त उत्तर में बताया गया है कि ऐसे बच्चों को बालकों की देखरेख और संरक्षण की श्रेणी में रखा गया है, इस कारण वश अलग से कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, परन्तु जो बच्चे बाल गृह में रहते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का पूरा प्रयास किया जाता है। बच्चों को नजदीकी सरकारी स्कूल में शिक्षा दिलाई जाती है। इसके अतिरिक्त 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत दिलाने का प्रयास किया जाता है।

उपरोक्त उत्तर की स्वीकृति निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त है।

79. श्री प्रवीण कुमार : क्या **अनुसूचित जाति/जनजाति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनु.जा/अनु.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हाउसिंग लोन भी देता है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा;

(ग) क्या यह सत्य है कि विभिन्न ऋण दिए जाने की प्रक्रिया तथा नियम व शर्तें इतनी जटिल है कि अधिकतर लोग उन ऋणों का लाभ नहीं उठा पाते हैं;

(घ) क्या विभाग की इन प्रक्रियाओं के सरलीकरण की कोई योजना है; और

(ङ) जो अधिकारी ये ऋण देने के लिए उत्तरदायी है उनका सम्पर्क—ब्यौरा है?

अनु. जाति/जनजाति मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त अनुसार।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह निगम समय–समय पर कार्यान्वित योजनाओं का आंकलन करते हुए नियमानुसार उनका सरलीकरण करने हेतु नियम एवं शर्तों में संशोधन करता रहता है।

(ङ) विवरण अनुलग्नक ''क'' पर संलग्न है।

अनुलग्नक ''क''

1. योजना प्रभारी

   दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लि.

   अम्बेडकर भवन, सैक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110085

2. शाखा प्रभारी

   दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लि.

   ए–ब्लॉक, प्रथम तल, बुनकर भवन, उपायुक्त कार्यालय (नार्थ ईस्ट), गगन सिनेमा के सामने, नन्द नगरी, दिल्ली–110093

3. शाखा प्रभारी

   दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लि.

ए–33–38, बी–ब्लॉक, लाल बिल्डिंग, पुलिस स्टेशन के पास, मंगोल पुरी, दिल्ली–110083

4. शाखा प्रभारी

दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लि.

2, बैटरी लेन, राजपुर रोड़, दिल्ली–110054

80. **श्री संजीव झा :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अविद्युतीकृत क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा;

(ग) इन क्षेत्रों में कब तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

ऊर्जा मंत्री : (क) अविद्युतीकृत क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने एस.ओ.पी. रेगुलेशन 2017 के तहत पॉलिसी अधिसूचित कर दी गई है (अनुलग्नक 'क')।

(ख) से (घ) इस पॉलिसी के तहत दिल्ली की वितरण कंपनियों ने इस काम को करना है और उस के लिए उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।

अनुलग्नक 'क'

DERC (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017

(TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY PART) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Delhi Electricity Regulatory Commission

Viniyamak Bhawan, C-Block, Shivalik, Malviya 'Nagar,
New Delhi-110017

Notification

Delhi

No. F. 17(85)/Engg./DERC/15-16/5109---In exercise of the powers conferred by Section 46, 50 read with Section 57, Section 181 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017.

CHAPTER-I
GENERAL

1. **Short title, extent and commencement :-**

(1) These Regulations may be called "Delhi Electricity Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017".

(2) These. Regulations shall be applicable to all the Distribution Licensees including Deemed Licensees and all consumers in the National Capital Territory of Delhi,

(3) These Regulations shall come into force from 1.9.2017.

2. Definitions :-

In these Regulations, unless the context otherwise requires :-

(1) **"Act"** means the Electricity Act, 2003, as amended from time to time;

(2) **"Accredited laboratory"** means a laboratory accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL);

(v)	Electrified Areas (Where 66/33 kV grid sub-station needs to be augmented)	Within 8 months from existing the date of receipt of payment against demand note

Provided that the Licensee may approach the Commission for extension of time specified in specific cases, where magnitude of electrification works is such that it requires more time, duly furnishing the details in support of such request for extension.

(iii)Connection in Un-electrified areas :-

a. The licensee shall upload the updated details of un-electrified areas as on 31st March of every year alongwith the

geographical map clearly indicating the boundaries of such areas under its licensed area of supply by the end of April of that year :

Provided that the Licensee for the first time shall upload the details of un-electrified areas as on 31.7.2017 alongwith the geographical map clearly indicating the boundaries of such areas under its licensed area of supply :

Provided further that the details of un-electrified areas as on 31.7.2017 shall be uploaded by the Licensee on its website by 31.8.2017 and shall remain on its website unless reviewed by the Commission.

b. The Licensee shall submit in the, Business Plan, details of un-electrified areas under its area of supply and proposal for its electrification during the control period.

c. The Licensee shall submit alongwith the filing of tariff petition, the detailed plan for electrification of these areas duly taking into account the number of pending applications for service connections, potential for load growth etc.

d. The Licensee shall ensure that all relevant laws of the land are complied with.

e. The Licensee shall complete the electrification of un-electrified areas and release the connection within the time schedule specified as under :

(i)	Where connection from nearby network is possible	Within 4 months from the date of receipt of existing approval from the Commission, wherever required, subject to: (i) receipt of service line cum development charges under Regulation 21 from the developer or the applicant as the case may be; and (ii) availability of right of way & land,wherever required.
(ii)	Where new network is to be laid or grid station needs to be established	Within 12 months from the date of receipt of approval from the Commission, wherever required, subject to : (i) receipt of service line cum development charges under Requlation 21 from the developer or the applicant as the case may be; and (ii) availability of right of way & land, wherever required.

Provided that on request of the licensee; the Commission may allow extension of time for electrification works in

specific cases, based on the justification and the, details furnished by the Licensee :

Provided further that once electrification of such area is completed, the tirnelines for energisation of connection shall be in accordance with the provisions of these Regulations for energisation of connection in electrified areas.

(iv) All connections to be energized using bus-bars :-

a. If more than one connection in a premises/complex are energized using a single service line or a cable, all such connections shall be energized using the bus-bars only without looping with other meters.

b. Any existing connection, provided through loop connections, energized prior to 18th April, 2007 (date of notification of Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards Regulations, 2007), shall be rectified and re-enerolzed using bus-bars within 6 (six) months from the date of applicability of these Regulations,

c. The consumer shall have the right to. check/verify that the neutral of its meter ts connected directly from the bus bar and not in any other manner.

d. Subject to Sub-Clause (b) above, if it is found that the consumer's meter is energized through neutral looping and, not directly from the bus bar, the Licensee shall be liable to pay compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.

(v) Compensation for delay in energizing connection :-

a. In case the Licensee fails, to provide the connection to an applicant within the prescribed time lines, the Licensee shall be liable to pay the applicant.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

225. श्री प्रवीण कुमार : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जंग पुरा विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2015 से लेकर अब तक किये गए प्रत्येक कार्य के टैंडर की राशि, कितना काम हुआ और कॉन्ट्रैक्टर का पूर्ण विवरण दें; और

(ख) भविष्य में होने वाले कार्यों का भी पूर्ण विवरण दें?

जल मंत्री : (क) सूची संलग्नक 'क' में संलग्न है।*

(ख) सूची संलग्नक 'ख' में संलग्न है।

226. श्री प्रवीण कुमार : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड में मस्टर रोल के तहत क्या नई भर्ती का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो पिछले 2 वर्ष में कितनी भर्ती की गई;

(ग) यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है?

*www.delhiassembly.nic.in पर

जल मंत्री : (क) दिल्ली जल बोर्ड के संकल्प संख्या 61 (मद संख्या, प्रशासन 118) दिनांक 25.09.2003 के अनुसार मस्टर रोल के तहत नई भर्ती पर पूर्णतया प्रतिबंध है।

दिल्ली जल बोर्ड में सीवर साइड में कार्यरत कर्मचारी निरन्तर जहरीली गैसों के सम्पर्क में एवं जल संयंत्रों कार्यरत कर्मचारी कलोरिन गैस युक्त वातावरण में कार्य करने के कारण यहां कर्मचारियों की मृत्यु दर बहुत अधिक है। भारत सरकार की करूणामूलक आधार पर नियुक्ति हेतु नीति में जिन ग्रुप 'सी' एवं 'डी' पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान है केवल 5 प्रतिशत ही कोटा ही निर्धारित है। दिल्ली जल बोर्ड में उपरोक्त कारणों के कारण मृतक होने वाले कर्मचायियों की संख्या निर्धारित 5 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत आने वाले पदों से बहुत अधिक होती है अतः वित्तीय क्षति एवं परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु से होने वाली आपातकालीन स्थिति से आश्रित परिवार की मदद हेतु दिल्ली जल बोर्ड ने केवल करूणामूलक आधार पर जिन ग्रुप 'सी' एवं 'डी' पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान है पर मस्टर रोल आधार पर नियुक्ति देने हेतु संतुति प्रदान की है।

(ख) पिछले 2 वर्ष में दिल्ली जल बोर्ड में करूणामूलक आधार पर विभिन्न ग्रुप 'सी' एवं 'डी' पदों पर 514 मृत कर्मचारियों के आश्रितों की मस्टर रोल पर भर्ती की गई है।

(ग) लागू नहीं।

227. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रोहिणी विधान सभा क्षेत्र के लिए दिनांक 15.06.17 को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा विशेष पैकेज आवंटित किया गया;

(ख) क्या यह सत्य है कि यह सम्पूर्ण दिल्ली के लिए 12.05.17 एवं 15.05.17 को यह धन आबंटित होना था;

(ग) यदि हां तो इस क्षेत्र को विशेष सुविधा क्यों प्रदान की गई;

(घ) यदि स्थापित नियमों के विरूद्ध ये धन आबंटित किया गया है तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी?

जल मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) रोहिणी विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजा विहार अनधिकृत कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम डालने की परियोजना पर काम चल रहा है। इस कॉलोनी में आन्तरिक सीवर लाईन डालने का काम पूरा हो चुका है। राजा विहार के लिए एक पम्प हाउस एवं उससे सीवेज ट्रीटमैंट प्लॉट तक राईजिंग लाईन डालने का कार्य भी प्रगति पर है। राजा विहार कॉलोनी की आन्तरिक लाईनों को पम्प हाउस से जोड़ने के लिए पेरिफेरल सीवर लाईन डालने के प्रस्तावित कार्य के लिए दिनांक 15.06.2017 को 124.42 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं। इस प्रस्तावित कार्य के पूर्ण होने के बाद ही उपरोक्त परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण की जा सकेगी। इसके अलावा 33.00 लाख रुपये वर्ष 2013–14 के विधायक फण्ड से रजापुर गांव में भूमिगत जलाशय की निर्माण के लिए आबंटित किए गए हैं।

(घ) यह बजट आबंटन नियमों के विरुद्ध नहीं है।

228. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए

जल का अधिकार सुनिश्चित किए जाने हेतु ''जल–अधिकार'' का प्रस्ताव पारित किया गया;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि झुग्गी–झोपड़ी में रहने वालों को पानी का कनेक्शन अभी तक नहीं मिल पाया है;

(ग) इस पर सरकार की क्या कार्य योजना है;

(घ) झुग्गी–झोपड़ी वालों को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल का कनेक्शन कब तक दे दिया जाएगा; और

(ङ) उपरोक्त योजना के लिए सरकार ने कितना धन नियत किया है, इसका पूर्ण विवरण दें?

जल मंत्री : (क) दिल्ली जल बोर्ड से सम्बन्धित नहीं हैं।

(ख) जी हां।

(ग) एवं (घ) दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व विभाग ने इस विषय की संस्तुति कर, दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात व विधानसभा में पारित होने के दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम–1998 में परिवर्तन किया जाएगा, तत्पश्चात ही झुग्गी–झोपड़ियों में जल कनेक्शन दिया जा सकेगा।

(ङ) झुग्गी–झोपड़ योजना हेतु दिल्ली सरकार द्वारा रुपये 7.00 करोड़ की राशि नियत की गई है।

229. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड ने अनाधिकृत कॉलोनियों

में मदर डेरी बूथ की तरह 5 रु. में कच्चे पानी को आर.ओ. में परिवर्तित कर 20 लीटर के हिसाब से पानी बेचने का फैसला किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी कम्पनी को यह ठेका दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उस कम्पनी को आर.ओ. वैडिंग मशीन लगाने, कच्चे पानी का प्रबंध करने के लिए जमीन, सरकारी ट्यूबवैल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में ये बुनियादी सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी।

जल मंत्री : (क) अनौपचारिक आबादी एवं जहां पीने के पानी की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में नहीं थी ऐसे 29 स्थानों पर वाटर ए.टी.एम. द्वारा आर.ओ. से शोधित जल प्रदान करने की योजना की स्वीकृति दी गई थी।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं, केवल आर.ओ. मशीन लगाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की जमीन जोकि लगभग 60 गज होती है को उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। 12 वर्ष के उपरांत यह जमीन एवं कम्पनी द्वारा लगाया गया प्लांट दिल्ली जल बोर्ड के स्वामित्व में आ जाएगा।

(घ) प्रक्रिया जारी है।

230. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कितने प्रतिशत घरों में दिल्ली जल बोर्ड के कनेक्शन हैं;

(ख) जिन कॉलोनियों में अभी तक जल बोर्ड के कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं, उन क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार की क्या योजना है;

(ग) अनधिकृत कॉलोनियों में नये कनेक्शन दिये जाने की दिशा में क्या प्रगति की गई है;

(घ) सरकार पेय जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

जल मंत्री : (क) कुल 25,28,329 घरेलू जल कनेक्शन हैं।

(ख) वर्तमान में 1180 अनधिकृत कॉलोनियों में दिल्ली जल बोर्ड के कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। शेष अनधिकृत कॉलोनियों में तकनीकी सम्भाव्यता या अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गया है व लाईन डालने का कार्य प्रगति पर है। जो अनधिकृत कालोनियों डी, ई, एफ, जी तथा एच श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं और जिनके भवन 200 वर्ग मीटर तक के प्लाट में घरेलू उपयोग में आते हैं उन्हें जलकनेक्शन लेने पर जल तथा सीवर विकास शुल्क में 80 प्रतिशत छूट की योजना लागू की गई है जो 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर जल विकास शुल्क तथा 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर सीवर विकास शुल्क हैं। यह योजना 30.09.2017 तक लागू हैं।

(ग) इस योजना के तहत अब तक 1,10,959 जल कनेक्शन स्वीकृत किए जा चुके हैं।

(घ) पेयजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए निदेशक (परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण) दिल्ली जल बोर्ड एवं क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा रोजाना सम्पूर्ण दिल्ली से पानी के नमूने टेस्ट के लिए उठाये जाते हैं एवं जिस क्षेत्र से गन्दे पानी की शिकायत होती है उस पर यथा शीघ्र कार्यवाही कर गुणवत्ता सुधार दी जाती है।

दिल्ली जल बोर्ड भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित कर पाइप लाइनों के माध्यम से उपभोक्ता को मुहैया कराया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड के आधीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं व केन्द्रीय प्रयोगशाला सभी क्षेत्रों का निरीक्षण करती है तथा प्रतिदिन 500 से 600 पीने के पानी के नमूनों को दो पारी में प्रत्येक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा एकत्रित करके रसायनिक एवं जीवाण्विक परीक्षण किया जाता है।

जहां तक पीने के पानी में सीवर मिक्सिंग का प्रश्न है वहां पर जैसे ही गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशाला को एस.एम.एस. टेलीफोन, अखबार, सी.सी. आर. आदि से सूचना मिलती है तुरन्त प्रयोगशाला वैज्ञानिक पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करते हैं और क्षेत्रीय अभियंताओं को उपयुक्त कदम उठाने के लिए सूचित कर दिया जाता है। इसके बाद पानी की गुणवत्ता को दोबारा प्रमाणित किया जाता है।

दिल्ली जल बोर्ड के उपचार एवं गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के अतिरिक्त पानी की गुणवत्ता की जांच बाहरी संस्था राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) भी करती है। इस तरह दिल्ली जल बोर्ड पीने के पानी को उसकी गुणवत्ता भारतीय मानक ब्यूरो 10500–2012 के अनुसार सुनिश्चित कर उपभोक्ता को मुहैया कराया जाता है।

231. श्री राजेश गुप्ता : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पानी के कनेक्शन झुग्गियों में घर–घर तक कब तक पहुंच जाएंगे;

(ख) सरकरा द्वारा जनता को किस–किस कंपनी के मीटर लगाने की अनुमति दी गई है;

(ग) इन मीटरों के पास होने का क्या आधार था;

(घ) क्या यह सत्य है कि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले दिल्ली में मीटर काफी महंगे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) पानी के टेस्ट में क्या कीड़े जाने की संभावना है;

(छ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ज) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए वर्ष 2015 से अब तक प्रतिवर्ष जल बोर्ड द्वारा दिए गए फंड का वार्षिक लेखा–जोखा क्या है?

जल मंत्री : (क) झुग्गियों में कनेक्शन देने हेतु दिल्ली जल बोर्ड के अधिनियम–1998 में संशोधन करवाना आवश्यक है, इसलिए कोई समय–सीमा बताना सम्भव नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व विभाग ने इस विषय की संस्तुति कर, दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड ने निम्नलिखित मीटरों की लगाई की अनुमति प्रदान की है।

1. दशमेश डी.एम.बी. (Dasmesh DMB)
2. कोनार्क–(Konarak)
3. बेलान। टीके 23–(Bavlan/Tk-23)
4. आइट्रॉन सी.जी.–(Itron C G)
5. क्रान्ति–के.बी.एम.जी.+–(Karnit-KBM G+)

6. क्रान्ति–अल्ट्रा जी–(Karnit–Ultra-G)

7. आनन्द असाही–(Ananda Asahi)

8. फेडरल–(Fedrel)

9. केसेन्ट–सी.डी.एम.–(Crescent-CDM)

10. टेकसन–(Teksan)

(ग) F.C.R.I. द्वारा निर्धारित मानकों पर टेस्ट किए गये। जो मीटर पास हुए उन्हें जल बोर्ड ने अधिसूचित किया है।

(घ) और (ङ) इस की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(च) जल बोर्ड द्वारा संशोधित पानी में कीड़े पाये जाने की कोई संभावना नहीं है।

(छ) लागू नहीं।

(ज) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से अब तक किये गये कार्यों का ब्यौरा संलग्नक 'क' में संलग्न है।*

232. श्री राजेश ऋषि : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की जनकपुरी में 45 साल पुराने सीवरेज सिस्टम को बदलने की योजना है;

(ख) अगर हां, तो इसे कब तक बदल दिया जाएगा;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर

(ग) क्या यह भी सत्य है कि क्षेत्र दूषित पानी की आपूर्ति से जनता परेशान है;

(घ) यदि हां, तो जनता को पीने योग्य स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कया कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) जनता को स्वच्छ पेय जल कब तक मिलना शुरू हो जायेगा?

जल मंत्री : (क) यह सत्य नहीं है। जो सीवर लाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है उन्हीं को बदलने का कार्य किया जा रहा है।

(ख) यह कार्य चरणबद्ध चरणों में आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।

(ग) यह सत्य नहीं है क्योंकि माह जुलाई 2017 में जनकपुरी क्षेत्र से लगभग 126 जल नमूने उठाए गए जिनमें से केवल एक ही अशुद्ध पाया गया है जो बाद में क्षेत्रीय जल अभियंता द्वारा ठीक करा दिया गया है।

पानी की गुणवत्ता दैनिक आधार पर जांची जाती है। शिकायत पाने पर उचित कार्यवाही कर यथा शीघ्र निवारण किया जाता है।

(घ) जनकपुरी क्षेत्र में जल बोर्ड द्वारा स्वच्छ एवं पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जा रही है।

233. श्री सोमनाथ भारती : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 61, 62 एवं 63 वर्ष 2013 से पूर्व कितने घण्टे व किस किस समय पानी की आपूर्ति की जाती थी, पूर्ण विवरण दें;

(ख) वर्ष 2013 से मालवीय नगर विधान सभा में कहां कहां सीवर/पानी की लाइनें बिछाई गई, कालोनी वार विवरण दें;

(ग) मालवीय नगर विधान सभा में कब तक प्रत्येक घर में दिन में 2 बार पीने के पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी;

(घ) मालवीय नगर विधान सभा में हाल ही में शुरू किए गए हाईड्रॉलिक मॉडलिंग प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है;

(ङ) मालवीय नगर विधान सभा में पानी की कुल कितनी डिमांड व सप्लाई है; और

(च) मालवीय नगर विधान सभा के डियर पार्क में अलग यू.जी.आर. बनाने के काम की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल मंत्री : (क) मालवीय नगर के वार्ड नं. 61, 62 में पानी की सप्लाई डियर पार्क यू.जी.आर. से ग्रीन पार्क मैन द्वारा की जाती है। वर्ष 2013 से पहले इन वार्डों में सुबह 3 से 6 एवं सायं को 3 से 6 बजे सप्लाई की जाती थी। वार्ड नं. 63 में वर्ष 2013 से पहले मालवीय नगर यू.जी.आर. से सुबह 3.30 से 6.30 तक एवं सायं को 3.30 से 5.30 सप्लाई की जाती थी।

(ख) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से जहां जहां पानी व सीवर की लाईन बिछाई/बदली गई हैं कि सूची संलग्न है।

(ग) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नं. 61, 62 में सुबह 2 से 6 व सायं 4 से 6 की जा रही है। वार्ड नं. 63 में वर्तमान में 3.30 से 7 बजे सुबह की जा रही है। पानी की वर्तमान उपलब्धता के अनुसार अभी दो समय पानी की सप्लाई करना सम्भव नहीं है।

(घ) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में हाल में ही शुरू किये गये हाइड्रोलिक मॉडलिंग का उद्देश्य क्षेत्र में DMA स्थापित करना एवं उपलब्ध पानी की समुचित वितरण को सुनिश्चित करना।

(ङ) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में डिमांड लगभग 13 MGD तथा सप्लाई लगभग 9.50 MGD है।

(च) उपरोक्त बिन्दु (घ) से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्राप्त आपूर्ति में सुधार के लिए विभिन्न कार्य निष्पादित किये जायेंगे।

Subject :- The following areas in AC-43 Malviya Nagar where waterlines and sewerlines replaced.

S.No.	Areas Water lines replaced
1.	Gautam Nagar & Hardev Puri
2.	Y and Z block Hauz Khas
3.	Along Gautam Nagar drain Gautam Nagar
4.	Yusuf Sarai Village
5.	Durga mandir, Dada Pauti park at Gautam Nagar
6.	CSP Qtrs S.J. Enclave
7.	Balbir Saxena Marg Gautam Nagar
8.	A-2 Block S.J. Enclave

S.No.	Areas Water lines replaced
9.	Near Shani Mandir Masjid Moth Village
10.	Chruch Wali gali Masjid Moth Village
11.	K & P block Hauz Khas
12.	Arjun Nagar
13.	J & K block Green Park Ext.
14.	H. No. 181 to 214 Gautam Nagar
15.	Bholi Nagar Masjid Moth Village
16.	Humayun Pur Village
17.	Jia Sarai Village
	Areas Sewer lines replaced
1.	Near H. No. 118 and 114 Gautam Nagar
2.	B-7 block S.J. Enclave
3.	H.No. S-20 to S-32 Green Park Main
4.	A-2 block S.J. Enclave
5.	From H. No. 28A to 18 Jia Sarai Village
6.	Gautam Nagar & Hardev Puri
7.	K & P Hauz Khas

S.No.	Areas Water lines replaced
8.	B-6 block S.J. Enclave
9.	Brahmin basti Masjid Moth
10.	Arjun Nagar and Humayun Pur Village
11.	Indira Camp Malviya Nagar
12.	Kumhar Basti Hauz Rani
13.	Kalu Sarai (H. No. 8, 65)
14.	H. No. 25-77 Adhchini Village
15.	PTS Red light to STC Aurobindo Road
16.	Begum Pur near DDA park
17.	10 & 12 block Malviya Nagar
18.	Khirki Village
19.	Behind Gurudwara Begum Pur Village
20.	Gandhi Park Hauz Rani Village
21.	N-block Malviya Nagar
22.	Near Dargah Adchini Village
23.	Ravi Dass mandir Hauz Rani Village
24.	L-block behind Gurudwara Malviya Nagar

234. सुश्री भावना गौड : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में अभी भी पेयजल का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पेयजल की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या यह सत्य है कि जिन स्थानों पर पाईप–लाईनों में पिछले दो सालों से साफ पानी आ रहा था, वहां पिछले 4 महीने से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

जल मंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपलब्ध जल के समुचित वितरण के लिए इस क्षेत्र के सभी यू.जी.आर. की हाईड्रोलिक मॉडलिंग कराने की परियोजना के लिए कन्सलटेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रस्तावित है।

(ग) अंतिम छोर वाले कुछ स्थानों पर निजी बूस्टर पम्प द्वारा नान सप्लाई आवर में पानी खिंचने के कारण कई बार गंदे पानी की शिकायतें आती हैं, जिन्हें क्षतिग्रस्त फेरूल कनेक्शन को ढूंढकर बदल दिया जाता है।

(घ) पुरानी व क्षतिग्रस्त पाईप लाइनों को चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है तथा जहां कहीं गंदे पानी की शिकायत आती है। उस क्षेत्र में क्षतिग्रस्त फेरूल कनेक्शनों को ढूंढ़कर ठीक करा दिया जाता है।

235. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए मीठे पानी की सप्लाई का कार्य किस स्तर पर चल रहा है;

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण दें; और

(ग) इस क्षेत्र की जनता को मीठा पानी कब तक उपलब्ध करवाया जाएगा?

जल मंत्री : (क) यह प्रश्न दिल्ली छावनी बोर्ड (DCB) से संबंधित है।

(ख) दिल्ली छावनी बोर्ड से क्षेत्र की नागरिक आबादी के लिये दिल्ली जल बोर्ड को अलग से पेयजल आपूर्ति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस संबंध में दिल्ली छावनी बोर्ड को सूचित किया गया है कि शंकर विहार, महिपालपुर यू.जी.आर. को जाने वाली 700 एम.एम. व्यास की मुख्य पाइप लाईन से पेयजल आपूर्ति करायी जा सकती है जो कि एम.ई.एस. और दिल्ली छावनी बोर्ड को दिये जा रहे पेय जल में से काटकर दिया जायेगा। दिल्ली छावनी बोर्ड को इसके अनुसार नागरिक आबादी के लिये बनाये गये Service यू.जी.आर. में पेयजल आपूर्ति के लिए Feeder Pipe लाइन की योजना दिल्ली जल बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करनी है।

(ग) यह प्रश्न दिल्ली छावनी बोर्ड (DCB) से संबंधित है।

236. श्री पंकज पुष्कर : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कितनी धनराशि का कार्य कहां कहां दिया गया, पूर्ण विवरण दें;

(ख) क्या यही सत्य है कि नजफगढ़ नाले में हकीकत नगर के पास, एस.एफ.एस. फ्लैट मुखर्जी नगर में भी पंप लगाकर और एस.एफ.एस. मुखर्जी नेर के सामने मुखर्जी नगर में भी सीवर पंप द्वारा जहांगीरपुरी ड्रेन में सीवर गिराया जा रहा है;

(ग) यदि हां तो क्या यह कार्य कानून सम्मत है;

(घ) इससे होने वाले प्रदूषण के लिये कौन जिम्मेदार है;

(ङ) उपरोक्त सभी जगहों पर सीवर गिराना रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल मंत्री : (क) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 7,36,87,445/– रुपये खर्च किये गये जिसका विवरण संलग्न है।*

(ख) एवं (ग) जी नहीं

(घ) एवं (ङ) लागू नहीं है।

237. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा की आठ अनाधिकृत कालोनियों में वर्षों बाद पानी की सप्लाई पाइप लाइन द्वारा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन कालोनियों में पानी की सप्लाई का समय क्या है?

जल मंत्री : (क) जी हां।

*www.delhiassembly.nic.in पर

(ख) इन कालोनियों में पानी की सप्लाई का समय हर दूसरे दिन सुबह 6.30 से 9.30 तक हैं।

238. श्री मनोज कुमार : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल बोर्ड से मेम्बर (ड्रेनेज) की पोस्ट कब से खाली है;

(ख) मेम्बर (ड्रेनेज) की पोस्ट पर मेम्बर (वाटर) की पोस्टिंग ड्यूल चार्ज पर कितने समय के लिए की गई थी;

(ग) मेम्बर (ड्रेनेज) की नियुक्ति कब तक होगी;

(घ) क्या यह सत्य है कि ड्यूल चार्ज पर पोस्टिंग एक माह के लिए की गई थी; और

(ङ) यदि हां तो क्या मेम्बर (वाटर) अवैध रूप से ड्यूल चार्ज संभाल रहे हैं?

जल मंत्री : (क) जल बोर्ड में मेम्बर (ड्रेनेज) की पोस्ट दिनांक 01. 10.2016 से खाली है।

(ख) उप राज्यपाल, दिल्ली के आदेश दिनांक 27.10.2016 के अनुसार कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

239. श्री नितिन त्यागी : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भागीरथी प्लांट से ग्रेटर कैलाश मेन तक पानी की लाईनें कब बिछाई गयी थी;

(ख) इस लाईन के लिए इस्तेमाल की गयी पाईपों की उम्र कितनी है;

(ग) ड्रेनेज/लीकेज के कारण होने वाले पानी के नुकसान को जानने की क्या प्रक्रिया है; और

(घ) पानी के नुकसान को टालने के लिए इन लाईनों को कब तक बदल दिया जाएगा?

जल मंत्री : (क) ग्रेटर कैलाश मेन भागीरथी प्लांट से सन 1984 में बिछाई गई।

(ख) इस लाईन के लिए इस्तेमाल की गई पाईपों की उम्र लगभग 30 साल की है।

(ग) ये पाईप लाईन पानी की प्रेशर लाईन होती है जो कि लीकेज होने के बाद धरती की सतह पर पानी की लीकेज दिखाई देती है और जिनके लिये क्षेत्र के कर्मचारी लाईन की निगरानी करते हैं लीकेज का नुकसान वाटर आडिट करने के बाद पता चलता है।

(घ) भागीरथी जल संयंत्र से निकलने वाली तीन मुख्य लाइनों को बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रांकलन अनुमोदित कर दिया गया है। इसकी तीन बार निविदाएं निकाली गई हैं, परन्तु निविदाओं में अपर्याप्त

प्रतिक्रियाओं के चलते अभी तक कार्य आवंटित नहीं किया जा सका है। इसको उचित बदलाव के लिए दुबारा परामर्शदाता को भेजा गया है ताकि पुनः निविदायें मंगा कर कार्य शीघ्र शुरू कराया जा सके।

240. **श्री गुलाब सिंह** : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि द्वारका में सैक्टर–16बी ट्रांजिट कैम्प में पानी की पाइप लाइन डालने का कार्य काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां तो इसके एस्टीमेट और सर्वे कब हो गए थे;

(ग) पानी की पाइप डालने के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं; पूर्ण विवरण दें; और

(ङ) यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

जल मंत्री : (क) जी नहीं, क्योंकि यह कॉलोनी डी.डी.ए. द्वारा विकसित की गई थी, जिसका बाद में दिल्ली जल बोर्ड ने अधिग्रहण किया तथा इस कॉलोनी में जो पानी की लाईन डालने का काम रह गया था उसे दिल्ली जल बोर्ड ने डी.डी.ए. के खर्चे से करना था। जिसकी स्वीकृति डी.डी.ए. ने मई 2017 में दी है तथा उसके बाद जल बोर्ड ने पानी की लाईन डालने का अनुमान अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

(ख) एवं (ग) इसका सर्वे 2016 में हो गया था तथा अनुमान डी.डी.ए. की अनुमति के बाद अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

(घ) इसकी विस्तृत जानकारी उपर 'क' में वर्णित है।

(ङ) इस कार्य को दिसम्बर, 2017 तक शुरू होने की सम्भावना है।

241. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधान सभा में कॉरोनेशन पिलर में एस.टी.पी. प्लांट है जहां अपजल को संशोधित कर संशोधित जल यमुना में मिला दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि हरित क्षेत्र की सिंचाई टैंकरों के माध्यम से की जाती है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि हरित क्षेत्र की टैंकरों के माध्यम से अनियमित सिंचाई के कारण उद्यान विभाग द्वारा रोपित अधिकतर पेड़–पौधे नियमित सिंचाई के अभाव में सूख कर नष्ट हो जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार कॉरोनेशन पिलर से पाइप लाइन के जरिये पूरी विधान सभा क्षेत्र में हरित क्षेत्र की सिंचाई किए जाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां तो कब तक?

जल मंत्री : (क) जी हां। इसका संशोधित जल सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के ड्रेन में छोड़ा जाता है, जिसका उपयोग कृषक करते हैं और शेष जल यमुना में छोड़ जाता है।

(ख) जी हां। दिल्ली जल बोर्ड उद्यान विभाग के पास टैंकर है, जो पौधे रोपण के समय और बाद में पानी की उपलब्धता कराता है, केवल उस क्षेत्र में जहां पानी की व्यवस्था पाईप लाईन के द्वारा नहीं है।

(ग) जी नहीं। दिल्ली जल बोर्ड के परिसर/परिसरों के अन्तर्गत उद्यान विभाग पानी की उपलब्धता पाईप लाईन द्वारा या टैंकर द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करता है।

(घ) और (ङ) विभिन्न एजेंसी को दिल्ली जल बोर्ड अवजल जल को संशोधित कर आपूर्ति करता हैं।

242. श्री एस. के. बग्गा, विधायक : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा नगर विधान सभा में पिछले दो वर्षों में दिल्ली बोर्ड, ने कितनी नई पानी की व सीवर की लाइन बिछाई हैं, उस पर आई लागत सहित पूर्ण ब्यौरा दें;

(ख) कृष्णा नगर विधान सभा में दिल्ली जल बोर्ड, ने सीवर को साफ करने के लिए किराए पर लगा रखी गाड़ियों का पिछले दो वर्षों 2015–16 व 2016–17 का कितना किराया दिया है, ठेकेदार के नाम व पते सहित पूर्ण विवरण दें;

(ग) कृष्णा नगर विधान सभा में डी.जे.बी. को 2015–16, 2016–17 व इस वर्ष 30 जून, 2017 तक कितना फंड दिया गया है;

(घ) कृष्णा नगर विधान सभा में डी.जे.बी. ने कितना फंड खर्च किया है व कहां–कहां पर खर्च किया है, 2015–16, 2016–17 व इस वर्ष 30 जून, 2017 तक ब्यौरा दें, और

(ङ) कृष्णा नगर विधान सभा में पानी की सप्लाई कहां से आती है व पानी आपूर्ति के समय का विवरण दें?

जल मंत्री : (क) कृष्णा नगर विधान सभा में पिछले दो वर्षों में कोई भी नई पानी व सीवर की लाईन नहीं डाली गई है।

(ख) कृष्णा नगर विधान सभा में दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर की सफाई में गाडियों पर वर्ष 2015–2016 व 2016–2017 का खर्चा निम्न प्रकार से है।

वर्ष	लागत (पूर्वी)	मैसर्स नाम व पता
2015–16	10,55,515/–	दीप ब्रदर्स, 34–डी बी ब्लॉक शालीमार बाग दिल्ली–88
2016–17	7,08,746/–	क्रियेटिव सोल्यूशन, एम. गली नं. आनन्द पर्वत–1 एरिया रोहतक रोड़ नई दिल्ली–05
2016–17	13,05,535/–	दीप ब्रदर्स 34–डी. ब्लॉक शालीमार बाग।

(ग) कृष्णा नगर विधान सभा में दिल्ली जल बोर्ड को निम्नानुसार फंड दिया गया है।

वर्ष	लागत (पूर्वी)
2015–16	2,44,87,719/–
2016–17	1,93,14,196/–
2016–17	99,98,562/–

(घ) कृष्णा नगर विधान सभा में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2015–16, 2016–17 व 30 जून, 2017 तक दिया गया फंड खर्च निम्नानुसार है।

वर्ष	लागत (पूर्वी)
2015—16	2,44,87,719 / —
2016—17	1,93,14,196 / —
2016—17 30 जून 2017 तक	41,16,580 / —

उपरोक्त खर्च गये फंड का ब्यौरा संलग्नक 'क' में संलग्न है।*

(ङ) कृष्णा नगर विधान सभा में पानी की सप्लाई निम्न भूमिगत जलाशयों से की जाती है।

स्थान	समय
विश्व कर्मा पार्क	5:30 AM to 8:15 AM
	9:00 PM to 10:30 PM
लक्ष्मी नगर	6:00 AM to 9:00 AM
	6:00 PM to 7:30 PM
गीता कॉलोनी	6:00 AM to 9:00 AM
	7:00 AM to 8:30 PM
100 Madia tapping (At Jagat Puri and Krishna Nagar)	6:00 AM to 9:00 AM (Open)

*www.delhiassembly.nic.in पर

243. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेटर कैलाश विधान सभा में सीवरों की सफाई हेतु सही समय पर लेबर उपलब्ध कराने हेतु कांट्रेक्चुअल लेबर के कॉन्ट्रेक्ट सही समय पर नवीनीकरण के लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है; और

(ख) ग्रेटर कैलाश विधान सभा में सीवरों की डिसिल्टिंग हेतु कांट्रेक्चुअल लेबर उपलब्ध कराने में हुई देरी के क्या कारण हैं, कृपया कारणों सहित संबद्ध फाइल की नोटिंग की प्रति उपलब्ध कराएं?

जल मंत्री : (क) ग्रेटर कैलाश विधान सभा में सीवरों की लेबर उपलब्ध कराने हेतु कान्ट्रैक्चुअल लेबर की स्वीकृति दिल्ली जल बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर दी जाती है तथा निविदा प्रक्रिया के द्वारा लेबर लगाने के लिए ठेका दिया जाता है।

(ख) ग्रेटर कैलाश विधान सभी क्षेत्र में सीवर डिसिल्टिंग हेतु कांट्रैक्चुअल लेबर लगाने की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा 31.07.2017 तक दी गई थी लेकिन जो वर्क आर्डर दिया गया था उसकी अवधि छः महीनों की थी जो 05.07.2017 को समाप्त हो गई। नयी लेबर लगाने की निंवदा का एस्टीमेट 20.06.2017 को स्वीकृत कर दी गई परन्तु अधिशासी अभियंता के स्थानांतरण के कारण नये अधिशासी अभियंता का डिजीटल सिगनेचर 01. 07.2017 को मिला तथा 05.07.2017 को निविदा आमंत्रित कर दी गई। 20. 07.2017 को सिंगल बिड निविदा आई (Single bid) कार्य की शीघ्र आवश्यकता को देखते हुए (Single bid) खोलने की सक्षम अधिकारी से विशेष अनुमति ली गई। चूंकि Single bid offer विभागीय Justification से

अधिक थी। अतः ठेकेदार को कार्य आवंटन हेतु नेगोशियसन की प्रक्रिया में है। (संबंध फाईल की नोटिंग की प्रति संलग्न है)*

244. श्री संजीव झा : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड में सदस्यों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) उक्त पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) इन पदों को अब तक ना भरे जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस वर्ष कितने सदस्य सेवा निवृत्त होने वाले हैं;

(ङ) क्या इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके अब तक शुरू न करने के क्या कारण हैं?

जल मंत्री : (क) वर्तमान में सात पद रिक्त हैं :—

1. उपाध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड
2. तीन सदस्य, दिल्ली नगर निगम
3. एक सदस्य, दिल्ली कैन्टोनमैन्ट बोर्ड
4. सदस्य (ड्रेनेज), दिल्ली जल बोर्ड
5. सदस्य (प्रशासन), दिल्ली जल बोर्ड

*www.delhiassembly.nic.in पर

(ख)

1. उपाध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड–29.07.2017
2. तीन सदस्य, दिल्ली नगर निगम–अप्रैल 2017
3. एक सदस्य, दिल्ली कैन्टोनमैन्ट बोर्ड–29.05.2017
4. सदस्य (ड्रेनेज), दिल्ली जल बोर्ड–01.10.2016
5. सदस्य (प्रशासन), दिल्ली जल बोर्ड–01.08.2017

(ग) उपरोक्त पद दिल्ली जल बोर्ड के एक्ट के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा मनोनीत आधार पर भरे जाने हैं।

(घ) सदस्य (जल) दिनांक 30.11.2017 को सेवा निवृत्त होने जा रहे हैं।

(ङ) जी हां।

(च) भाग ड़ के उत्तर के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

245. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना नदी के फ्रंट को सुधारने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ख) सीवर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ग) यमुना नदी के तटों से अनधिकृत रूप से रेत खनन के कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) सरकार ने रेत की चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

जल मंत्री : (क) इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कोरोनेशन पिलर पर 318 MLD (70 MLD) क्षमता के अवजल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं इसके अलावा विभाग द्वारा JICA की सहायता से प्राप्त धनराशि द्वारा रिठाला फेस–I, कोंडली फेज–I, II और III अवजल शोधन संयंत्र का जीर्णोद्धार एवं ओखला में पुराने फेस–I, II, III और IV अवजल शोधन संयंत्रों की जगह एक 564 MLD क्षमता का नया अवजल शोधन संयंत्र बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित नहीं है।

246. श्री जरनैल सिंह : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कितने घरेलू कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि गलत व बढ़े हुए बिलों की उपभोक्ताओं से विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो गलत बिल बनाने वालों पर क्या कार्रवाई की गई?

जल मंत्री : (क) कुल 25,28,329 घरेलू जल कनेक्शन हैं।

(ख) जी हां। बिलों से सम्बन्धित सामान्य शिकायतें आती हैं व उनका निदान समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

(ग) उपरोक्त ''ख'' के कारण प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु यदि कोई जानबूझकर गलत बिल बनाने का मामला संज्ञान में आता है तो उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

247. श्री अजय दन्त : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल बोर्ड की सम्पत्तियों पानी की ट्यूबवेल, यू.जी.आर. जल बोर्ड के आफिस सहित सभी सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) जल में कार्यरत ट्यूबवेल ऑपरेटर, हेल्पर, पंप ऑपरेटर और बेलदार आदि की सूची क्या है; और

(ग) जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2015–16 व 2016–17 के दौरान व्यय किए गए बजट का विवरण क्या है?

जल मंत्री : (क) सूची अनुलग्नक 'क' संलग्न है।*

(ख)

1. दिल्ली जल बोर्ड में ट्यूबवेल ऑपरेटर एवं हेल्पर का पद स्वीकृत नहीं है।
2. वर्तमान में पंप ऑपरेटर पद पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक 'ख' में संलग्न है।*
3. वर्तमान में बेलदार पद पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक 'ग' में संलग्न है।*

(ग) जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2015–16 में रुपये 1676.23 करोड़ एवं 2016–17 के दौरान रुपये 1369.60 व्यय किए गए।

248. श्री जगदीश प्रधान : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र में एच.वी.डी.एस. के बिजली डिस्ट्रीब्यूटर लगे हुए हैं;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध

(ख) क्या यह भी सत्य है कि थोड़ी सी बरसात आने पर या किसी कारणवश इन एच.वी.डी.एस. बक्सों पर पानी गिरने से बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है;

(ग) क्या बिजली कम्पनी द्वारा इस एच.वी.डी.एस. सिस्टम को बदलकर एल.टी. डिस्ट्रीब्यूशन लगाने की योजना है; और

(घ) यदि हां तो इस क्षेत्र में यह योजना कब तक लागू हो जायेगी?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी हां, वितरण कंपनी बी.एस.ई.एस. यमुना पॉवर के अनुसार मुस्तफाबाद विधान सभा के कुछ क्षेत्रों में विद्युतीकरण का काम एच.वी.डी.एस. सिस्टम के द्वारा हो चुका है।

(ख) बी.एस.ई.एस. यमुना पॉवर के अनुसार एच.वी.डी.एस. सिस्टम ओवरलोडिंग होने के कारण कभी–कभी ट्रिप कर जाता है।

(ग) ऐसी कोई योजना अभी बी.एस.ई.एस. यमुना पॉवर ने नहीं बनाई है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

249. श्री जगदीश प्रधान : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के नेहरू विहार और अन्य कॉलोनियों में सड़कों/गलियों में खड़ंजे तथा सड़क बनाने के उपरान्त बिजली के खम्भों की ऊंचाई लगभग 8–10 फुट रह गई है;

(ख) क्या यह सत्य है कि ऐसा होने से आने–जाने वाले यातायात, वाहन तथा वहां के निवासियों के साथ दुर्घटना घटने की संभावना रहती है;

(ग) ऐसे स्थान पर नए खम्भे लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

ऊर्जा मंत्री : (क) इस क्षेत्र में विद्युतीकरण की प्रक्रिया 2002–2004 में की गई थी। समय–समय पर नगरपालिका, लोक निर्माण विभाग एवं अन्य नागरिक सुविधा एजेंसियों द्वारा किये सुधार कार्यों की वजह से बिजली के खम्भों की ऊंचाई में कुछ कमी आई है।

(ख) वितरण कंपनियों द्वारा आवश्यकतानुसार लगभग 100 संकटपूर्ण खम्भों पर स्थानीय अनुमति मिल जाने पर उनकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है। अन्य संकटपूर्ण खम्भों के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम एवं सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से अनुमति मांगी गई है।

250. श्री जगदीश प्रधान : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में ऊर्जा विसो के लिए 38,600 लाख रु. के बजट का प्रावधान रखा था;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार इसमें से केवल 1359.21 रु. अर्थात् लगभग तीन प्रतिशत ही खर्च कर पाई; और

(ग) यदि हां, तो पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के बावजूद भी इस राशि को दिल्ली की जनता के हित में खर्च क्यों नहीं किया गया?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी हां, बजट में ऊर्जा विषयों के लिए 38,600 लाख रु. का प्रावधान रखा था, जिसे अब संशोधित करके 22,500 लाख रुपये किया गया है।

(ख) जी नहीं, संशोधित बजट 22,500 लाख रुपये में से 17,384 लाख रुपये खर्च किए गए हैं जो कि कुल बजट का लगभग 77 प्रतिशत है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

251. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली विद्युत विनियामक बोर्ड में तीन के स्थान पर केवल एक ही सदस्य है;

(ख) क्या वे सदस्य अध्यक्ष का पद भार भी संभालते हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि बोर्ड में अधिकतर कर्मचारी परामर्शदाता हैं और वे बिजली कम्पनियों के सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी हैं;

(घ) इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या, पद और वेतनमान बताए जाएं; और

(ङ) सरकार ने आज तक सी.ए.जी. की रिपोर्ट पर कार्रवाई का दबाव क्यों नहीं बनाया?

ऊर्जा मंत्री : (क) और (ख) जी हां।

(ग) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एक स्वायत्त आयोग है। यह आयोग बिजली अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है।

(घ) इस प्रश्न का संदर्भ आयोग से ही है इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब संलग्न है।

(ङ) माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने अपने 30.10.2015 के आदेश में दिल्ली सरकार की बिजली कम्पनियों का ऑडिट कैग द्वारा कराये जाने

का आदेश को खारिज कर दिया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील फाईल कर दी है तथा मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

251. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली विद्युत विनियामक बोर्ड में तीन के स्थान पर केवल एक ही सदस्य हैं;

(ख) क्या वे सदस्य अध्यक्ष का पदभार भी संभालते हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि बोर्ड में अधिकतर कर्मचारी परामर्शदाता हैं और वे बिजली कंपनियों के सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी हैं;

(घ) इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या और वेतनमान बताये जाएं; और

(ङ) सरकार ने आज तक CAG की रिपोर्ट पर कार्यवाही का दबाव क्यों नहीं बनाया।

ऊर्जा मंत्री : (क) और (ख) Yes

(ग) और (घ) No

(ङ) Does not pertain to DERC

252. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, दोनों का दायित्व बनता है कि बिजली प्रदान करने वाली कम्पनियों

पर निगाह रखी जाए ताकि वे बिजली की दरों में मनमाने ढंग से वृद्धि न कर सकें;

(ख) इन दोनों की बिजली दर नियन्त्रण में क्या भूमिका है;

(ग) क्या यह सत्य है कि उपभोक्ताओं पर बिजली कम्पनियों का 41,419 करोड़ रुपया बकाया हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो सही आंकड़े दिए जाएं;

(ङ) वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 में ये राशि कितनी–कितनी हो गई थी;

(च) क्या यह राशि बिजली उपभोक्ताओं से वसूल की जानी है;

(छ) क्या यह सत्य है कि यह राशि इसलिए जमा हुई क्योंकि सरकार का प्रूडेंट चैक सिस्टम बहुत कमजोर है; और

(ज) सरकार बिजली कम्पनियों की मूल्य वृद्धि दरों की जांच के लिए क्या प्रणाली अपना रही है?

ऊर्जा मंत्री : (क) और (ख) बिजली की दरें तय करना पूर्णतया दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अन्तर्गत आता है, इसमें दिल्ली सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 86 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है।

(ग) और (घ) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2013–14 के True up के बाद बिजली वितरण कंपनियों के राजस्व में अंतर 11,507.95 करोड़ रुपये है। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

(ङ) और (च) 2014–15 – टैरिफ प्रक्रिया विचाराधीन है।

2015–16 – उपरोक्तानुसार

2016–17 – उपरोक्तानुसार

2017–18 – उपरोक्तानुसार

(छ) और (ज) जी नहीं, दिल्ली सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों का ऑडिट कैग से कराने का आदेश दिया था। यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने अपने 30.10.2015 के आदेश में दिल्ली सरकार की बिजली कम्पनियों का ऑडिट कैग द्वारा कराये जाने के आदेश को खारिज कर दिया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील फाईल कर दी है तथा मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

253. श्री राजेश ऋषि : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जनकपुरी में मकानों के ऊपर से जा रही हाई टेंशन वायर के कारण कई मौत हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन तारों को हटाने की क्या कोई योजना है; और

(ग) ये हाई टेंशन वायर कब तक हटाई जाएगी;

(घ) इनकी चपेट में आने से मरने वालों को कौन सा विभाग हर्जाना देगा; और

(ङ) जनकपुरी में बिजली के तारों की अव्यवस्था को कब तक ठीक किया जाएगा?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी नहीं, जैसा कि वितरण कंपनी ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

254. श्री सही राम : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पुल प्रहलादपुर में 60 फुटा रोड पर हाई टेंशन तारों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए क्या इन हाईटेंशन तारों को अंडरग्राउन्ड करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अभी तक इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस दिशा में कब तक कदम उठाये जायेंगे?

ऊर्जा मंत्री : (क) इस तरह की कोई योजना नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।

(ग) और (घ) यह 220 के.वी. की हाई टेंशन लाईन है। इस तरह की लाईनों को अंडरग्राउंड करना किसी नीति के अंतर्गत नहीं आता है। इस तरह की लाइनें सब प्राधिकरणों (Authorities) से अनुमति लेकर ही लगाई जाती हैं और अंडरग्राउंड करने के लिए और कोई राइट वे उपलब्ध नहीं हैं। दुर्घटनाओं से बचने के लिए समय–समय पर निर्देश जारी किए जामे हैं कि इन लाइनों के आस–पास अतिक्रमण न करें और जरूरत पड़ने पर किया गया अतिक्रमण हटाये भी जाते हैं। पूरी सावधानी बरती जाती है कि इन लाइनों की क्लीरेंस (clearance) नियमानुसार बनी रहे।

255. श्री सुखवीर सिंह दलाल : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 4 वर्षों में मुण्डका विधान सभा में बी.एस.ई.एस. राजधानी पावर लि. एवं टी.पी.डी.डी.एल. द्वारा फेज तीन के कितने कमर्शियल कनैक्शन स्वीकृत किए गए/लगाए गए, कनैक्शन लगाए जाने की तिथि, उपभोक्ता के नाम, पते, प्लॉट के क्षेत्रफल सहित विस्तृत विवरण दें;

(ख) फेज के कमर्शियल कनैक्शन व ट्रांसफार्मर लगाने की स्वीकृति हेतु क्या दिशा–निर्देश है;

(ग) मुण्डका विधान सभा में फेज–3 के मीटर के कमर्शियल कनैक्शन लगाने की स्वीकृति हेतु क्या बी.एस.ई.एस. राजधानी पावर लि. व टी.पी.डी. डी.एल. द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश का पालन किया गया है; और

(घ) पिछले चार वर्षों में मुण्डका विधान सभा में कितने ट्रांसफार्मर लगाए गए; और

(ङ) एवं इनमें से कितने ट्रांसफार्मर कमर्शियल थे, ट्रांसफार्मर लगाने की तिथि, आवेदक द्वारा जमा कराए गए दस्तावेज सहित विस्तृत विवरण दें?

ऊर्जा मंत्री : (क) पिछले 4 वर्षों में 595 फेज 3 के कमर्शियल कनैक्शन बी.एस.ई.एस. राजधानी पॉवर द्वारा स्वीकृत/लगाये गये हैं। ब्यौरा 'क' पर संलग्न है। *

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता और अनुपालन मानक विनियम 2007 की धारा 30 {सर्विस लाईन सह विकास (एस.एल.डी.) प्रभार} के निर्देशानुसार किया जाता है। उपरोक्त दिशा–निर्देश 'ख' पर संलग्न है।*

*www.delhiassembly.nic.in पर

ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य किसी नीति के अंतर्गत नहीं आता है, अपितु आवश्यकतानुसार इस तरह की योजनाएं वितरण कंपनियों द्वारा बनाई और क्रियान्वित की जाती है।

(ग) जी हां।

(घ) पिछले चार वर्षों में मुण्डका विधानसभा क्षेत्र में 54 वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, इनमें से 9 ट्रांसफार्मर कमर्शियल कनैक्शनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। विवरण 'ग' पर संलग्न है।*

256. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार की bare overhead conductor की जगह HT (ABC) की लाइन डालने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके विलम्ब के क्या कारण है, पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि छोटे–छोटे ट्रांसफार्मर की जगह एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसके देरी से लागू करने के क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण सहित बताएं?

ऊर्जा मंत्री : (क) इस तरह के कार्य किसी नीति के अंतर्गतद नहीं आते हैं परन्तु आवश्यकतानुसार स्थिति को देखते हुए इस तरह के काम वितरण कंपनियों के द्वारा किए जाते हैं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

---

*www.delhiassembly.nic.in पर

(ग) यह कार्य किसी नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं, अपितु आवश्यकतानुसार इस तरह की योजनाएं वितरण कंपनियों द्वारा बनाई और क्रियान्वित की जाती हैं।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

257. सुश्री भावना गौड़ : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की पालम विधानसभा क्षेत्र की संकरी गलियों, जे.जे. कालोनी, रिहायश से अलग–थलग पड़े स्थान व रास्ते जहां लाइटें नहीं हैं, वहां लाइटें लगाने की सरकार की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) उसका पूरा विवरण क्या है?

ऊर्जा मंत्री : (क) से (ग) इन क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीन है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जिन लाइटों का रख रखाव (स्ट्रीट लाइटें सेमी हाई मास्ट लाइटें पार्क लाइटें) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, इनको एल.ई.डी. में बदला जा रहा है। पिछले गत महीनों में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा पालम विधानसभा में लगभग 400 स्ट्रीट लाइट पोल लगाए हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजे गए उत्तर संलग्न है।*

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध

257. सुश्री भावना गौड : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की पालम विधानसभा क्षेत्र की संकरी गलियों, जे.जे. कालोनी, रिहायश से अलग–थलग पड़े स्थान व रास्ते जहां लाइटें नहीं हैं, वहां लाइटें लगाने की सरकार की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) उसका पूरा विवरण क्या है?

ऊर्जा मंत्री : (क) वर्तमान में जिन लाइटों का रख–रखाव (स्ट्रीट लाइटें सेमी हाई मास्ट लाइटें पार्क लाइटें) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, इनको एल.ई.डी. में तबदील किया जा रहा है। पिछले गत महीनों में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा पालम विधानसभा में लगभग 400 स्ट्रीट लाईट पोल लगाए हैं।

(ख) उपरोक्तानुसार

(ग) उपरोक्तानुसार

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत है।

258. श्री गुलाब सिंह : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2015 से अब तक दिल्ली में कितने एग्रीकल्चर कनेक्शन आबंटित किए हुए हैं;

(ख) आबंटित किए गए कनेक्शन के लिए कितनी बिजली का उपभोग हो रहा है;

(ग) वर्ष 2015 से अब तक कितने एग्रीकल्चर कनेक्शन पर बिजली चोरी का केस हुआ है;

(घ) चोरी के केस से बी.एस.ई.एस. को कितने रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है;

(ङ) ऐसे केसेज में कितने लाभों को सजा मिली है;

(च) क्या यह सत्य है कि चोरी के मामले झूठे मिले;

(छ) यदि हां, तो झूठे बनाए मामलों संबंधित अधिकारियों को क्या सजा मिली है?

ऊर्जा मंत्री : (क) टाटा पॉवर—206

बी.वाई.पी.एल.—01

बी.आर.पी.एल.—1348

(ख) टाटा पॉवर—582799 (2015 से अब तक)

बी.वाई.पी.एल.—8804 (2016—17 से अब तक)

बी.आर.पी.एल.—4 MU प्रति वर्ष

(ग) टाटा पॉवर—97 एग्रीकल्चर कनैक्शन पे निरीक्षण किया गया है और 32 लोगों को सजा मिली है।

बी.वाई.पी.एल.—शून्य

बी.आर.पी.एल.—2003 पर निरीक्षण किया गया है और 288 मामले न्यायालय में विचाराधीन है।

(घ) रुपये 31,60,886/— का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है।

(ङ) टाटा पॉवर—32 लोगों को सजा मिली है।

बी.वाई.पी.एल.—शून्य

बी.आर.पी.एल.—288 (सभी मामले लंबित हैं)

(च) जी नहीं।

(छ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

259. श्री जरनैल सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 पीड़ितों को जून, 2017 में दिल्ली सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा 400 यूनिट तक बिजली मुफ्त व पुराने बकाया माफ करने की योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां तो इसका विवरण दें;

(ग) इस योजना से कितने पीड़ित परिवारों को लाभ मिलेगा;

(घ) इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या है;

(ङ) अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं व कितने परिवारों को इसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी हां।

(ख) योजना के विवरण की प्रति संलग्नक (क) पर उपलब्ध है।

(ग) इस योजना के अनुसार करीब 2274 घरों/परिवारों को इसका लाभ मिलना है अगर वह योजना के मुताबिक शर्तों को पूरा करते हैं।

(घ) प्रति संलग्नक 'क' के अनुसार :

इस योजना का लाभ उठाने के लिए मूल आवंटी (Original allottee) होना जरूरी है और राजस्व विभाग (Revenue Department) से एक प्रमाणपत्र (Certificate) जारी कराना है कि आवेदक (applicant) 1984 सिख दंगा पीड़ित (Riot victim) है।

(ङ) अभी तक इसमें कोई आवेदन नहीं आया है।

अनुलग्नक 'क'

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEPARTMENT OF POWER) DELHI SECRETARIAT, 8TH LEVEL, 8-WING NEW DELHI-110002

F.11(96)/2016/Power/1690 Dated : 22/06/2017

To

The Secretary,
Delhi Electricity Regulatory Commission,
Viniyamak Bhawan, Shivalik,
Malviya Nagar,
Delhi

Sub.: Providing electricity subsidy @ 100% for 0–400 units and waiving off all pending electricity bills of 1984 Sikh Riots Victims of Delhi

Sir,

I am directed to convey the decision no. 2477 dated 24.05.2017 of Council of Ministers, Govt. of NCT of Delhi and approval of Hon'ble Lt. Governor, Delhi on the following :-

(i) To waive off all pending electricity bills including late payment surcharge and penalty of the victims of 1984 Sikh Riots of Delhi, as one time settlement scheme.

(ii) To extend the electricity subsidy on existing tariff @ 100% in the slab of 0 to 400 units to all such victims as in clause (i) for the financial year 2017-18.

(iii) The subsidy at para (i), (ii) above is extended to domestic consumers only.

(iv) The Distribution Companies (DISCOMs) may ensure that subsidy/relief is released only to genuine victims of the 1984 riots of Delhi or the legal heirs of such victims residing in the tenements listed in Annexure-'A' The resident should be the original allottee of the premises. A certificate from the Revenue department that the beneficiary is a victim of 1984 Sikh riots of Delhi, and is a resident of Delhi shall be obtained for release of the benefits.

(v) DERC may also conduct special audit of subsidy released to DISCOMs vis-a-vis actually passed on to the consumers account.

It is, therefore, requested to take immediate necessary action please.

Enel. : As above

Yours faithfully,

(Chandan Sengupta)
Dy. Secretary (Power)
011-23392883

260. श्री शिव चरण गोयल : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी 2015 से 31 जुलाई, 2017 तक मोती नगर विधान सभा में एन.डी.पी. एल/बी.एस.ई.एस. द्वारा जितने भी काम हो चुके हैं और जितने होने वाले हैं उनका ब्यौरा उपलब्ध करवाया जाए?

ऊर्जा मंत्री : (क) एन.डी.पी.एल. का ब्यौरा (क) पर संलग्न तथा बी. एस.ई.एस. का ब्यौरा (ख) पर संलग्न है।*

261. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जुलाई, 2002 में निजीकरण किए जाने के समय दिल्ली सरकार और बिजली सप्लाई करने वाली कम्पनियों के बीच करार में यह कहा गया था कि 10 वर्ष में बिजली कम्पनियां अपने स्वयं के पावर हाउसों से बिजली पैदा करने लगेगी;

(ख) क्या किसी कम्पनी ने इस दिशा में कोई प्रगति की है;

(ग) यदि हां तो उसकी जानकारी दी जाए;

(घ) इन कम्पनियों के पावर हाउस स्थापित करने में असफल रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या यह सत्य है कि कोयले से चलने वाले बिजली उत्पादन संयंत्रों को हतोत्साहित करने की नीति के चलते दिल्ली की तीनों बिजली कम्पनियों को देने वाली बिजली के दाम 4.3 रुपया प्रति यूनिट से घटाकर 3.08 रुपया प्रति यूनिट कर दिया गया था?

---

*www.delhiassembly.nic.in पर

ऊर्जा मंत्री : (क) से (घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

262. **श्री अजय दत्त :** क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग की सभी संपत्तियों का विवरण क्या है;

(ख) इनमें से कौन सी संपत्ति किन एन.जी.ओ. को किराये पर दी गयी है;

(ग) क्या इन एन.जी.ओ. द्वारा इनका किराया समय पर अदा किया जा रहा है;

(घ) समाज कल्याण विभाग द्वारा इस क्षेत्र में कौन सी योजना किस एन.जी.ओ. के माध्यम से चलायी जा रही हैं;

(ङ) ये योजना किसी अवधि के लिए इन एन.जी.ओ. द्वारा चलाई जाएगी?

समाज कल्याण मंत्री : (क) अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र से समाज कल्याण विभाग की कोई भी संपत्ति नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के संदर्भ में लागू नहीं होता।

(घ) समाज कल्याण विभाग द्वारा बुजुर्गों के लिए मनोरंजन केंद्र की योजना इस क्षेत्र में सीनियर सिटिजन वेलफेयर एसोसिएशन 25/750, डी.डी.ए. फ्लैट्स, सैक्टर–3, डॉ. अंबेडकर नगर, दिल्ली–110062 द्वारा चलाई जा रही है।

(ङ) यह योजना निरंतर चलने वाली है जिसके अंतर्गत इस संस्था को 2,40,000/— रुपये प्रतिवर्ष का अनुदान दिया जाता है।

263. श्री अजय दत्त : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न पुरानी पेन्शन रोके जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा पुरानी पेंशन धारकों का सत्यापन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र के पुराने पेंशन धारकों का विवरण क्या है; और

(घ) इन पेंशन धारकों को नई पेंशन कब से देनी शुरू की जाएगी?

समाज कल्याण मंत्री : (क) विभाग द्वारा किसी की लाभार्थी की पेंशन रोकी नहीं गई है। अपितु विभाग द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था/विकलांग योजना के अंतर्गत पेंशन भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये परिवर्तन किया जा रहा है। सभी पेंशन सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली (PFMS) से प्रेषित की जायेगी। इसके अतिरिक्त हाल ही में कम्प्यूटर प्रणाली में वायरस के खतरे को देखते हुये नया पोर्टल तकनीकी सुधार के दौर से गुजर रहा है जिसमें अभी कुछ समय लग गया। किन्तु वर्तमान में सभी लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है।

(ख) सभी लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन देने हेतु विभाग पुराने पेंशनधारियों के आधार पर नम्बर का बायोमेट्रिक सत्यापन करा रही है।

(ग) सूची संलग्न है।*

(घ) सभी लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। जिन लाभार्थियों के खाते आधार से जुड़े हैं उन सभी को बढ़ी हुई पेंशन तथा जिनके खाते आधार से नहीं जुड़े हैं उनको पुरानी दर से ही पेंशन दी जा रही है।

264. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन के सांध्याकाल में वरिष्ठ नागरिकों का बेहतर, अधिक सुरक्षित, आर्थिक रूप से स्वाबलंबी तथा स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए सरकार की क्या कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूप रेखा की जानकारी दें;

(ग) क्या सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को महंगाई के इंडेक्स से जोड़ने की दिशा में कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इसकी जानकारी दें;

(ङ) वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को नियमित रूप से पेंशन मिलती रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है; और

(च) इस वित्तीय वर्ष में पेशन जारी करने में कब—कब और कितना—कितना विलम्ब हुआ और इनके क्या—क्या कारण थे?

समाज कल्याण मंत्री : (क) और (ख) जी हां। विभाग 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिये वृद्धावस्था पेंशन योजना चला रही

*www.delhiassembly.nic.in पर

है तथा विभाग द्वारा बुजुर्गों के लिये बिन्दापुर व लामपुर क्षेत्र में दो वृद्धाश्रम भी चलाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 10 नये वृद्धाश्रम बनाने की प्रक्रिया जारी है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60–69 आयु वर्ग के वृद्धों को 2000/– रुपये प्रतिमाह एवं अनुसूचित जाति/जन जाति अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को अतिरिक्त 500/– रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है तथा 70 और उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धों को 2500/– रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है।

पात्रता–

- आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।
- प्रार्थी आवेदन करने से पूर्व दिल्ली का कम से कम पांच वर्ष का निवासी हो।
- परिवार की आय 1 लाख रु. वार्षिक से अधिक न हो।
- प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो।

(ग) और (घ) वर्तमान में मंत्रीमंडलीय निर्णय संख्या–2462 दिनांक 06/01/2017 के अनुसार माह फरवरी से विभाग द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत सहायता राशि में रुपये 1000/– प्रतिमाह की वृद्धि की गई है।

इस निर्णय के उपरांत फरवरी माह से 60–69 आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को 2000/– प्रतिमाह व 70 और उससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों को 2500/– रुपये प्रतिमाह दिये जा रहे हैं जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं।

(ङ) विभाग द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था/विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन भुगतान प्रणाली में नियमितता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये सभी पेंशन को सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली (PFMS) के माध्यम से सीधे लाभार्थी बैंक खातों में नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है।

(च) विभाग द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था/विकलांग योजना के अन्तर्गत पेंशन भुगतान प्रणाली में नियमितता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये परिवर्तन किया है। सभी पेंशन सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली (PFMS) के माध्यम से प्रेषित की जा रही हैं।

हाल ही में कम्प्यूटर प्रणाली में वायरस के खतरे को देखते हुये नया पोर्टल तकनीकी सुधार के दौर से गुजर रहा था जिस कारण माह अप्रैल व मई की पेंशन प्रेषित करने में कुछ विलम्ब हुआ।

265. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार आशा किरण में सुधार के लिए किसी योजना पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विस्तृत जानकारी दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि आशा किरण होम में समय समा पर मौतें होती रहती हैं;

(घ) यदि हां तो वर्ष 2010 से अब तक किस किस वर्ष में कितनी मौतें हुई;

(ङ) क्या यह सत्य है कि पिछले समय में हो रही मौतों पर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और

(च) क्या यह सत्य है कि आशा किरण होम में पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं;

(छ) ऐसी घटनाएं भविष्य में घटित न हो, इस हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) सत्य है कि सरकार आशा किरण में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रही है।

(ख) आशा किरण में क्षमता से अधिक निवासियों की संख्या कम करने के लिए निम्नलिखित जगहों में नई योजनाएं विचाराधीन हैं–

1. दल्लुपुरा मानसिक विकलांग लोगों के लिए – निवास स्थान की परियोजना
2. उस्मानपुर–मानसिक विकलांग लोगों के लिए – निवास स्थान की परियोजना
3. आशा किरण परिसर में 04 नयी डोरमटोरी का निर्माण किया गया है, जिसमें 160 निवासियों को रखने की क्षमता है।
4. दिल्ली सरकार द्वारा 02 नए परिसर/होम का निर्माण किया गया है, (i) आशा दीप–नरेला एवं (ii) आशा ज्योति निर्मल छाया।

(ग) सत्य है कि आशा किरण में समय–समय पर मौतें होती रहती हैं।

(घ) 2010 – 23

2011 – 14

2012 – 27

2013 – 29

2014 – 50

2015 – 36

2016 – 34

2017 – 10 (जुलाई तक)

(ङ) यह सत्य नहीं है, सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं जिनका विवरण ऊपर दिये प्रश्न (क) एवं (ख) के उत्तरों में दिखता है। आशा किरण परिसर को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार ने **गवर्निंग काउंसिल** का पुनर्गठन किया है। यह गवर्निंग काउंसिल, दिल्ली सरकार द्वारा मनोनीत डॉ. अचल भगत, वरिष्ठ मनोचिकित्सक के मार्गदर्शन पर प्रगतिशील होगी। गवर्निंग काउंसिल द्वारा दिये गए निर्देश एवं सुझावों को क्रियान्वित किया जाएगा।

(च) यह सत्य नहीं है, आशा किरण परिसर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं एवं सरकार निरंतर अपने प्रयास से नयी नयी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

(छ) दिल्ली सरकार की यह निरंतर प्रयास रही है कि आशा किरण परिसर में रहने वाले संवासियों की निरंतर पर्याप्त देखभाल हो। इस परिसर में रहने वाले संवासियों की मृत्यु होना एक प्राकृतिक सत्य है। आशा किरण परिसर में रहने वाले संवासी वो लोग हैं जिन्हें उनके परिवारवालों ने उनकी मानसिक विकलांगता के कारण परित्याग कर दिया है। इन संवासियों का जीवन काल सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कम होता है। यह अन्य बहुधा रोगों से भी ग्रस्त होने के कारण इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है एवं

इसे घटना नहीं कहा जा सकता है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा इनकी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लक्ष्य से आशा किरण परिसर ने High Dependency Unit (HDU), OT & PT Unit एवं Dental Unit का निर्माण किया जा रहा है। आशा किरण परिसर में रहने वाले संवासियों की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए special classes भी निर्माणाधीन हैं।

266. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने की योजना है;

(ख) क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या आयोग के गठन के लिीए कोई एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई है;

(घ) इस कमेटी के कौन–कौन सदस्य होंगे; और

(ङ) वरिष्ठ नागरिक आयोग की क्या रूप रेखा प्रस्तावित है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) प्रतिलिपि संलग्न है।*

(ङ) आयोग का मुख्य उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु एक कानूनी ढांचा तैयार करना जिसमें इनकी विभिन्न प्रकार के शिकायतों का निवारण किया जा सके।

---

*www.delhiassembly.nic.in पर

267. श्री प्रवीण कुमार : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में किन किन लोगों को वृद्धावस्था पैंशन दी जा रही है, पूर्ण विवरण दें;

(ख) कितने लोगों की पैन्शन रूकी हुई है पूर्ण विवरण दें; और

(ग) विभाग के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का विवरण क्या है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में दी जा रही वृद्धावस्था पैंशन का पूर्ण विवरण संलग्न है।*

(ख) कोई पेंशन रूकी नहीं है। सभी पेंशन नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है। किन्तु बैंकों द्वारा वापिस की गई पेंशन केसों में पुनः सत्यापन की आवश्यकता होती है।

(ग) समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का विवरण संलग्न है।

268. श्री प्रवीण कुमार : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में विधवा पेंशन के लाभार्थियों का पूर्ण विवरण दें;

(ख) रुके हुए पेंशन का भी पूर्ण विवरण दें; और

(ग) विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का विवरण क्या है?

---

*www.delhiassembly.nic.in पर

समाज कल्याण मंत्री : (क) जंगपुरा विधान सभा में विधवा पेंशन लाभार्थी 1571 है। सूची संलग्न है।*

(ख) आधार लिंक न होने के कारण रुकी हुई विधवा पेंशन के लाभार्थी 274 हैं। इन लाभार्थियों को ECS के माध्यम से पेंशन देने हेतु विभाग प्रयासरत है। सूची संलग्न है।*

(ग) विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं।

1. विधवा एवं निराश्रित पेंशन योजना
2. विधवा पुत्री एवं अनाथ कन्या हेतु आर्थिक सहायता
3. लाडली योजना
4. क्रेच योजना
5. आर्थिक रूप से पिछड़ी धात्री महिलाओं को आर्थिक सहायता
6. महिलाओं की सहायतार्थ संस्थागत सुविधाएं :
    1. निर्मल छाया
    2. विधवा आश्रम एवं अल्पावास सदन
7. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली (निराश्रित) महिलाओं हेतु आश्रय गृह
8. कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास

भारत सरकार की योजना जो कि विभाग द्वारा संचालित है–

1. समेकित बाल संरक्षण योजना

*www.delhiassembly.nic.in पर

2. समेकित बाल विकास परियोजना

3. किशोरी शक्ति योजना

4. राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना

5. राष्ट्रीय क्रेच योजना

6. 181 महिला हेल्पलाइन

7. स्वाधार गृह योजना

8. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

9. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

उपरोक्त उत्तर की स्वीकृति निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त है।

269. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग के सैक्टर–4 रोहिणी के कार्यालय में भारी मात्रा में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो किस वर्ग के कितने पद रिक्त हैं;

(ग) विभाग द्वारा कमियों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

समाज कल्याण मंत्री : (क) समाज कल्याण विभाग के सैक्टर–4 रोहिणी में दो जिला समाज कल्याण कार्यालय (उत्तर पश्चिम–I) तथा (उत्तर

पश्चिम–II) हैं जिसमें कोई भी स्वीकृत पद नहीं हैं वहां पर सभी कर्मचारी डायवर्टेड पर कार्यरत हैं।

(ख) इनके अतिरिक्त इन परिसर में समाज कल्याण विभाग का नर्सरी प्राइमरी स्कूल (मूक बधिर) भी स्थित है जिसमें रिक्त पदों की संख्या निम्नवत है :

पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
टी.जी.टी. (4 नियमित)	05	04	01
टी.जी.टी. (Phy. Edn)	01	–	01
सहायक अध्यापक	14	05 (1 नियमित एवं 4 संविदा)	09
कुल	20	09	11

(ग) विभाग में इन पदों को दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा भरने के लिए प्रक्रिया जारी है।

270. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **उपमुख्यमंत्री समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में चल रही आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों के पते की सूची उपलब्ध करवाई जाए;

(ग) इन आंगनवाड़ियों में कार्यरत सभी कर्मचारियों की सूची उनके पद के साथ उपलब्ध करवाई जाए?

उपमुख्यमंत्री समाज कल्याण मंत्री : (क) रिठाला विधानसभा के अन्तर्गत कुल 173 आंगवाड़ी हैं।

(ख) और (ग) रिठाला विधानसभा क्षेत्र की सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों के पते एवं कर्मचारियों की सूची परियोजना अनुसार संलग्न है।

271. श्री गिरीश सोनी : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी पेंशन का काम पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब समाज कल्याण के जिला कार्यालय पेंशन के आवेदन नहीं लिए जा रहे;

(ग) यदि नहीं, तो कौन सी योजनाओं के पेन्शन फार्म एकल खिड़की पर भी लिए जा रहे हैं;

(घ) साल 2015–16, 2016–17 में ऐसे कितने पेंशन धारक हैं जो विभिन्न योजनाओं में पेंशन ले रहे हैं; और

(ङ) मादीपुर विधानसभा में इनकी संख्या कितनी है; और

(च) ऐसे कितने पेंशन धारक मादीपुर विधान सभा में हैं जिन्हें कोर्ट के आदेश से पहले एम.सी.डी. से पेंशन दी जाती थी परन्तु अब उन्हें दिल्ली सरकार पेंशन दे रही है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां। समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन का काम ऑनलाइन किया जा चुका है।

(ख) और (ग) समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही पेन्शन योजनाओं के फार्म भरने हेतु एकल खिड़की पर उपलब्ध कर्मचारी आवेदक का ऑनलाइन फार्म भरने में सहायता प्रदान करता है।

(घ) साल 2015–16 और 2016–17 में पेंशनधारियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

वर्ष 2015–16

वृद्धावस्था लाभार्थी – 388471

विकलांग लाभार्थी – 63431

वर्ष 2016–17

वृद्धावस्था लाभार्थी – 381843

विकलांग लाभार्थी – 71581

(ङ) मादीपुर विधान सभा क्षेत्र की लाभान्वितों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

वृद्धावस्था लाभार्थी – 6623

विकलांग लाभार्थी – 905

(च) मादीपुर विधान सभा में ऐसे पेंशन धारक जिन्हें कोर्ट के आदेश

से पहले एम.सी.डी. से पेंशन दी जाती थी परन्तु अब उन्हें दिल्ली सरकार पेंशन दे रही है, का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

वृद्धावस्था लाभार्थी – 01

विकलांग लाभार्थी – 0

272. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन पुनः चालू करने संबंधी कोई योजना बनाई गई है; पूर्ण विवरण कया है;

(ख) क्या आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन कोटा बढ़ाया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो कब तक;

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकार पेन्शन संबंधी भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए पुनः चालू होने वाली पेंशन संबंधी फॉर्म विभाग में विधायक कार्यालय के माध्यम से जमा किए जाने पर सरकार विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक शुरू हो जाएगी; और

(च) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां। 29.09.2016 को केबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन की संख्या एक लाख बढ़ाई है एवं मा. उपराज्यपाल की मंजूरी के पश्चात् दिनांक 27/02/2017 से वृद्धावस्था पेंशन के नये आवेदन ऑनलाइन लिये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) वृद्धावस्था पेंशन योजना में नियमितता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सरकार के निर्णय के अनुसार सभी आर्थिक सहायता योजनाओं के आवेदन दिनांक 27/02/2017 से ऑनलाइन e-district Portal के माध्यम से लिये जा रहे हैं।

273. श्री विजेन्द्र गर्ग : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता स्वरूप दी जाने वाली 10 हजार रु. की धनराशि को बढ़ाने पर दिल्ली सरकार विचार कर रही है;

(ख) क्या विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता–राशि को भी बढ़ाने पर दिल्ली सरकार विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां। विभाग द्वारा चलाई जा रही दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली 10 हजार रु. की धनराशि को वर्ष 2017–18 में बढ़ाकर 20 हजार रु. (एकमुश्त) कर दिया गया है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार लागू नहीं होता।

274. श्री सोमनाथ भारती : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की उनके नाम, पते व सम्पर्क नम्बर सहित पूर्ण सूची प्रदान करें;

(ख) क्या वृद्धावस्था पेंशन अकाउंट्स दक्षिण दिल्ली नगर निगम से स्थानांतरित कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(घ) महीने की किस तारीख को वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी के अकाउंट में डाल दी जाती है; और

(ङ) वृद्धावस्था पेंशन की बकाया राशि के क्लेम करने की क्या प्रक्रिया है; और

(च) मालवीय नगर विधान सभा में पेशन से संबंधित स्पष्टीकरण मांगने हेतु सचिव, समाज कल्याण सहित वरीयता क्रम में विभिन्न अधिकारियों के सम्पर्क नम्बरों का विवरण?

समाज कल्याण मंत्री : (क) सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध www.socialwelfare.delhigovt.nic.in

(ख) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के गोकुल पुरी वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का स्थानांतरण किया गया है जो कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नगर निगम एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सत्यापन शिविरों में उपस्थित हुये तथा जो दिल्ली सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता अनुसार योग्य पाये गये।

(ग) विवरण संलग्न है।*

(घ) ऐसी कोई तारीख निश्चित नहीं है अपितु विभाग की हर संभव कोशिश रहती है कि पेंशन महीने के आखिरी सप्ताह या अगले महीने के पहले सप्ताह में भेज दी जाये।

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध

(ङ) वृद्धावस्था पेंशन राशि नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है किन्तु यदि किसी लाभार्थी को पेंशन किसी कारणवश विभाग में उपलब्ध उनके बैंक खाते में नहीं जाती तो लाभार्थी इस संदर्भ में याचिका अपने संबंधित जिला कार्यालय में या मुख्यालय में भेजें में जिसका तुरन्त प्रभाव में निवारण कर दिया जाता है।

(च) वरीयता क्रम में अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर निम्न प्रकार हैं—

सचिव (समाज कल्याण)—23324059

निदेशक (समाज कल्याण)—23314810

विशेष—निदेशक (समाज कल्याण)—23315746

उप—निदेशक (आ.स.अनु.)—23324037

जिला समाज कल्याण अधिकारी—29819812

275. श्री राजेश गुप्ता : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृद्धा पेंशन कब से दोबारा लगनी शुरू होंगी;

(ख) जो वृद्धा पेंशन इस साल लगी है, वो आज तक चालू क्यों नहीं हुई;

(ग) जो पेंशन लग गई, वो मार्च से क्यूं नहीं आई;

(घ) यह कब तक मिलनी शुरू हो जाएगी?

समाज कल्याण मंत्री : (क) 29.09.2016 को केबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन की संख्या एक लाख बढ़ाई है एवं मा. उपराज्यपाल की मंजूरी के

पश्चात् दिनांक 27/02/2017 से वृद्धावस्था पेंशन के नये आवेदन ऑनलाइन लिये जा रहे हैं।

(ख) पूर्ण रूप से अपलोड किये गये आवेदनों में से कुछ 9305 आवेदनों को 31 जुलाई, 2017 तक स्वीकृत किया गया तथा इनकी पेंशन आवेदन प्राप्त करने के अगले माह से बकाया राशि सहित प्रेषित कर दी गई है।

276. श्री गुलाब सिंह : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मटियाला विधानसभा में कितने कितने लोगों को सीनियर सिटीजन, विकलांग पेंशन और विधवा आर्थिक सहायता दी जा रही है;

(ख) कितने लोगों को बढ़ी हुई (1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन सीनियर सिटीजन पेंशन/दिव्यांग पेंशन/विधवा आर्थिक सहायता) पेंशन मिल रही है;

(ग) क्या यह सत्य है कि आधार कार्ड जमा करवाने के बाद भी लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है;

(घ) इन सबको कब तक पिछली बकाया पेंशन मिल जाएगी?

समाज कल्याण मंत्री : (क) मटियाला विधान सभा के लाभान्वितों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

वृद्धावस्था लाभार्थी – 5211

विकलांग लाभार्थी – 1649

विधवा लाभार्थी – 3119

(ख) बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

वृद्धावस्था लाभार्थी – 3464

विकलांग लाभार्थी – 1208

विधवा लाभार्थी – 2528

(ग) जी नहीं। विभाग द्वारा बढ़ी हुई वृद्धावस्था पेंशन राशि केवल आधार लिंक खातों में ही प्रेषित की जा रही है। अतः जिन लाभार्थियों का खाता आधार से लिंक है उन सभी को बढ़ी हुई पेंशन राशि मिल रही है। बाकी सभी लाभार्थियों को अपने आधार नम्बर को अपने बैंक खाते के साथ जुड़वाने की सलाह दी जाती है।

(घ) जब से लाभार्थियों का खाता आधार से लिंक होगा तभी से लाभार्थी को बढ़ी हुई पेंशन राशि मिलेगी।

277. श्री विजेन्द्र गर्ग : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न पेंशन एवं सहायता–राशि के आवेदन–पत्र जमा होने के बाद, एक निश्चित अवधि में पेंशन जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) और (ख) सामान्य 45 दिन के अन्दर आवेदनों का निपटान कर दिया जाता है। चूंकि ऑनलाइन आवेदन जमा

किये जाने की प्रक्रिया अभी नई शुरू की गई है एवं बहुत से आवेदन एक साथ प्राप्त होने के कारण अभी इसे व्यवस्थित होने में थोड़ा समय लग रहा है।

इस प्रक्रिया को गति देने के लिये विभाग ने जिला कार्यालयों में सत्यापनकर्ताओं की संख्या लगभग तिगुनी कर दी है तथा अतिरिक्त कम्प्यूटर तथा स्कैनर इत्यादि का भी प्रबन्ध तुरन्त प्रभाव से कर दिया गया है।

278. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारका विधानसभा के अन्तर्गत चल रहे आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं का विवरण;

(ख) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कितनी आंगनबाड़ियां चल रही हैं;

(ग) इन आंगनवाड़ियों केन्द्रों में कार्यरत कर्मियों व रिक्त पदों का विवरण; और

(घ) इस विधानसभा के अन्तर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रतिवर्ष सरकार द्वारा आवंटित फण्ड का विवरण?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क) द्वारका विधानसभा के अन्तर्गत डाबड़ी, मंगलापुरी, सागरपुर, हस्तसाल और तिलक विहार परियोजना है।

(ख) इन परियोजनाओं में द्वारका विधानसभा के अन्तर्गत 181 आंगनवाड़ियां चल रही हैं।

(ग) इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कर्मियों व रिक्त पदों की परियोजना अनुसार सूची निम्नलिखित हैं:—

क्रम सं.	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	आंगनवाड़ी वर्करों की संख्या	आंगनवाड़ी वर्करों के रिक्त पद
1.	डाबड़ी	25	22	3
2.	सागरपुर	82	78	4
3.	मंगलापुरी	16	16	0
4.	हस्तसाल	17	17	0
5.	तिलक विहार	41	36	5
	कुल	181	169	12

(घ) उपर्युक्त परियोजनाओं में कार्यरत सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए वर्ष 2016—17 में परियोजना अनुसार फण्ड आबंटित किया गया जिसकी सूची 'अ' संलग्न हैं।

सूची 'अ'

Department of Women & Child Development
Govt. of NCT of Delhi
1-Pt. Ravi Shankar Shukla Lane, K.G. Marg,
New Delhi-110001

S.No. IV - Statement of Distrlbutlon of funds to the Anganwadi Center comes under Dwarka legislative Assembly (Question No. 278 Dated : 11.08.2017 asked by Shri Adarsh Shastri) for which reply are as under :-

(Rs. In Thousands)

S.No.	Name of Projects	Total Funds allotted in 2016-17	Total Funds allotted in Ist Quarter 2017-18
1.	Dabri	22565	8750
2.	Manglapuri	21702	9410
3.	Sagarpur	22459	9380
4.	Hastsal	29171	11360
5.	Tilak Vihar	37510	16730

The above information sent to the concerned branch for consolidated reply of the Question for onward submission.

279. श्री एस.के. बग्गा : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों की पेंशन कब तक मिलने की संभावना है;

(ख) विधवा औरत की बेटी की शादी के लिए सरकार ने कितनी रकम तय की है;

(ग) समाज कल्याण विभाग द्वारा बिना बुलाए व बिना कारण बताए पेंशन के फार्मस क्यों रद्द किए जाते हैं; और

(घ) समाज कल्याण विभाग में विन्डो पर बैठे कर्मचारियों द्वारा लोगों के साथ बदसलूकी किए जाने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को जुलाई माह तक की पेंशन PFMS पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है।

(ख) सरकार द्वारा विधवा औरत की बेटी की शादी के लिए रुपये 30000/— की सहायता राशि दी जाती है।

(ग) विभाग द्वारा बिना कारण बताए पेंशन के कोई फार्मस रद्द नहीं किए जाते हैं। नियमानुसार आवेदन में किसी भी की कमी पाये जाने पर आवेदनकर्ता को SMS के द्वारा सूचना दी जाती है।

(घ) विभाग द्वारा समय—समय पर अपने कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जाते है। जिससे वे जनता की

समस्यों के प्रति संवेदनशील रहे। किसी भी प्रकार की शिकायत का तुरन्त जिला स्तर तथा मुख्यालय स्तर पर निवारण किया जाता है।

280. श्री विशेष रवि : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सत्य है कि भव्य तरीके से शुरू की गई वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन में बड़ी समस्या आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा 4 महीने पूर्व दिए गए पेंशन आवेदनों को विभाग अभी तक प्रोसेस नहीं कर सका है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि नागरिकों को समुचित रूप से सूचित किए बिना बार–बार इस योजना के नियम बदले जा रहे हैं;

(घ) करोग बाग विधान सभी में अब तक कितने आवेदनों का सफलतापूर्वक प्रोसेस कर दिया गया है तथा कितने आवेदन कब से लंबित है; और

(ङ) लंबित पड़े आवेदन कब तक सत्यापित कर स्वीकृत कर दिये जायेंगे?

समाज कल्याण मंत्री : (क) और (ख) चूंकि ऑनलाइन आवेदन जमा किये जाने की प्रक्रिया अभी नई शुरू की गई है इसीलिये अभी इसे व्यवस्थित होने में थोड़ा समय लग रहा है। विभाग ने 31 जुलाई 2017 तक कुल 82391 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जिसमें से 59446 पूर्ण रूप

से अपलोड किये गये आवेदन हैं। लगभग 22000 आवेदनों को प्रोसेस कर दिया गया है जिसमें से कुल 9305 आवेदनों को स्वीकृत कर पेंशन आवेदन प्राप्त करने के अगले माह से बकाया राशि सहित प्रेषित कर दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) करोग बाग विधान सभा में दिनांक 31/07/2017 तक कुल 334 आवेदनों का सफलतापूर्वक प्रोसेस कर दिया गया है बाकी आवेदनों के सत्यापन का कार्य प्रगति पर है एवं 200 आवेदन दस्तावेज अपलोड न होने के कारण अपूर्ण है। आवेदन पूर्ण होने पर ही विभाग उन आवेदनों पर कार्यवाही कर पायेगा।

281. श्री शिव चरण गोयल : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी 2015 से पहले मोती नगर विधान सभा में समाज कल्याण विभाग से पेंशन पाने वाली विधवा, विकलांग, सीनियर सिटीजन एवं तलाकशुदा महिलाओं की कितनी संख्या थी;

(ख) इन्हें इस योजना के तहत कितनी राशि मिलती है; और

(ग) फरवरी 2015 से जुलाई 2017 तक कितनी पेंशन लग चुकी हैं?

समाज कल्याण मंत्री : (क) फरवरी 2015 से पहले मोती नगर विधान सभा में समाज कल्याण विभाग से पेंशन पाने वाली विधवा, विकलांग, सीनियर सिटीजन एवं तलाकशुदा महिलाओं की कुल संख्या निम्न प्रकार है–

वृद्धावस्था लाभार्थी – 3397

विकंलाग लाभार्थी – 235

विधवा लाभार्थी – 850

(ख) योजनानुसार सहायता राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

वृद्धावस्था पेशन योजना के अन्तर्गत रुपयें 2000/– 60–69 आयु वर्ग के वृद्धजनों को एवं रुपये 2500/– प्रतिमाह 70 और उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को दी जाती है–

विकलांग पेशन योजना – रुपये 2500/– प्रतिमाह।

विधवा पेशन योजना – रुपये 2500/– प्रतिमाह।

(ग) फरवरी 2015 से जुलाई 2017 तक लग चुकी पेंशन का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

वृद्धावस्था लाभार्थी – 436

विकंलाग लाभार्थी – 322

विधवा लाभार्थी – 677

282. सुश्री भावना गौड़ : क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली राज्य में महिला एवं बाल विकास के कल्याण के लिए भारत सरकार की कुछ योजनाएं लागू हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन–कौन सी योजनाएं लागू है; उनका पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास कल्याण के लिए कौन–कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका पूरा ब्यौरा क्या हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क) और (ख) जी हां दिल्ली राज्य में महिला एवं बाल विकास के कल्याण के लिए भारत सरकार की मुख्यतः निम्नलिखित योजनाएं लागू हैं :

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की योजना, जिसका नाम समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) हैं।
2. समेकित बाल विकास परियोजना
3. किशोरी शक्ति योजना
4. राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना
5. राष्ट्रीय क्रेच योजना
6. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
7. 181 महिला हैल्पलाइन जो केन्द्र सरकार की योजना है जिसे दिल्ली महिला आयोग द्वारा वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है।
8. स्वाधार गृह योजना संकट में फंसी महिलाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। वर्तमान में दो स्वाधार गृह राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कार्यरत है। इन संस्थाओं का वित पोषण पूर्ण रूपेण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

9. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पूर्व में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित है।

(ग)

1. समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS)
2. समेकित बाल विकास परियोजना
3. क्रेच योजना
4. आर्थिक रूप से पिछड़ी धात्री महिलाओ को आर्थिक सहायता
5. लाडली योजना
6. विधवा एवं निराश्रित पेंशन योजना
7. विधवा पुत्री एवं अनाथ कन्या हेतु आर्थिक सहायता
8. महिलाओं की सहायतार्थ संस्थागत सुविधाएं :–
    1. निर्मल छाया।
    2. विधवा आश्रम एवं अल्पावास सदन
9. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली (निराश्रित) महिलाओं हेतु छात्रावास।

उपरोक्त उत्तर की स्वीकृति निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त है।

283. श्री पंकज पुष्कर : क्या **उपमुख्यमंत्री समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल स्वीकृत एवं कार्य कर रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या;

(ख) किशोरी शक्ति योजना एवं राजीव गांधी किशोरी योजना चला रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या;

(ग) मातृत्व लाभ कार्यक्रम क्रियान्वित आंगनबाड़ी केन्द्रों संख्या;

(घ) बाल विकास परियोजना अधिकारियों के स्वीकृत पदों और भरे हुए पदों की संख्या; और

(ङ) आई.सी.डी.एस. मिशन कोड के अन्तर्गत अतिरिक्त कर्मचारियों के स्वीकृत एवं भरे हुए पदों की संख्या?

उपमुख्यमंत्री समाज कल्याण मंत्री : (क) समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 11150 है तथा कार्य कर रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 10897 हैं।

(ख) किशोरी शक्ति योजना कुल 2539 आंगनबाड़ी केन्द्रों में चल रही है तथा राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना 5476 आंगनबाड़ी केन्द्रों में चल रही है।

(ग) मातृत्व लाभ कार्यक्रम 5048 आंगनबाड़ी केन्द्रों में क्रियान्वित हो रहा हैं।

(घ) बाल विकास परियोजना अधिकारियों के स्वीकृत पद 95 है तथा भरे हुए पदों की संख्या 37 हैं।

(ङ) आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत अतिरिक्त कर्मचारियों के स्वीकृत पद 300 हैं एवं इनमें से कोई भी पद भरा हुआ नहीं हैं।

284. श्री राजेश ऋषि : क्या **कला एवं संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जनकपुरी में साहित्य कला अकादमी का सभागार और अकादमी को मिलने वाली निधि को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सभागार और इसको मिलने वाली निधि का पुनर्स्थापन कब तक किया जायेगा?

कला एवं संस्कृति मंत्री : (क) जी नहीं। जनकपुरी में साहित्य कला परिषद् के सभागार और साहित्य कला परिषद् को मिलने वाली निधि को बंद नहीं किया गया है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) लागू नहीं।

285. श्री अजय दत्त : क्या **कला संस्कृति एवं भाषा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा स्थाई व मोबाइल लाइब्रेरी चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु पूर्ण प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार की अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में ऐसी लाइब्रेरी खोलने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?

कला संस्कृति एवं भाषा मंत्री : (क) हिंदी अकादमी द्वारा 12 व पंजाबी अकादमी द्वारा 42 लाइब्रेरी चलाई जा रही हैं। दिल्ली सरकार द्वारा कोई भी मोबाइल लाइब्रेरी नहीं चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त कला संस्कृति एवं भाषा विभाग प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में लाइब्रेरी चलाने के लिए अनुदान देता है।

(ख) संस्था को पुस्तकालय के लिए हिंदी/पंजाबी अकादमी में आवेदन करना होता हैं तथा इस योजना के तहत क्षेत्र की किसी संस्था या व्यक्ति को पुस्तकालय के लिए निशुल्क स्थान उपलब्ध करना होता हैं। शेष सभी व्यवस्थाएं अकादमी द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त कला संस्कृति एवं भाषा विभाग प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में अधिकतम 02 पुस्तकालय खोलने के लिए अनुदान देता है। अनुदान की राशि प्रारम्भ में पुस्तकालय खोलने के लिए 1.03 लाख तदुपरांत इसके संचालन हेतु 40,000/– रु. प्रति वर्ष दो छमाही किश्तों में प्रदान करता है। ये पुस्तकालय क्षेत्र के विधायक की संस्तुति पर पंजीकृत NGO अथवा निवासी कल्याण संघ (RWA) द्वारा खोले जा सकते हैं। इसके लिए प्रार्थी संस्था के पास बिजली, पानी की सुविधा सहित कम से कम 30 पाठकों के बैठने का स्थान होना चाहिए।

(ग) कला संस्कृति एवं भाषा विभाग इस सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त होने पर ही पुस्तकालय खोलने के लिए अनुदान देता है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) विभाग में वर्तमान में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं। आवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है

माननीय उप–मुख्यमंत्री व मंत्री (कला संस्कृति एवं भाषा) की पूर्व अनुमति अनुसार उचित कार्यवाही हेतु आपको अग्रसारित किया जा रहा है।

286. श्री मदन लाल : क्या **कला संस्कृति एवं भाषा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आज भी गावों में राग–रागिनी, नगाड़ों व होली गीतों के रूप में संजोकर रखी गई गांव के प्राचीन व परम्परागत

सांस्कृतिक कलात्मक क्रियाकलापों को पुनर्जीवित करने की सरकार की योजना है?

कला संस्कृति एवं भाषा मंत्री : (क) जी हां। होली, बसंत पंचमी, वैसाखी, लोहड़ी आदि प्राचीन व परम्परागत सांस्कृतिक अवसरों पर राग–रागिनी, नगाड़ों व होली–गीत आदि पारम्परिक सांस्कृतिक कला के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने के लिए जनसमूहों और संस्थाओं की मांग पर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु साहित्य कला परिषद् और भाषा अकादमियों द्वारा परम्परागत सांस्कृतिक कलाकार उपलब्ध कराये जाते हैं।

माननीय उप–मुख्यमंत्री व मंत्री (कला संस्कृति एवं भाषा) की पूर्व अनुमति अनुसार उचित कार्यवाही हेतु आपकों अग्रसारित किया जा रहा है।

287. श्री जगदीश प्रधान : क्या **अनुसूचित जाति/जनजाति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के जिन कॉलोनियों में एस. सी./एस.टी. की जनसंख्या 60 प्रतिशत से अधिक होती है, उसमें एस.सी. /एस.टी./ओ.बी.सी. विभाग मूलभूत सुविधाएं प्रदान कराने के लिए व्यय करता है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसी कॉलोनियां कितनी है;

(ग) इन कॉलोनियों के लिए वर्ष 2015–16, 2016–17 में कितना बजट रखा गया था और कितना व्यय हुआ; और

(घ) वर्ष 2017—18 के लिए कितने धन का प्रावधान रखा गया है?

अनुसूचित जाति/जनजाति मंत्री : (क) विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती सुधारीकरण योजना के अर्न्तगत उन प्रगणन ब्लॉक (EBs) में जहां अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की जनसंख्या 33 प्रतिशत से अधिक होती है वहां पर सुधार कार्य करवाये जाते है।

(ख) दिल्ली में ऐसी कॉलोनियां चिन्हित नही की गई है। हांलाकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आर.जी.आई. द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार ऐसे प्रगणन ब्लॉको (EBs) की संख्या **5205** है जहां पर अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 33 प्रतिशत से अधिक है।

(ग) उपरोक्त योजना में वर्ष 2015—16, 2016—17 में क्रमशः रुपये 37 करोड़ तथा 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया था जिसमें क्रमशः रुपयें 29. 49 करोड़ तथा 26.50 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

(घ) वर्ष 2017—18 के लिए उपरोक्त योजना में रुपये 50 रुपये का प्रावधान किया गया है।

288. श्री जगदीश प्रधान : क्या **अ.जा./ज.जा./अ.प.वि. /अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के जिन कॉलोनियों में एस. सी./एस.टी./ओ.बी.सी/अल्पसंख्यक वैलफेयर विभाग में वर्ष 2016—17 में 38,500 लाख रुपये खर्च करने की योजना थी;

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सत्य है कि सरकार केवल 7700 लाख रुपये, अर्थात कुल राशि का केवल 20 प्रतिशत ही खर्च कर पाई;

(ग) यदि ऐसा है तो सरकार इस विभाग की किन योजनाओं में पैसा खर्च नहीं कर पाई, और क्यों, पूर्ण जानकारी दें; और

(घ) भविष्य मे ंइसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

अ.जा./ज.जा./अ.प.वि./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, वर्ष 2016—17 में राज्य संचालित योजनाओं में 10,553. 60 लाख रुपये का व्यय किया गया जोकि कुल राशि का 28.53% है।

(ग) प्रति संलग्न 'क' के अनुसार।

(घ) भविष्य में अल्पव्यय की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय :—

(i) मंत्री परिषद् की स्वीकृति के पश्चात् उपरोक्त योजनाओं के अर्न्तगत आने वाले कार्यों की सूची यथोचित रुप से बढ़ा दी गई है।

(ii) पूर्व में विभागीय योजना के अर्न्तगत केवल सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के द्वारा ही कार्य करने की अनुमति थी वर्तमान में मंत्री परिषद की स्वीकृति

के पश्चात् उपरोक्त योजना में किसी भी संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य किया जा सकता है।

(iii) विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं वर्ष 2016–17 से ई–पोर्टल पर ऑनलाइन की गई है। जिसके कारण अपेक्षा की जाती है कि वित्त वर्ष 2017–18 मे ंआवेदन पत्र आमंत्रित करके छात्रवृत्ति का वितरण समय पर कर दिया जाएगा।

संलग्नक 'क'

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट	व्यय राशि	अव्ययित राशि
1.	अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती सुधारिकरण योजना के अर्न्तगत वित्त वर्ष 2016–17	50 करोड़	26.50 करोड़	23.5 करोड़
2.	अनुसूचित जाति/जनजाति/ अ.पि.व./अल्पसंख्य वर्ग के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं	29588 लाख	8381.17 लाख	21206.83 लाख

कम व्यय के कारण :–

- **अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती सुधारिकरण योजना**

  1. प्रस्तावित कार्यों का उपरोक्त योजना के अर्न्तगत स्वीकृत कार्यों की सुची में न होना।

2. विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित कार्यकारी एजेंसियों के द्वारा अनापति प्रमाण पत्र का प्राप्त न होना।

3. प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति हेतु वांछित सुचनाओं का प्राप्त न होना।

- **अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यक वर्ग के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं :–**

  विभाग द्वारा दिसम्बर 2016 से 22/02/2017 छात्रवृत्ति योजनाओं को लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। कार्य योजना में समय लगने की वजह से वित्तीय वर्ष 2016–17 में निस्तारण नही हो पाया।

- मातृ शिशु सुरक्षा योजना, एन.टी.नेटल केयर योजनाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिल्ली सरकार द्वारा तथा डीनोटीफाइड एण्ड नोमेडिक ट्राइब्स योजनाएं भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 कार्यान्वित नही हो पाई थी।

- Implementation of prohibition of employment of Manual Scavangers and their rehabilitation Act 2013 scheme के तहत अभी तक संबंधित कोई योजना कार्यान्वित नहीं हो पाई थी।

289. श्री राजेश गुप्ता : क्या **अ.जा./ज.जा./अ.प.वि./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/जनजाति फंड को किस प्रकार समाज के हित में लगाया जा सकता है;

(ख) पिछले 15 सालों में वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में कितना अनुसूचित जाति/जनजाति फंड लगा है; और

(ग) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षित वार्ड में अनुसूचित जाति/जनजाति फंड सीधे लगाया जा सकता है या कोई और मापदंड भी है?

अ.जा./ज.जा./अ.प.वि./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री : (क) अनुसूचित जाति/जनजाति फंड को निम्नलिखित प्रकार समाज के हित में लगाया जा रहा है :–

(i) विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के द्वारा।

(ii) विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती सुधारीकरण योजना के अर्न्तगत उन प्रगणन ब्लॉक में जहां अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की जनसंख्या 33 प्रतिशत से अधिक होती है वहां पर सुधार कार्य कारवाये जाते है।

(iii) दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न विभागों को (एस.सी.एस.पी.) योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए फंड प्रदान किया जाता है।

(ख) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्ती सुधारीकरण योजना के अर्न्तगत वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में रु. 382.

26 लाख के अनुमानित लागत वाले सुधार कार्यों की स्वीकृती प्रदान की गई है।

(ग) जी नहीं। अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षित वार्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्ती सुधारीकरण योजना के अर्न्तगत फंड निम्नलिखित मापदंड के आधार पर लगाया जा सकता है :—

(i) प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या जनगणना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रगणन ब्लॉक में 33% से अधिक होनी चाहिये।

(ii) प्रस्तावित कार्य की संस्तुति क्षेत्रीय विधायक द्वारा की जानी चाहिए।

(iii) प्रस्तावित कार्य उपरोक्त योजना के अर्न्तगत स्वीकृत होना चाहिए।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITIES
B-BLOCK, 2ND FLOOR, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI

Website: scstwelfare.delhigovt.nic.in Tele Fax No. 23379513

List of Improvement work Sanctioned in Assembly Constituency of Wazipur under the Scheme of "Improvement of SC/ST Basties".

S.No.	Name of Works	Estimate Cost	Year of Sanctioned
1	2	3	4
1.	Improvement of streets and roads in Sawan Park, Block-A & C, Ward No. 99 in Wazirpur Assembly Constituency. (EB No. 111 & 112	18.68	2007-08
2.	Improvement of streets and roads in Sawan Park Extension and Harijan Basti in Ward No. 99 in Wazirpur Assembly Constituency. (EB No. 111 & 112)	33.38	2007-08

1	2	3	4
3.	Improvement of streets and roads in Block A & B in Wazirpur Resettlement JJ colony in Ward No. 99 in Wazirpur AC (EB No. 38 to 41 in A Block and EB No. 48 in B Block)	32.04	2008-09
4.	lmproment of streets and roads in Block J-III in Wazirpur Resettlement JJ colony in Ward No. 99 in Wazirpur AC (EB No. 55 & 56)	11.27	2008-09
5.	lmproment of streets and roads in Block L in Wazirpur Resettlement JJ colony in Ward No. 99 in Wazirpur AC (EB No. 20 to 31 & 35 to 37)	40.76	2008-09
6.	Improvement of street and in Block K in Wazirpur Resettlement JJ colony in Ward No. 99 in Wazirpur AC (EB No. 19 & 20)	60.82	2008-09
7.	Improlllent of streets and roads in Block C & D in Wazirpur Resettlement JJ colony in Ward No. 99 in Wazirpur AC (EB No. 69 to 72 in C Block and EB No. 86 in D Block)	27.29	2008-09

1	2	3	4
8.	Improvement of Lanes by relaying RMC in the deteriorate lanes for A&L Block, Wazir Pur, J.J. Colony, AC-17.	27.91	2011-12
9.	Construction of Basti Vikas Kendra (Harijan Chaupal) at Village Wazier Pur New Delhi (AC-17)	87.20	2014-15
10.	Construction of Chaupal at Wazirpur Village Delhi, (AC-17)	42.91	2016-17
	TOTAL	382.26	

290. सुश्री भावना गौड : क्या **अ.जा./ज.जा./अ.प.वि./अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की पालम विधानसभा के अर्न्तगत आने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कालोनियों में विकास की कोई योजना चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कॉलोनियों के नाम सहित विकास योजनाओं का पूर्ण विवरण दें?

अ.जा./ज.जा./अ.प.वि./अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) पालम विधान सभा क्षेत्र से संबंधित तथा इस विभाग में प्राप्त हुए विचाराधीन प्रस्तावों की सूची संलग्न है।

AC-37 Name of MLA smt. Bhavna Gaur (Palam)

Sl.No.	Details of Proposal	Excuting Agency (I & FC/DUSIB)	Estimated Cost (in Lakh)	Date of receipt of Proposal	Reasons for Pendency
1	2	3	4	5	6
1.	Construction Additional hall over existing double storey Harijan Chaupal (Ambedkar Bhawan) at village Palam in Palam Constiruency AC-37	The Executive Engineer CD-I, I&FC Department Govt. of N.C.T. of Delhi Opp. ESI Hospital, Basaidarapur : New Delhi-110027	92.00	13.06.17	Department vide letter dated 27.07. 2017, Requested I & FC Deptt., to clarify :- 1. Who had constructed the existing chaupal & source of funding for its construction. 2. As per the Enclosed letter from Hon'ble MLA required work needs to be executed by MLA Land fund.

1	2	3	4	5	6
2.	Demolishing of single storey chaupal and re-construction as three storey Julaha chaupal at palam village AC-37	The Executive Engineer CD-I, I&FC Department Govt. of N.C.T. of Delhi Opp. ESI Hospital, Basaidarapur : New Delhi-110027	55.00	26.07.17	Proposal just received under process.
3.	Demolishing of existing double storey chaupal and reconstruction as three storey Balmiki Harijan chaupal (Badiyal) in Palam village AC-37	The Executive Engineer CD-I, I&FC Department Govt. of N.C.T. of Delhi Opp. ESI Hospital, Basaidarapur : New Delhi-110027	55.00	26.07.17	Proposal just received under process.

291. श्री जरनैल सिंह : क्या **अ.जा./ज.जा./अ.प.वि./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए वर्ष 2013–14, 2014–15 व वर्ष 2015–16 में कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने आवेदकों को फीस वापिस मिली;

(ग) फीस प्रतिपूर्ति न होने के क्या कारण रहे;

(घ) क्या यह सत्य है कि पिछले साल इसका आवेदन ऑनलाइन कर दिया गया;

(ङ) प्रक्रिया आनलाइन होने के कारण आवेदकों की संख्या में वृद्धि हुई या कमी;

(च) क्या यह सत्य है कि आवेदकों में कमी का कारण ऑनलाइन फार्म की जानकारी या ट्रैनिंग का न होना है;

(छ) यदि हां तो इसके निवारण के लिए विभाग के पास भविष्य में क्या योजना है?

अ.जा./ज.जा./अ.प.वि./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री : (क) पूछे गये प्रश्न का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	वर्ष	ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त कुल आवेदन
(i)	2013–14	20891
(ii)	2014–15	26777
(iii)	2015–16	32717

(ख)

क्र.सं.	वर्ष	फीस वापिस पाने वाले आवेदकों की संख्या
(i)	2013—14	8387
(ii)	2014—15	22987
(iii)	2015—16	24606

कुछ आवेदन अभी विचाराधीन है।

(ग) फीस वापिस नहीं पाने वाले आवेदकों ने निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक शर्त पूरी नहीं की।

(i) पिछली कक्षा में प्राप्तांक — 50% (कक्षा 6 से कक्षा 12 में)

(ii) पिछली कक्षा में उपस्थिति — 80%

(iii) 2 लाख वार्षिक आय का प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार, में एस.डी. एम. द्वारा जारी किया हुआ।

(iv) गत वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना

(v) अल्पसंख्यक वर्ग के प्रत्याशी का 3 वर्ष से दिल्ली में निवास का प्रमाण।

(vi) अ. जा./अ. ज. जा./अ. पि. व. के प्रत्याशी का स्वयं का या पिता जी का दिल्ली सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र अगर जाति

प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी न होने की सूरत में डोमीसाइल प्रमाण पत्र।

(vii) अल्पसंख्यक वर्ग के प्रार्थी के लिए अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य होने का घोषणा पत्र।

(viii) स्कूल का दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त होना।

(घ) जी हां।

(ङ) वर्ष 2015—16 में ट्यूशन फीस के लिए प्राप्त आवेदकों की संख्या 32717 तथा वर्ष 2016—17 में ऑनलाइन आवेदकों की संख्या 25174 है।

ऑनलाइन आवेदकों की संख्या में कमी हुई है।

(च) इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी विभाग के पास नहीं है।

(छ) लागू नहीं है।

292. श्री पंकज पुष्कर : क्या **अ.जा. / ज.जा. / अ.प.वि. / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 3 वर्षों में तथा वर्तमान वित्त वर्ष में आज तक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अ.पि.व. व अल्पसंख्यक वर्ग के कितने विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस का भुगतान किया गया;

(ख) पिछले 3 वर्षों में तथा वर्तमान वित्त वर्ष में आज तक अनुसूचित जाति जनजाति, अ.पि.व. व अल्पसंख्यक वर्ग के कितने विद्यार्थियों को स्टेशनरी खरीदने हेतु वित्तिय सहायता प्रदान की गई;

(ग) पिछले 3 वर्षों में तथा वर्तमान वित्त वर्ष में आज तक कक्षा एक से बारहवीं कक्षा तक के अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के तथा कक्षा 6 से बारहवीं कक्षा तक के अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप/मैरिट स्कॉलरशिप प्रदान की गई;

(घ) पिछले 3 वर्षों में तथा वर्तमान वित्त वर्ष में आज तक तकनीकी/व्यवसायिक कॉलेजों/सस्थानों/ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यक वर्ग के कितने विद्यार्थियों को मेरिट स्कालरशिप प्रदान की गई; और

(ङ) पिछले 3 वर्षों में तथा वर्तमान वित्त वर्ष में आज तक अल्पसंख्यक वर्ग (सी.एस.एस.)/अ.पि.व. (सी.एस.एस.)/अ.जा. (सी.एस.एस.) के कितने विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप प्रदान की गई;

अ.जा./ज.जा./अ.प.वि./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री : (क) पिछले तीन सालों में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जन जाति, अ.पि.व. व अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को दी गई ट्यूशन फीस का विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या
2013—14	8387
2014—15	22987
2015—16	24606

वर्तमान वित्त वर्ष 2017—18 में 2016—17 के ट्यूशन फीस (ON LINE) के आवेदन पत्रों की सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया का कार्य चल रहा है। और अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न में पूछी गई सूचना निम्न तालिका के अनुसार है।

वर्ष विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें स्टेशनरी खरीदने हेतु सहायता दी गई।	
2013—14	14408
2014—15	24217
2015—16	27530

वर्तमान वित्त वर्ष 2017—18 में स्टेशनरी खरीदने हेतु 490107 विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में कक्षा एक से बारहवीं तक अनुसूचित जाति, जनजाति, अ.पि.वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को मैरिट स्कॉलरशिप दिये जाने का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या
2013—14	8241
2014—15	7202
2015—16	19457

वर्तमान वित्त वर्ष 2017—18 में मेरिट स्कॉलरशिप (कक्षा एक से कक्षा बाहरवीं तक) के 406919 विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में आज तक तकनीकी/व्यावसायिक कॉलेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति/अ. पि.व./अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को दी गई मैरिट स्कॉलरशिप का विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या
2013—14	6609
2014—15	10368
2015—16	10165

वर्तमान वित्त वर्ष 2017—18 में 2016—17 के (ON LINE) आवेदकों (मेरिट स्कॉलरशिप तकनीकी/व्यावसायिक) के पत्रों की सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया का कार्य चल रहा है। और अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है।

(ङ) पिछले 3 वर्षों में आज तक अल्पसंख्यक वर्ग (सी.एस.एस.)/अ. पि.व. (सी.एस.एस.)/अ.जा. (सी.एस.एस.) के विद्यार्थियों को दी गई प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप का विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या	
	(पोस्ट मेट्रिक)	(प्री मैट्रिक)
2013—14	680	35822
2014—15	1717	9229
2015—16	2023	78

वर्तमान वित्त वर्ष 2017—18 में प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (ON LINE) आवेदको के संदर्भ में आवेदन पत्रों के सत्यापन और भुगतान का कार्य चल रहा है और अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है।

293. श्री राजेश ऋषि : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जनकपुरी में 10 वर्ष पूर्व कॉफी होम की जमीन चिन्हित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कॉफी होम बनाने की क्या योजना है;

(ग) इसे कब तक शुरू किया जाएगा;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली हाट की दुकानों के किराए ज्यादा होने से दुकानें खाली पड़ी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार की किराये कम करने की कोई योजना है;

(च) क्या यह सत्य है कि दिल्ली हाट की कार पार्किंग का अवैध प्रयोग हो रहा है;

(छ) यदि हां तो अवैध काम को कब तक बंद करवा दिया जाएगा;

(ज) क्या यह सत्य है कि दिल्ली हाट के एक भाग को प्राइवेट संस्था को दिया गया है;

(झ) यदि हां, तो किस प्राइवेट संस्था को किस आधार पर कितने में दिया गया; और

(ञ) दिल्ली हाट के लाभ और हानि खातों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री : (क) जी हां – दिल्ली पर्यटन ने 10 वर्ष पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण से कॉफी होम बनाने के लिए जमीन आबंटित की थी।

(ख) कॉफी होम बनाने की योजना पी.पी.पी. मोड के अंतर्गत विचाराधीन है। इस विषय में दिल्ली पर्यटन एवम परिवहन विकास निगम लि. अपनी संबंद्ध गतिविधियों के विस्तार हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण से लगातार सम्पर्क में है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपरोक्त उत्तर घ के अनुसार लागू नहीं होता।

(च) जी नहीं।

(छ) उपरोक्त उत्तर च के अनुसार लागू नहीं होता।

(ज) दिल्ली हाट आई.एन.ए.–दिल्ली हाट आई.एन.ए. का पूर्ण परिसर दिल्ली पर्यटन के पास है।

दिल्ली हाट पीतमपुरा–यह सत्य नहीं है।

दिल्ली हाट जनकपुरी–हां यह सत्य है कि पी.पी.पी. मोड पर दिल्ली हाट का एक भाग पट्टे पर प्राइवेट संस्था को दिया गया है।

(झ) दिल्ली हाट आई.एन.ए.–किसी निजी संस्था को नहीं दिया गया है।

दिल्ली हाट पीतमपुरा–उपरोक्त उत्तर (च) के अनुसार यह लागू नहीं होता।

दिल्ली हाट जनकपुरी–निविदा सूचना द्वारा अक्टूबर 2015 में मैसर्स इम्पिरियल बैक्वैट एवं डायनिंग प्राइवेट लि. को 10 वर्षों के लिए 1.76 करोड़ रुपये प्रति लागू किराए पर दिया गया है।

(ञ) दिल्ली हाट आई.एन.ए.–पिछले वित्तीय वर्ष 2016–17 में 714 लाख रुपयों का अनुमानित लाभ हुआ है।

दिल्ली हाट पीतमपुरा–पिछले वित्तीय वर्ष 2016–17 में 26 लाख रुपयों का अनुमानित घाटा हुआ है।

दिल्ली हाट जनकपुरी–पिछले वित्तीय वर्ष 2016–17 में 214 लाख रुपयों का अनुमानित घाटा हुआ है।

294. श्री पंकज पुष्कर : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिल्ली में पर्यटन बढ़ाने के लिए वर्तमान में क्या प्रयास किए जा रहे है;

(ख) वर्ष 2014–15, 2015–16 और 2016–17 में कितने पर्यटक दिल्ली आये;

(ग) दिल्ली में कौन–कौन से स्थल पर्यटकों के लिए विकसित किए गए है;

(घ) क्या वर्ष 2014–15, 2015–16 और 2016–17 में पर्यटकों के साथ

कभी असभ्य व्यवहार या आपराधिक किस्म की घटनायें सामने आई हैं, विवरण दें;

(ङ) पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है;

(च) क्या यह सत्य है कि सरकार की शहीदेआजम भगतसिंह और आजादी के अन्य आंदोलनकारियों से जुड़े रहे ऐतिहासिक स्थलों, जैसे कि सेंट्रल असेंबली का स्थल जहां बम फेंका गया था, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति आवास का वह हिस्सा जहां शहीद भगतसिंह और उनके साथियों को कैद करके रखा गया था, आदि को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो योजना का पूर्ण विवरण क्या है?

रोजगार मंत्री : (क) सरकार के पर्यटन विभाग के अन्तर्गत दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा, दिल्ली में समय–समय पर विभिन्न उत्सवों एवं मेलों का आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से किया जाता है। इस संदर्भ में संक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।

(ख) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार :–

2014 में	घरेलू पर्यटक	–	2,26,26,859
	विदेशी पर्यटक	–	23,19,046
2015 में	घरेलू पर्यटक	–	2,52,58,051
	विदेशी पर्यटक	–	23,79,169
2016 में	घरेलू पर्यटक	–	2,84,60,836
	विदेशी पर्यटक	–	25,20,083

वर्ष 2017 में दिल्ली आने वाले पर्यटकों की संख्या अभी तक संकलित नहीं हुई है। वर्ष के अंत में संख्या संकलित की जाएगी।

(ग) दिल्ली में 3 दिल्ली हाट (आई.एन.ए., पीतमपुरा और जनकपुरी), गार्डन ऑफ फाइव सेंसेंज (सैयद–उल–अजैब) पर्यटकों के लिए विकसित किए गए है। इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली में स्थित संजय झील में भी साहसिक क्रीड़ा स्थल को विकसित किया गया है जो कि पी.पी.पी. मोड़ पर संचालित किया गया है।

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा प्रेषित संबंधित जानकारी परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(ङ) दिल्ली पुलिस द्वारा प्रेषित संबंधित जानकारी परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(च) वर्तमान में पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार के पास ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(छ) उपरोक्त उत्तर (च) के अनुसार।

परिशिष्ट–'क'

दिल्ली पुलिस द्वारा पर्यटकों के साथ किऐ गए असभ्य व्यवहार व आपराधिक मुकदमों का वर्षवार विवरण वर्ष 2014–15, 2015–16 और 2016–17 एवं 01.04.2017 से 31.07.2017 तक का विवरणः–

2014–15

हेडवाइज़	दर्ज मुकदमें	व्यक्तियों की गिरफ्तारी
जेब तराशी	2	0
झपटमारी	7	5
लूटपाट	7	15
हेरा–फेरी	4	9
अन्य चोरी	62	8
अन्य मुकदमें	6	5
महिलाओं से छेड़छाड़	2	2

2015–16

हेडवाइज़	दर्ज मुकदमें	व्यक्तियों की गिरफ्तारी
जेब तराशी	6	0
झपटमारी	20	9
लूटपाट	6	12
हेरा–फेरी	3	0

हेडवाइज़	दर्ज मुकदमें	व्यक्तियों की गिरफ्तारी
अन्य चोरी	68	10
अन्य मुकदमें	7	4
महिलाओं से छेड़छाड़	2	2

2016—17

हेडवाइज़	दर्ज मुकदमें	व्यक्तियों की गिरफ्तारी
जेब तराशी	2	0
झपटमारी	19	3
लूटपाट	4	1
हेरा—फेरी	1	0
अन्य चोरी	78	3
अन्य मुकदमें	8	8
महिलाओं से छेड़छाड़	2	2

1.4.2017 से 31.7.2017

हेडवाइज़	दर्ज मुकदमें	व्यक्तियों की गिरफ्तारी
जेब तराशी	0	0
झपटमारी	3	0
लूटपाट	1	2

हेडवाइज़	दर्ज मुकदमें	व्यक्तियों की गिरफ्तारी
हेरा–फेरी	0	0
अन्य चोरी	11	0
अन्य मुकदमें	2	1
महिलाओं से छेड़छाड़	0	0

परिशिष्ट–ख

दिल्ली पुलिस द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा हेतु उठाये गये कदमों का विवरण

1. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी और ऐतिहासिक शहर होने के कारण एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है और अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पर्यटन स्थल होने के कारण ज्यादा पर्यटक यहां भ्रमण करने के लिए आते है। पर्यटकों को कभी–कभी परिवहन से संबंधित समस्याओं, आवास, पर्यटन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में धोखाधड़ी का शिकार होने की समभावनाएं होती हैं। इन पहलुओं को मुद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा दिनांक 6.8.2004 से दिल्ली में पर्यटक पुलिस को सुनिश्चित किया गया जो उपायुक्त पुलिस/पी.सी.आर. के नियंत्रण में कार्य करती है।

2. दिल्ली पुलिस द्वारा पयटकों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने कई ठोस कदम उठाए हैं। अपराध–प्रवण क्षेत्रों को गतिशील रूप से पहचाना जाता है और पुलिस संसाधनों सहित पिकेट, पैदल गश्त, पी.सी.आर. वैन और आपतकालीन प्रतिक्रिया वाहन को

पर्यटकों के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने और दृश्यता को बढ़ाने के लिये तैनात किया गया है।

3. दिल्ली पुलिस नियंत्रण कक्ष इकाई द्वारा 10 पी.सी.आर. वाहन, 10 निम्नलिखित पर्यटक स्थलों पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय की सुरक्षा एवं निर्देशन और तत्कालीक सहायता के हेतु पर्यटक पुलिस के रूप में तैनात किया गये हैं। प्रत्येक गाड़ी में वाहन चालक के अलावा 3 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं व प्रत्येक वाहन 24×7 अपने दिये हुए स्थान पर तैनात रहता है :—

स्थान

(i) इंडिया गेट

(ii) पालिका बाजार

(iii) जनपथ

(iv) कुतुबमीनार

(v) हुमायूं का मकबरा

(vi) आई.जी.आई. एयरपोर्ट

(vii) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (पहाड़गंज)

(viii) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (अजमेरी गेट)

(ix) राजघाट

(x) लाल किला

4. दिल्ली पुलिस द्वारा सभी मोबाइल पुलिस वैन (MPVs) पर तैनात कर्मचारियों को विदेशी पर्यटकों से मैत्रीपूर्ण तरीके से व्यवहार करने के निर्देश दिये गये हैं और यह भी बताया गया है कि पर्यटकों

के साथ स्वागत पूर्ण रवैया अपनाएं जिससे उनको कोई असुविधा ना हो।

5. मोबाइल पुलिस वैन (MPVs) पर तैनात कर्मचारियों को पर्यटक स्थल पर दलालों के ऊपर भी कड़ी निगरानी रखने के लिए निर्देश दिये गये हैं जिससे की यह होटल व दुकानदारों से कमीशन पाने के लालच में पर्यटकों के साथ किसी किस्म की गड़बड़ी ना कर सके।

6. मोबाइल पुलिस वैन (MPVs) पर तैनात कर्मचारियों को पर्यटकों के साथ घटित घटना स्थल पर अतिशीघ्रता से पहुंचने के भी निर्देश दिये गये हैं जिससे कि ठीक समय पर मुसीबत में फंसे पर्यटक को पुलिस की मदद जल्द से जल्द मिल सके।

7. रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस टर्मिनल एवं मॉल आदि में भी पर्यटकों को बिना परेशानी के उचित दरों पर परिवहन और आवास मुहैया कराने में पुलिसकर्मियों को इनकी मदद करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

8. पर्यटकों को दिल्ली की राजधानी और अन्य आस–पास के पर्यटक स्थल से संबंधित जानकारी भी पर्यटक पुलिस (दिल्ली) द्वारा प्रदान कराई जाती है।

9. पर्यटक पुलिस द्वारा शहर में पर्यटकों के प्रवास के दौरान उनकी सभी समस्याओं को हल किया जाता है व पर्यटन में उनकी मदद की जाती है।

10. दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली में पर्यटकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी ओदश–74/2009 भी जारी किया गया है।

परिशिष्ट 'A'

विधान सभा प्रश्न संख्या–294

दिल्ली पर्यटन निगम द्वारा दिल्ली शहर को एक सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्य पर्यटन विभाग द्वारा किए जा रहे हैं :

- पर्यटन, साहित्य, फोल्डर, पत्रक, मानचित्र, पुस्तिकाओं का उत्पादन, ब्रॉशर और अन्य प्रचार सामग्री का उत्पादन।

  दिल्ली को प्रभावी ढंग और रणनीतिक तरीके से सर्वश्रेष्ठ पर्यटक स्थल के रूप में प्रचारित करने के लिए, निगम ने इस वर्ष तीन निम्नलिखित पर्यटक साहित्य प्रकाशित किए हैं :

- दिल्ली सिनेमैजिक (दिल्ली का संवर्धन – एक फिल्म शूटिंग गंतव्य के रूप में)
- एम.आई.सी.ई. पर्यटन (दिल्ली का संवर्धन – एक कन्वेंशन और सम्मेलन स्थल के रूप में)
- नई दिल्ली हेरिटेज बिल्डिंग की साइकिल यात्रा

(बी) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/ऑनलाइन के माध्यम से प्रचार

- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अखबार में लगभग 15 विज्ञापन दिए गए थे
- ग्रीष्म उत्सव के लिए 02 रेडियों जिंगल्स का उत्पादन किया गया
- आम महोत्सव के लिए 1 जिंगल का निर्माण।

- पर्यटन के प्रचार के लिए दिल्ली में ग्रीष्म उत्सव, आम महोत्सव, कॉउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ टूरिज्म इन एशिया आदि के दौरान लगभग 97 प्रचार पैनल, संकेत, होर्डिंग आदि शामिल थे।
- विभिन्न यात्रा प्रकाशनों में विज्ञापन जारी किए गए थे।
- घटनाओं का प्रचार एस.एम.एस./सोशल मीडिया चैनलों (फेसबुक, इंस्टॉग्राम, ट्विटर और यू–ट्यूब) के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया।

(सी) एक फिल्म शूटिंग गंतव्य स्थल के रूप में दिल्ली का प्रचार :

- फिल्म की शूटिंग के रूप में दिल्ली को बढ़ावा देने के लिए उच्च परिभाषा पोस्टर पैनल डिजिटल प्रदर्शनी का डिजाइनिंग, फिल्म पर्यटन पर प्रदर्शनी के लिए गंतव्य और प्रचार पैनलों को लिया गया है।
- दिल्ली में फिल्म की शूटिंग की अनुमति के लिए सिंगल विंडो पॉलिसी के लिए तैयारियों की समीक्षा के साथ 16 हिस्सेदार ध ारक एजेंसियां शुरू की गई हैं।
- दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए वेबसाइट के विकास की प्रक्रिया शुरू की गई है।
- 5 फिल्मों की शूटिंग के लिए दिल्ली हाट–आई.एन.ए., जी.एफ.एस. और दिल्ली हाट, पीतमपुरा में मदद की गई।
- आगे कई बॉलीवुड सितारों जैसे आयुष्मन खुराना, कीर्ति सेमोन ने हाल ही में उनकी फिल्म 'बरेली की बर्फी' को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली हाट, आई.एन.ए. का दौरा किया।

(डी) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों/सम्मेलनों/मॉर्ट्स/प्रदर्शनियों में दिल्ली की ब्रॉन्डिंग और सहभागिता दिल्ली पर्यटन विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेले एवं त्योहारों और सेमिनारों में भाग लेता है, जो निम्नानुसार हैं :

अंतर्राष्ट्रीय समारोह

(i) वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट, लंदन

(ii) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बाजार (आई.टी.बी.) बर्लिन

(iii) एशिया में पर्यटन के संवर्धन के लिए परिषद (सी.पी.टी.ए.)

(iv) पटा इंटरनेशनल

(v) अंतर्राष्ट्रीय ATTA (साहसिक यात्रा व्यापार संघ सम्मेलन) में भागीदारी

राष्ट्रीय समारोह

क्र.सं.	आयोजन	शहर का नाम
1.	आनंद बाजार पत्रिका (ए.बी.पी.) पर्यटन मेला	कोलकाता
2.	एफ.आई.सी.सी.आई.	नई दिल्ली
3.	यात्रा और पर्यटन मेला (टी.टी.एफ.)	कोलकाता
4.	यात्रा एवं पर्यटन मेला (टी.टी.एफ.)	हैदराबाद
5.	भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.)	दिल्ली

क्र.सं.	आयोजन	शहर का नाम
6.	भारत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मार्ट (आई.आई.टी.एम.)	चेन्नई
7.	इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट (टी.टी.एफ.)	बैंगलोर
8.	यात्रा एवं पर्यटन मेला (टी.टी.एफ.)	अहमदाबाद
9.	यात्रा एवं पर्यटन मेला (टी.टी.एफ.)	सूरत
10.	महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मार्ट (आई.आई.टी.एम.)	मुंबई
11.	टी.टी.एफ.–ओ.टी.एम.	दिल्ली
12.	ए.पी. पर्यटन मार्ट	विजयवाड़ा
13.	यात्रा एवं पर्यटन प्रदर्शनी (हॉलिडे एक्स्पो)	विशाखापत्तनम
14.	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला	नई दिल्ली प्रगति मैदान
15.	यात्रा एवं पर्यटन बाजार (टी.टी.बी.)	शिलांग
16.	भारत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मार्ट (आई.आई.टी.एम.)	पुणे
17.	भारत इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट (आई.आई.टी.एम.)	हैदराबाद
18.	भारत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी (आई.आई.टी.ई.)	मदुरै
19.	यात्रा एवं पर्यटन मेला (टी.टी.एफ.)	चेन्नई
20.	यात्रा एवं पर्यटन मेला (टी.टी.एफ.)	बैंगलोर

क्र.सं.	आयोजन	शहर का नाम
21.	भारत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर्यटन प्रदर्शनी एन.डी.टी.वी. गुड टाइम्स	मुंबई
22.	यात्रा एवं पर्यटन बाजार (टी.टी.बी.)	रांची
23.	इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट (आई.आई.टी.एम.)	कोच्चि
24.	राष्ट्रीय केकिंग एंड कैनोइंग चैम्पियनशिप	कोवलम
25.	राष्ट्रीय केकिंग एंड कैनोइंग चैम्पियनशिप	भोपाल
26.	भारत यात्रा मार्ट (आई.टी.एम.)	नागपुर
27.	दक्षिण एशिया यात्रा और पर्यटन एक्सचेंज (सैटेई)	दिल्ली
28.	भारतीय टूर ऑपरेटर एसोसिएशन	
29.	इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट (आई.आई.टी.एम.)	कोलकाता
30.	गुजरात ट्रैवल मार्ट (जी.टी.एम.)	अहमदाबाद
31.	भारतीय यात्रा मार्ट (आई.टी.एम.)	गोवा
32.	पी.एच.डी. चैंबर ऑफ कॉमर्स	
33.	एसोचैम	
34.	ADTOI	
35.	सरकार की पूर्व अनुमोदन के साथ कोई अन्य भागीदारी।	

(ई) मेलों और त्योहारों का आयोजन

सांस्कृतिक पर्यटन का प्रचार भारतीय पर्यटन नीति का मुख्य स्थान रहा है और तदनुसार, हमारे देश की विशाल समृद्ध विरासत और दिल्ली को विशेष रूप से एक शहर के रूप में समय–समय पर प्रचारित किया गया है।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अलावा दिल्ली, एन.सी.टी. की अपनी आबादी 20 मिलियन से ज्यादा है। दिल्ली के नागरिक मनोरंजन और आनंद लेने के साथ दिल्ली पर्यटन द्वारा आयोजित मेले और त्यौहारों में भाग लेते हैं। निम्नलिखित त्योहारों का आयोजन किया गया है।

दिल्ली हाट, जनकपुरी

अक्टूबर, 2016 से मार्च, 2017

क्र.सं.	तिथि	सप्ताहांत संस्कृति कार्यक्रम द्वारा प्रदर्शन
1	2	3
1.	15/10/16	एस.के.पी. द्वारा
2.	16/10/16	एस.के.पी. द्वारा
3.	22/10/16	एस.के.पी. द्वारा
4.	23/10/16	एस.के.पी. द्वारा
5.	05/11/16	एस.के.पी. द्वारा

1	2	3
6.	06/11/16	एस.के.पी. द्वारा
7.	19/11/16	संगीत प्रदर्शन ड्वाश डांस अकादमी
8.	20/11/16	पंजाबी एकेडमी द्वारा
9.	21—23/11/16	दीप उत्सव
10.	26/11/16	एस.के.पी. द्वारा
11.	27/11/16	एस.के.पी. द्वारा
12.	03/12/16	संगीत बैंड प्रदर्शन कपिल एंड ग्रुप
13.	4/12/16	संगीत प्रदर्शन जसप्रीत सिंह
14.	10/12/16	एस.के.पी. द्वारा
15.	11/12/16	संगीत प्रदर्शन चंदरकला अकादमी द्वारा
16.	17/12/16	एस.के.पी. द्वारा
17.	18/12/16	एस.के.पी. द्वारा
18.	24/12/16	एस.के.पी. द्वारा
19.	23—25/12/16	क्रिस्मस उत्सव
20.	14/01/17	संगीत प्रदर्शन सप्तक
21.	15/01/17	संगीत प्रदर्शन साइरस नृत्य अकादमी

1	2	3
22.	21/01/17	संगीत प्रदर्शन प्रज्ञा संगठन
23.	22/01/17	संगीत परफॉर्मेंस–सद्भाव संगीत अकादमी
24.	26/01/17	संगीत परफॉर्मेंस–चंदरकला अकादमी+ साइरस+खुशी एन.जी.ओ.
25.	26–29/01/17	बागवानी महोदय
26.	28/01/17	रविंदर संगीत देबशीष दल और समूह
27.	29/01/17	संगीत प्रदर्शन रवींद्र देव
28.	04/02/17	संगीत प्रदर्शन पांडवास
29.	11/02/17	संगीत प्रदर्शन मौमाला नायक
30.	19/02/17	म्यूज़िकल परफॉर्मेंस कला कृति
31.	26/02/17	संगीत प्रदर्शन कल्पवृक्ष
32.	04/03/17	एस.के.पी.–सूफी
33.	05/03/17	एस.के.पी.–नटराज कम्पोजिट प्रोग्राम
34.	12/03/17	एस.के.पी.–होली संबंधित
35.	19/03/17	एस.के.पी.–प्राची कला संगम लोक
36.	23–25/06/17	शरबत मेला
37.	26–28/06/17	ग्रीष्म उत्सव
38.	30/06/17–02/07/17	आम महोत्सव
39.	22–25/07/17	तीज महोत्सव

दिल्ली हाट–आई.एन.ए. में सप्ताहांत सांस्कृतिक कार्यक्रम	
01/10/2016	टैंगो नृत्य
02/10/2016	पंजाबी अकादमी और एस.के.पी.
08/10/2016	एस.के.पी.
09/10/2016	एस.के.पी.
15/10/2016	उर्दू अकादमी
16/10/2016	हिंदी अकादमी
21/10/2016	आई.टी.बी.पी. द्वारा सूफी कव्वाली
22/10/2016	एस.के.पी.
23/10/2016	उर्दू अकादमी
28/10/2016	एन.ई. महोत्सव संस्था द्वारा रॉक बैंड
29/10/2016	एन.ई. महोत्सव संस्था द्वारा रॉक बैंड
05/11/2016	उर्दू प्रेस क्लब द्वारा मुशायरा
06/11/2016	एस.के.पी.
11/12/2016	एस.के.पी.
13/11/2016	एस.के.पी.
18/11/2016	उर्दू अकादमी
19/11/2016	एस.के.पी.

दिल्ली हाट–आई.एन.ए. में सप्ताहांत सांस्कृतिक कार्यक्रम	
20/11/2016	एस.के.पी.
25/11/2016 एवं 26/11/2016	एस.के.पी.
3 और 4 दिसम्बर	एस.के.पी.
10 और 11 दिसम्बर	एस.के.पी.
23–31 दिसम्बर	रॉक बैंड और सार्वजनिक प्रदर्शन
01/01/2017	रॉक बैंड और सार्वजनिक प्रदर्शन
7–8 जनवरी 2017	रॉक बैंड और सार्वजनिक प्रदर्शन
14 और 15 जनवरी	एस.के.पी.
21 जनवरी–2017	एस.के.पी.
22/01/2017	एस.के.पी. और लेह लद्दाख सांस्कृतिक कार्यक्रम
29/01/2017	एस.के.पी.
04/02/2017	डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा प्रायोजित हिंदी अकादमी द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम
05/02/2017	डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा प्रायोजित हिंदी अकादमी द्वारा प्रस्तुत कवि सम्मेलन
13/02/2017	तिब्बती महोत्सव
18/02/2017	एस.के.पी.

दिल्ली हाट–आई.एन.ए. में सप्ताहांत सांस्कृतिक कार्यक्रम	
19/02/2017	एस.के.पी.
23/02/2017	वियतनाम दूतावास
24/02/2017	एस.के.पी.
25/02/2017	डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा आयोजित हिंदी अकादमी द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम
26/02/2017	डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा आयोजित हिंदी अकादमी द्वारा प्रस्तुत कवि सम्मेलन
02/04/2017	एस.के.पी.
03/05/2017	एस.के.पी.
08/03/2017	डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा आयोजित लेह लद्दाख द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम
03/09/2017	एस.के.पी.
03/10/2017	एस.के.पी.
11/03/2017	डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा प्रायोजित सुश्री सुमन देवगन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम 'होली के रंग फूलों के संग'
12/03/2017	एस.के.पी.
18/03/2017	एस.के.पी.
19/03/2017	एस.के.पी.

दिल्ली हाट–आई.एन.ए. में सप्ताहांत सांस्कृतिक कार्यक्रम	
26/03/2017	एस.के.पी.
27/03/2017	एस.के.पी.
28/03/2017	एस.के.पी.
19/05/2017	एस.के.पी.
20/05/2017	एस.के.पी.
21/05/2017	उर्दू अकादमी
21/07/2017	एस.के.पी.
22/07/2017	एस.के.पी.
23/07/2017	हिंदी अकादमी
24/07/2017	राजस्थान पर्यटन
25/07/2017	राजस्थान पर्यटन
04/08/2017	एस.के.पी.
05/08/2017	डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा आयोजित सिक्किम सरकार के नेतृत्व में सुश्री मदुमिता बोस द्वारा गज़ल गायन
06/08/2017	एस.के.पी. एंड मैजिक शो
07/08/2017	एस.के.पी. एंड मैजिक शो

दिल्ली हाट, पीतमपुरा में सप्ताहांत सांस्कृतिक कार्यक्रम

क्र.सं.	तारीख	कार्यक्रम
1.	26/11/2016	संगीतमय प्रस्तुति (सब रंग)

दिसंबर, 2016

क्र.सं.	तारीख	कार्यक्रम
1.	03/12/2016	संगीतमय प्रस्तुति
2.	04/12/2016	संगीतमय प्रस्तुति
3.	10/12/2016	साहित्य कला परिषद
4.	11/12/2016	साहित्य कला परिषद
5.	17/12/2016	संगीतमय प्रस्तुति
6.	18/12/2016	संगीतमय प्रस्तुति
7.	24/12/2016	संगीतमय प्रस्तुति
8.	25/12/2016	साहित्य कला परिषद
9.	31/12/2016	संगीतमय प्रस्तुति

जनवरी, 2017

1.	01/01/2017	संगीतमय प्रस्तुति
2.	14/01/2017	साहित्य कला परिषद

क्र.सं.	तारीख	कार्यक्रम
3.	15/01/2017	संगीतमय प्रस्तुति
4.	21/01/2017	साहित्य कला परिषद
5.	22/01/2017	साहित्य कला परिषद
6.	28/01/2017	साहित्य कला परिषद
7.	29/01/2017	साहित्य कला परिषद

फरवरी, 2017

1.	04/02/2017	संगीतमय प्रस्तुति

हफ़्तावर कार्यक्रम

गॉर्डन ऑफ फॉइव सेंसेस

क्र.सं.	तारीख	कार्यक्रम
1.	27/11/2016	बैंड परफॉर्मेंस
2.	17—18/12/2016	मोमोज़ महोत्सव
3.	10/12/2016	जरूरतमंदों के लिए आवाज़ (हैम्ज़बज़)
4.	25/12/2016	क्रिस्मस (हफ्तावर)
5.	31/12/2016 से 01/01/2017	नव वर्ष की संध्या (हफ़्तावर)

क्र.सं.	तारीख	कार्यक्रम
6.	10—11 / 02 / 2017	बैटल ऑफ बैंड्स
7.	17—19 / 02 / 2017	गॉर्डन टूरिज़्म महोत्सव
8.	02—04 / 06 / 2017	ग्रीष्म महोत्सव

(च) ''एक भारत श्रेष्ठ भारत''

''एक भारत श्रेष्ठ'' की योजना में प्रत्येक विदेश की समृद्ध विरासत और संस्कृति, पर्यटन, धन, शैक्षिक विशिष्टताओं, कृषि परंपरागत प्रथाओं को बढ़ावा और प्रदर्शित करके हमारे देश के लोगों के बीच मौजूदा भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने की परिकल्पना की गई है। और भारत की विविधता की सराहना करते हुए आम पहचान की भावना को बढ़ावा देने के लिए। सिक्किम सरकार ने 5 अगस्त को खाद्य महोत्सव का आयोजन दिल्ली हाट, आई.एन.ए. में किया था। भारत के प्रमुख कार्यक्र 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का डी.टी.टी.डी.सी. ने दिल्ली हाट, आई.एन.ए. में आयोजन स्थल और अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं। सिक्किम सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा इसकी सराहना की गई थी, साथ ही इस आयोजन को व्यापक रूप से मीडिया द्वारा कवर भी किया गया था।

(छ) पर्यटकों को पर्यटन से संबंधित प्रचार सामग्री का वितरण

दिल्ली पर्यटन के ग्रुप टूर डिविज़न द्वारा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को दिल्ली और अन्य प्रदेशों में टूर की सुविधा प्रदान की गई हैं। दिल्ली में तकरीबन 15 लाख विद्यार्थियों की आबादी वाले कम—से—कम

110 स्कूल्स हैं। यह सभी टूर डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा अधिकृत टेर ऑपरेटर्स द्वारा प्रदान किए गए थे। दिल्ली शहर के पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली पर्यटन अपना हो–हो बस सर्विस एवं अन्य गतिविधियों द्वारा समय–समय पर साईकिल टूर और हेरिटेज वॉक, इत्यादि जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है।

कलाम मेमोरियल

डॉ. ए.पी.जे. कलाम की अद्भुत उपलब्धियों को दिल्लीवासियों के दिल में जीवंत रखने के लिए दिल्ली सरकार के नेतृत्व में दिल्ली हाट, आई. एन.ए. के प्रांगण में डॉ. कलाम की याद में डी.टी.टी.डी.सी. के द्वारा एक मेमोरियल तैयार किया गया है।

यह मेमोरियल डॉ. कलाम के जीवन से जुड़े तथ्यों की वृहद जानकारी देता है। साथ ही मेमोरियल में ऑडियो और वीडियो प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दी जाने वाली रोचक जानकारियां यहां आने वाले आंगतुक और खासकर बच्चों को भी अपने जीवन में एक अलग मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित करती हैं।

सॉफ्ट एडवेंचर क्रियाकलाप

संजय झील पर सॉफ़्ट एडवेंचर क्रियाकलाप चल रहे हैं और साथ ही गॉर्डन ऑफ़ फॉइव सेंसेज़ में निविदा प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

295. श्री जरनैल सिंह : क्या **चुनाव मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुरूद्वारा चुनाव व प्रशासन की नवीनतम मतदाता व प्रशासन सूची में कुल कितने मतदाता रजिस्टर्ड हैं;

(ख) पिछले चुनाव में कुल कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है;

(ग) इस चुनाव में उम्मीदवार के लिए क्या पात्रता निर्धारित है;

(घ) चुनाव चिन्ह किस आधार पर जारी किया जाता है;

(ङ) पिछले चुनाव में किस किस को चुनाव चिन्ह जारी किया गया व किस आधार पर, पूर्ण विवरण दे?

चुनाव मंत्री : (क) गुरूद्वारा चुनाव निदेशालय की नवीनतम मतदाता सूची में 383561 मतदाता रजिस्टर्ड है।

(ख) पिछले चुनाव में 45.68 प्रतिशत वोटिंग हुई है।

(ग) इस चुनाव में उम्मीदवार के लिए दिल्ली सिख गुरूद्वारा अधिनियम 1971 की धारा 10(1) के अन्तर्गत उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित है। (संलग्न है)

(घ) चुनाव चिन्ह दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (सदस्यों के चुनाव) नियम, 1974 के नियम 14 के अनुसार जारी किए जाते हैं।

(ङ) चुनाव चिन्ह दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (सदस्यों के चुनाव) नियम, 1974 के नियम 14(1) के अनुसार जारी किए गये हैं और पिछले चुनाव में चुनाव चिन्ह निम्नानुसार जारी किए गये हैं। (संलग्न है)

दिल्ली सिख गुरूद्वारा अधिनियम, 1971

(हिन्दी रूपान्तरण)

धारा 10. (1) कोई व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में चुनने या सहयोगित होने के योग्य नहीं होगा, यदि उसने–

(1) 25 वर्ष का नहीं है।

(2) भारत का नागरिक नहीं है।

(3) चयनित सदस्य की स्थिति में, यदि वह किसी वार्ड के लिये मतदाता सूची में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है।

(4) अमृतधारी सिख नहीं है।

(5) अमृतधारी सिख होने के नाते अपने दाढ़ी और केश बनाता है।

(6) शराब का सेवन करता है।

(7) ध्रूम्रपान करता है।

(8) पतित है।

(9) विक्षिप्त दिमाग तथा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित।

(10) घोषित दिवालिया।

(11) नैतिक अधमता के अपराध का सिद्ध दोषी है या नैतिक अधमता के कारण सरकार, बोर्ड, समिति या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बर्खास्त किया गया है।

(12) किसी गुरूद्वारा या किसी स्थानीय गुरूद्वारा का वेतनभोगी कर्मचारी है।

(13) नेत्रहीन न होते हुए भी जो व्यक्ति गुरूमुखी पढ़ और लिख नहीं सकता।

Delhi Sikh Gurudwara Management Committee (Election of Members) Rules, 1974

PART IV

Delhi Gazette Extraordinary

Provided that no election shall be held to fill a casual vacancy occuring within four months prior to holding of the general election under sub-rule (1).

12. Appointment of dates for nominations etc.—As soon as the notification calling upon a ward to elect a member or members is issued under rule 11 the Director shall by notification in the Delhi Gazette appoint—

   (a) the last date for making nominations, which shall be the seventh day after the date of publication of the first mentioned notification or, if that day is public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

   (b) the date for the scrutiny of nominations, which shall be the day immediately following the last date for making nominations or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

   (c) the last date for the withdrawal of candidatures, which shall be the second day after the date for the scrutiny of nominations or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

(d) the date or dates on which a poll shall, if necessary be taken, which or the first of which shall be a date not earlier than the fourteenth day after the last date for the withdrawal of candidatures; and

(e) the date before which the election shall be completed.

13. Public notice of election.-On the issue of a notification under rule 12, the returning officer for the ward shall give public notice of the intended election in Form-I inviting nominations of candidates for such election and specifying the place at which the nomination papers are to be delivered which shall subject to any directions of the Director, be published in such manner as the Returning Officer thinks fit.

14. Symbols.-(l) The Director shall, by notification in the Delhi Gazette specify the reserved symbols to be allotted to the recognized religious parties recognised under sub-rule (3) and the free symbols to be allotted to other candidates who are not set up by any recognised religious party at elections aud the conditions for allotment of Symbols.

(2) Where at any such elections, more nomination papers than one are delivered by or on behalf of a candidate, the declaration as to symbols, made in the nomination paper first delivered and in case of rejection of that, the choice given in the subsequent nomination paper will be considered.

(3) The Director may, by notification in the Delhi Gazette, recognize the religious parties fulfilling the conditions for allotment of reserved symbols to be allotted to a candidate at election, set up by the said religious parties, subject to the following coqditions. namely :-

(a) the religious party should be a registered society under the Societies Registration Act, 1860 at least one year before the date of expiry of the term of the Delhi Sikh Gurdwaras Management Committee;

(b) at least five members of the religious party should have contested general election of the members of the Delhi Sikh Gurdwaras Management Committee from separate wards;

(c) the religious party should have intimated the details of the office bearers every year in the month of January and within one month from the date of elections of the Committee of the said religious party, to the Director; and

(d) for recognition of a new religious party, the party should be registered under the Societies Registration Act, 1860 and have at least two elected members of the Delhi Sikh Gurdwaras Management Committee as its members;

(4) The Director may derecognize any recognised religious party, if-

(a) it failed to setup candidates from at least five wards in the

last general elections for the Delhi Sikh Gurdwaras Management Committee; and

(b) the total valid votes polled in all wards in the last general election of members of the Delhi Sikh Gurdwaras Management Committee in favour of its candidates has been less than six percent of the total valid votes polled in Such eeections :

Provided that before taking action under this sub-role, the Director shall afford a reasonable opportunity to the recognised religious party.

15. Nomination of candidates for eleetion. Any person may be nominated as a candidate for election to fill a seat if he is qualified to be chosen to fill that seat under the provisions of the Act.

16. Presentation or nomination paper and requirements for a valid nomination.-(1) On or before the date appointed under clause (a) of rule 12, each candidate shall either in person or by his proposer, between the hours of eleven O'clock in the forenoon and three O'clock in the afternoon deliver to the returning officer at the place specified in this behalf in the notice issued under rule 13, a nominatlon paper completed in Form 2 and subscribed by the candidate himself as assenting to the nomination and signed by an elector of the ward as proposer.

Provided that a failure to complete or a defect in completing the declaration as to symbols in a nomination paper shall not

be deemed to be a defect of a substantial character within the meaning of sub-rule (4) of role 19:

Provided further that no nomination papers shall be delivered to the Returning Officer on a day, which is a public holiday.

(2) On the presentation of a nomination paper, the Returning Officer shall satisfy himself that the names and electoral roll numbers of the candidate and his proposer as entered in the nomination paper are the same as those entered in the electoral roll :

Provided. that no misnomer or inaccurate description or clerical, technical or printing error in regard to the name of the candidate or his proposer or any other person, or in regard to any place mentioned in the electoral roll or the nomination paper and no clerical, technical or printing error in regard to the electoral roll numbers of any such person in the electoral roll or the nomination paper, shall affect the full operation of the electoral roll or the nomination paper with respect. to such person or place in any case where the description in regard to the name of the person or place is such as to be commonly understood and the Returning Officer shall permit any such misnomer or inaccurate description or clerical, technical or printing error to be corrected and where necessary, direct that any such misnomer, inaccurate description or clerical, technical or printing error in the electoral roll or in the nomination paper shall be over-looked.

दिल्ली गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (सदस्यों का चुनाव) नियम, 1974

(हिन्दी रूपान्तरण)

धारा 14. (1) निदेशक, दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उप–नियम (3) के अन्तर्गत मान्य, मान्यता प्राप्त धार्मिक दलों को आरक्षित चिन्ह आवंटित करने तथा चुनाव तथा चिन्ह के आवंटन हेतु शर्तों पर किसी मान्यता प्राप्त धार्मिक दल द्वारा गठित नहीं किये गये अन्य उम्मीदवारों को अनारक्षित चिन्ह आवंटित करने को निर्दिष्ट करेगा।

दिल्ली राजपत्र के भाग 4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
गुरूद्वारा चुनाव निदेशालय
एफ ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002
दिनांक 31 जनवरी, 2017

सं. एफ.1/140/2012/गु.चु.नि./284 यद्यपि, दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति (सदस्यों का निर्वाचन) नियम 1974 के नियम 3 के अंतर्गत दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देश एवं नियंत्रण दिल्ली सिख गुरूद्वारा निदेशालय के अंतर्गत है;

एवं, यद्यपि यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, में दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव हेतु मान्यता प्राप्त दलों द्वारा नामांकित उम्मीदवारों ओर स्वतंत्र उम्मीदवारों को उनकी पसंद के चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाये।

अतः दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति (सदस्यों का निर्वाचन) नियम 1974 के नियम 14, में संशोधित दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ. 1/62गु.चु.नि./2008(2)/1695 दिनांक 28.07.2010, द्वारा यथा संशोधित एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक, गुरूद्वारा चुनाव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं :—

1. संक्षिप्त शीर्षक, आवेदन एवं आरम्भ

यह आदेश दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 2017 कहा जायेगा।

यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. धार्मिक दलों की मान्यता :

अधिसूचना सं. (i) एफ.1(27)/98—गु.चु.नि. दिनांक 08.10.1999, एफ.1/40/2012/गु.चु.नि./276 दिनांक 31.01.2017 एवं एफ. 1/140/2012/गु.चु.नि./283 दिनांक 31.01.2017 के अंतर्गत प्राप्त धार्मिक दलों द्वारा मनोनीत उम्मीदवारों को निम्नलिखित आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित किये जाते हैं :

क्र.सं.	मान्यता प्राप्त धार्मिक दल का नाम	आरक्षित आवंटित चिन्ह
1	2	3
1.	शिरोमणी अकाली दल	बाल्टी
2.	शिरोममणी अकाली दल दिल्ली	कार

1	2	3
3.	अकाल सहाय वेलफेयर सोसाइटी	मोमबत्ती
4.	पथक सेवा दल	ट्रेक्टर चलाता किसान
5.	अमा अकाली दल	ब्लैक बोर्ड

3. अन्य (स्वतंत्र) उम्मीदवारों द्वारा चुने जाने योग्य मुक्त चिन्हों की सूची निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	चिन्ह का नाम
1.	अलमारी
2.	कुल्हाड़ी
3.	गेंद
4.	केला
5.	चूडियाँ
6.	टोकरी
7.	बल्ला
8.	ईंट
9.	ब्रश
10.	कैमरा

क्र.सं.	चिन्ह का नाम
11.	छत का पंखा
12.	कप और प्लेट
13.	डीजल पम्प
14.	बांसुरी
15.	शाखाओं पर पत्तियों सहित फूल
16.	गैस सिलेण्डर
17.	हैण्ड पम्प
18.	ताला और चाबी
19.	प्रेशर कुकर
20.	टेबल
21.	टेबल लैंप
22.	टेलीविज़न
23.	सीटी
24.	किताब

4. चिन्हों का आवंटन –

इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार किसी एक वार्ड के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्येक उम्मीदवार को एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जायेगा जो उसी वार्ड से चुनाव लड़ रहे अन्य उम्मीदवारों से भिन्न होगा।

5. चिन्हों का वर्गीकरण –

(1) इस आदेश का उद्देश्य आरक्षित या स्वतंत्र चुनाव चिन्हों से है।

(2) एक आरक्षित चुनाव चिन्ह वह है जोकि एक मान्यता प्राप्त धार्मिक दल के लिये आरक्षित है जोकि उस दल द्वारा मनोनीत उम्मीदवारों को ही केवल दिया जायेगा, अन्यथा इस आदेश में अन्य प्रावधान किया गया हो।

(3) एक मुक्त चिन्ह आरक्षित चिन्ह से भिन्न अन्य चिन्ह है।

6. मान्यता प्राप्त धार्मिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा चिन्हों का चयन एवं आवंटित किया जाना–एक मान्यता प्राप्त धार्मिक दल के मनोनीत उम्मीदवार द्वारा दिल्ली के किसी भी गुरूद्वारा वार्ड से चुनाव हेतु चुनाव चिन्ह का चयन किया जाएगा और आवंटन किया जाएगा, जो कि उस दल के लिए आरक्षित है, न कि अन्य चुनाव चिन्ह।

7. अन्य उम्मीदवार द्वारा चुनाव चिन्हों को आवंटन

(i) एक उम्मीदवार को गुरूद्वारा वार्ड के किसी भी चुनाव में, मान्यता प्राप्त धार्मिक दलों द्वारा मनोनीत उम्मीदवारों से अलग, मुक्त चुनाव चिन्हों में से एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जायेगा।

(ii) जहां पर चुनाव में केवल एक उम्मीदवार द्वारा ही किसी स्वतंत्र चिन्ह का चयन किया गया है, वहाँ निर्वाचन अधिकारी द्वारा वह चुनाव चिन्ह उस उम्मीदवार को आवंटित किया जायेगा न कि किसी अन्य को।

(iii) जहां पर उसी स्वतंत्र चुनाव चिन्ह का चयन कई उम्मीदवारों द्वारा किया जाएगा, वहां निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस चुनाव चिन्ह का

चयन स्वतंत्र उम्मीदवारों को देने हेतु लाटरी द्वारा किया जायेगा तथा जिसकी लाटरी निकलेगी वह स्वतंत्र चुनाव चिन्ह उस उम्मीदवार को आवंटित किया जायेगा न कि किसी अन्य को।

8. जब एक उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त दल द्वारा स्थापित माना जाएगा–

किसी गुरूद्वारा वार्ड के चुनाव हेतु जिस पर यह आदेश मान्य है, कोई उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त धार्मिक दल द्वारा स्थापित केवल तभी माना जाएगा, यदि केवल;

(क) उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र में इस आशय की घोषणा की है;

(ख) मान्यता प्राप्त धार्मिक दल द्वारा वार्ड के निर्वाचन अधिकारी को नामांकन भरने की अंतिम तिथि के 3.00 बजे सायंकाल से पहले इस आशय के लिखित में सूचना फार्म 'ब' में दे दी गई हों;

(ग) उपरोक्त नोटिस फार्म 'ब' पर दल के अध्यक्ष, सचिव या अन्य कोई कार्यकारी सदस्य के हस्ताक्षर किये हो तथा अध्यक्ष, सचिव या अन्य कोई कार्यकारी सदस्य को यह नोटिस भेजने के लिए पार्टी ने अधिकृत किया हो;

(घ) उपरोक्त अधिकृत व्यक्ति का नाम हस्ताक्षर नमूना फार्म 'अ' में पार्टी द्वारा संबंधित गुरूद्वारा वार्ड के निर्वाचन अधिकारी तथा निदेशक, गुरूद्वारा चुनाव को नामांकन भरने की अंतिम तिथि के 3.00 बजे सांयकाल से पहले भेज दिया गया हो;

(ङ) फार्म 'अ' व 'ब' पर दल के कार्यकारी सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर केवल स्याही से किया गया हो। बशर्ते, उस कार्यकारी सदस्य या अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक हस्ताक्षर या रबड़ मुहर द्वारा किये गए हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे तथा फैक्स द्वारा भेजे गए फार्म भी मान्य नहीं होंगे।

296. श्री सोमनाथ भारती : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार तथा इससे ठीक पहले की दो सरकारों के कार्यकाल में कितनी नई कोर्टस स्थापित की गई;

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय तथा इसके अधीनस्थ न्यायालयों में 28/07/2017 कितने मामले लम्बित हैं, प्रत्येक कोर्ट अनुसार विवरण दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या में कमी लाने हेतु सरकार द्वारा कोई अध्ययन करवाया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की कापी तथा लम्बित मामलों की संख्या में कमी लाने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण;

(ङ) न्याय प्रक्रिया को परिपूर्ण बनाने हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना एवं मानव शक्ति की क्या कोई चैकलिस्ट है; यदि हां, तो दिल्ली में कार्यरत प्रत्येक न्यायालय में इसके अनुपालन का विवरण प्रदान करें;

(च) क्या दिल्ली के न्यायालयों की कार्यवाही की ऑडियो, विजुअल रिकार्डिंग सुनिश्चित करने की सरकार की कोई योजना है, यदि हां, तो कब तक;

(छ) पिछले दो वर्ष से लंबित थाना लेवल कमेटियों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(ज) वर्तमान और इससे ठीक पहले के ऐसे पार्षद/विधायक/सांसद के नाम जिनके खिलाफ कोर्ट केस लम्बित हैं उनके केस नाम एफ.आई. आर. नम्बर केस दर्ज करने की तिथि कोर्ट का नाम जिसमें केस दर्ज हैं सहित पूर्ण विवरण दें;

(झ) क्या यह सत्य है कि थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गए जिसमें फ्रंट डैस्क एस.एच.ओ. रूम, लॉक–अप, इन्वेस्टीगेशन व पब्लिक स्पेस पर निगरानी की जा सके;

(य) यदि हां, तो आवश्यक होने पर कितने के डाटा को पब्लिक एक्सेस हेतु स्टोर किया जा सकता है;

(ट) न्याय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स के कार्यालय को इक्विप करने हेतु पिछली सरकार के कार्यकाल में यरू की गयी कवायद की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ठ) अमृतभई सम्भू भाई पटेल बनाम सुमनभाई कांतिभाई पटेल (क्रिमिनल अपील नं. 1171 ऑफ 2016) में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध क्या सरकार द्वारा अपील की गई है;

(व) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री : (क) यह विषय विधि विभाग से संबंधित है और विधि विभाग इन प्रश्न के उत्तर का संकलन कर रहा है। विधि विभाग इनका जल्द ही संकलन करके सदन को सूचित करेगा

(ख) यह विषय विधि विभाग से संबंधित है और विधि विभाग इन प्रश्न के उत्तर का संकलन कर रहा है। विधि विभाग इनका जल्द ही संकलन करके सदन को सूचित करेगा।

(ग) यह विषय विधि विभाग से संबंधित है और विधि विभाग इन प्रश्न के उत्तर का संकलन कर रहा है। विधि विभाग इनका जल्द ही संकलन करके सदन को सूचित करेगा।

(घ) यह विषय विधि विभाग से संबंधित है और विधि विभाग इन प्रश्न के उत्तर का संकलन कर रहा है। विधि विभाग इनका जल्द ही संकलन करके सदन को सूचित करेगा।

(ङ) यह विषय विधि विभाग से संबंधित है और विधि विभाग इन प्रश्न के उत्तर का संकलन कर रहा है। विधि विभाग इनका जल्द ही संकलन करके सदन को सूचित करेगा।

(च) यह विषय विधि विभाग से संबंधित है और विधि विभाग इन प्रश्न के उत्तर का संकलन कर रहा है। विधि विभाग इनका जल्द ही संकलन करके सदन को सूचित करेगा।

(छ) माननीय उपराज्यपाल महोदय ने थाना स्तरीय समिति बनाने की अनुमति नहीं दी। सरकार थाना स्तरीय समिति बनाने के लिए माननीय उपराज्यपाल महोदय के पास दुबारा प्रस्ताव भेजेगी।

(ज) अपेक्षित सूची प्रत्येक कोर्ट प्रॉसिक्यूटर्स से मंगवायी गई है। अपेक्षित सूचना तैयार की जा रही है और जल्द ही सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। कुछ सूची जो एकत्र हो पाई है सदन के समक्ष रखी जा रही है। **(संलग्न–1)**

(झ) वर्ष 2003–2004 में 91 पुलिस स्टेशनों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाएं गए थे, जिनमें रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है। अब ये सी.सी.टी.वी. कैमरे काल अवधि के कारण अप्रचलित हो गए और मरम्मत की स्थिति में नहीं है। ये कैमरे रिपोर्टिंग/डी.ओ. रूम, लॉक–अप, मालखाना और आई. ओ. रूम में लगे हुए हैं।

(य) दिल्ली पुलिस के 10 थानों में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत सी.सी. टी.वी. कैमरे डी.जी.एस. एंड डी. के द्वारा लगवाए गए हैं। जिनमें 45 दिन के लिए पब्लिक एक्सेस के लिए डाटा स्टोर हो सकता है।

(ट) सभी विभागीय प्रॉसिक्यूटर्स को लैपटॉप, डांगल, मनुपात्र सॉफ्टवेयर इत्यादि मोहैया करा दिया गया है।

(ठ) विधि विभाग इन प्रश्नों के उत्तर सदन को सूचित करेगा।

(व) विधि विभाग इन प्रश्नों के उत्तर सदन को सूचित करेगा।

संलग्न–1

Sl.No.	FIR No. & PS	Against	Under section
1.	295/13, PS DBG Road	Sh. Vishis Ravi	3(1) DP Act
2.	828/14, PS South Rohini	Ms. Rakhi Birla, MLA	186/353/356/34 IPC
3.	830/14, PS South Rohini	Ms. Rakhi Birla, MLA	323/160/34 IPC, 3(X) SC/ST Act
4.	388/13, PS Maurya Enclave	Smt. Vandana, MLA	3 DP Act

Sl.No.	FIR No. & PS	Against	Under section
5.	150/05, PS Keshav Puram	Sh. Ashwani Kumar, MP	447/1861PC
6.	290/13, PS Paschim Vihar	Sh. Satender Jain, MLA	3 DP Act
7.	286/13, PS Paschim Vihar	Sh. Satender Jain, MLA	3 DP Act
8.	170/14, PS Janakpuri	Sh. Jarnail Singh, MLA	3 DP Act
9.	238/14, PS Tilak Nagar	Sh. Jarnail Singh, MLA	3 DP Act
10.	173/14, PS Tilak Nagar	Sh. Jarnail Singh, MLA	3 DP Act
1l.	189/14, PS Rajouri Garden	Sh. Jarnail Singh, MLA	3 DP Act
12.	408/08, PS Uttam Nagar	Sh. Mukesh Sharma, Ex-MLA	2831PC
13.	553/08, PS Uttam Nagar	Sh. Mukesh Sharma, Ex-MLA	32/113 DP Act
14.	284/14, PS Sangam Vihar	Sh. Prakash Sehrawat, MLA	186/353/332/506/ 34 IPC
15.	174/04, PS New Usmanpur	Sh. Bheesham Sharma, Ex-MLA	186/353/332 IPC
16.	289/13, PS Sonia Vihar	Sh. Kapil Mishra	188 IPC
17.	293/13, PS Sonia Vihar	Sh. Kapil Mishra	188 IPC
18.	559/13, Khajuri Khas	Sh. Kapil Mishra	3 DP Act I

Sl.No.	FIR No. & PS	Against	Under section
19.	517/13, PS Mandawali	Sh. Manish Sisodiya, MLA	3 DP Act
20.	71/12, PS T. Road	Sh. Manish Sisodiya, MLA	147/148/149/151/ 152/188 IPC
21.	72/12, P5 T. Road	Sh. Arvind Kejriwal, MLA	147/148/149/151/ 152/353 IPC
22.	73/12, PS T. Road	Sh. Arvind Kejriwal, MLA IPC	147/148/149/151/ 152/188/353
23.	111/12, PS T. Road	Sh. Manish Sisodiya, MLA, Kumar Vishwas & Ors.	188/341/34 IPC
24.	130/12, PS Parliament	Sh. Arvind Kejriwal, Street & Ors.	147/148/186 IPC
25.	131/12, PS Parliament Street	Sh. Arvind Kejriwal, MLA	186/353/34 IPC
26.	44/13 PS T. Road	Sh. Vijay Goel, MP	188 IPC
27.	52/13 PS T. Road	Sh. Anurag Thakur, MP	188 IPC
28.	56/13 PS T. Road	Sh. Vijay Goel, MP	188 IPC
29.	86/13 PS T. Road	Sh. Vijay Goel, MP	147/148/148/186/ 332/34 IPC

Sl.No.	FIR No. & PS	Against	Under section
30.	35/11 PS Connaught Place	Sh. Parvesh Verma, MP & Vijender Gupta, MLA	147/148/148/186/ 332/34 IPC
31.	66/08, PS Mandir Marg	Dr. Harsh Vardhan, MP & Sh. Jagdish Mukhi, Ex-MLA	147/332/323/34 IPC
32.	189/06 PS Parliament Street	Sh. Ramesh Vidhuri, MP	147/149/186/332/ 353 IPC
33.	23/15 PS Parliament Street	Sh. Arvind Kejriwal, MLA	147/332/353 IPC
34.	236/15 PS Burari	Sanjeev Jha, MLA & Sh. Akhilesh Tripathi, MLA	147/148/149/186/ 325/332/353 /427/506/34 IPC

सूचना सितम्बर 2015 तक की है।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

अध्यक्ष महोदय : 280 श्री अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्त : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, लाजपत नगर में भी तीन सफाई कर्मचारियों की मौत हुई और मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री साहब ने इमीडिएट एक्शन लिया और वहां जाकर उन परिवारों से मिले जिनके साथ ये दुर्घटना घटी और उनको दस लाख रुपये का मुआवजा और नौकरी

देने की बात कही और उनके साथ सहानुभूति की लेकिन मैं आपके संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूं कि उससे पहले भी सीवर में जाने के बाद कई सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है और ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि मैं एस.सी. कमेटी का चेयरमैन हूं विधानसभा का...

अध्यक्ष महोदय : अजय दत्त जी, आपका लिखा हुआ कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे हैं।

श्री अजय दत्त : सर, मैंने दिये थे चार।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं ऐसे नहीं चलेगा।

श्री अजय दत्त : मेरे पास तो आये नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास जो आया, मैं उसको ले रहा हूं, उसी को पढ़िये आप।

श्री अजय दत्त : कौन सा आया बताइये, मैं सिर्फ दो मिनट में।

अध्यक्ष महोदय : मेरी विधानसभा बिल्कुल...

...(व्यवधान)

श्री अजय दत्त : मैंने चार दिये थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आज इस घटना को पांच दिन हो गये, उस ठेकेदार को पुलिस ने नहीं पकड़ा और ये जलबोर्ड के सी.ई.ओ. की जिम्मेदारी थी, जल बोर्ड के ड्रेनेज के मैम्बर की जिम्मेदारी थी। उस ठेकेदार को क्यों नहीं पकड़ा गया? क्यों दलितों पर, सफाई कर्मचारियों पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे मुद्दे मेरे सामने आये हैं

कि गैस से लोग बीमार हैं। जिनकी आतें खराब हो गई, जिनके लीवर खराब हो गये।

अध्यक्ष महोदय : अजय दत्त जी, इस पर चर्चा हो चुकी है, पूरी चर्चा इस पर हो चुकी है। अब बैठिये प्लीज बैठिये।

श्री अजय दत्त : नहीं सर, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। एक मिनट दे दीजिए मैंने सवाल लगाया था, वो आया नहीं?

अध्यक्ष महोदय : अजय दत्त जी, एक मिट का ही है। पर ऐसे नहीं चल पायेगा। नहीं, आप बैठ जाइए अब।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अजय दत्त जी, बैठ जाइए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बैठ जाइए, अजय जी। आप बैठिये प्लीज बैठिये। नहीं, ये तरीका नहीं है। ऐसे तो सदन चलाना ही मुश्किल होगा। कल कोई 280 लिखेगा कुछ और देगा कुछ और। आपको जब जानकारी नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा? आपका मुद्दा है; जगह जगह रोड पर फुटपाथ सरकारी जगह पर भारी मात्रा में अतिक्रमण मेरी विधान सभा में।

श्री अजय दत्त : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इसको पूरा कर लेता हूं। मेरे पास मैंने एम.सी.डी....

अध्यक्ष महोदय : आपने बड़ी चालाकी से काम लिया है, लगता है मुझे। वो भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ना चाह रहे हो।

श्री अजय दत्त : चार दिये थे, ठीक है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ठीक नहीं है, अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्त : देखिये, सर मेरे पास आये थे। आज अगर ढाई साल हो गये सरकार में और हम काम कर रहे हैं मेहनत से, लेकिन मेरे क्षेत्र में एक बहुत गंभीर समस्या दिन पर दिन आती जा रही है। वहां के सारे फुटपाथों को इंक्रोच कर लिया गया है। वहां पर पार्कों को इंक्रोच किया गया है। मैंने लिखकर, बोलकर कई बार साउथ एम.सी.डी. के डी.सी. से मुलाकात की, कमिश्नर से कई बार बात की, उनको एस.एम. एस. भेजे, उनसे मुलाकात की, लेकिन वो इंक्रोचमेंट हट नहीं रहे और डी.सी. ने तो मुझे साफ साफ कहा कि ये इंक्रोचमेंट बी.जे.पी. के किसी बड़े नेता का है और ये हट नहीं सकता। ये हट नहीं सकता। मैं और हमारा वहां से नवनिर्वाचित एक पार्षद है, उन्होंने भी कई बार मीटिंग करी और वे कह रहे हैं कि वो हट नहीं सकता। अब तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में बी.जे.पी. के नेताओं की आड़ में एम.सी.डी. पूरी दिल्ली को कूड़ाघर बना देगी, क्या लोगों को चलने की जगह नहीं मिलेगी? क्या उनको वहां पर आराम से महिलाओं को रास्ता क्रॉस करने की जगह नहीं मिलेगी या सारा दिल्ली को जाम करा देंगे? तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि इंक्रोचमेंट से जो स्कूलों के साथ वाली दीवारों पर हो रही हैं, इंक्रोचमेंट, जो फुटपाथ और रोड के ऊपर हो गये हैं, उनको कौन हटायेगा? यह किसी जिम्मेदारी है? एम.सी.डी. इसपे काम क्यों नहीं कर रही है? तो मैं आपके माध्यम से यह दरख्वास्त करता हूं कि आप एम.सी.डी. के कमिश्नर को तलब करें और उसको पूछें कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों दिल्ली को और मेरे अम्बेडकर नगर को गंदा बनाने की साजिश चल रही है? वह कौन से बी.जे.पी. के नेता हैं, जिनके इशारे पर ये काम चल रहा है? तो मैं आपसे सिफारिश करता हूं कि इसको संज्ञान में लें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सुखवीर सिंह दलाल जी।

श्री सुखवीर सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली विधान सभा के माध्यम से विकलांग प्रमाण पत्र और पेंशन की ओर थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में हमारे बहुत से भाई बहन हैं, जो आज तक विकलांग पेंशन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

अध्यक्ष जी, इसका कारण उनके पाास विकलांगता का सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है। अध्यक्ष जी, काफी दिव्यांग ऐसे हैं, जो चल फिर सकते हैं लेकिन उनको कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं। लेकिन कई ऐसे भी हैं, जो चल फिर भी नहीं सकते और वो अस्पताल तक पहुंच भी नहीं पाते तो मैं इसी चीज से अस्पताल के चक्कर कई जाते हैं, चक्कर काट काट कर थक कर बैठ जाते हैं, उनको न तो प्रमाण पत्र मिलता है और अस्पताल से लौटके बैरंग लौट आते हैं और अपने घर बैठ जाते हैं। उनको पेंशन का भी लाभ नहीं होता है। वो मेरे आफिस आते हैं। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि भई ऐसे विक्लांगों के लिए या तो ऑन लाईन कर दिया जाये, जिसको सिर्फ हॉस्पिटल में एक बार ही जाना पड़े बोर्ड के सामने और उनका प्रमाण पत्रा बन जाये, जिससे कि हम आगे से उनकी पेंशन वगैरह की क्योंकि उसके बिना तो हम बना नहीं सकते विक्लांगता सर्टिफिकेट लेकिन बहुत से ऐसे भी विक्लांग हैं, जिनके दोनों हाथ पैर कटे हुए हैं, और उनका आधार कार्ड भी नहीं बन पाता। वो मैं राजेन्द्रपाल गौतम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे विक्लांगों को आधार कार्ड से न जुड़वाया जाये। आज पेंशन के मेरे विधान में भी चार पांच केस ऐसे हैं, जिनके आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। या तो वहां कुछ अंधे हैं या तो उनके दोनों हाथ कटे हुए, तो इस वजह से उनकी पेंशन रुकी हुई हैं पिछले दो साल से। तो मैं गुजारिश करूंगा कि भई, उन दिव्यांगों को ऐसा वो किया जाये, जिससे उनको पूरा विक्लांगता का फायदा उठे और पेंशन उनको मिल सके, यही मेरा रिक्वेस्ट है।

दूसरा, पेंशन के मामले में यही है कि हमें एक ऐसा पासवर्ड दिया जाये, जिससे कि हमें अपने आफिस से ये पता चला सकें कि इस आदमी की पेंशन किस कारण से रुकी हुई हैं। अब बहुत ऐसे आदमी अनपढ़ हैं, जो दिल्ली गेट तक भी नहीं आ पाते, मेरी विधान सभा में रोहिणी तक भी नहीं जा पाते और वो जाते भी हैं तो धक्के खाके वापस आ जाते हैं और वो फिर दोबारा आते हैं कि हमारी पेंशन तीन महीने से रुकी हुई है। अगर मंत्री जी, ये पहले प्रावधान था। अगर हम अपने आफिस में बैठे बैठे हमें पता लग जाता था कि भई, इस आदमी की पेंशन किस कारण से रुकी है। वैरीफिकेशन से रुकी है या इसका डबल मिल रही थी, लेकिन आज कल वो आधार कार्ड लिंक हटाने, पासवर्ड हटाने से यह बहुत दिक्कत आयी है। इसकी मैं गुजारिश करूंगा कि सिर्फ पूरी दिल्ली का ही मामला है, मेरे अकेला का नहीं, इससे पेंशन वालों को बहुत फायदा होगा, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अल्का लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान अपनी विधान सभा में बिजली की तारों के जाल की ओर दिलाना चाहती हूं। चांदनी चौक में अगर आप जायेंगे और जामा मस्जिद वार्ड में आप देखेंगे तोबिजली के तारों के जाल आपको मिलेंगे। उससे होता क्या है कि अगर आप चांदनी चौक जायें तो इलेक्ट्रिोनिक मॉर्केट भागीरथ पैलेस, लाजपत राय मार्केट अपने आप में वहां पर अभी इसी गर्मियों में बहुत भयानक आग लगी खुली तारों की वजह से। पेपर मार्केट वहां पर है, कैमिकल मार्केट वहां है, कपड़ा मार्केट वहां पर है और आये दिन, आपने अभी हाल में देखा एक बहुत भयानक आग इसीलिए लगी कि तारें खुली हुई हैं, सर्किट की वजह से सब लोग और संकीर्ण गलियों में फॉयर ब्रिगेड के पहुंचना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।

अध्यक्ष जी, अब भी हमने इसका संपर्क किया कोशिश की, जैसे कि मेरे पास सिविल लाइन वार्ड भी है। सिविल लाईन में हाई टेंशन वायर जा रही थी, बहुत बार छत में महिलाएं जो हैं, वहां पर जल कर शिकार भी हुई। तो एम.एल.ए. लैड फंड से लगभग पिछले ढाई सालों में 4 करोड़ रु. खर्च करके मैंने सिविल लाइन की हाई टेंशन वायर को चंद्रावल के जो हैं, वो अंदर कराने में मैं कामयाब रही। लेकिन अगर मैं चांदनी चौक ओर जामा मस्जिद वार्ड की तरफ देखती हूं अध्यक्ष जी, तो सारी उम्मीद शाहजानाबाद रिडेवलपमेंट कॉरपोरेशन पे इसलिए टिक जाती है क्योंकि इन तारों को अंदर कराने का खर्च लगभग जो मेरी जानकारी में है छः सौ करोड़ रुपया है, जो विधायक फंड से कराना मुझे लगता है, आने वाले बीस सालों तक भी संभव नहीं है। पहले बिजली अधिकारी ये कहते रहे कि संभव नहीं है, लेकिन जब भा.ज.पा. के ही एक सांसद और केन्द्रीय मंत्री ने दरिबां में अपनी हवेली के डेकोरेसन को लेते हुए जो तारें थी, उसे सब अंडरग्राउंड करवा दिया तो बिजली अधिकारी जब ये कहते थे कि पुरानी ईमारतें हैं, नींव कमजोर है, खुदाई करके अंडरग्राउंड नहीं किया जा सकता, ये सब झूठ साबित हो गया। जब भा.ज.पा. के केन्द्रीय मंत्री और सांसद के खुद की हवेली के ब्यूटीफिकेशन के दौरान उन्होंने वहां की दरिबां की सारी जो इलेक्ट्रिकल वायर है, उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया। अब पूरी दरिबां मार्केट की भी मांग है कि जब वो अपनी हवेली का और उन्होंने फंड भी किसी और का नहीं, सांसद का वो फंड का इस्तेमाल किया अपनी हवेली की जो कमर्शियल चल रही है, वहां की लाईनों को अंदर कराने के लिए। दरिबां पूरी मार्केट मुख्यमंत्री से भी मिल चेका है क्योंकि वहां पर आग का बहुत खतरा है। जामा मस्जिद के पटौदी हाउस में अध्यक्ष जी तारों का जाल ऐसा है कि बिल्कुल आप निकलेंगे तो आपके सर भी टकरा जायेंगे, इतनी नीचे तार हैं। फिर भी हमने प्रयास करके

उसे काफी ऊंचा कराने की कोशिश की। मेरा आपसे यही निवेदन है कि सरकार इसे गंभीरता से लेते हुए जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली की जितनी संकीर्ण गलियों में तारों के जाल बिछे हुए हैं, उन्हें किसी तरह भी तरह इन मार्केटों में इन हादसों से बचाने के लिए तुरंत इसके ऊपर जो है, कोई कार्यक्रम बनाके इसको लागू करें, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष जी, आपने हमें 280 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष्ज्ञ जी, मैं आपका ध्यान दिल्ली में हो रहे जगह जगह जाम की ओर ले जाना चाहता हूं। आज दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि हम भी जब जनकपुरी से विधान सभा आते हैं, तो रास्ते में हम यह सोच के आते हैं कि एक घंटे में पहुंचेंगे। लगभग डेढ़ घंटा लग जाता है, हमें यहां पहुंचने में। इस जाम का मुख्य कारण है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस वाले कोने में खड़े होके चालान करते रहते हैं, जाम को हटाने के लिए कभी आगे नहीं आते। फुटपाथों के ऊपर दुकानें लग गयी हैं, एम.सी.डी. वाले दुकानें नहीं हटाते, तो ये स्थिति है और तो और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जगह जगह जैसे हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं; मायापुरी, मोती नगर, मंगोलपुरी इनके अंदर सर औद्योगिक इकाइयां बनी जो उद्योगों के लिए दी गई जगह, उस जगहों पर आज शादी घर बन गये हैं बड़े बड़े। न तो उनके पास कार खड़ी करनेके लिए या पार्किंग की कोई जगह है और न ही उनके पास सेफ्टी के कोई इंतजाम हैं। स्थिति यह होती है शादियों के टाईम में इतनी बुरी हालत होती है उन सड़कों की, वहां पर दो–दो, तीन–तीन घंटे लोग लाइन में लगे रहते हैं, ट्रैफिक जाम से परेशान रहते हैं कि कैसे वो निकले वहां से। जितने भी वैंक्वैंट हाल जिन्होंने बनाये हैं, उन्होंने वहां पर वेलिड पार्किंग

लगा रखी है। वो लोग गाड़ियां लेते हैं और जाके फुटपाथ पे या फिर रोड के किनारे लगाते चले जाते हैं, जिसके कारण और ज्यादा स्थिति खराब होती है। ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों को लाइसेंस कैसे मिल जाते हैं इन सब काम को करने केलिए! औद्योगिक क्षेत्रों में हमारी सरकारों ने दिये थे कि वहां उद्योग लगें, यहां पर लोगों को नौकरियां मिलें और उद्योग चलें लेकिन आज शादी भी लगता है एक उद्योग बन गया है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर इनको जगह–जगह पर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर इनको खोलने की परमिशन दे दी गई।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा आपको बताने का ये है कि एक हमारे यहां पर जितनी भी बड़ी–बड़ी मार्केट्स हैं और पॉश कालोनीज हैं, इसके अंदर मसाज सेंटर खुल गये हैं। ये मसाज सेंटर नहीं है वेश्यावृत्ति के अड्डे बने हुए हैं। पुलिस में जब भी कंपलेंट करें, वो सुनने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं हमारे साथ भी स्थिति खराब है जी, हम लोग जब जाते हैं अंदर तो हमें भी डर रहता है कि हमारे ऊपर कोई केस न बन जाए। उनकी मिलीभगत से ये सब चल रहे हैं। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि हमारी युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रही हैं इन मसाज सेंटरों के कारण, इनको रोकने के लिए कोशिश की जाए और मैं अपसे अनुरोध करता हूं कि इसके ऊपर कोई भी कारवाई की जा सकती हो तो कार्रवाई की जाए। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : धन्यवाद अध्यक्ष जी कि 280 में अपने क्षेत्र का विषय उठाने का मौका दिया आपने।

अध्यक्ष महोदय : मेरी विधान सभा में नजफगढ़ ड्रेन होकर के गुजरती है तो शक्ति नगर, रूप नगर, राजपुरा गांव, डेसू कालोनी के बीच से होकर

गुजरती है। हालत वहां पर ये है अध्यक्ष जी, कि लोग सांस की बीमारी से, कैंसर की बीमारी से और तमाम प्रकार से सांस जनित बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट जो पूरे एशिया में माना जाना संस्थान है, फेफड़े और सीने की बीमारी के लिए, अनुसंधान के लिए। उन्होंने रिपोर्ट दी है कि इस क्षेत्र के रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं। पीछे 2014 में सरकार ने योजना बनाई थी और कई नालों पर फ्लाईओवर बनाकर उसको ढकने का काम किया गया। हमारे यहां ये इसकी स्वीकृति मिली लेकिन बार–बार जब यहां क्वैश्चन भी किया गया तो बताया गया कि एन.जी.टी. ने इस पर रोक लगा दी है और एन.जी.टी. कहता है कि इसको ढक नहीं सकते। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अधिकार प्राप्त है और तमाम ऐसे केसेज सुप्रीम कोर्ट में हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत ये राइट टू फ्रेश एयर का अधिकार मौलिक अधिकार माना गया है। तो मैं सरकार से चाहता हूं कि जो एन.जी.टी. का आदेश आया है, उसके खिलाफ लोगों के, दिल्ली की जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कम से कम एक बार कोर्ट हमें जाना चाहिए ताकि हम उन लोगों को सुरक्षा दे सकें। आप देखेंगे कि वहां के लोग जो रहते हैं, वहां एल.ई.डी., टी.वी., फ्रिज, टी.वी. ए.सी. ये सारे छः महीने में खत्म हो जाते ह। अध्यक्ष जी। लोग आए दिन आते हैं कि जी, क्या कर रहे हैं, आप कुछ करो। तो क्या सरकार कुछ मौलिक अधिकारों की संरक्षा के लिए दिल्ली वालों के लिए कुछ कदम उठा लेगी। हम उम्मीद कर रहे हैं, लगातार सरकार ने अभी पेपर में छपा था कि माननीय पी. डब्ल्यू.डी. मंत्री का एक योजना है कि बाईपास होते हुए सारा नजफगढ़ ड्रेन होते हुए एक सड़क बनाने की योजना है। तो इसमें अगर अड़चन आती है तो हम कहीं न कहीं मौलिक अधिकार के संरक्षण के आड़ में

हम ये काम कर सकते हैं जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को जो जीवन जीने का अधिकार है, वो मिल पाए। हम सदन के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि सदन हमारे क्षेत्र के लोगों के रक्षण के लिए कुछ कदम उठाएं ताकि इस नाले को ढका जा सके और लोग दुर्गन्ध और सांस की बीमारियों से निजात पा सके, बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। शरद कुमार जी (अनुपस्थिति)। नितिन त्यागी जी।

अध्यक्ष महोदय : शरद कुमार जी (अनपस्थित)। नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि आपने नियम 280 के तहत बोलने का मौका दिया। ये सवाल मैं पहले तो सिर्फ अपनी कांस्टीट्युऐंसी लक्ष्मी नगर से कंसर्न ही उठाना चाह रहा था और अभी भी पर और काफी सारे विधायक साथियों से बात हुई तो लगा कि ये एक दिल्ली की अपनी परपैच्युअल प्रॉब्लम बनी हुई है। विकास मार्ग सर, मेरे क्षेत्र में आता है और विकास मार्ग के लिए इनिशियली मैं ये सवाल उठाना चाहता था पर और भी बहुत सारे ये पी.डब्ल्यू.डी. की रोड हैं सर। विकास मार्ग, पी.डब्ल्यू.डी. इसका रखरखाव करता है, पी.डब्ल्यू.डी. ही इसको बनवाता है। बनाई हुए पहले की भी पी.डब्ल्यू.डी. की है, आगे भी उसमें जो भी काम करना होता है, वो पी.डब्ल्यू.डी. का है पर इसमें जो एनक्रोचमेंट है, उसे हटाने का अधिकार पी.डब्ल्यू.डी. के पास नहीं है। इसके अंदर जो इल्लीगल पार्किंग होती है, दोनों तरफ अगर आप कोई भी, लक्ष्मी नगर से निकलें, विकास मार्ग से हमेशा जाम रहता है तो दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लगातार खड़ी रहती हैं और वो कोई पार्किंग नहीं है। उस पार्किंग को हटाने का राइट पी.डब्ल्यू.डी. के पास में नहीं है। जो सर्विस

लेन्स हैं, वो पूरी एन्क्रोच हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। वो एनक्रोचमेंट हटाने का राइट पी.डब्ल्यू.डी. के पास नहीं है। जब पैसा पी.डब्ल्यू.डी. का लगता है, जब मेन्टेनेन्स पी.डब्ल्यू.डी. के पास है, जब जाम लगता है वहां पर तो दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि जाम क्यों लगता है पी.डब्ल्यू.डी. की रोड पर। सफाई नहीं हो पाती पी.डब्ल्यू.डी. रोड की और वहां जो सर, डिसिल्टिंग हुई, उस वक्त भी क्योंकि गाड़ियों इतनी खड़ी रहती है तो नाला कहां से साफ हो! वहां की मेन्टेनेन्स नहीं हो पाती, गाड़ियां खड़ी रहेगी तो जहां टूटी हुई है रोड, जहां पर कुछ भी थोड़ा सा रिपेयर वर्क होना है, वो नहीं हो पाता। इतना सारा ये नहीं होने का कारण है पर उसके ऊपर ब्लेम हमेशा दिल्ली सरकार के ऊपर आता है कि जाम लगता है तो पॉल्यूशन भी होता है। देखिए लक्ष्मी नगर में, विकास मार्ग पर कितना पॉलुशन है। गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जाम लगा रहता है, पानी भरा रहता है, पर ये सारी चीजें जब ब्लेम आता है दिल्ली सरकार पर तो सर, इसको हटाने की पॉवर भी दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए। पी.डब्ल्यू.डी. के पास होनी चाहिए। मजिस्ट्रेटस होने चाहिए ऐसे कि जो कि इनके ऊपर चालान कर सकें। इन गाड़ियों पर चालान कर सकें, इन रेहड़ी वालों पे, इन एनक्रोचमेंटस पे, ये दुकानें आगे बढ़ा दी हैं, उनके ऊपर चालान किए जा सकें। जो लोगों ने अपने बोर्डस लगा दिए हैं, पूरा के पूरे सड़क को घेरकर रखा हुआ है, उसके ऊपर चालान करने की पावर मिलनी चाहिए सर, पी.डब्ल्यू.डी. को। इसके ऊपर कुछ कर नहीं पाता है पी.डब्ल्यू.डी.। हम नहीं कुछ कर पाते हैं। जो अथॉरटीज इसके लिए रिस्पांसबल हैं, वो खुद कुछ करती नहीं हैं। एम.सी.डी. कुछ नहीं करती है एनक्रोचमेंट हटाने के लिए। जो ट्रैफिक पुलिस वहां पर चालान कर सकती हैं इल्लीगल पार्किंग के ऊपर, वो नहीं करते हैं इसके ऊपर कुछ भी। किसी भी तरीके का कोंई एक्शन न होने की वजह से एकदम पैरलाइज

हो चुका है सिस्टम और ये प्राब्लम सर, सिर्फ मेरे यहां पर नहीं है लक्ष्मी नगर में। मेरे ख्याल से गांधी नगर में, सर, आपके यहां शाहदरा में, दिलशाद गार्डन में, आपके यहां पर, सबके यहां पर ये वाली प्रॉब्लम आती है जहां पर एम.सी.डी. की मेन रोड्स हैं। ये मेन रोड्स लाइफ लाईन हैं सर दिल्ली की।

अध्यक्ष महोदय : चलिये अब कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री नितिन त्यागी : सर, सेंट्रल डेली से कोई भी ईस्ट डेली में आता है तो मैक्सिमम लोग विकास मार्ग को यूज करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे रोड्स हैं जिनको यूज किया जाता है और ये रोड्स कंजेस्टेड रहेंगी कॉन्स्टैंटली। तो सर, हमेशा दिल्ली जाम की स्थिति में बना रहेगा। इसके ऊपर एक दिन चर्चा भी करनी चाहिए, चाहे अगले सत्र में करें और ये पॉवर पी.डब्ल्यू.डी. के पास आनी चाहिए, पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको संज्ञान में ले हुए इसके ऊपर एक्ट करते हुए कुछ ऐसे मजिस्ट्रेटस एप्वाएन्ट करें जिनके पास ये पॉवर हो कि इल्लीगल पार्किंग एंड एनक्रोचमेंट के ऊपर चालान काटा जा सके, थैंक्यू।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। चौ. फतेह सिंह जी।

चौ. फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने 280 के तहत मुझे अपने विधान सभा क्षेत्र और दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के नालों की सफाई की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, वैसे तो ये मामला क्योंकि पूरी विधान सभा क्षेत्र का है और

इसके साथ–साथ जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिस कॉन्ट्रैक्टर को पूरे साल का नालों की सफाई का अनुबंध पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा दिया गया है, वो अनुबंध मैं सांई ट्यूबवेल के नाम से जो इंडिया कंपनी को दिया गया है लेकिन ये कंपनी पूरे नालों की सफाई व सिल्ट उठाने का कोई भी कार्य पूरे सीजन में, पूरी दिल्ली में नहीं कर पा रही है जबकि मानसून जाने वाला भी है और दिल्ली के अंदर सभी विधायकों की ये प्रॉब्लम है कि जो भी पी.डब्ल्यू.डी. के लोक निर्माण विभाग के नाले हैं, वो अभी तक साफ नहीं हुए हैं जिसके कारण से काफी दिक्कत का सामना सभी विधायकों को और मुझे भी करना पड़ रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो सांई ट्यूबवेल कंपनी के नाम से जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है या तो वो पूरी दिल्ली के नालों की सफाई करें या लोक निर्माण विभाग इसका पूरा पेमेंट स्टॉप करे जिससे कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की नेग्लिजेंसी दिखाकर के दिल्ली के विधायकों को तंग जिस प्रकार से किया जा रहा है, एक तरह से इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए क्योंकि वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, इतना ही मुझे कहना है, बहुत–बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ : शुक्रिया, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय जल मंत्री जी का ध्यान अपने पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पेयजल की अत्यधिक कमी एवं गन्दा पानी आने की समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं। पालम विधान सभा क्षेत्र में पहले लगभग पानी की आपूर्ति जो है वो टैंकरों के माध्यम से होती थी लेकिन आम आदमी की सरकार आने के बाद में सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए पालम विधान सभा के अंदर पाइप लाइनों

के माध्यम से इस पानी को घर–घर पहुंचाने का प्रयास किया, ये हमारी सरकार का एक बहुत ही बड़ा और सराहनीय कदम इसको हम कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज कल स्थिति थोड़ी सी विपरीत है, वर्तमान में पालम में रहने वाले निवासी जिनको पाइप लाइनों के माध्यम से साफ पानी कमांड टैंक एक और दो के माध्यम से मिल रहा था, उस पानी की आपूर्ति गंदे पानी के रूप में हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि शायद ये मेरा दुर्भाग्य है या मेरी विधान सभा का दुर्भाग्य है, जब हम जीत करके आए, उससे पहले जो पानी टैंकरों के माध्यम से प्वाइंट के माध्यम से पूरे पालम विधान सभा को सप्लाई होता था, आज लगभग सवा दो ढाई साल बाद में पालम विधान सभा में जल आपूर्ति की स्थिति जो है, वो वहीं पर आकर के टिक गई है जहां से हम चालू हुए थे। आज पुनः पालम विधान सभा में मुझे वो प्वाइंट के माध्यम से, प्वाइंट लगा–लगा कर के टैंकर जो है, वो घर–घर भेजने पड़ रहे हैं। माननीय जल मंत्री यहां पर मौजूद हैं आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है तो मेरी आपसे निवेदन है कि पालम विधान सभा में कम से कम पानी जो हमारा अधिकार है और सबसे पहली जरूरत भी पानी है, वो साफ पानी घरों के अंदर पहुंचाया जाए, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लाल : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 पर बोलने के लिए मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा कस्तूरबा नगर में गढ़ी गांव के नाम से एक गांव है जो लगभग साढ़े तीन सौ साल पुराना है, उस गांव के

बीचों–बीच एक नाला है जो गांव को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ये गांव चूंकि कालका जी, मंदिर की तलहटी में है लिहाजा यहां पानी के जलभराव की समस्या हमेशा–हमेशा से रही हे। गांव के बीच में नाला होने की वजह से वहां कभी भी सीवर नहीं डाला गया। क्योंकि नाले का रखरखाव एम.सी.डी. करती है और लोगों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय–समय पर वहां अपने सीवर के कनैक्शन भी कर लिए, उसकी वजह से वो सिल्ट जो वहां लगातार जमा होती रही, घरों में जो काम होता रहा उनका सीमेंट जमा होता रहा, घर के जितने काम हैं, उनसे जो वेस्ट पदार्थ निकले वो भी उस नाले में जमा होते रहे और आज के दिन उस नाले की हालत ये है कि वो नाला बिल्कुल पानी को अपने अंदर नहीं भेजने देता। वहां सिल्ट बहुत ज्यादा है। उस नाले की उस सिल्ट की वजह से जो और सीवर सिस्टम है गांव का, वो चरमरा रहा है क्योंकि नाले में जो बीचों–बीच बह रहा है, उसमें सिल्ट जमा हैं तो सीवर की निकासी का जो सिस्टम है, वो पूरा का पूरा आज के दिन गड़बड़ा रहा है। एम. सी.डी. सीवर का काम नहीं करती और सीवर के लिए वहां, चूंकि एम. सी.डी. का नाला है, तो शायद एजेंसी नहीं कर पा रही।

तो मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं पी.डब्ल्यू.डी. मिनस्टर साहब को कि वो इसका संज्ञान लें और दोनों एजेंसीज के साथ एक ऐसा सिस्टम करें, क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस साल का जो बजट दिल्ली के गांव के लिए रखा है 600 करोड़ रुपया मैं उनका धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए बहुत दूर अंदेशी के साथ गांव की जरूरतों को समझा है, चाहे वो रूरल विलेजेज हों, चाहे अर्बन विलेजेज हैं। तो दो–दो करोड़ की जो राशि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस साल के बजट में अलोकेट की है, मुझे लगता है उस बजट

का अगर हम उपयोग ऐसे काम के लिए कर रहे हैं जो वहां पूरे के पूरे करीब 500 मीटर के करीब ये स्ट्रैच होगा, जो गांव को दो हिस्सों में डिवाइड भी कर रहा है, जिसकी सीवर की सबसे ज्यादा जरूरत भी है, ऐसे बजट को क्योंकि प्रोविजन है, तो ऐसे बजट को इस्तेमाल करके उस नाले में जो गंद जो लोग के घरों के बीच में आई हुई है जिसकी वजह से लोग रोज सीवर के रुकावट से परेशान हैं और गांव में जल भराव समस्या हमेशा से, पिछले लगातार 40–50 साल से जबसे पानी ज्यादा आने लगा है, उस तरफ वहां गांव में चार–चार फुट पानी हर घर में घुसने लगा है।

तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उसमें संज्ञान लें और उसका सिस्टम ठीक कराएं जिससे लोगों को वहां उस गंदगी से और उस जल भराव की समस्या से निजात मिले, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : कमांडो जी, ग्यारहवाँ है ये, लेकिन आपका पूरा क्वैश्चन हो चुका है, जो इसमें लिखा है, फिर भी आप पढ़िये।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरी विधान सभा के अंदर बिजली और पानी की समस्या है जो पूरे भारत वर्ष दूर–दूर तक, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने बिजली–पानी की समस्या दूर कर दी, परन्तु दिल्ली कैंट के बरार स्कैवयर की झुग्गी, किर्बी प्लेस की झुग्गी में लगभग 10 हजार से भी ज्यादा के आसपास की आबादी है परन्तु वहां पर बिजली की कोई भी सुविधा नहीं है। मैं यह समस्या इस सदन के माध्यम से कई बार उठा चुका हूं परन्तु इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा और यहां पर रहने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहां पर बिजली नहीं होने के कारण उन सब बच्चों का भविष्य अंधकार के अंदर जाता दिखाई दिख रहा है, इसका समाधान भारत सरकार

निकालने को तैयार नहीं है परन्तु दिल्ली सरकार इसका समाधान निकाल सकती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह क्षेत्र मिलिट्री का क्षेत्र है, वहां पर बिजली की सप्लाई करने का अधिकार एम.ई.एस. को है, मिलिट्री इंजिनियरिंग सर्विस के पास है, परन्तु उन्होंने सिविल जनता को बिजली देने से इन्कार कर दिया और उसके बाद यह मामला डी.आर.सी. के माध्यम से उस एरिया को डिमार्केशन करने के लिए ताकि उस एरिया को डी.आर.सी. डिमार्केशन कर एन.डी.पी.एल. को इस क्षेत्र के अंदर बिजली की सप्लाई का आदेश दे सके ताकि वहां पर डी.आर.सी. में जो अपील काफी समय से लगाई हुई वहां के लोगों की, उससे जो दिल्ली कैंट विधान सभा की जो आबादी है, वो सदा इस विधान सभा की ऋणी रहेगी और माननीय मंत्री जी और दिल्ली सरकार के सदा ऋणी रहेंगे, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, नहीं देखिए मैं 12 ले चुका हूं अब इसके ज्यादा और नहीं आज बिजनेस बहुत है, प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर एक मंदिर के साथ विशेष पर गुजराती समाज के एक प्रोग्राम के लिए एक चौपाल का प्लॉट था। शीतला माता मंदिर बहुत मशहूर था वहां पर और उसके साथ में सारे सामाजिक लोग वहां पर प्रोग्राम करते थे। कुछ साल पहले इस स्थान की चारदिवारी करके, दिल्ली सरकार ने उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। अब एक तो जो शीतला मंदिर के साथ जितने भी समाज रहते हैं, सामाजिक स्थान तो उनके पास कोई रहा नहीं, अपने सामाजिक कार्य करने के लिए,

दूसरा वो गंदगी का ढेर और बुरी तरह से वो हालात बन चुके हैं जो कि असामाजिक तत्वों की वो जगह बन चुकी है। मेरा ये अनुरोध है शहरी विकास मंत्री जी से कि उसका ध्यान करते हुए अगर वो जगह वापस दी जा सके और उस जगह पर कोई चौपाल निर्माण के लिए एम.एल.ए. लैड से भी हम पैसा दे सकें, मैं उसके लिए भी रजामंद हूं। लेकिन वो जगह वापस उसी समाज को दी जाए और उसके ऊपर दौबारा उनकी चौपाल बन सके, इसके लिए कृपा ध्यान दें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी और विजेन्द्र गुप्ता जी का नियम 114 में उनका एक शोक संदेश है, पहले विजेन्द्र गुप्ता जी बताइए।

दि.प.नि. कर्मचारियों के निधन पर शोक संवेदना

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं शोक संदेश के साथ–साथ उस विषय को भी रखना चाहूंगा क्योंकि बहुत दुःखद घटना हुई है और इस सदन से सीधा संबंधित है और यहां पर मंत्री जी खुद भी, पहले मैं वहां गया, फिर मंत्री जी मौके पर पहुंचे थे। तो संक्षिप्त में मैं घटना बता देता हूं और मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, वो सदन में दे दें तो मुझे लगता है कि परिवारों को कुछ एक प्रकार का आश्वासन मिलेगा क्योंकि उनकी तकलीफ कम होगी। आज सुबह लगभग साढ़े बारह बजे, यानि की रात को साढ़े बारह बजे मधुबन चौक पर अंडरपास पे, एक डी.पी.सी. की बस खराब हो गई थी और उसका जो स्टाफ था कंडक्टर–ड्राइवर, शाम की बस खराब थी वहां सड़क पर खड़ी थी और ड्राईवर कंडक्टर साथ बस के थे, मकेनिक आया हुआ था और एक ड्राइवर वहां ओर आया मौके पे उनकी मदद के लिए, एक तेज रफ्तार टैंपो वहां आया और वो उस खड़ी हुई बस पर वहां पर जो लोग काम कर रहे थे, उसे टक्कर मारी क्योंकि

पीछे ड्राइवर खड़े होकर ट्रैफिक को सिग्नल दे रहे थे कि वो बस के पास न आएं और उसमें दोनों ड्राइवर दुर्भाग्य से उनकी मौत हो गई छोटे–छोटे बच्चे भी वहां सड़क पर बैठे हुए डिपो के अन्दर बैठे थे, उनकी वाइफ भी वहां बैठी थी उनके परिवार के और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और दो लोग जो एक इलैक्ट्रिक के मैकेनिक थे ओर एक कंडक्टर, वो दोनों घायल है और जो टैम्पो का चालक था, उसकी भी डेथ हो गई। इसमें दो–तीन चीजें सामने आई। एक तो जो गाड़ी का ब्रेकडाउन होता है, तो 55–55 घंटे गाड़ी वहां खड़ी रहती है रोड पर ही उसी तरह पर, जिससे जो स्टाफ है, वो भी उसके साथ अटैच रह जाता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं विजेन्द्र जी यहां 55 घंटे गाड़ी...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, ये गंभीर मामला है मृत्यु, दुर्घटना जो लापरवाही के कारण हुई है।

अध्यक्ष महोदय : ये शोक संदेश है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नहीं मैं शोक संदेश के बाद या तो आप बात कर लीजिए। शोक संदेश मैं पेश करता हूं उसके बाद आप ये उनके परिवार को...

अध्यक्ष महोदय : 55 घंटे गाड़ियां खड़ी रहती हैं ये तो मेरे ख्याल दिल्ली का कोई आदमी नहीं मानेगा, सड़क पर 55 घंटे गाड़ियां खड़ी रहती हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी आप रिपोर्ट मंगा लीजिए, मंत्री जी ये बता दें ये दिक्कत नहीं है। हमारा कहना है कि ब्रेकडाउन गाड़ियों को रोड से हटाने के लिए अगर सरकार मुस्तैदी से, तो सरकार का ध्यान ऐसी

समस्या पर आकर्षित कर रहा हूं जो आगे से पुनरावृत्ति न हो, बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि ब्रेकडाउन जब गाड़ी होती है तो टाइमबाउण्ड किया जाना चाहिए कि इतने घंटे में वर्कशॉप उस गाड़ी को या तो वहां से हटाएगी या उसको ठीक करके वहां से निकाल देगी। उससे ट्रैफिक हैजार्डस होता है और इस तरह का डेंजर क्रिएट होता है।

अध्यक्ष महोदय : कनक्लूड करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : पहला इशू ये। दूसरा इशू ये है कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई, एक–एक नौकरी उनके परिवार को दी जाए। वो 32 साल का लड़का था एक प्रमोद को जो 8 साल का 10 साल का, ऐसे दो बच्चे हैं उसके। उनके दोनों के परिवार से एक–एक को नौकरी दी जाए और एक करोड़ रुपया जो कम्पनसेशन ऑन ड्यूटी आप कहते हो, वो उनको दिया जाए क्योंकि उनके परिवारों की स्थिति बड़ी दयनीय है वहां पर लोग बहुत ऐरिटेटिड थे। मैं वहां गया। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल महसूस कर रहा था कि मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं। आखिर ये दुर्घटना जो हुई है, एक मिनट क्या दिक्कत है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई ऐसे नहीं ऋतुराज जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : देखना अध्यक्ष जी, क्या दिक्कत है इनको?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, ऋतुराज जी। आप कनक्लूड करिए। ऋतुराज जी, आप बैठिए वहां, ऋतुराज जी, आप वहीं बैठिए अपनी कुर्सी पर। कुर्सी पर चलिए आप।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप बैठिए अपनी जगह पर।

अध्यक्ष महोदय : अपनी चेयर पर चलिए। विजेन्द्र जी, मैं बात कर रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कमाल है! नहीं बैठेंगे तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : ऋतुराज जी, आप बैठिए। हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी। आप बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या तरीका है आपका ये?

अध्यक्ष महोदय : ऋतुराज जी बैठिए प्लीज। विजेन्द्र जी, देखो मैंने अलाउ किया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सुखवीर दलाल जी के रिश्तेदार भी हैं। जिनकी मौत हुई, वो उनका रिश्तेदार है।

अध्यक्ष महोदय : ऋतुराज जी, आप बैठ जाइए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सुखवीर दलाल जी वहां पर थे। बाद में कैलाश जी आए मेरे जाने के बाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुखवीर जी दो मिनट बैठिए, ऋतुराज जी, आप बैठिए अपनी कुर्सी पर। विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : दुख के समय में हम खड़े हो जाएं किसी के पास जाकर, कोई बुरी बात है क्या?

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिए। विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अगर आपका ध्यान हम आकर्षित करें तो आपको धन्यवाद ही करना चाहिए। ठीक है, क्या गलत कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मेरी बात सुनिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हम गए, लोगों से मिले, बात करी, उनको सांत्वना दी। ये राजनीति क्यों की जा रही है इस पर? वो तो जिद कर रहे हैं हमसे कोई। हम जिद नहीं कर रहे हम सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऋतुराज जी, आप बैठ जाइए एक बार। रितुराज जी, मैं आपसे कह रहा हूं, ऋतुराज जी, आप बैठिए प्लीज। आप अपनी कुर्सी छोड़कर आगे आ जाते हैं। विजेन्द्र जी, मेरी बात सुनेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जी, हसमें झगड़े की कौन सी बात है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसमें जब राजनीति खड़ी करेंगे, एक सीधा शोक संदेश है। आप गए, आपने अपनी बात रख दी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुझे लगता है कि आप खुद अपने वायदे पर...

अध्यक्ष महोदय : आप करिए इसको, आपने खुद कहा 12.30 बजे बस खराब हुई।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : 12–12.30 बजे तो टक्कर हुई बस तो शाम से खराब थी।

अध्यक्ष महोदय : अब करिए इसको क्लोज करिए इसको।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बस 6–7 घंटे से पहले खड़ी थी।

अध्यक्ष महोदय : अब क्लोज करिए इसको।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : पहले इनको बैठाइए आप।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं। केवल आपको बोलने का मौका दे रहा हूं इस पर।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं दे रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हां–हां, मैं तो डेली बात।

अध्यक्ष महोदय : अरे भई दो मिनट रुक जाओ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नहीं आप कनक्लूड नहीं करेंगे। आप इसको लंबा खींचेंगे पॉलिटिकली लंबा खीचेंगे। आप कन्क्लूड नहीं कर रहे। कन्क्लूड करिए इसको।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मेरा इतना अनुरोध है कि उनके परिवारों को कम्पनसेशन मिलना चाहिए। सरकार एक–एक करोड़ रुपये की बात करती है, एक–एक करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए, हमारी मांग है। बाकी सरकार क्या करेगी, वो सरकार बताएगी। दूसरा जो तंसीर अली हैड कांस्टेबल की डेथ हुई थी, परसों जो सूचना आपने दी थी, वो ऑन ड्यूटी हमारे परिसर में सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी इंचार्ज की डेथ हुई थी। उसको भी एक करोड़ रुपये का कम्पनसेशन दिया जाए। जो सरकार ने हमेशा कहा है कि हम कोई भी, ड्यूटी पर वो लोग भी ड्यूटी पर तैनात थे जिनकी मौत हुई है एक्सीडेंट से, वो भी ड्यूटी पर तैनात थे, आपके परिसर में। हमें

आश्वस्त किया जाए। सदन में मंत्री जी आश्वस्त करें कि इन दोनों मामलों में सरकार जो है, क्या कदम उठा रही है। सुखबीर जी बात कर लें उसके बाद शोक प्रस्ताव पास कर दिया जाए।

श्री सुखवीर सिंह दलाल : पहले तो शोक प्रस्ताव पास किया जाए, मैं उसकी रिक्वेस्ट करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : भई अखिलेश जी, दो मिनट बैठिए। अखिलेश जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं अखिलेश जी? उनका बैठा दिया, फिर आप परेशान हो रहे हैं।

श्री सुखवीर सिंह दलाल : अध्यक्ष जी, मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊंगा जो ये सदन में बोल रहे हैं, बिल्कुल उसमें सच्चाई ज्यादा नहीं हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाह रहा हूं। मेरा रिश्तेदार था और मैं विधायक भी था। मेरे इलाके में जब ये घटना घटी, मेरे पास फोन आया सुबह कि भई, इस–इस तरह लाडपुर गांव का और वो हुआ है। किसी ने मेरे को अचानक रिश्तेदार ने फोन भी किया तब तक तो मैं वहां गया। मैं विधायक भी था उसी इलाके का क्योंकि वो मेरे इलाके में वो पड़ता भी है और वो लड़का मेरा रिश्तेदार भी है। तो वहां मैंने अपने रिश्तेदार को पूछा। तो वो बिल्कुल कोई वो नहीं, बिल्कुल उन्होंने ये कहा था कि भई हमें दिल्ली सरकार पर हमें इतना भरोसा है कि उन्होंने पहले भी हमारी दिल्ली सरकार का एक डी.टी.सी. का कर्मचारी मुंडका गांव में वो हुआ था, उसके बच्चे को नौकरी दी थी। तो उसी उससे वो बैठे हुए थे कि विधायक जी आप आ गए हो। तब तक इनको पता नहीं था। मैं वहां अपने रिश्तेदारों के बीच में बैठा हुआ था। वहां विजेन्द्र जी पहुंचे हैं और विजेन्द्र जी ने, जैसे ही विजेन्द्र जी घुसे हैं, वहां नारेबाजी शुरू हो गई।

बताओ इनके जो आदमी गए हुए थे जो मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने मना भी किया कि भई हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप बार–बार उठ रहे हैं। अब ये कोई तरीका नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं उनके रिश्तेदार हैं। आप बेकार की बात कर रहे हैं। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है सिरसा जी। नहीं, वो सच्चाई बता रहे हैं जो वास्तविकता है, बता रहे हैं।

श्री सुखवीर सिंह दलाल : इन्होंने उनको कहा भी कि तुम एक करोड़ की डिमाण्ड करना। मैंने विजेन्द्र जी को कहा था। असल में तो विजेन्द्र जी आप सरकारी नियम जानते नहीं हो। सरकारी नियम में जो चीज होती है उससे गवर्नमेंट को देने में बहुत है लेकिन फिर भी मैंने ये कहा गवर्नमेंट के कोर्ट के आर्डर हैं। 5 परसेंट कोटा होता है। हमने उससे भी बढ़कर सी.एम. साहब ने मैंने मंत्री जी से बात की। वो सी.एम. साहब के भी घर गए और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम उस लड़के की नौकरी के लिए कोशिश करेंगे। सरकार ये नहीं होती कि सरकार के पास भी कायदे कानून होते हैं, मैंने अपने रिश्तेदारों को भी समझाया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई विजेन्द्र जी, ये राजनीति है। इसे राजनीति कहते हैं। ये राजनीति है। नहीं, ये राजनीति है। आप शोक संदेश नहीं दे रहे, आप ये राजनीति कर रहे हैं। आप कमाल है! बैठिए ऋतुराज जी। मैं देख रहा हूं अपने आप।

श्री सुखवीर सिंह दलाल : मेरी सरकार ने वादा किया कि भई, हम उसी तरह जैसे उस बच्चे के साथ हुआ था। देखो टाइम तो लगता

है। अब हम वहां झूठे... मैंने कहा झूठा वादा, कैलाश गहलौत जी से मैंने कहा जो झूठा वादा करेंगे तो ये राजनीति हो जाएगी। जो हम दे सकते हैं, वो हम उनको मैक्सिमम उसको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो मेरा रिश्तेदार भी हैं और मैं विधायक भी हूं तो अब मेरे को आश्वासन मिल गया था तो इसलिए हमने कहा, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम विजेन्द्र जी, आपका भी स्वागत करते हैं। आपने बहुत वो किया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन मैंने भी ये कहा था कि हमारी सरकार खुद ही दे रही है तो उसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं है। इसलिए मैं दो मिनट के लिए कहूंगा उसके लिए शोक संदेश का वो हो तो आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं करवा रहा हूं भई। ऋतुराज जी, आप बैठ जाइए। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहे हम। नहीं, प्लीज बैठिए। पहले तो सीट पर बैठिए।

श्री ऋतुराज गोविन्द : मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कि देखिए ये बहुत दुःखद थी। मेरे क्षेत्र का ड्राइवर था, उसके दो छोटे–छोटे बच्चे भी हैं। मैं आज सुबह उसके घर भी गया था। लेकिन मैं तारीफ करना चाहता हूं कैलाश गहलौत जी, हमारे माननीय मंत्री जी का सुबह खुद उन्होंने संज्ञान लेकर के हम लोगों को भी इस घटना की जानकारी दी है। मैं उसके घर गया था और उसका परिवार इस बात से संतुष्ट है और उनको पूरा भरोसा है कि दिल्ली सरकार ने आज तक हमेशा, जितनी भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं, उसका पूरा संज्ञान लेकर के डेथ पॉसिब्ल कंपन्सेशन भी किया है और परिवार की मदद भी की है और माननीय मंत्री जी ने उसी वक्त एशोरेंस दिया था। वहां पर 200 लोग

थे। जब मैं वहां पर गया था कि चिंता मत करिए। जब नजफगढ़ में एक ऐसी घटना घटी थी, उस टाइम पर भी डी.टी.सी. के इतिहास का सबसे ज्यादा कंपन्सेशन 20 लाख रुपया दिया गया था और आपके परिवार को भी अभी हम लोगों की मीटिंग चल रही है, आज शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा और पूरे परिवार को भी, बच्चों की अच्छे से परवरिश हो सके, इसके लिए बेस्ट पॉसिब्ल कंपन्सेशन भी देंगे और जैसा कि दलाल साहब ने कहा कि नौकरी के ऊपर भी विचार चल रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इनका।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी।

परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि रात को दो ड्राइवर की ऑन द स्पोट डेथ हो गई। एक कन्डेक्टर भी इसमें इन्जर्ड हुआ, उसका लेफ्ट जो हाथ है, वो फ्रैक्चर हुआ और कुछ अशोक लेलेण्ड के मैकेनिक भी हैं। मेरे ख्याल से दो मैकेनिक हैं लेकिन एक मैकेनिक अभी भी हॉस्पिटल में है और उसके सिर में चोट है, तो सीरियस है। मैं शुरू में ही ये इस पूरे सदन की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरा दुःख प्रकट करता हूं और इस शोक की घड़ी में पूरे दिल्ली वाले, पूरा सदन इस परिवार के साथ है। मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगती है अध्यक्ष महोदय, कि दिल्ली में बी.जे.पी. की सरकार भी रही तो उस टाइम कितना कम्पन्सेशन दिया डी.टी.सी. वालों को अगर उनकी डेथ हुई ये विजेन्द्र गुप्ता जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा। हमारे देश में अलग अलग जो राज्य हैं जिनमें बी.जे.पी. की सरकारें हैं, वहां अगर किसी ट्रांसपोर्ट यूनिट के कर्मचारी की डेथ होती है तो शायद इनको पता नहीं होगा कि कितना कम्पन्सेशन दिया जाता है। लेकिन इस सदन में जहां हम सबको एकजुट होकर उस परिवार के साथ खड़े होने

का समय है, वहां पर वो लाशों पर भी राजनीतिक करना चाहते हैं। ये वाकई में बड़े दुःख की बात है।

अध्यक्ष महोदय, वाकई में बड़ी दुःख कमी बात है। डी.टी.सी. के इतिहास में माननीय सत्येन्द्र जी उस टाइम परिवहन मंत्री थी और मेरी विधान सभा से एक अजय नाम का ड्राइवर ढांसा गांव से द्वारका–टू डिपो में उसकी अचानक बस के चलने पर ऑन द स्पॉट डेथ हुई थी। उस टाइम भी दिल्ली सरकार ने ये साबित किया कि ये सरकार जो है, सिर्फ खाली आश्वासन नहीं देती है, काम करके दिखाती है और नीयत बिल्कुल साफ है। पहली बार डी.टी.सी. के इतिहास में ड्राइवर अजय के परिवार में उसके भाई को परमानेंट नौकरी दी है और 20 लाख रुपये डी.टी.सी. की तरफ से और सी.एम. रिलीफ फंड से उसको 20 लाख रुपये की राशि दी। अध्यक्ष महोदय, हालांकि राशि देने से वो जान वापिस नहीं आएगी लेकिन वो राशि सिर्फ जरूरी इसलिए हो जाती है कि उसका परिवार, उनके बच्चे, उसके बूढ़े मां–बाप जो हैं, वो अच्छे तरह से उनकी देख–रेख हो जाए और अध्यक्ष महोदय, मैं भी दिल्ली देहात की विधान सभा से आता हूं लाढ पुर गांव में जिस परिवार में वो डेथ हुई है, उसमें मेरी भी रिश्तेदारी है और मैंने ये बार बार कहा है कि डी.टी.सी. का हर एक कर्मचारी, वो मेरे परिवार का सदस्य है और आज भी मैं विदफुल रिस्पोंसिब्लिटी ये कह रहा हूं कि उसके परिवार को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और विजेन्द्र गुप्ता जी का कहना बिल्कुल गलत है ये कि वहां कोई रोष था या वहां कोई झगड़ा हो रहा था। जब मैं गया उसके माता–पिता से मिला, उसकी पत्नी से मिला, उसके दोनों छोटे बच्चों से मिला। सिर्फ एक ही आवाज थी उनकी कि जी, हमें पूरा भरोसा है आप पे और जो आप करोगे और जो कहोगे, वो बिल्कुल हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि उनको मालूम

था, उनको मालूम था कि जब मेरी विधान सभा में ऐसा हुआ था तो काफी महीनों तक संघर्ष रहा क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट का उसमें आब्जेक्शन लगा फाइल एल.जी. तक गई। लेकिन फिर भी वो 20 लाख रुपये की राशि हमने उस परिवार वालों को दिलवाई और खुद जाके मैं वो चेक दे के आया। उसके लिए मैं मंत्री जी का डिप्टी सी.एम. का और सी.एम. का धन्यवाद करता हूं। तो मैं विजेन्द्र गुप्ता जी को ये पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे पहले मैं सुबह 5 बजे से इस काम पे लगा हुआ था और लगातार डी.टी.सी. के जितने कर्मचारी हैं और जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे बातचीत कर रहा था। अध्यक्ष महोदय, अभी भी जब मैं बीच में बाहर गया हूं तो पोस्टमोर्टम में कोई दिक्कत आ रही थी, आई.ओ. नहीं था, वो ही मसला मैं सुलझाने गया था बाहर अभी। तो इसी आश्वासन के साथ...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अरे! कह दिया उन्होंने। देखिए विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी वो कह चुके हैं।

परिवहन मंत्री : आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनसे नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आपको उनकी चिंता करने की जरूरत। आपने कितना मुआवजा दिलवाया?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये कोई तरीका नहीं है। ये तो कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिए। ऋतुराज जी। बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय अभी बैठिए। मेरे पास संदेश आया है। माननीय उप–मुख्यमंत्री उत्तर दे रहे हैं। माननीय उप–मुख्यमंत्री इसी पे बोलना चाह रहे हैं ना। एक सैकेण्ड बैठिए। माननीय उप–मुख्यमंत्री जी। भई, माननीय उप–मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। भई अब मैं अलाउ नहीं कर रहा, प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, बहुत सीधा सा विषय था, इसको हमने इतना...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट बैठिए आप।

...(व्यवधान)

श्री मनीष सिसौदिया (उप–मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, किसी के भी घर में मौत बहुत दुःखद होती है और ईश्वर न करे कि किसी बीमारी की वजह से या किसी दुर्घटना की वजह से किसी के भी परिवार में, किसी के भी अपने व्यक्ति को, अपने चाहने वाले को, जानने वाले को असमय मौत का सामना करना पड़े। उस परिवार पे क्या बीतती है, हम सब जानते हैं। हम सब के परिवारों में कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं घटी हैं और हम सब उस दुःख से गुजरे हैं। उस समय दुर्योग से ऐसा होता है लेकिन कहीं न कहीं हम सब का कोई अनुभव रहा है। मैं दो तीन चीजें

कह देना चाहता हूं और विपक्ष के साथी अगर थोड़ा भी उनमें धैर्य है तो 20–25 सैकेण्ड मुझे धैर्य से सुन लें। मुझे लगता है सरकार ने अलग अलग समय पर अलग अलग पॉलिसी बनाई है, इनकी भी कई राज्यों में सरकारें हैं। उनकी अपनी पॉलिसी होंगी सबकी अपनी अपनी संवेदनशीलता का, अपनी अपनी सोच की सीमा है। इनकी भी पार्टी के बहुत राज्य, हम तो एक ही राज्य में सरकार हैं इनकी 18 राज्यों में सरकार है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली से ज्यादा संवेदनशील नीति कहीं किसी राज्य में, इनके सहित कहीं बनी हो या अब दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को लेके, अपने सिपाहियों को लेके, देश के सिपाहियों को लेके जितनी संवेदनशील है, उनके असमय मृत्यु, चाहे वो शाहदत का मसला हो या ऑन ड्यूटी कर्मचारियों की मौत का मसला हो, अभी तक जितनी रही है और जो कर्मचारी नहीं हैं किसानों से लेके मजदूरों तक पे भी संसेदनशीलता दिखाती है। लेकिन मेरा एक छोटा सा, मुझे दुःख होता है कि जब इस सब पे राजनीति, तो कुछ हद तक तो मैं भी, कहीं मेरी विधान सभा में भी कहीं किसी कि मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से जिन लोगों को हम सब जानते हैं, हम सब कहीं न कहीं जाते हैं। वहां क्योंकि जिनको जान रहे होते हैं, वहां वैसे ही दौड़ पड़ते हैं नहीं भी, तो सूचना मिलती है भई, फलाना था। नहीं भी जान रहे होते हैं तो एक जिम्मेदारीवश जाते हैं कि हम वहां के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें जाना चाहिए। लेकिन दुःख तब होता है, जब वहां कोई व्यक्ति संवेदना व्यक्त करने जाए और दूसरे पक्ष से वहां आके लोग नारे लगाते हैं। मेरा इस सदन से बिना राजनीति करते हुए, मैं विजेन्द्र जी से भी कहना चाहता हूं बाकी साथियों से भी कहना चाहता हूं कि किसी के घर मौत हो और चाहे वो कोई सत्ता पक्ष से, विपक्ष से कहीं कोई संवेदना प्रकट करने जाए और दूसरी पार्टी के लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए वहां नारेबाजी करने लगें, चार कार्यकर्ता ले जा के उस

तरह की राजनीति करनी नहीं चाहिए, जो भी करता है, आप नहीं करते होंगे, बहुत अच्छा है। ये नहीं करते होंगे, बहुत अच्छा है, जो भी नहीं करता। लेकिन जो करता है, वो बहुत घटिया है, जो भी करता है और ये मैं दूसरी बार देख रहा हूं। ये ही क्योंकि जो अभी, क्योंकि इस सदन में दूसरा मुद्दा हो गया है इसलिए मुझे क्योंकि माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया, उसके बाद बोलने की गुंजाइश नहीं थी पर मुझे लगा बात रखनी चाहिए। इसी चालू बैठक में दूसरी बार ये वाकया हुआ है कि हम किसी की मौत पे बात कर रहे हैं, उसपे बात कर रहे हैं। इसमें भी यही हुआ था जो सीवर मजदूर मरे वहां। ठीक है, सदन में भी बात करिए आप, आप मुख्यमंत्री कार्यालय में भी जाइए। नेताओं के घर पर जाइए, एम.एल. ए. के घर पर जाइए, वो अलग हैं। राजनैतिक जिम्मेदारी भी हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं। आप उठाइए, हर जगह उठाइए। इस सदन के हर सदस्य की जिम्मेदारी है। चाहे उसकी विधान सभा क्षेत्र में है या नहीं है। इस बात को उठाना और मंत्री करें, सरकार करें जो भी जिम्मेदारी हो सकती है, करें लेकिन जहां परिवार लाश का इंतजार कर रहा है हॉस्पिटल से। जहां श्मशान घाट पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहां जा के पार्टी के चार कार्यकर्ता नारेबाजी करें, वो थोड़ा दुःखद होता है। क्योंकि हुआ है, पिछली बार भी ऐसा हुआ है। मजदूरों के मामले में भी ये हुआ। जैसा अभी दलाल साहब ने बताया, ऐसा हुआ। अगर ऐसा हो रहा है तो ये ठीक नहीं है।

दूसरी, चीज मैं ये और कहना चाहूंगा कि देश में कहीं भी, पूरे देश में इस तरह की संवेदनशीलता नहीं है, जैसी संवेदनशीलता ये सरकार दिखा रही है। मैक्सिमम कम्पनसेशन देती है। चाहे कर्मचारियों को हो। एक विशेष संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने एक पॉलिसी बनायी है। क्योंकि ये

बार–बार लेके आते हैं। मैं सोचता हूं बहुत धैर्य से उसको समझ भी लें और सुन भी लें और सभी साथियों से सुन लें। कहीं देश में कहीं कोई सैनिक, भारतीय सेना से जुड़ा हुआ कोई सैनिक अपना फर्ज निभाते हुए, आतंकवादियों से लड़ते हुए, सीमा पर देश की सुरक्षा करते हुए अपनी सैनिक की ड्यूटी करते हुए अगर शहीद होता है। भारतीय फौज का कोई फौजी, तो दिल्ली सरकार ने अपनी संवेदनशीलता में कभी नहीं की है। अगर वो दिल्ली का वासी होगा तो उसके परिवार को, किसी भी मौत की कोई कीमत नहीं हो सकती। किसी के परिवार में जो लॉस होता है, मौत की वजह से, उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। कितनी राशि दे दीजिए क्योंकि व्यक्ति सामने बैठता है। गरीब परिवार में भी मिल बैठके रोटी खाते हैं। वो ज्यादा सुखद होता है बनिस्बत एक करोड़ के चेक के। लेकिन फिर भी करते हुए एक करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। दिल्ली का रहने वाला, दिल्ली का कोई नागरिक अगर फौज में देश की सेवा कर रहा है तो उसके प्रति जिम्मेदारी, उसको ये एहसास हो कि मैं जान देने के लिए यहां खड़ा हूं तो मेरा देश, मेरी दिल्ली मेरे साथ खड़ी हुई है। इसलिए उसके परिवार को। यही स्थिति अर्ध–सैनिक बलों के लिए। यही स्थिति अर्ध–सैनिक बलों के लिए। यही स्थिति फिर दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए कि अगर दिल्ली पुलिस का कोई सिपाही अपना फर्ज निभाते हुए आतंकवादियों से लड़ते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए अगर कोई शहीद होता है लेकिन ऑन द कानट्रेरी सैनिक इतने दिन से बैठे हैं, अपने मांग कर रहे हैं। उनकी कोई सुन नहीं रहा है। दिल्ली में एक सैनिक आके उस लड़ाई में अपनी जान दे देता है। दिल्ली सरकार एक करोड़ रुपये का मुआवजा देती है। आप बड़ा एक–एक करोड़ रुपये की बात करते हो। चार बार आपके एल.जी. साहब ने वो मुआवजे की फाईल लौटा दी कि हम उस सैनिक के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा नहीं देने

देंगे। आपके पास दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस तो केन्द्र सरकार के अधीन आती है। अगर किसी सिपाही की हार्ट अटैक से मौत हुई है तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार की पालिसी में तो हम रिव्यू कर सकते हैं कि वो अपना फर्ज निभाते हुए, आतंकवादियों से लड़ते हुए, अपराधियों से लड़ते हुए शहीद हुआ कि नहीं हुआ। उस पर पॉलिसी में क्या होता है। निश्चित रूप से आप हमसे कहिए और हम उसको कन्सीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी पॉलिसी में फिट होता है कि नहीं होता है। दिल्ली पुलिस का सिपाही केन्द्र सरकार का कर्मचारी है। आप अपने कर्मचारी के प्रति खुद कितने संवेदनशील हैं, उसकी तो बात करिए। उसको तो दिलवाइए वहां से पैसा। वहां पर तो आप चुप बैठे हुए हैं। वहां तो आप बात नहीं करेंगे। यहां पर बात करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये बड़ा गम्भीर मुद्दा है ऋतुराज जी।

उप मुख्यमंत्री : मैं अपने साथियों से भी कहूंगा, ऋतुराज जी दो मिनट। जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो आपसे भी रिक्वेस्ट है।

अध्यक्ष महोदय : गम्भीरता बनाये रखिए ऋतुराज जी।

उप मुख्यमंत्री : मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि एक तो ये शहीदों के सम्मान में दिल्ली सरकार ने जो संवेदनशीलता दिखाते हुए 1 करोड़ रुपये की राशि की पालिसी बनाई है, उस पालिसी को भी समझ लें। दूसरा ये है कि दिल्ली सरकार के परिवार से, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के परिवार से अगर कहीं कोई हादसा होता है। उसकी विभिन्न पॉलिसी सरकार ने बना रखी है। उसके तहत आप बात करें या न करें, सरकार देती है, आगे बढ़के देती है तीसरा, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि दिल्ली पुलिस आपके,

आपकी पार्टी की सरकार है केन्द्र में। उनके कर्मचारियों के उसमें आती है। अगर आपको इतनी संवेदनशीलता है तो वहो से कहें, करें। हमारा जो फर्ज है, दिल्ली सरकार का जो फर्ज है, दिल्ली सरकार की जो पालिसी है, उसको हम बिना मांगे, बिना कहे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें कोई गुंजाइस नहीं है। चौथा, ये है, जो लास्ट में मैंने कहा है, बीच में कहा। मैं दोहरा देता हूं कि लाख पर आपको दुःख हो रहा है, आप बिल्कुल जाएं। आपके मन में संवेदनशीलता है परिवार के प्रति। उसके परिवार के आंसुओं से आपके मन में दुःख पैदा हो रहा है, आप बिल्कुल मुख्यमंत्री को आके कहें। आप मंत्री को आके कहें। आप पार्टी पर आके करें। आप विधान सभा में आके कहें लेकिन वहां लाश पर खड़े होके नारेबाजी करवायेंगे तो लगेगा की बहुत घटिया राजनीति कर रहे हैं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : भई ये विजेन्द्र जी, मैं इस पर चर्चा नहीं चाहता। नहीं, कोई आश्वासन नहीं, प्लीज बैठ जाइए। कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। उन्होंने कह दिया, जो सरकार के नियम हैं, उसके अनुसार हम देंगे। नहीं, आप बैठ जाइए अब। नहीं सिरसा जी, आप बैठ जाइए। ये फिर राजनीति हो रही है। मैं अपनी और सदन की ओर से जो दुःखद घटना घटी है, अब विजेन्द्र जी, सुन लीजिए। मुझे सदन चलाना है। इतना समय बाकी पड़ा है। इतना विषय बाकी पड़ा है। सरकार ने क्या दिया है, सरकार ने नियम के अनुसार कह दिया। उन्होंने कहा, पीछे नौकरी दी है बच्चों को इसी घटना के कारण, कह दिया उन्होंने। नहीं, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ। उसको करेंगे। उन्होंने कहा है, खुद कहा है।। बैठिए आप। विजेन्द्र जी, बैठिए आप। प्लीज बैठिए। नहीं, बैठिए मंत्री जी। नहीं, अब कोई विषय नहीं इस पर। नहीं माननीय उप मुख्यमंत्री के बाद कोई नहीं। कोई विषय नहीं। माननीय उप मुख्यमंत्री ने सब चीजें क्लीयर कर दीं। उसके बाद

कोई नहीं। प्लीज। नहीं मैं विजेन्द्र जी, कोई उत्तर नहीं दे रहा हूं। न मैं किसी को एलाउ कर रहा हूं इस विषय पर बोलने के लिए। इतना दुःखद विषय है। मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से... कमान्डो जी ये क्या हो रहा है प्लीज। आप कमान्डो हैं भाई। मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से इस परिवार के जो दो–दो ड्राइवर हमारे अकाल मुत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनकी आत्मा को शान्ति मिले और उनके परिवार को ये दुःखद घटना को सहन करने की प्रभु शक्ति प्रदान करे, ऐसी मैं प्रार्थना कर रहा हूं। नितिन त्यागी जी।

बधाई प्रस्ताव (नियम–114)

श्री नितिन त्यागी : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। पूर्वी दिल्ली में डी.टी.यू. का जो ईस्ट दिल्ली कैम्पस खुला है, उसका एक इनविटेशन कार्ड आया और 18 अप्रैल की उसकी ओपनिंग है। इसके, उस कार्ड को देखके जो खुशी हुई है, जो अन्दर से महसूस हुआ है। सर, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री और हमारे प्यारे डिप्टी सी.एम. साहब को मैं बधाई सन्देश और सदन में प्रस्ताव कोट करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तक हमेशा से ये लगता था कि पूर्वी दिल्ली का जो इम्प्रेशन बाकी दिल्ली के लिए है या बाहर के लोगों के लिए है, जो आते हैं, तो बाकी डेलीहाइट्स हैं और हम सब यमुनापार वाले हैं। ये यमुनापार से हैं। जैसे दिल्ली के बाहर का है। बहुत पिछड़ा थोड़ा सा समझा जाता था कि अनअथोराइज्ड कालोनीज से भरा हुआ है, कोई अच्छे कॉलेजेज नहीं हैं, पढ़ाई के लिए बड़ी परेशानी है, बिजनेस का क्या है, बहुत अजीब सा जमनापार का इम्प्रेशन है, एक्सप्लेन करना भी थोड़ा मुश्किल है। मतलब बी.जे.पी. का खुद का यह नारा होता था एक समय पर कि :

नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखिया जमनापार।

यह कांग्रेस के टाइम पर, जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, तो बी. जे.पी. के जो लोग थे, तब हमारी पार्टी नहीं थी तो उनके ऊपर टौण्ट करने के लिए इस तरीके के हमेशा नारे लगाया करते थे और बड़ी असमंजस की बात है कि अब तक चार शिक्षा मंत्री रहे हैं दिल्ली में, मनीष सर को मिलाकर। सबसे पहले शिक्षा मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन जी, 1993–1998 तक डॉ. हर्षवर्द्धन थे, वो भी ईस्ट दिल्ली से। उसके बाद में नरेन्द्र नाथ जी थे, वो भी ईस्ट दिल्ली से और अरविन्दर सिंह लवली जी थे, वो भी ईस्ट दिल्ली से। मनीष जी भी ईस्ट दिल्ली से हैं, पर डॉ, हर्षवर्द्धन ने ईस्ट दिल्ली की एजुकेशन के लिए क्या किया? सॉरी, आपको कॉपी नहीं कर रहा हूं, पर कुछ नहीं किया। नरेन्द्र नाथ जी ने ईस्ट दिल्ली के लिए क्या किया, कुछ नहीं। एक्सप्रेशन वही है पर बुरा मत मानियेगा। लवली ली ने क्या किया, कुछ नहीं। पर साहब पूर्वी दिल्ली में पहली बार एक मंत्री विद अ डिफरैंस, अ मिनिस्टर विद अ डिफरैंस, उन्होंने एजुकेशन को पूरी की पूरी दिल्ली के अंदर रेवॉल्यूशनलाइज किया है और पूरी दिल्ली में किया है तो ईस्ट दिल्ली को भी कहीं पीछे नहीं छोड़ा है। न सिर्फ स्कूलों को, पर हायर एजूकेशन के लिए भी डी.टी.यू. का वहां पर कैम्पस खोलना, उसमें एम.बी.ए. जैसे इम्पोटैण्ट कोर्सेज का होना, ईस्ट दिल्ली के छात्रों के लिए यह एक मौका होना कि वो भी अपना कॉलर ऊपर करके चल सकें, यह दिया है मनीष सिसोदिया जी आपने, इसके लिए पूरी पूर्वी दिल्ली की तरफ से आपको आभार! मैं मनीष जी के लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा सर। कोई प्रपंच नहीं करते, किसी प्रकार का कोई प्रपंच नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है कि :

किरदार में मेरे भले ही अदाकारियाँ नहीं,

मतलब किसी दूसरे के इनऑगरेशन पर अपना नारियल नहीं फोड़ते, कुछ फेंक नहीं देते कि बाद में लपेटना भारी पड़ जाए। इस तरीके की हरकतें नहीं करते। सिम्पल जो करते हैं, वो दिखता है और जो कहते हैं वो करते हैं तो :

किरदार में मेरे भले ही अदाकारियाँ नहीं,
खुद्दारी है, गुरूर है, पर मक्कारियां नहीं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छे, बहुत अच्छे!

श्री नितिन त्यागी : पूरी की पूरी पूर्वी दिल्ली की तरफ से मनीष जी को, इस सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सब लोगों का सर फख्र से ऊँचा कर दिया है, थैंक यू।

अध्यक्ष महोदय : पूर्वी दिल्ली के कुछ विधायकों की ओर से मेरे पास नाम भी आए हैं, बहुत संक्षेप में ले लें, क्योंकि समय बहुत हो गया है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अध्यक्ष जी, मैं भी एक कविता के रूप में...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बार स्लिप भेज दो। स्लिप भेज दीजिए प्लीज। एस.के. बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गा : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। डी.टी.यू. द्वारा ईस्ट दिल्ली कैम्पस का 70 वर्षों बाद जमनापार में शिक्षा मंत्री जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, 18 को इसका उद्घाटन है, वहां पर दो एकड़ में बनी यूनिवर्सिटी का जो कैम्पस, जिसमें 120 सीट

बी.बी.ए. की, 120 सीट बी.ए. इकनॉमिक्स ऑनर्स की, 60 सीट एम.बी.ए. की है, 120 सीट बी.बी.ए. के लिए 1747 बच्चों ने अप्लाई किया है और 120 सीट बी.ए. इमनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 758 बच्चों ने अप्लाई किया है। 60 सीट एम.बी.ए. की हैं, जिसमें 871 लोगों ने अप्लाई किया है। मैं धन्यवाद करता हूं डिप्टी सी.एम. साहब का, आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, खड़े होकर स्टेंडिंग ओवेशन दीजिएगा डिप्टी सी.एम. को, जिन्होंने जमनापार का, अभी आप बोल रहे थे कि सारे दुखी जमनापार हैं, सभी के सभी खुश हो गए हैं और आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप जमनापार में बच्चों के लिए ऐसे कैम्पस का उद्‌घाटन करने जा रहे हैं और आने वाले समय में भी, आपने जो शिक्षा में काम किया है, पूरे वर्ल्ड में आपकी तारीफ हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर टिप्पणी की है कि सबसे बढ़िया काम दिल्ली में हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी ऐसे काम होंगे। पहली सरकारों ने शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसको कमर्शियलाइज किया है, सरकारी स्कूलों का सत्यानाश करके अपने–अपने स्कूल खोलकर उसमें व्यापार करने की कोशिश की है। तो मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से भी कि उनको अक्ल दें, ऐसे काम न करें और आपको इतनी ताकत दें कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में आप बढ़–चढ़ कर काम करें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बाजपेयी, बहुत संक्षेप में।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : अध्यक्ष जी, दिल्ली टेक्नीकल यूनिवर्सिटी का पूर्वी दिल्ली में खुलना यह अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है। जैसे नितिन भाई अभी कह रहे थे कि पूर्वी दिल्ली के जब इधर के लोग उधर जाते थे तो लोग कहते थे कहां रहते हो, बोले पूर्वी दिल्ली में, वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो गाजीपुर के बूचड़खाने की ओर इशारा किया

करते थे। लेकिन कम से कम इतना जरूर, आज हम सभी लोगों के लिए, सदन के लिए सौभाग्य का दिन है कि हमारे डिप्टी सी.एम. साहब आदरणीय मनीष सिसोदिया जी के प्रयत्न से आज पूर्वी दिल्ली के अंदर एक नया पूर्वी दिल्ली कैम्पस का उद्घाटन 18 तारीख को होने जा रहा है, इसके लिए मैं तहेदिल से माननीय उप मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करता हूं और अध्यक्ष महोदय, आपका भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि हम सब लोग विधायक बैठे हुए हैं और आज अगर यह श्रेय, आपने भी इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया है, जो मैं समझता हूं, इसके लिए आपका भी बहुत–बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत–बहुत शुक्रिया।

आज मैं सुबह एक बुजुर्ग आदमी के पास, कल जैसे मुझे आपसे जानकारी मिली तो मैं 81 वर्ष के एक बुजुर्ग, जिन्होंने शिक्षा के ऊपर बड़ी किताबें भी लिखी हैं, मैं उनको सुबह देखने गया। मैंने उनको यह कार्ड दिखाया, मैंने कहा साहब, पूर्वी दिल्ली के अंदर यह बहुत अच्छी एक बड़ी युनिवर्सिटी खुलने जा रही है जिसमें लोग बी.बी.ए., एम.बी.ए. सभी लोग करेंगे तो वे बोले मनीष जी को मेरी तरफ से आदाब बोलना और मैं मनीष जी से कहूंगा भी कि एक 81 साल के ऐसे व्यक्ति हैं, एक दिन आपको उनको देखने के लिए भी ले चलूंगा। एक उन्होंने अपना खुद का लिखा हुआ शेर आपको दिया है। मैं जरूर सदन में सुनाना चाहूंगा कि :

मैं मुफलिस सही, बेगाना सही, तेरे दर पर सदा करके चला लाऊँगा।

माना मेरे दामन में कुछ भी नहीं है मनीष जी,

माना तेरे दामन में कुछ भी नहीं है, आया हूं तेरे दर पर, तेरे दुआ करके चला जाऊँगा।

बहुत–बहुत धन्यवाद, लेकिन एक बाद मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि जब भी पूर्वी दिल्ली

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बाजपेयी जी, आप कन्क्लूड करिये।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : जब भी पूर्वी दिल्ली की बात होती है, सर दिल्ली के लोग बहुत से होते हैं, विपक्ष के लोग भी बैठे हैं, कम से कम इस बात पर तो खड़े होकर एप्रिशिएट करिये, इतना मेरा आपसे अनुरोध है प्लीज। आपका बहुत–बहुत शुक्रिया, बल्कि मैं तो विजेन्द्र गुप्ता जी, आपसे भी, जगदीश जी से भी, एक बार आप लोग खड़े होकर अगर इस तरीके से करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बाजपेयी, आप अपनी बात रखिये प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : पहले खुलने तो दो।

...(व्यवधान)

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : खुल गई है सर!

अध्यक्ष महोदय : चौ. फतेह सिंह।

चौ. फतेह सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष जी, यह बड़ी खुशी की बात है कि माननीय सिसोदिया जी के अथक प्रयास से जमनापार में एक यूनिवर्सिटी का उदय हुआ है और यह भी सत्य है कि यह उदय एक शुरूआत है। जैसे कहा जाता था कि सारे दुखिया जमनापार, अब दुखिया जमानापार जो

है, रहने वाला नहीं है। अब सुखिया की ओर बढ़ने वाला है और पिछले 2015 के बजट में भी माननीय सिसोदिया जी ने दो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट और एक डिग्री कॉलेज खोलने का वायदा जमनापार के लिए किया था और मुझे उम्मीद है कि उसके प्रयास जो है, निरंतर जारी हैं और उस प्रयास में 95 बीघे जमीन की चार दीवारी, मंडोली गांव के अन्दर सरकार के द्वारा किए गए, पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा किए गए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वहां पर एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट और एक डिग्री कॉलेज उस मंडलोली के अंदर खुलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं माननीय सिसोदिया जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जमनापार के अंतर्गत नई शिक्षा का उदय आने वाले समय में भी होगा, इन्हीं शब्दों के साथ जयहिंद, जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी कविता पढ़ना चाह रहे हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अध्यक्ष जी, मेरी बात को लाइट मूड में लिया जाए क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि कोई किसी के ऊपर व्यंग्य या किसी के लिए नहीं है, ये तो एक हाउस के लाइटमेंट के लिए है और खासकर पर क्योंकि मनीष सिसोदिया जी बैठे होते हैं, तो बड़ी दिक्कत पता है, क्या आती है कि यहां पर जब हम हाउस के अंदर कोई बातचीत करते हैं, खासतौर पर मनीष सिसोदिया जी का डर और खौफ इतना है इस हाउस के अंदर कि सारे एम.एल.ए. हमारे पर टूट पड़ते हैं। सबको पता है किये कुछ बना सकते हैं, कुछ उतार सकते हैं। हमारे इस सत्र में यहीं विधानसभा में ही एक प्रेस के मित्र ने ही सुनाया उसे मैं जरूर सुनाना चाहता हूं अपने हाउस को भी

'राजा बोला रात है,
मंत्री बोला रात है,

पीछे पीछे संतरी भी बोला रात है,
सारे बोले रात है,
और
ये बड़ी सुबह सुबह की बात है'

उस हाउस के अन्दर भी इसी तरह से हमें खुशी हे कि जब राजा रात बोलता है तो सारे पीछे पीछे बोलते हैं चाहे बहुत सुबह सुबह ही क्यों न हो पर बोलते सभी रात हैं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मनोज जी। अंतिम मनोज जी, संक्षेप में मनोज जी, बस।

श्री मनोज कुमार : बहुत बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि मुझे भी इस गौरवपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर मिला और मैं जितनी भी बधाई दिल्ली सरकार को दूं, माननीय मंत्री जी को दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम बढ़ते जा रहे हैं लगातार, निरंतर उन्हें रोकने केलिए जिस तरह से अड़चनें पैदा करती जा रही है केन्द्र सरकार, उसके बावजूद भी हम शिखर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उसी कड़ी में एक पूर्वी दिल्ली का नाम जो पूरी दिल्ली में एक आटो वाले से कहो कि भई पूर्वी दिल्ली जाना है या मयूर विहार जाना है या लक्ष्मी नगर जाना है, अच्छा जमना पार जाना है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे हमने पता नहीं उसकी आत्मा ही मांग ली हो! लेकिन आज जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारी पूर्वी दिल्ली में भी कदम बढ़ते हुए हैं। उसमें जो माननीय मंत्री जी ने डी.टी.यू. खोलने जा रहे हैं 18 तारीख को दिल्ली टेक्निकल युनिवर्सिटी, उससे हमारी पूर्वी दिल्ली का गौरव और मान सम्मान लगातार बढ़ रहा है। मेरी कोंडली में जो स्कूल्स हैं, उनके अंदर भी बहुत सुधार हुए। उनमें भी

दो स्कूल, मॉडल स्कूल मेरे बने। मैं डेली स्कूल जा रहा हूं आजकल। कल गया था, अध्यक्ष महोदय, स्कूल देखकर ऐसे लगा कि वापिस बच्चा बनकर क्यों न स्कूलों में दोबारा एडमिशन लिया जाए। इतने सुंदर स्कूल बना दिए गए हैं, जो कल्पना ही नहीं की जा रही थी, वो चीजें आज हो रही हैं। मैं हृदय की गहराई से पूर्वी दिल्ली की तरफ से माननीय मंत्री जी को कोटि कोटि बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे यहां पर डी.टी.यू. खोलकर के हमारा मान सम्मान, हमारी पूर्वी दिल्ली का गौरव मान बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मैं दो शब्द न बोलूं तो बात अधूरी रह जाएगी। मैं इसलिए नितिन जी ने शेर पढ़ा तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका, ताली मैंने भी बजाई। केवल बजाई उस वक्त क्योंकि ये जो डी.टी.यू. का ईस्ट दिल्ली कैंपस खुल रहा है, ये मेरी विधानसभा में खुल रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि छोटी चीज मांगूंगा, मिलेगी बड़ी। मैंने मनीष जी से कई बार कहा एक बी.एड. कालेज महिलाओं के लिए मेरे यहां खुलवा दो और मनीष जी ने मुझे नहीं मालूम था, मैंने बी.एड. कालेज मांगा छोटा सा कि मुझे पूरा डी.टी.यू. का कैंपस मिलने जा रहा है मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दे रहा हूं।

दिल्ली की जनता अब तक कहती थी नार्थ कैंपस में या साउथ कैंपस में, अब ये भी कहेगी कि ईस्ट दिल्ली कैंपस में मैंने एडमिशन पाया, बहुत बहुत बधाई मनीष जी को। मनीष जी अगर दो शब्द बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। दो शब्द बोल लीजिए।

श्री मनीष सिसोदिया (उप मुख्यमंत्री) : शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, सभी विधायक साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिरसा साहब का भी बहुत

बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी दुःखती रग हमारे हवाले से कम से कम यहां तो सुनाई। एक बात कहना चाहता था, विजेन्द्र जी चले गए। सिरसा जी को कह देता हूं कि :

थोड़ा संभल कर किया करो लोगों से बुराई मेरी
तुम्हारे अपनों में भी मेरे मुरीद हैं।

क्योंकि ईस्ट दिल्ली में कैंपस खुल रहा है तो ऐसा मत समझना कि... ईस्ट दिल्ली में दो विधायक तो आपके भी हैं और अच्छा उनको भी लग रहा होगा। देखिये जितने भी कालेजेज खुल जाएं दिल्ली में, उतना अच्छा है। बात बीस कॉलेज की नहीं है। ये कोई मतलब हमारा कोई रिलीजियस टारगेट नहीं है कि साहब, इतना नहीं किया तो भगवान कुपित हो जाएंगे या हमें श्राप मिल जायेगा। हमें लगता है कि शिक्षा तो पुण्य है, जितना कर लिया जाए, उतना कम है। उसी दिशा में और हमारी तो कल पुष्कर भाई से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक शब्द दिया मुझे अच्छा लगा। वो बोले, "एक तरफ फर्जी राष्ट्रवाद चल रहा है ओर एक तरफ शिक्षित राष्ट्रवाद चल रहा है।" मैं पुष्कर जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वो शब्द इसका दिया क्योंकि हमारा राष्ट्रवाद तो शिक्षा से है। हमारा सिंबल्स पर नहीं है, सिंबल्स का हमको सलाम है, सिंबल्स का सम्मान है पर असली राष्ट्र की असली पूंजी तो हमारे बच्चे हैं जिनको हम शिक्षित कर देंगे, तो राष्ट्र खड़ा होगा और अगर बच्चों की शिक्षा हमने बर्बाद कर दी तो राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता, हम चाहे जहां पैसा लगा लें, जितना पैसा लगा लें, चाहे जो कर लें। तो उसी पर हम काम कर रहे हैं। ये डी.टी.यू. भी आपके मार्गदर्शन में सभी विधायक साथियों के मार्गदर्शन में क्योंकि स्पेस था, कुछ अवसर बन रहे थे, तो मैंने सभी साथियों से पूछा भी कि इंजीनियरिंग कालेज से शुरूआत करें या कैसे? तो कई

साथियों ने, आपका खुद का मार्गदर्शन था तो एक अच्छी शुरूआत हो रही है पूर्वी दिल्ली में। वहां से बच्चों को फायदा मिलेगा। डी.टी.यू. का सबसे बड़ा फायदा क्योंकि डी.यू. के तहत भी कालेज खोले जा सकते हैं नये, लेकिन उनका फिर फायदा अभी मिलता नहीं। दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के बच्चों को नहीं मिलता। कहने के लिए एक कालेज और नया हो जाता। डी.टी.यू. का एक कैंपस जो कि एक कालेज से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से चलेगा, उसका फायदा ये है कि इसमें 85 परसेंट एडमिशन दिल्ली के बच्चों को ही मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात होगी और जैसा मैंने कल भी कहा था कि हमारी कोशिश है कि दिल्ली टेक्निकल एजुकेशन, मैनेजमेंट इन सब में एक अलग तरीके से उभरे डी.टी.यू. का एक्सपेंशन उसी दिशा में एक प्रयास है, बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप–मुख्यमंत्री वित्त विभाग से संबंधित अंग्रेजी की कार्यसूची में दर्शाई गई अधिसूचनाओं की अंग्रेजी हिन्दी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे :

श्री कैलाश गहलौत : अध्यक्ष महोदय, एक चीज कहना चाहूंगा। सर, सबसे पहले मैं डिप्टी सी.एम. साहब को बहुत बहुत बधाई और जितने भी ईस्ट दिल्ली के विधायक हैं और पूरी जनता को, सर, ईस्ट दिल्ली कैंपस हो गया सर, नार्थ कैंपस हो गया, साउथ कैंपस हो गया तो वेस्ट के जितने भी एम.एल.ऐज. हैं और पूरा जो दिल्ली देहात है, अगर वेस्ट दिल्ली कैंपस भी दे दें, तो मेरे ख्याल से सर जनता बहुत बहुत आभारी रहेगी आपकी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : ... वेस्ट का मतलब आउटर दिल्ली नहीं है। अब ये नहीं आउटर दिल्ली को अलग कैंपस दो। हमें खुशी होगी, दो, दे दो उनको। हम उनकी कैंपस नहीं रोक रहे लेकिन वेस्ट का मतलब

वेस्ट और वेस्ट जो है; राजौरी गार्डन, तिलक नगर और हरि नगर तक जाकर रहता, अब ये मत कहना कि वेस्ट से जनकपुरी...

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, आपको मौका मिला था, आपने मांग नहीं की। केवल मंत्री जी ने मांग की है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : नहीं अच्छा है, उन्होंने कहा मैंने सुन लिया। ऐसा होता है मांगने की भी कला किसी किसी को ही होती है। हमारे में मांगने की कला नहीं रही। उन्होंने मांगा, हमें खुशी है, उनको भी दो और हमें भी दो।

उप मुख्य मंत्री : मैं यह कमिट कर रहा हूं कि अगर ये सभी विधायक जिसमें सिरसा जी भी हैं और अपने वेस्ट दिल्ली के बाकी विधायक भी हैं। जैसे अभी उधर मैं था, देहात क्षेत्र में तो वहां उन्होंने मुझे कई जमीनें बताईं। मैंने उनको ये भी बता दिया कि अभी एन.एस.यू.टी. बनेगी। एन.एस.यू.टी. का कैंपस उधर खोल सकते हैं। देखिये, अपने पास युनिवर्सिटीज हैं और हम तुरंत उनके कैंपसेज खोल सकते हैं। एक मेरा मन है, कई साथियों से बात हुई है। आई.जी.डी.टी.यू. जो हमारी महिला युनिवर्सिटी है, टेक्नोलाजिकल युनिवर्सिटी है, बहुत शानदार युनिवर्सिटी है। उसकी क्वालिटी बहुत शानदार है वो कश्मीरी गेट से ही चल रही है जैसा मैंने कल भी ये जिक्र किया था, हल्के मैं था लेकिन ये बड़ा सुखद संयोग है कि देश में इंजीनियरिंग, टेक्नोलाजी इंजीयरिंग एजुकेशन का कभी इतिहास लिखा जाएगा तो कश्मीरी गेट उसका मक्का मदीना जैसे पवित्र जगह मानी जाएगी क्योंकि वहां से युनिसर्विटीज निकल रही हैं। तो अगर आप मुझे कहीं जगह दिलवा दें, डी.डी.ए. से बात कर लें। आप टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को लैंड दिलवा दो, 'एप्रोपिएट फॉर अ कॉलेज काइण्ड

ऑफ कैम्पस, कालेज' खुलवाना मेरी जिम्मेदारी है वहां पर। अच्छा एक चीज है, कर्मपुरा आपके वेस्ट में ही आता है और सबसे पहला अंबेडकर, जो दिल्ली सरकार ने जब एक्सपेंशन करना शुरू किया था तो सबसे पहले दिल्ली के कालेजेज की संख्या में जो... कालेज के अलावा वृद्धि होनी शुरू हुई थी, तो अंबेडकर युनिवर्सिटी का वेस्ट दिल्ली कैंपस कर्मपुरा में खुला था, वहां से कालेज बनना हुआ था, तो ऐसा नहीं कह सकते। वहां पर पहले से ही बेस्ट होना शुरू हो गया था। सबसे पहला बेस्ट स्ट्रोक वहीं लगा था। खैर! अध्यक्ष महोदय, मैं फॉर्मल बिजनस पर आ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में दर्शाई गई वित्त विभाग से संबंधित निम्नलिखित अधिसूचनाओं की हिंदी/अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर रखता हूं[1] :

Sl. No.	Locality	Area in Sqm
(1)	F.3(10)/Fin(Rev-I)2017- 22 to 30, 139, 146 22/6/2017	Commencement of Sec. 1 to 5, 10, 18/DS-VI/339 dated & 164 of the DGST, Act, 2017
(2)	F.3(10)/Fin(Rev-I)2017- supply of goods or 22/6/2017	Exemption of persons engaged in 18/DS-VI/340 dated services or both, total tax on which liable to be paid on reverse charge basis, from registration.
(3)	F.3(10)/Fin(Rev-I)2017- 18/DS-VI/341 dated 22/6/2017	Notification or www.gst.gov.in As the common portal GST Electronic portal.

Sl. No.	Locality	Area in Sqm
(4)	F.3(10)/Fin(Rev-I)2017-18/DS-VI/342 dated 22/6/2017	DGST (Composition & Registration) Rules 2017
(5)	F.3(11)354 dated 30/6/2017	Notification of Commencement of section 6 to 9, 11 to 21, 31 to 41,42 except proviso to sub-section (9) of section 42,43 except proviso to sub-section 9 of section 43, 44 to 50,53 to 138, 140 to 145, 147 to 163 & 165 to 174
(6)	F.3(12)355 dated 30/6/2017	DGST (Composition & registration) Amendment Rules 2017.
(7)	F.3(13)/Fin(Rev-I) 2017/DS- VI/356 dated 30/6/2017	DGST (Second Amendment) Rules 2017
(8)	F.3(14)/Fin(Rev-I) 2017-18/DS-VI/357 dated 30/6/2017	Fixation of upto Rs. 75 lakh As the limit of turnover for eligibility for option for composition scheme.
(9)	F.3(14)/Fin(Rev-I) 2017-18/DS-VI/358 dated 30/6/2017	Rates of interest perAnnum for purposes section 50, 54 & 56

[1]पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर–20074–20102 पर उपलब्ध।

Sl. No.	Locality	Area in Sqm
(10)	F.3(16)/Fin(Rev-I) 2017-18/DS-VI/359 dated 30/6/2017	Appointment/Notification of officers for the purpose of DGST Act, 2017
(11)	F.3(15)/Fin(Rev-I) 2017-18/DS-VI/360 dated 30/6/2017	Exemption from whole of state tax of A registered person dealing in buying & Selling of record had good, on Such goods supplied by An unregistered person.
(12)	F.3(15)/Fin(Rev-I) 2017-18/DS-VI/361 dated 30/6/2017	Exemption from state tax of deductor receiving supply from An unregistered supplier provided the deductor is not liable to be registered.
(13)	F.3(15)/Fin(Rev-I) 2017-18/DS-VI/364 dated 30/6/2017	Exemption of intra state supplies upto Rs. 5000/- per day received from unregistered person(s) state tax.
(14)	F.3(15)/Fin(Rev-I) 2017-18/DS-VI/367 dated 30/6/2017	Exemption of supplies of goods by CSD to unit run canteens & Authorized customers And supplies of goods to unit run canteens to Authorized person from whole of state tax.

Sl. No.	Locality	Area in Sqm
(15)	F.3(15)/Fin(Rev-I) 2017-18/DS-VI/370 dated 30/6/2017	Specification of CSD As A person who shall be entitled to claim 50% of Applicable state tax paid by it on All inward supplies of good received by it for the purpose of supply of such goods to unit run canteens.
(16)	F.3(15)/Fin(Rev-I) 2017-18/DS-VI/371 dated 30/6/2017	goods in respect of refund of unutilized ITC shall not be Allowed, whose credit has Accumulated on Account of rate of on input its higher than the rating tax on output supplies of such goods (other than nil rated or fully exempted supplies.)
(17)	F.3(15)/Fin{Rev-I) 2017-18/DS-VI/372 dated 30/6/2017	Specification of supplies of goods in respect of which state tax will be paid on reverse charge basis by the recipient of the supplies.
(18)	F.3(15)/Fin{Rev-I) 2017-18/DS-VI/373 dated 30/6/2017	Exemption of intra state of supplies of goods form state tax in excess of tax on calculated As the rate specified in column 4 table given in the notification.

Sl. No.	Locality	Area in Sqm
(19)	F.3(15)/Fin{Rev-I) 2017-18/DS-VI/360 dated 30/6/2017	Exemption of intra state of supplies of goods specified in column 3 from state tax.
	F.3(19)/Fin{Rev-I) 467 Dt. 26/07/17	Corrigendum to Notification No. 2/2017 state tax (Rates)
(20)	F.3(15)/Fin{Rev-I) 2017-18/DS-VI/375 dated 30/6/2017	Notification regarding payment of tax on intra state supply of services by electronic commerce operators in case of services by way of transportation of passenger by Radio taxi cab etc.And by Away of services by providing Accommodation in hotels etc.
(21)	F.3(15)/Fin{Rev-I) 2017-18/DS-VI/376 dated 30/6/2017	Notification regarding Specification of UN & Foreign diplomatic mission etc. for the purpose of section 55 of DGST Act, 2017 subject of condition specified in the notification.
(22)	F.3(15)/Fin{Rev-I) 2017-18/DS-VI/377 dated 30/6/2017	Notification of non-admissibility of refund on unutilized ITC in case of Apply of services specified in sub-items (b) items of schedule II of the DGST Act.

Sl. No.	Locality	Area in Sqm
(23)	F.3(15)/Fin{Rev-I) 2017-18/DS-VI/378 dated 30/6/2017	Notification of service by way of Any Activity in relation to A function entrusted toA panchayat under Articie 243G of the constitution As neitherA supply of goods nor A supply of service.
(24)	F.3(15)/Fin{Rev-I) 2017-18/DS-VI/379 dated 30/6/2017	Notification of categories of services the whole of the state tax on which shall be paid on reverse charge basis.
(25)	F.3(15)/Fin{Rev-I) 2017-18/DS-VI/380 dated 30/6/2017	Exemption from state tax on intra state supplies of services, in excess of tax calculated At the rate specified in column 48 of the table.
(26)	F.3(15)/Fin{Rev-I) 2017-18/DS-VI/381 dated 30/6/2017	Rates of state tax on intra state supplies of services specified in column 3 of the table subject to condition in column 5.
(27)	F.3(15)/Fin{Rev-I) 2017-18/DS-VI/382 dated 30/6/2017 F.3(15)/Fin(Rev-1) 2017-18/DS-VI/466 dated 27/7/2017	Notification rates of state tax on intra state supplies in schedules I to VI Corrigendum to Notification No. 1/2017 state tax (Rates)

Sl. No.	Locality	Area in Sqm
(28)	F.3(17)/Fin{Rev-I) 2017-18/DS-VI/412 dated 04/7/2017	Authority for Advance ruling
(29)	F.3(18)/Fin{Rev-I) 2017-18/DS-VI/488 dated 19/7/2017	DGST (Third Amendment) Rules, 2017

अध्यक्ष महोदय : अब सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

सदन अपराह्न 5.00 पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)

अध्यक्ष महोदय : अभी कैलाश गहलौत जी हैं नहीं सदन में। अल्पकालिक चर्चा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सी.सी.टी.वी. सिस्टम लगाने में विलम्ब, के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे, श्री हजारी लाल जी।

श्री हजारी लाल : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान सी.सी. टी.वी. कैमरा के सिस्टम पर दिलाना चाहता हूं। सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं। क्योंकि बहुत जरूरी है सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाना। आज हालात ये हैं कि दिल्ली शहर में पूरी दिल्ली सी.सी.टी.वी. कैमरों से कवर होनी चाहिए ताकि लोगों को उनके कोई फायदे मिल सके। जैसे अपराधियों को पकड़ने में इससे मदद मिलेगी। आज कल चैन स्नेचिंग हो रही है। इससे

ऐसे अपराधियों को पकड़ा जा सकेगा। जो लोग रात में लाईन में सीधा अवैध कनैक्शन कर लेते हैं, पकड़े जायेंगे। अभी हाल में मेरे एरिया में कुछ झुग्गियां तोड़ी गई हैं। जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि वह बहुत पुरानी हैं। अगर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे होंगे तो ऐसे अवैध कब्जों को रोका जा सकेगा। इसके साथ ही कुछ असामाजिक तत्व हमारे कामों में अड़ंगा लगाते हैं। हम लोग जनता के जितने काम करना चाहते हैं तो विभिन्न तरीकों से कामों में रुकावट डालते हैं, उन्हें भी सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने में पकड़ा जा सकेगा। इससे तमाम महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराधों पर भी लगाम लग सकेगी। उन्हें अनेक तरीके के अपराधों से बचाया जा सकेगा। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कार्य को जल्द से जल्द किया जाए ताकि दिल्ली की जनता को इससे अनेकों लाभ मिल सकें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवचरण गोयल जी।

श्री शिवचरण गोयल : धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने इस चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया और ये सदन में मेरा पहला मौका है। इसके लिए मैं विशेष आपको धन्यवाद दूंगा। एक आम आदमी को क्या चाहिए? शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। शिक्षा में तो हमारे मनीष जी रिकार्ड तोड़ रहे हैं और जो दिल्ली में काम हो रहा है, उसकी प्रसंशा तो पूरे देश और विदेशों में भी हो रही है और चिकित्सा के अंदर तो मोहल्ला क्लीनिक और हॉस्पिटल इतनी स्पीड हसे खुल रहे हैं। उसके साथ–साथ ही हमारा एक फोकस रहेगा। जबकि सुरक्षा की पूरी ड्यूटी सेन्टर के पास है। एक सी.सी.टी.वी. एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सुरक्षा की तरफ एक अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं। सी.सी.टी.टी. जहां लगे होते हैं, वहां पर अपराधी के अंदर एक खौफ होता है, उसके मन में एक डर होता है कि

मुझे कहीं कोई देख रहा है। एक प्रोफेशनल और एक नया अपराधी एक अपराध करने से पहले सोचता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। यह डर अभी कम है। जिन भी मार्किटों में सी.सी.टी.वी. लगा है, एक वहां पर अध्ययन हुआ है कि वहां पर व्यापार भी बहुत स्पीड से बढ़ता है कि वहां के लोग सेफ समझते हैं कि यहां पर व्यापार करना सेफ है। यहां पर पेसे के लेन देन में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। हर जगह एक सी.सी.टी.वी. का एक महत्व है और सी.सी.टी.वी. पुलिस की कार्रवाई में भी काफी सहायक है। अभी चंडीगढ़ का जो केस था इसमें सी.सी.टी.वी. का जो रोल था, उसकी वजह से ही ये पता लगा कि पूरी गाईड लाईन मिली और उसके बाद ही अपराधी वो पकड़ में आये। ये सारी पिक्चर आपके सामने है और महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए सी.सी.टी.वी. जो हमारा एक अहम मुद्दा था कि हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिये इसके ऊपर एक पहल करनी है। आज जिस भी क्षेत्र में सी.सी.टी.वी. लगे होते हैं, वहां पर अपराधी छेड़खानी से पहले ये देखते हैं कि ये सी.सी.टी.वी. तो नहीं लगा हुआ, एक डर का माहौल रहता है सी.सी.टी.वी. के माध्यम से। मुझे तो यहां तक लोग कहते हें कि चाहे सी.सी.टी.वी. भी नहीं लगा हो, एक लिख दें उसके ऊपर आप सी.सी.टी.वी. की निगरानी में हैं तो वो उसी से अपराधी के बीच में एक खौफ आ जाता है और यदि सी.सी.टी.वी. लगा हो तो उसके कितने महत्व हैं तो मुझे इसके बारे में तो यही कहना है कि सी.सी.टी.वी. लगने और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी अभी ढेड़ लाख कैमरे की जो बात कही थी, उसके बाद से मैं पूरी एसोसियेशस में मिला, आर.डब्ल्यू.ए. से मिला तो इनके अंदर उत्साह है कि हमारे यहां पर सी.सी.टी.वी. कैमरे कितनी जल्द लग रहे हैं लेकिन अभी तक भी इसकी कार्रवाई पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से नहीं हो पाई। मैं अपने मंत्री जी को

कहूंगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और पूरी दिल्ली की जनता इसका फायदा उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इसमें बोलने दिया, धन्यवाद।

विधेयक पर विचार एवं पारण

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पर विचार करना अब श्री कैलाश गहलोत जी माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 10 अगस्त 2017 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या 6) पर विचार किया जाये।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कैलाश गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 10 अगस्त, 2017 को सदन में पुरस्थापित दिल्ली समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या 06) को पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में है वो हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं वो ना कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय मंत्री जी इस पर विस्तृत विवरण रखेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस बिल पर पहले चर्चा हो चुकी है लेकिन फिर भी सदन के रिकार्ड के लिये और एक बार फिर दोबारा सभी माननीय सदस्यों के मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए दिल्ली

राइट ऑफ सिटीजन टु टाइम बाउण्ड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, अध्यक्ष महोदय, 2011 का एक्ट है। इस एक्ट में लास्ट टाइम जब बिल इन्ट्रोड्यस हुआ सदन में तो दो तीन जो इम्पोरटेंट चीजें हैं, जो दिल्ली सरकार ने इसमें अमेंड करनी चाही, उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसमें जो इम्पोर्टेंट उसके फीचर्स हैं, उसमें ये काफी ठीक तरीके से लिखा जाता है कि इसका इम्लीमेंटेशन कैसे होगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो इस बिल में एक्ट में नहीं भी हैं, हर दिन, हजारों लोग अध्यक्ष महोदय, अलग–अलग सरकारी आफिस में जाते हें। एग्जापल के लिए अगर आप राशन कार्ड बनवाने जायें या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जायेंगे उसमें रिप्लाई करने के बाद एक्ट के तहत ये था कि अगर विदिन प्रेस्क्राइब्ड टाइम अगर वो सर्विस, अगर वो डाक्यूमेंट उस व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होता है तो उसका दस रुपये पर डे के हिसाब से उसको कम्पनसेट किया जायेगा लेकिन उसमें मैक्सिमम लिमिट लगभग दौ सौ रुपये की एक्ट के अंदर थी और इसकी जिम्मेदारी अगर सर्विस लेट हुई लेकिन इसकी जिम्मेवारी और इसकी रिस्पॉन्सिबिल्टी जो इफक्टिड पार्टी है, उसी के ऊपर थी। तो अगर वो कम्पनेसेशन लेना चाहता है तो उस व्यक्ति को उस डिपार्टमेंट में एप्लाई करना पड़ता और उसके बाद भी वो डिपार्टमेंट उस पर निर्णय लेगा कि वाकई में देरी हुई या नहीं हुई। और चूंकि रिस्पान्सिबिल्टी उसी व्यक्ति पर थी और ये कहना गलत नहीं होगा कि 2011 से एक्ट इम्पलीमैंट होने के बावजूद मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आया कि जिसमें जिस व्यक्ति को प्रेस्क्राइब्ड टाइम में वो सर्विस नहीं मिली। शायद ही किसी ने एप्लाई किया हो और उसको वो कम्पनसेशन मिला हो। उसको ये सरकार ने ताकि एकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, ताकि रिस्पॉन्सिबिल्टी फिक्स हो ताकि

जो एक्ट का बेसिक इन्टेन्शन है कि हरेक नागरिक का ये अधिकार है कि अगर वो कोई भी डाक्यूमेंट के लिए एप्लाई करता है किसी भी चीज के लिए एप्लाई करता है और विदिन प्रेस्क्राइब्ड टाइम पर अगर उसको वो सर्विस अवेलेबल नहीं है तो उस आफिसर को एकाउंटेबल करने के लिए सरकार ने ये अमेडमैंट लास्ट टाइम इन्ट्रोड्यूस किया था कि जब तक उसको सर्विस नहीं मिलेगी, जब तक उसको वो डाकयूमेंट नहीं मिलेगा तो पर डे उस आफिसर पर फाईन रहेगा। that officer will have to bear that per day and there is no limit now. दो सौ रुपये की जो लिमिट एक्ट में थी और ये बड़ा सोच समझ के सरकार ने ये कदम उठाया कि अगर आफिसर्स को ये पता है कि अपर लिमिट 200 रुपये है तो जो एक्ट की बेसिक इन्टेंनशन है, एक्ट की जो बेसिक सोच है और जो रिलीफ इस एक्ट के द्वारा लाखों लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला उस टाईम। तो मैं समझता हूं ये एमेंडमेंट एक बहुत इम्पार्टेंट एमेंडमैंट है और इसके फॉर रीचिंग कन्सक्वैन्सेज होंगे। जो ऑफिसर रिस्पोन्सीबल है, अगर उसको मालूम है कि जब तक सर्विस नहीं मिलेगी पर डे फाईन उसको देना पड़ेगा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये कदम होगा। सेकिण्ड, जो सबसे इम्पारेर्टेंट दूसरा जो इस बिल में जो अमेंडमेंट जो मूव किया है कि कॉस्ट इम्पोज्ड करने की रिस्पोन्सीबिलिटी, तो एक्ट में उन्होंने बोल दिया कि so and so officer is competent to impose the cost. लेकिन उसकी रिकवरी कैसे की जायेगी, उसका कहीं भी एक्ट में प्रॉपर तरीके से मैन्शन और उसको कहीं भी प्रॉपर तरीके से एलैबोरेट नहीं किया हुआ था लेकिन इस अमेंडमेंट के द्वारा इस बिल के द्वारा एक सैपरेट सैक्शन इन्ट्रोड्यूस किया जा रहा है; सैक्शन 9ए जो इसमें आप इजाजत दे। तो मैं पढ़ना चाहूंगा उसको ताकि पूरा सदन उसको ध्यान से सुन सके। वो कहता हैः "Competent officer shall be responsible for monitoring, compliance of time dura-

tion prescribed by the citizen charter of provision of various services in his department." तो जो कम्पीटैण्ट ऑफीसर है अध्यक्ष महोदय, ये डेपुटी सैक्रेटरी रैंक से नीचे का आफिसर नहीं होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिल्टी होगी कि ये टाईम टू टाइम उसको मोनिटर भी करे और सैक्शन 8 वो भी इसमें अमेंड किया गया है, अगर सर्विस में डिले है तो जो रेलेवेंट पार्ट इसमें हम अमेंड कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, "If there is a delay in providing a citizen related services, it shall be the duty of the concerned competent officer to ensure that compensation as per section-7 is paid to the applicant within days as prescribed under the rules on which the services provided, failing which the citizen shall be paid double the said amount and it shall be deducted from the salary of the Competent Authority."

तो अध्यक्ष महोदय, अगर वो सर्विस में डिले हुआ है। failing which the citizen shall be paid double the said amount. अगर डिले हुआ है सर्विस में और उसके बावजूद उसको जो कंपोजीशन मिलना चाहिए था, अगर उसको कंपोजिशन नहीं मिलता है, तो उसका डबल अमाउंट जो है, वो सिटीजन को दिया जायेगा। तो अपने आप में ये एक और एक मेजर चैंज है अध्यक्ष महोदय। तो इस पूरे बिल की इंटेंशन है, वो यही है कि अकाउंटिबिलिटी एंड रिस्पोंसिबिलिटी आफ दैट कंपीटेंट आफिसर, जो है वो फिक्स होता कि आफिसर पर ये पूरा दबाव रहे कि जो भी सर्विसेज हैं, वो विदिन प्रेसक्राइब टाईम और हरेक डिपोर्टमेंट अपने अपने एक लिस्ट विदिन 30 डेज आफ द नोटिफिकेशन ये लिस्ट जो है, उसको जारी करेगा। जो जो सर्विसेज इसके अंदर कवर होंगे, यही इसकी इपोर्टैण्ट फ्यूचर हैं, अध्यक्ष महोदय थैंक्यू।

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खंडवार विचार होगा।

प्रश्न है कि खंड–2 से खंड–16 विधेयक का अंग बनें :

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हॉ कहने पर)

हां पर जीता, हां पर जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड–2 से खंड–16 विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खंड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बनें:

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हॉ कहने पर)

हां पर जीता, हां पर जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गये।

अब श्री कैलाश गहलोत, माननीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 10 अगस्त, 2017 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली समयबद्ध

सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक, 2017, (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या 6) को पारित किया जाये।

सूचना एवं प्रौद्योगिक मंत्री (श्री कैलाश गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 10 अगस्त, 2017 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक, 2017, (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या 06) को पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हॉ कहने पर)

हां पर जीता, हां पर जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

विधेयक पास हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सी.सी.टी.वी. कैमरा की चर्चा मैंने बीच में ड्रॉप की थी, इसको माननीय मंत्री जी आ गये हैं, मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं। हां कल जो एक आश्वासन दिया था, सदन में...

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उसका जवाब मुझे लगता है कि जगदीश जी को मालूम था कि ऐसे कौन सी विधान सभा क्षेत्र है, जिसमें कोई डी.टी.सी. बस का परिचालन नहीं है, तो ये जवाब डी.टी.सी. से आया है, मैं पढ़के सुना देता हूं। वर्तमान में केवल मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र में बस सेवा परिचान में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : किसमें?

परिवहन मंत्री : मुस्तफाबाद।

अध्यक्ष महोदय : मुतफाबाद में।

परिवहन मंत्री : जी, आप ही की विधान सभा है। तो इसके पीछे अध्यक्ष महोदय कारण क्या हैं, ये मैंने सोचा कि आज आने से पहले मैं डिटेल में चर्चा करूंगा अधिकारियों के साथ। लेकिन सुबह रोहिणी डिपो निकलना पड़ा, उसकी वजह से समय नहीं मिल पाया। लेकिन जगदीश जी को मैं ये मेरा वायदा है कि एक हफ्ते के अंदर इसपे पूरा एक बाद डी.टी.सी. की जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं और अगर मुझे आने की और जाने की आवश्यकता होगी, तो मैं बिल्कुल वहां जाऊंगा और यह समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि अभी तक पिछले तीन महीने में मैंने डिस्कसन किया है, अलग अलग, वहां अधिकारियों के साथ और अलग अलग डिपो के रिगार्डिंग या अलग अलग विधान सभा के रिगार्डिंग। ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला कि कोई भी डी.टी.सी. बस जो है, उस विधान सभा में नहीं है, तो ये आज प्रोमिस कि मैं उसपे विचार कर आपसे मीटिंग जरूर करूंगा, इसके बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री एन.डी. शर्मा जी।

श्री नारायण दत्त शर्मा : धन्यवाद आपका अध्यक्ष जी। आज की जो चर्चा है सी.सी.टी.वी. कैमरे के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सी.सी.टी.वी. कैमरे दिल्ली के अंदर, यहां तक की मैं कहूं कि मेरी बदरपुर विधान सभा के अंदर अगर हमारे मंत्री जी द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे लगा दिये जायेंगे, तो कम से कम 50 परसेंट क्राइम कम हो सकता है।

रोज मार्केटों में दुकानों के ताले टूट जाते हैं, किसी के घर पे अगर कोई सी.सी.टी.वी. कैमरे लगा हुआ है। मैंने भी अपने घर में घर के बाहर क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं ओर बाद में ब्लेम करते हैं विधायकों के ऊपर कि हम विधायक के वहां पर गये थे, तो इस डर के कारण मैंने उस सी.सी.टी.वी. कैमरे अपने घर के आगे और अपने आफिस के आस पास लगा लिये तो काफी लोग किसी की मोटरसाईकिल चोरी हो गयी, किसी की दुकान टूट गयी, लोग आते हें और उसमें रिकार्डिंग देखते हैं और उसके बाद वो पुलिस को दी जाती है और कई मोटर साइकिल और कई गाड़ी उस सी.सी.टी.वी. कैमरे के कारण रिकवर हो चुकी हैं। अगर ये काम हर विधान सभा में हो जाता है, उस तरह के प्वाइंटों को आइडेंटीफाई करके जहां से इस तरह के लोग आते हैं, चोरी करने के लिए, स्कूलों के आस पास बहन–बेटियों को कोई छेड़ देता है, कोई प्रूफ नहीं होता, अगर उस तरह के प्रूफ होंगे तो मैं जहां तक समझता हूं, दिल्ली सेफ रहेगी जी, क्योंकि पुलिस दिन भर क्या काम करती है, बताने की जरूरत नहीं है जी। रात में पी.सी.आर. में सोते मिलते हैं, चौकियों में सोते मिलते हैं, वो कुछ नहीं करते जी। गाड़ी चोरी हुई है या दुकान टूटी है, उसकी एफ.आई.आर. ऐसे लिख ली जाती है और वो घूमता रहता है, होता कुछ नहीं है। इसलिए दिल्ली सरकार के दायरे में जो चीज आती है। मुझे पता नहीं ये कहां से परमिशन लेनी है, कैसे लेनी है? हम जब चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी हमने ये चर्चा करी थी। आर.डब्ल्यू.ए. ने लिख के दे दिया। सारी आर.डब्ल्यू.ए. बड़ी प्रसन्न थी कि अब हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी, चोरी–चकारी, लूटपाट बंद हो जायेगी। सब्जी मंडी में आये दिन चैन स्नैचिंग होती है और वो निकल जाते हैं। आज की डेट में ये स्थिति है जी कि अगर कोई बदमाश किसी के साथ वारदात कर रहा है, तमाशा देखती है पब्लिक। बहुत कम मां ऐसे बच्चे शिक्षित करती हैं, जो दूसरे की उसमें

आके कूदते हैं और उनको पकड़ते हैं, इसलिए अगर सी.सी.टी.वी. कैमरे दिल्ली की हर विधान सभा में लग जायेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूं कम से कम 50 परसेंट चोरी चकारी, 50 परसेंट लूटपाट और गुंडागर्दी बंद हो जायेगी। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, हमारी मंत्री जी ने बहुत पहले इस काम को कर देने की नीयत से हर विधायक को आर्डर दिया था कि वो प्वाइंट और सर्वे भी हुआ था बल्कि आर.डब्ल्यू.ए. के द्वारा लेकिन किस कारण से वो डिले हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं अपनी सरकार से, इस सदन से कि अब इसको जितनी जल्दी हो सके क्योंकि इसकी प्रोसिडिंग्स बढ़ते बढ़ते छः सात, आठ महीने और लग जायेंगे, इसलिए इसपे बहुत ज्यादा गंभीरता से काम करने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि मेरी सरकार बहुत जल्दी इसपे काम करके दिल्ली की जनता को एक राहत देगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

अध्यक्ष महोदय : चौ. फतेह सिंह जी।

चौ. फतेह सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे सी.सी. टी.वी. कैमरे के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, जैसे—जैसे दिल्ली प्रगति के पथ पर बढ़ रही है, वैसे—वैसे दिल्ली की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं और उस आवश्यकता में एक आवश्यकता सी.सी.टी.वी. कैमरे की भी है। एक जमाना था जब दिल्ली के अंदर अनोअथोराइज कॉलोनीज का उदय हुआ और जब लोग उन कालोनियों में रहते थे तो सड़कों पर चारपाई—चारपाई नजर आती थी और आज का ये दौर ऐसा है कि जब रात के अंधेरे में या उजाले में निकले तो कोई भी चारपाई आज सड़कों पर नजर नहीं आती। कहीं न कहीं समाज भी कमजोर हुआ है, कहीं न कहीं कानून भी कमजोर हुआ

है और जिसके कारण से समाज को अनेकों प्रकार की बुराइयों को झेलना पड़ रहा है। आए दिन आप देखते हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़, आए दिन आप देखते हैं कानून व्यवस्था की जर्जर हालत, आए दिन आप देखते हैं कि कहीं पर, किसी की बाईक कोई चोरी करके ले गया। कहीं पर आप देखते हैं कि किसने–किसको–कहीं पर चाकू मार दिया। आए दिन आप देखते हैं कि किसने–कब, किस सड़क पर, किस मार्केट में किसका ताला कौन तोड़कर के ले गया। इस प्रकार की वारदातों को जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर देखा जाता है, उनका आईना, उनकी आंखें अगर बन सकता है तो हमारा सी.सी.टी.वी. कैमरा बन सकता है और मेरा निवेदन है कि सी.सी.टी.वी. कैमरा दिल्ली की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में लगने चाहिए। प्रत्येक क्राउडेड एरिये में लगने चाहिए जहां पर भीड़भाड़ वाला क्षेत्र हो, जहां पर लगता हो कि समाज को यहां पर किसी प्रकार की हानि का खतरा हो। ऐसी मार्केट चूज की जानी चाहिए जहां पर उन कैमरों के द्वारा जो अनहोनी होने का खतरा बना रहता है, उस पर अंकुश लगाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की भी है कि सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के साथ–साथ हम उनको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, उसकी मानटरिंग कैसे हम तय कर सकते हैं, इन बातों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे सी.सी.टी.वी. कैमरे के इस पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीदत्त शर्मा जी।

श्री श्रीदत्त शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सी.सी.टी.वी. कैमरे के लगने में विलंब के विषय में बोलने का मौका दिया, मैं आपका

धन्यवाद करता हूं। महोदय, आज के इस आधुनिक युग में सी.सी.टी.वी. कैमरा आधुनिक जगत की जरूरत बन गया है, जिससे आम जनता को कई महत्वपूर्ण कार्यों में लाभ मिलता है। सुरक्षा की जरूरत सिर्फ बिजनेस और कमर्शियल के लिए नहीं बल्कि हमारे घर के लिए भी है। आज दिन–प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने में सी.सी.टी.वी. कैमरे की भूमिका बहुत अहम है और कारगर सिद्ध हो रही है। आज के युग में चाहकर भी आम आदमी व महिलाएं अपने–अपने कार्य क्षेत्रों में अपने आपको सुरक्षा के युग में चाहकर भी आम आदमी व महिलाएं अपने–अपने कार्य क्षेत्रों में अपने आपको सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही असहाय महसूस करते हैं। इस क्षेत्र में सी.सी.टी.वी. कैमरे से अभूतपूर्व सहयोग मिलता है। आज के समय में प्रत्येक विद्यालय, कालेज परिसर में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने से छात्र–छात्रों को सुरक्षा मिलती है। महोदय विद्यालय हो, कालेज हो, हॉस्पिटल हो या कोई अन्य ऑफिस हो, अगर वहां पर कोई विजिटर भी आता है तो उसको भी डर लगा रहता है कि हम सी.सी.टी.वी. कैमरे की नजर में है और अपराध कुछ कम होते हैं और ये पता चल जाता है कि कौन आया, कौन गया, उसको हम देख सकते हैं। आज रोडवेज की घटनाएं दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सी.सी.टी.वी. कैमरे से उन पर निगरानी रखी जा सकती है।

एक उदाहरण के तौर पर अभी एक बी.जे.पी. के बड़े नेता का बेटा जो अभी पांच दिन पहले हुआ, वो सी.सी.टी.वी. कैमरे की वजह से ही पकड़ में आया वरना तीन–चार तीन तक पुलिस भी ऐसे ही घूमती रही। 26–11 की जो घटना बोम्बे में घटी थी वो भी होटल के अंदर कॉरीडोर में कैमरे लगे हुए थे, उनसे बहुत उनको सहायता मिली।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानकारी देता हूं कि सी.सी. टी.वी. कैमरों के माध्यम से न्याय प्रणाली को साक्ष्य जुटाने में भी बहुत राहत मिलती है ओर अपराधी को जल्दी से जल्दी उसकी सजा मिल जाती है। सी.सी.टी.वी. कैमरे की निगरानी के भय से अपराधी तत्व भी भयभीत रहते हैं जिससे अपराध में गिरावट आती है।

महोदय, जब हमारी सरकार ने विधान सभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाया तो दिल्ली के नागरिक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी विधान सभाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की घोषणा की थी। आज हमारी सरकार सभी विधान सभाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की घोषणा की थी। आज हमारी सरकार सभी विधान सभाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के लिए वचनबद्ध है और इसकी प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने जा रही है। इन कैमरों के माध्यम से दिल्ली का हर नागरिक अपने आपको सुरक्षित महसूस करेगा व अपराधी किसी भी अपराध को अंजाम देने में भी सोचेंगे।

आज के युग में परिवार को सीमित रखा जाता है। बच्चे अपने व्यापार में बिजनेस के लिए चले जाते हैं, घर पर बुजुर्ग ही रह जाते हैं अगर सी.सी.टी.वी. कैमरे हो और उनसे नेट से आजकल जुड़ जाते हैं तो बच्चे भी कहीं बैठकर भी कहीं उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देख सकते हैं और उससे हमें काफी हैल्प मिलती है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : ऋतुराज गोविन्द जी।

श्री ऋतुराज गोविन्द : अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, सी.सी.टी.वी. कैमरा किसी भी क्षेत्र के अंदर जहां पर जैसे कि मैं किराडी का एम.एल.ए. हूं या पूरी दिल्ली के अंदर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और हम लोगों ने चुनाव में भी वादा किया था कि जब हम सत्ता में आयेंगे तो सी.सी.टी.वी. कैमरा के माध्यम से चीजों को सेक्यौर करेंगे। जैसा कि आए दिन की घटनाओं से होता रहता है, चंडीगढ़ में हुआ, दिल्ली में हुआ, बम्बई में हुआ। Delhi is the most insecure place. अगर हम वूमेन सिक्योरिटी की बात करें, वूमेन सेफ्टी की बात करें या बाकी चीजों की बात करें, आए दिन घटनाएं घटती हैं।

सी.सी.टी.वी. कैमरा से मतलब या वास्ता सिर्फ चोर–पुलिस का नहीं है। सी.सी.टी.वी. कैमरा एक बहुत बड़ी सेंस ऑफ सिक्यौरिटी है। अगर कैमरा लगा हुआ है तो कोई ये नहीं देखता है कि ये कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसको एक डर होता है मन में, चोर को भी डर होता है, दूसरे काम करने वाले लोगों के मन में भी डर होता है कि अगर कुछ गलत करेंगे तो कैमरा में पकड़े जाएंगे पता चल जाएगा और कल को सजा हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी है।

महोदय, मैं एक अनअथोराइज कॉलोनी से आता हूं। मैंने एक एक्सपरीमेंट करके देखा पिछले कुछ दिनों में कि मोहल्ल सभा का जो फंड हमारे यहां पर प्रयोग हुआ था, एक उसके तहत तो हमने 15 कॉलोनी के अंदर लोहे का गेट लगवाया। लोहे का गेट एक गली है तो दोनों तरफ लोहे का गेट लगवाया और हमारे यहां पर एक ही थाना है। पांच लाख की आबादी है। रोज कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन थाने के अंदर चोरी की, चकारी की घटनाएं, एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती हैं। हम लोगों ने देखा ओर हम लोगों ने एक्सपरीमेंट करके देखा, पूरा प्रमाणित करके कि भई उस 15 कॉलोनी में जहां पर हम लोहे का गेट लगाए, वहां पर

चोरी की शिकायतें मिलनी बंद हो गई। यानी कि चोर चोरी करने के लिए अब उस गली में नहीं जाता, जहां लोहे का गेट लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक सेंस ऑफ सिक्यौरिटी है कि भैया, अगर वहां जाएंगे तो पकड़े जाएंगे और उसके अलावा बाकी जो कॉलोनीज... हैं उसमें वैसे ही चोरी—चकारी चल रही हैं। इसी तरीके से सी.सी.टी.वी. कैमरा इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना बड़ा एक दिल्ली के लिए रिफोर्म होगा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि चाहे वो गरीब क्षेत्र किराड़ी जैसा हो, अनअथोराइज कॉलोनी हो अगर सी.सी.टी.वी. कैमरा हर कॉलोनी के चौराहे पर अगर चार—चार कैमरा लग गया, मार्केट एरिया में लग गया, अगर मेन—मेन सड़कों के ऊपर लग गया, चौराहों पर लग गया तो पूरा यकीन के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं कि चोरी भी रुकेगी, चकारी भी रूकेगी, हर तरीके का अवैध काम रूकेगा।

दिल्ली पुलिस जिसकी जिम्मेदारी है सिक्यौरिटी प्रवाइड करने की, उसके ऊपर भी दबाव होगा कि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो उसके ऊपर भी एक तरह का प्रेशर होगा कि वो चीजों के अंदर ट्रांसपेरेन्र्स लाए और महिला सुरक्षा, जो दिल्ली के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा है और दिल्ली को सबसे इंसिक्यौर प्लेस कहा जाता है पूरे देश के अंदर, महिला सुरक्षा के मामले में, मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने के लिए कोई सबसे कारगर कदम होगा तो वो सी.सी.टी.वी. कैमरा होगा लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोगों ने मोहल्ला सभा में भी सी.सी.टी.वी. कैमरा मांगा लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई इम्पलीमेंटेशन में, हो नहीं पाया।

अभी पी.डब्ल्यू.डी. को जिम्मेदारी दी है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो इतना बड़ा प्रोग्राम हैं सी.सी.टी.वी. कैमरा को लेकर के, यहां पर उपस्थित तमाम जन—प्रतिनिधियों की अंदर जब हमारी पर्सनल लेवल पर भी बातचीत होती है तो हमेशा इस बात को लेकर के होती है कि अगर हमारे क्षेत्र

में कैमरे लग गए, जिसकी उम्मीद हमसे जनता बहुत ज्यादा कर रही है, सिंस इलैक्शन, अभी भी वो यही कह रहे हैं किसर, ढाई साल हो गए, आपका सी.सी.टी.वी. कैमरा कब लगेगा? तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा उम्मीद है सी.सी.टी.वी. कैमरा को लेकर के अगर सरकार इसको प्राथमिकता पे ले तो हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व भी हो सकती हैं और जनता की उम्मीदों पर हम खरे भी उतर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी और इसको प्राथमिकता से हम सबका जो ये डिमांड है, इसको पूरा करेगी। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सुखवीर सिंह दलाल जी।

श्री सुखवीर सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि मुझे इस पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, आपको सही सच्चाई तो मैं ये बताऊंगा क्योंकि जब इस सी.सी.टी.वी. कैमरे का जिक्र आता था, मेरे विचार इन लोगों से अलग ही थे। मैं सोचता मेरी गरीब सी विधान सभा है, ऋतुराज भी ऐसे ही मांग रहा है। कोई चोरी–चोरी करने वाला कौन है? पैसे वैसे तो दिल्ली वालों के पास हैं, वही कैमरे लगाएंगे, हमें कैमरों की जरूरत ही नहीं है। अध्यक्ष जी, लेकिन कुछ महीने बाद ही एक ऐसी घटना घटने लगी, अक भई किसी दूसरी पार्टी की प्लांटेड स्कीमें आने लगी, अक भई लेडिज जाती और वो विधायक के दफ्तर में जाके उसपे एलिगेशन लगाती अक भई इसने मुझे छेड़छाड़ दिया। मैं बुजुर्ग आदमी था, मेरे दफ्तर में भी एक 30–32 साल की लड़की आई 2–3 औरतों के साथ अर उसने वही बद्तमीजी शुरू

कर दी और मैं डर गया। मैं सही बताऊं अध्यक्ष जी, उस दिन मैंने सोचा अपने दिल में, भई आज तो किसी तरह बच गए! मेरा घर नजदीक था, मैं अपने घर में गया फटाफट और मैंने अपनी बीवी से पूछा भई घर में 50 हजार रुपये रखे, क्योंकि बिना पैसे के तो कैमरा आ नहीं सकता, मैंने बीवी से पूछा भई ये बता और कुछ मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले मुझे पैसे दे दे, कैमरा लाना है, उसने कहा, घर में गरीब विधायक है, तनखा तेरी आई नहीं, कहां से लेके आऊं? मैंने कहा भगवान आपसे हाथ जोड़के प्रार्थना करता हूं, तू सात दिन के लिए मुझे मेरे कैमरे का काम दे दे, मैं अपने दफ्तर में लेके आया ओर मैंने उसे कुर्सी पर बैठा दिया, भई जब कोई लेडीज आए, मुझे पता था मेरी सुरक्षा वही कर सकती है। तो अध्यक्ष जी, सच बता रहा हूं अध्यक्ष जी, मैंने उस दिन महसूस किया और मैंने कहीं जुगाड़—उगाड़ करके कैमरे लगा लिए और मुझे उस कैमरे का इतना फायदा हुआ आज डेढ़ साल हो गया, शायद मेरे पास किसी ने हमला करने की भी नहीं सोची। मैंने कहा, यार! ये पैसे की नहीं, लेकिन उसके साथ—साथ मुझे पता लग गया, जब पुरुष अपनी शालीनता के लिए इतनी कर सकता है, औरतों का तो हमारा मुद्दा ही था। तो मेरी विधान सभा में मुझे एक दिन लैटर मिला अभी कि भई सुखवीर दलाल की विधान सभा में 2 हजार कैमरे लगाए जाएंगे, मैंने कहा भई मेरे जैसे कम से कम 20 हजार सुरक्षित हो जाएंगे, उनमें महिलाएं भी हैं, तो मैं सरकार को बहुत—बहुत धन्यवाद दूंगा, इस काम को बहुत जल्दी करवाया जाए। नहीं तो, मुझे लग रहा था कि भई कैमरे की बहुत ज्यादा अहमियत है, आज के आधुनिक उसमें। हां, मुझे यही डरलगा साहब, जेल में बुढ़ापा खराब हो जाता, तो इसलिए कैमरे जल्दी लगवाएं, थैंक्यू, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष जी। आपने मुझे सी.सी.टी.वी. कैमरे पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि ढाई साल पहले सरकार ने दिल्ली में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की बात कही थी, ढाई साल बीतने के बाद भी आज सदन में ये चर्चा हो कि सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएं, इसमें तो सीधा सा आपने ये जवाब देना चाहिए सरकार को कि इनमें लगाने में देरी क्यों हुई, ये अब तक लग क्यों नहीं पाए। तो मुझे तो लगता है कि जैसे ढाई साल बीत गए, आने वाले दो साल भी ऐसे निकल जाएंगे और सी.सी.टी.वी. कैमरा, केवल कहानी बन के रह जाएगी। जैसे और भी कई मुद्दे हैं, जैसे...

...(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधान : नहीं भईया, बात सुन लो आप, बोलना बाद में। बोलने की इच्छा मत किया करो, बात सुननी चाहिए आपको। जब आप बोलते हो, मैं शायद बोलता नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऋतुराज जी, एक सदस्य बोल रहे हैं, बीच में टोका–टाकी करेंगे, उचित नहीं है।

श्री जगदीश प्रधान : एक बताऊं सर, ये अच्छा नहीं है, ये सभ्य भाषा नहीं है। तो मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, और भी ऐसे मैटर हैं जो दिल्ली सरकार ने वायदे किए थे, जिनको पूरा करने में असफल है, जैसे जमनापार विकास बोर्ड की बात मैं कहूं कि वो भी आज कागजों में सिमट के रह गया है, इस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा।

अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा न कहकर इतना ही कहूंगा कि अगर कोई कार्य आपको कराना है तो उसमें विलंब ना हो, चाहे वो सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने

की बात हो या किसी दूसरे विषय की बात हो। धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्री : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इस गम्भीर मामले पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, ढाई साल पहले जब सी.सी.टी.वी. कैमरे की दिल्ली सरकार ने जो इस बात को रखा था, तो इस बात को मद्देनजर इसलिए रखा था कि दिल्ली में सुरक्षा संबंधित और दिल्ली का जो देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सुरक्षा को लेकर जो रैंक है, वो शायद सबसे खराब रैंक है। पहले नम्बर पे दिल्ली पिछले 3–4 वर्षों से आता है कि विश्व भर के शहरों में महिलाओं की सुरक्षा को लेके बहुत खराब स्तर है यहां पर दिल्ली में। और इस वायदे को जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने रखा, ढाई साल पहले तो मैं समझता हूं ये चार बड़े प्रमुख बिन्दुओं पे खड़ा था। कहीं पे भी सी.सी.टी.वी. कैमरा की हम बात करें तो उसमें पहला बड़ा बिन्दु, पहला बड़ा स्तंभ सुपरविजन का आता है, देखरेख का आता है, कन्ट्रोल का आता है, जहां पर भी सी.सी.टी.वी. कैमरा रखा हो, वहां पर जो भी लॉ एण्ड इन्फोर्समैंट है, जो भी कानून व्यवस्था है, उसको सम्भाला जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। जहां भीड़ ज्यादा इकट्ठा है, चाहे वो मार्केट हो, चाहे कहीं बड़ा कार्यक्रम हो, कहीं मंदिर हो, कहीं मस्जिद हो वहां पे इसको कंट्रोल किया जा सकता, देखा जा सकता है किसी तरह की कोई समस्या न आए। दूसरा स्तंभ, दूसरा बिन्दु जो है, वो सुरक्षा का है। महिलाओं की सुरक्षा, छोटे बच्चों की सुरक्षा, स्कूल से आते हैं, स्कूल जाते हैं, इस तरह के छोटे–छोटे मामले, जैब्रा क्रॉसिंग

हो, वहां पे स्कूल के सामने अस्पतालों पर, वहां पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा हो, तो एक तरह से सुरक्षा और सुरक्षित महसूस करने का वातावरण बन सकता है जनता के बीच में। तीसरा अहम जो स्तंभ है, सी.सी.टी.वी. को लेके, वो है रोक का, डर का है, जिसको डिटैरैंट भी कह सकते हैं। जैसा माननीय सदस्यों ने पहले भी जिक्र किया कि सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा हो तो लोगों के मन में, एक अपराधी के मन में ये डर होता है कि यहां पर अगर मैं कोई भी ऐसा अपराध करूंगा तो मैं सी.सी.टी.वी. की नजर में कैद हो जाऊंगा और उसके माध्यम से मेरी चोरी, या मेरा अपराध पकड़ा जाएगा और ये बहुत बड़ा डिटैरैंट है और इसके कई उदाहरण हैं, मेरे यहां अपरी विधान सभा में, क्योंकि सी.सी.टी.वी. की ये योजना है, इसमें देरी हो रही थी। तो मेरे पास कई आर.डब्ल्यू.ए. वाले आए और उन्होंने कहा कि जब तक सी.सी.टी.वी. नहीं लग रहा, अगर आपकी इजाजत हो तो, हम डमी सी.सी.टी.वी. लगा दें और डमी सी.सी.टी.वी. के बाद भी आर.डब्ल्यू.ए. वाले मुझसे बोले कि हम लोग के यहां जो रात में खिड़की तोड़ने का, गेट से लांघने का जो काम था, जो वहां पर जो सॉसी या शराब का जो अवैध काम था, वो वहां खत्म हो गया। इससे ये बात साफ जाहिर है कि सी.सी.टी.वी. के डर से, उसकी निगरानी में कैपचर होने के डर से, इस तरह के काम बंद हो जाते हैं और आखिरी और चौथा बिन्दु इन्वैस्टीगेशन जांच का है। अगर कहीं कोई अपराध हो जाता है, अगर कहीं कुछ ऐसा काम होता है तो सी.सी.टी.वी. में कैद होने की वजह से वो बात सामने आ सकती है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, अपराधियों को उसके ऊपर सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है। तो साफ है कि ये सी.सी.टी.वी. कैमरा की जरूरत दिल्ली जैसे घनी आबादी के शहर में, पोने दो करोड़ लगभग की आबादी इस शहर की है ओर सैंसस के मुताबिक सबसे घनी आबादी का क्षेत्र परे देश, पूरी दुनिया

में अब दिल्ली है। मैं एक छोटा सा उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देना चाहता हूं। जकार्ता करके एक शहर है इंडोनेशिया में, जो की तीन सबसे घनी आबादियों में से एक शहर माना जाता है। उसका कुछ मैंने एक डेटा वहां का निकाला ओर उसमें मैं बड़ा अचम्भित हुआ देख के कि जकार्ता शहर में, 2009 और 2011 के बीच लगभग चार हजार एक सौ नौ एफ. आई.आर. दर्ज हुई, जो केवल महिला सुरक्षा से संबंधित थी। महिलाओं के प्रति किसी ना किसी तरह की कोई न कोई घटना हुई। 2011.13 में 4600 के लगभग, यानि कि 15 परसेंट घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई। अगले 2 सालों के अंदर, 2013—14 में वहां पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाए गए, लगभग 27 हजार लोकेशन पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाए गए और चार, साढ़े चार, पांच हजार जुर्म होने के बाद, 2015—16 में ये साढ़े चार—पांच हजार से घटके, 1917 एफ.आई.आर. पे आके रुक गए तो लगभग, डेढ़ सौ प्रतिशत गिरावट महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, उसमें हुई, केवल सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने की वजह से। सो बात हम सब लोगों के सामने है साफ है, सदन में माननीय सदस्यों ने जिस तरह कहा, मैं समझता हूं कि सी.सी.टी.वी. लगाने में जो डिले हुआ है, इससे जल्द से जल्द सरकार इसको पूरा करेगी। माननीय मंत्री जी इसपे रोशनी डालें, बताएं जल्द से जल्द इसको कैसे पूरा किया जाए क्योंकि हर जगह, हर विधान सभा क्षेत्र में आर.डब्ल्यू.ए. के माध्यम से, कालोनी के माध्यम से इसकी बहुत डिमांड है, बहुत जरूरत है, बहुत—बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सत्येन्द्र जैन, जी माननीय मंत्री, देखिए लगभग 10 सदस्य बोल चुके और अन्य विषय हैं, उसमें दूंगा मैं और दूसरों पर दे दूंगा। महिलाओं की सुरक्षा पर है, सी.सी.टी.वी. पर इस पर एक महिला का, एक का तो बोलने का बनता है, नहीं भावना जी, टोकस जी कभी बोलती नहीं, आज उन्होंने आग्रह किया है, बोलें।

अजय जी, देखिए मेरे पास 12 नाम आ चुके हैं। मैं पूरे सदन को नहीं ऐसे नहीं, नहीं, टोकस जी को कभी समय नहीं मिलता, बोलिए टोकस जी, दो मिनट में बोलिए, प्लीज।

श्रीमती प्रमिला टोकस : अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे सी.सी.टी.वी. कैमरे पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो जैसे हमारे साथी ने बताया कि उनकी सुरक्षा उनकी पत्नी जी ने की, तो सबसे पहले तो हमारे जो विधायक साथी हैं, उनके ऊपर इतने केस हैं, वो केस इसलिए कि सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं है और दुखद घटना तो यही हमारे विधान सभा परिसर में हुई जो बहुत ही शर्मनाक मैं कहूंगी उस स्थिति को जो हमारे विधायकों के ऊपर केस हुए और विधायक जी सबसे ज्यादा जरूरी है, जो बी.जे.पी. के शहजादे हैं, उनसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी आप सब ने सुना कि क्या बी.जे.पी. के शहजादे ने किया और वो फिर कैमरा भी वहां से हट जाता है। ये इनकी मंशा है और मैंने एक बार 280 में भी ये मुद्दा उठाया था कि हमारे एक्स एम.एल.ए. बी.जे.पी. के अनिल शर्मा जिन्होंने मेरी विधानसभा में पूरी में, उन्होंने ऑन रिकार्ड कैमरे लगा चुके हैं, अभी तक ऑन रिकार्ड तो वो लग चुके हैं लेकिन...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई उनको बोलने दो, उनको डिस्टर्ब ना करो प्लीज। हां, बोलिए।

श्रीमती प्रमिला टोकस : तो अध्यक्ष जी सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि जो बी.जे.पी. के शहजादे हैं और जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए

ये कैमरे बहुत जरूरी है। हर रोज कुछ न कुछ अपराध होते हैं ओर हम सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार किस तरह से काम करती है, किस तरह से वो हमारे पास भी मैं महिला होने के नाते मेरे पास इतने केस आते हैं और दिल्ली पुलिस उन केसों को दर्ज नहीं करती और मेरे एरिये में झुग्गी कलस्टर है जो सभी जानते हें कि जो छोटे लोग होते हैं, उनकी तो शिकायत भी दर्ज नहीं की जाती पुलिस में और

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : करिए–करिए कंप्लीट करिए, उनके शब्दों पर मत जाइए। आप कंप्लीट करिए।

श्रीमती प्रमिला टोकस : अध्यक्ष जी, जब हमने ये सर्वे किया आर. डब्ल्यू.ए. के साथ और हमारे जो साथी थे, उनके साथ मिलकर हमने इतने दिन सर्वे में लगाया और कहीं न कहीं अब हम एरिया में जाते हैं तो सी. सी.टी.वी. कैमरे आर.डब्ल्यू.ए. के माध्यम से या जो हमारे साथी थे, जब लोग उनसे पूछते हैं कि सी.सी.टी.वी. कैमरे कब लगेंगे क्योंकि इतनी चोरियां होती हैं, दिन में भी मेरी विधानसभा क्षेत्र में चोरियां होती हैं, अध्यक्ष जी, जिस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती और सबसे ज्यादा जब हम एरिया में जाते हैं जो झुग्गी–झोपड़ियां हैं, वहां पर जो महिलाएं हैं, ज्यादातर वो हमसे पूछती हैं कि मैडम हमारे एकाउन्ट में 15 लाख आ गए हैं उनकी सेफ्टी के लिए हमें सी.सी.टी.वी. कैमरे बहुत जरूरी हैं।

अध्यक्ष महोदय : चलिए अब कनक्लूड करिए हो गया प्रमिला जी। कनक्लूड करिए अब।

श्रीमती प्रमिला टोकस : अध्यक्ष जी, वो जब कुछ बोलते हैं, जब आप कुछ नहीं बोलते। ये महिलाओं का मुद्दा है। वो कुछ भी बोलें, वो

सब चलेगा। जब हम बोलें वो नहीं चलेगा। आपने देखा नहीं अभी क्या हुआ एक लड़की के साथ कौन थे वो बी.जे.पी. के लोग थे वो।

अध्यक्ष महोदय : चलिए–चलिए कंप्लीट करिए। अब कनक्लूड करिए प्लीज।

श्रीमती प्रमिला टोकस : अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है चैन स्नैचिंग महिलाओं के साथ होती है। 15 लाख तो बोल दिया वो महिलाएं इससे, अध्यक्ष जी, मैं चाहती हूं कि ये सी.सी.टी.वी. कैमरे जितनी जल्दी हो सके लगें। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी। अजय दत्त जी, अब मैं समय नहीं दे रहा हूं। नहीं–नहीं, मेरे पास समय की सीमा है। माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर दें। नहीं, मैं अजय दत्त जी, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बैठ जाइए। ये जिद उचित नहीं होती है। बैठिए अब, प्लीज। नहीं, बैठिए भावना जी प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट है मेंरी। आप समझदार हैं बैठिए। भावना जी, ऐसे नहीं प्लीज।

गृह मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सी.सी.टी.वी. कैमरे का महत्व सभी सदस्यों ने बताया सर्वविदित है, सबको पता है। आदर्श शास्त्री जी ने जो एग्लाम्पल दिया जकार्ता में 27000 कैमरा लगाने से क्राइम 150 परसेंट कम हो गया। देखिएगा डबल काम करता है सी.सी.टी.वी. कैमरा लगता है तो पहला काम ये है कि जो अपराधी है, उसको थोड़ा डर लगता है कि भई, अगर कैमरा है तो मैं पकड़ा जा सकता हूं

और दूसरा पुलिस की जो छवि बन चुकी है कि भई इंवेस्टीगेशन में वो ध्यान नहीं देते, उनके ऊपर भी दबाव बनता है कि कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में न आ गया हो। काफी हद तक ऐसा माना जाता है कि जैसे छेड़छाड़ की जितनी घटनाएं होती हैं, छेड़छाड़ मुझे नहीं लगता शहर के अन्दर कोई भी नार्मल आदमी कर सकता है बिना किसी शह के या तो उसे पुलिस के शह है या पॉलिटिकल पार्टी की शह है। वैसे नहीं कर सकते कभी भी। तो वो दोनों शह जो कि पुलिस की या पॉलिटिकल पार्टीज की शह है। अगर सी.सी.टी.वी. कैमरे के अन्दर कैद हो जाती है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। जैसे कि अभी हमने देखा चंडीगढ़ के अन्दर इतनी शह होने के बावजूद भी क्योंकि कैमरे में रिकार्डिंग हो गई थी, इसलिए उसे जेल जाना पड़ा व गिरफ्तारी हुई। अदरवाइज इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। महिला सुरक्षा के लिए और क्राइम रोकने के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरा बिल्कुल जरूरी है और दिल्ली सरकार के लिए वचनबद्ध है। अभी सभी एम.एल.एज को मैंने पत्र लिखा था कि सभी विधानसभाओं में 2000–2000 कैमरे दिल्ली सरकार अपनी ओर से लगवा रही है तो जो 2000 कैमरे हैं, वो आर.डब्ल्यू.ए. के क्षेत्र में लगा सकते हैं आप या मार्किट एसोसिएशन से बात करके वहां पर लगा सकते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि एक सिटी सर्विलांस होती है जो कि दिल्ली पुलिस मेन रोड्स के ऊपर से सिटी सर्विलांस कैमरा लगाने की तैयारी कर रही है, वो लगा रही है। ये लोकल सर्विलांस के थ्रू, मतलब आपके अपने इलाके के अन्दर, मौहल्ले के अन्दर, आपकी सोसाइटी के अन्दर, आपकी गलियों की सुरक्षा के लिए जैसे कि अभी हमारे साथी ने बताया कि हर चौराहे पर अगर कैमरा लगा हुआ है, हर एन्ट्री पर कैमरा लगा हुआ है तो सबको दहशत रहती है कि भई गलत काम न करें। तो अभी स्टार्टिंग में हम 2000–2000 कैमरा लगा रहे हैं। अगले

साल फिर से लगायेंगे और इसके साथ हमने ये भी ऑप्शन रखी है कि जो एम.एल.ए. फंड का भी प्रोविजन हमने किया और रिक्वेस्ट किया वो बढ़ाने के लिए। सर, वो एल.जी. साहब की बात करूंगा फिर झगड़ा हो जाएगा। रहने दो, अभी है तो है, वो बातों से मुझे पता है। तो कैमराज हो लगाए जायेंगे, दो तरह के कैमराज है, वायरलैस कैमरा ओर वायर वाले कैमरा तो दोनों के लिए हम निविदाएं आमंत्रित कर रहे हैं, रेट कान्ट्रेक्ट होगा एम.एल.ए. साहब जिसको लगवाना चाहेंगे, आर.डब्ल्यू.ए. के, एसोसिएशन के एरिया में लगवा सकते हैं। उसमें जगह है मतलब जो डी.वी.आर. लगाने के रिकार्डिंग की जगह वो अपने आप से देंगे। सरकार कैमरे लगवाएगी और मेंटेनेंस भी सरकार की जो एजेंसी है, वो खुद करेगी। बट ऑनरशिप उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो एसोसिएशन है, उसको दी जाएगी। अपना क्या होगा कि कि वही वाली जगह हो बाकी कोई जगह नहीं है। जैसे मौहल्ला क्लीनिक को अटका दिया इन्होंने कि जगह नहीं है, तो बना नहीं सकते। तो अगर ये एसोसिएशन है तो वो लगा लेगी उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल होगा विपक्ष के लिए। तो सभी विधायकों से हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने–अपने एरिये में 2000–2000 कैमराज की लिस्ट बनाकर दे दीजिए किस–किस एसासिएशन के थ्रू कहां–कहां लगाना चाहते हैं, उसमें काफी लोगों ने दे भी दी है। जो रह गई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 10–15 दिन में दे दे मुझे। ये पूरा–पूरा टैण्डरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जल्दी ही इसके टैण्डर कर दिए जायेंगे और अक्टूबर तक फाइनालाइज हो जाएगा। उसके बाद सभी विधायक महोदय अपने–अपने क्षेत्र में 2000–2000 कैमरे लगवा पायेंगे। इसके लिए हम जल्द से जल्द ओर जहां तक अभी तक तो नहीं है, आगे का पता नहीं है।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय, सी.सी.टी.वी. कैमरा सुरक्षा के लिए है इस सुरक्षा के लिए आपने तय की थी तो दिक्कत हो जाएगी।

गृह मंत्री : जहां तक देरी का सवाल है, जो विपक्ष के हमारे सदस्य ने प्रश्न उठाया था देरी है तो देरी का कारण भी बताओ। उनको पता ही होता है। अब आप देख ही रहे हैं जब से, नहीं–नहीं, अब आप देख ही रहे हैं कि जबर्दस्ती से काम कराना कितना मुश्किल हो रहा है तरह–तरह के अड़ंगे अड़ाने का, ऑब्जेक्शन लगाने का एक प्रचलन बन गया है परन्तु सरकार ने उस बात को खारिज करके, उनके ऑब्जेक्शन को सबको खारिज करके, सब खत्म कर दिए हैं। अब हम जल्द से जल्द टैण्डर करा रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया, अक्टूबर तक कैमरे का टैण्डर फाइनल हो जाएगा और रेट कान्ट्रैक्ट होगा, रेट कान्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप अपने एरिया में 8 कैमरे 10 कैमरे 20 कैमरे 50 कैमरे 1000 कैमरे, जितने भी सेट लगवाना चाहते हैं, लगवा सकते हैं, आपकी चॉयस होगी। एम.एल.ए. साहब की रिक्वेस्ट हमने ले ली है और सबके यहां पर 2000–2000 लगवा देंगे और अगली बारी हो सकता है इससे भी ज्यादा लगवाएं और मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई जो आदर्श जी ने बताई कि 27000 कैमरे लगाने से अगर क्राइम इतना कम हो सकता है हम तो लगभग डेढ़ लाख कैमरे लगाने जा रहे हैं। मुझे लगता है, आशा है, दिल्ली में क्राइम कम होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये डिटेल्स स्कीम विशेष जी, आ जाएगी।

गृह मंत्री : नहीं, बता देता हूं, मैं बता देता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक डी.वी.आर. के अन्दर 8 से लेकर 32 कैमरे तक आ सकते हैं जिनकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो उसमें मर्जी है आपकी, मतलब मिनिमम 8 की जगह होगी। अगर 8 से कम भी है, अगर 6 हैं तो 6 का भी कर सकते

हैं। 4 हैं, 4 का भी कर सकते हैं। 8 से ज्यादा फिर 16 वाला आता है। 16 के बाद 24, 24 के बाद 32, तो 32 तक का मॉड्युल्स उसमें रहेगा, डी.वी.आर. में रिकॉर्डिंग का तो 32 का होगा और मैंटेनेंस जहां तक है, मैंटेनेंस हम तीन साल की मैंटेनेंस, जो वेंडर होगा, उसी को दे रहे हैं कि वो खुद मैंटेन करेगा। आपको सिर्फ फोन करना है, अगर कोई भी दिक्कत है और उसके अन्दर सैल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम बना रहे हैं। कोई भी कैमरा अगर काम नहीं कर रहा है तो उसका मैसेज आएगा कि ये कैमरा काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैमरा बंद हो गया है क्योंकि कैमरा तो लगा हुआ है, आपको पता ही नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा है तो उसके अन्दर डायग्नोस्टिक सिस्टम होगा जो अपने आप उसके अन्दर सिम कार्ड लगा होगा, वो अपने आप मैसेज भेज देगा। तो उसको आके ठीक करना होगा, ये जिम्मेदारी सारी की सारी वेंडर की होगी, धन्यवाद।

अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

अब श्री जनरैल सिंह जी 1984 के दोषियों को सजा देने में केन्द्र द्वारा गठित एस.आई.टी. की ओर से कथित निष्क्रियता के संबंध में चर्चा आरंभ करेंगे।

श्री जनरैल सिंह : अध्यक्ष महोदय, नियम 55 के अंतर्गत एक बहुत ही गंभीर मसले को इस सदन से समक्ष रखने का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जो ये मसला मैं सदन के सामने रखने जा रहा हूं, ये खाली मुझसे या मेरी कम्युनिटी से संबंधित नहीं है। ये हर

उस भारतवासी से संबंधित है। हां, ये जरूर है कि हमें इसकी पीड़ा ज्यादा है क्योंकि हम विक्टिम हैं परन्तु ये मसला हर उस भारतवासी से संबंधित है जो कहता है कि भारत एक इंसाफ पसंद देश है। भारत में एक इंसाफ पसंद लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये मसला नवम्बर 1984 में दिल्ली की सड़कों पर हुए 5000 सिखों के कत्लेआम का है। अध्यक्ष जी, जिस कौम के साथ ये कत्लेआम हुआ, उस कौम का अगर आप इतिहास देखेंगे तो चाहे आप अफगानी से शुरू करें, चाहे देश की आजादी में इस कौम का योगदान देखें।

अध्यक्ष महोदय : सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाए, मैं इसकी प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री जनरैल सिंह : चाहे देश की आजादी में आबादी दो परसेंट होने के बाद शाहादतें 90 परसेंट होने का आप रिकोर्ड देखें। कभी भी हम लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं लड़े। हमेशा ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ ही रही है पर सुबह उठके गुरू ग्रंथ साहिब की वाणी को मत्था ठेक के जिसमें लिखा है कि :

अव्वल अल्ला नूरू ओ पाया कुदरत के सब बन्दे।
एक नूर ते सब जग उपजया कोण भले कोण मन्दे।।

ये वाणी पढ़ने वाले को सब्बे सांझी वाल सदाएं, कोई न विस्से बारा जियो। सारे एक समान हैं, इनके साथ दिल्ली की सड़कों पेजो हुआ वो बहुत शर्मनाक था।

अध्यक्ष जी बात चाहे, भगत सिंह जी की करेंगे। जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी या उधम सिंह की करेंगे जिन्होंने

जलियावाला बाग हत्या कांड का बदला, देश का आत्म सम्मान बरकरार रखने के लिए इंग्लैंड में जाकर जनरल डॉयर को मार के लिया। कहीं भी आपको कमी नहीं दिखेगी। जब देश आजाद हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से ऑफर थी ये चीज डाक्युमेंटेड है कि आप पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, आपको एक सिख स्टेट अलग से बना के देंगे। पर सिखों ने कहा कि हम हिन्दुस्तान के थे और हम हिन्दुस्तान में ही रहेंगे वो ऑफर भी स्वीकार नहीं की। पर जो कत्लेआम! क्या सिला मिला अध्यक्ष जी, इन्हीं शाहदतों का! और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये सारा कत्लेआम वहां पर हुआ जहां इस देश की सबसे बड़ी इंसाफ की अदालत है। देश का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। उसके आसपास 10–20–30 किलोमीटर के दायरे में ये सारा कत्लेआम होता है पर उन दिनों 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवम्बर तक सुप्रीम कोर्ट में ताला लगा रहता है। सारी जो न्याय की मूर्ति हैं, वो अपने घरों में बैठकें टी.वी. देखते रहते हैं ये बहुत ही शर्मनाक घटना थी। कई बार देखा गया, चाहे चारा घोटाले की बात करें, चाहे आप तन्दूर कांड की बात करें, कई बार देखा गया है कि कोर्ट सु–मोटो एक्शन ले लेता है, अपने आप ही एकक्शन ले लेता है, चाहे कोई रेप की घटना होती है, तो भी कोर्ट सु–मोटो एक्शन ले लेता है पर यहां 5000 लोगों का कत्ल हो गया, पर भारत की न्याय पालिका ने आज तक इसपे कोई एक्शन नहीं लिया। इसकी वजह क्या रही कि इन 33 सालों में से ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकार रही, जो खुद इस कत्लेआम के, जो इन्होंने साजिश की थी, जिन्होंने कत्लेआम कराया था, ये सरकारी कत्लेआम था। सरकार की तरफ से कराया गया था। तो जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी जी, कि इसमें कोई हल निकल सकता है। कत्लेआम सरे आम हुआ था। पुलिस वाले इसमें शामिल थे। सिखों की लाशें रेल, ट्रेनों के बीच में रेलवे ट्रेक पर, बसों की बीच

में, सड़कों पर, नालों में, खेतों पर हर जगह सिखों की लाशें मिली पर ये लाशें गई कहां? एक भी अगर कत्ल होता है तो उसका पंचनामा बनता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होने के बाद उसका संस्कार किया जाता है यहां 5000 सिखों का जो कत्लेआम हुआ, उनकी लाशें कहां गई, इसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। बहुत सारी कमेटियां बनी, बहुत सारे कमीशन बने, पर सारे के सारे आई वॉश निकले। सरकार मुआवजे दे रही है, अध्यक्ष जी, पर मुआवजे से कुछ नहीं होता। मैं उस विधान सभा क्षेत्र में रहता हूं, थोड़े टाइम के लिए एक आर्थिक पीड़ा से राहत जरूर मिलती है, पर जिसके घर में किसी के पति को सरे आम जला दिया गया हो, जिसके सामने किसी बच्चे के बाप को, उसके सामने जला दिया गया हो, तो वहां पर खाली मुआवजे से काम नहीं चलता और ये फंडामेंटल राइट है, किसी को न्याय देना, हर नागरिक का ये अधिकार है कि उसको न्याय मिले। पर जो यहां 33 सालों से आंख मिचौली हो रही है अध्यक्ष जी, मैंने बताया ही ज्यादातर समय कांग्रेस का राज रहा। सन् 2014 में जब सेन्टर में बी.जे.पी. की सरकार आई तो लोगों की उम्मीदें कुछ जागी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के तिलक नगर कालोनी में जहां पर ये कत्लेआम के पीड़ित परिवार रहे हैं, वहां पर स्वयं होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कहा जी, हम इसकी दोबारा जांच कराएंगे। हमें मालूम है आज तक जितने कमीशन बने, सारे फर्जी थे। अब हम एक एस.आई.टी. बनाएंगे जो सारे के सारे इन मैटर्स को रिइंवेस्टिगेट करेगी और उनपे एक्शन लेगी। अब एस.आई.टी. का काम ये अध्यक्ष जी, 12 फरवरी को जब दिल्ली में चुनाव हो चुके थे, दिल्ली विधान सभा के, हमारे 67 सीटें आ चुकी थी। 14 फरवरी को हमारी सरकार बनना तय थी तो 12 फरवरी को केन्द्र की तरफ से एक एस.आई.टी. बना दी जाती है। इसमें तीन लोगों को लिया जाता है जिसमें एक प्रमोद असीना जी हैं, आई.पी.एस. हैं इनको चेयरमैन

बनाया जाता है, एक राकेश कपूर जी हैं जो सेशन जज हैं रिटार्यड और एक श्री कुमार जी हैं, जो एडिशनल डी.सी.पी. हैं। फिर से दो पुलिस अधिकारी और एक रिटायर्ड जज को लेके एक एस.आई.टी. बनाई जाती है। अलग अलग कमीशंस की रिपोर्ट में यहां तक की एक कुसुम लता मित्तल कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें क्लीयर 72 पुलिस वालों के बारे में लिखा गया है कि ये पुलिस वाले, पुलिस के नाम पे कलंक हैं क्योंकि इनकी भागीदारी उस कत्लेआम में साफ साफ दिखती है। उस कमीशन की रिपोर्ट पे कोई काम नहीं हुआ क्योंकि सारे मिले हुए थे अध्यक्ष जी। आज भी वो पुलिस वाले, आज जो इतना क्राइम हो रहा है जिन्होंने 5000 लोगों की जान ली, वो कोई बाहर से नहीं आए थे। वो इसी शहर के थे, इसी देश के थे। आज भी उनमें से हजारों लोग जिन्दा होंगे और इसी समाज में होंगे वो तो बड़े खुले में घूम रहे हैं। अध्यक्ष जी, उन्हें तो सिक्योरिटियां मिली हुई हैं कि यहां तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहां तो हमने सरे आम कत्ल किए हैं, तो हम पे कुछ नहीं हो सकता। अब क्या होना है, 32 साल निकल गए। तो ये कमेटियां बनाई गई हैं जो, कमेटी बी.जे.पी. के समय पर एक एस.आई.टी. बनाई गई, उससे वहां के लोगों की उम्मीदें कुछ जागी क्योंकि मैं पूरा दिन उन लोगों के बीच में रहता हूं, बड़े सारे मेरे रोज के मिलने वाले मेरे मित्र जो, मेरे से अभी भी पूछते हैं हां जी, कुछ डुआ? तो वो थक चुके हैं अध्यक्ष जी, इंसाफ की मांग करते करते। 12 फरवरी 2015 को जब ये एस.आई.टी. बनाई गई तो इस एस.आई.टी. को क्लीयर डारेक्शन दी गई to reinvestigate the appropriately serious criminal cases which were filed in the National Capital Territory of Delhi in connection with the 1984 riot and have been closed. For this purpose, the SIT Cell shall examine the record afresh from the police station concerned and also the files of justice J.D.

Jain and shri D.K. Aggaral committee and take all such measures under law and through investivation all criminal cases. कि अब सारे क्रिमिनल केसेज रि—इन्वेस्टीगेट कर सकते हो। बहुत लोगों की उम्मीदें इससे जगी। 6 महीने का इनको समय दिया गया कि 6 महीने में आप ये सारे केस रि—इन्वेस्टीगेट करो और रिपोर्ट दो। 6 महीने समय कुछ ज्यादा नहीं था क्योंकि 32 साल हो चुके थे। 6 महीने पूरे होने से कुछ दिन पहले इनको एक साल का समय अध्यक्ष जी, और दे दिया जाता है। एक साल पूरा होने से कुछ दिन पहले 6 महीने का समय फिर से बढ़ा दिया जाता है। बात आ जाती है फरवरी, 2017 तक। फरवरी, 2017 में समय खत्म होने से पहले 6 महीने का समय फिर बढ़ा दिया जाता है। तो ये तो फिर वही आई वॉश हुआ जो कांग्रेस के टाईम पर हो रहा था। अब कांग्रेस की तो मजबूरी समझ में आती थी अध्यक्ष जी, कि कांग्रेस इस कत्लेआम की खुद मुजरिम है, आरोपी है, पर बी.जे.पी. की क्या मजबूरी है, ये किसी को समझ में नहीं आ रही है। इस सदन में एक सदस्य जो खुद दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। खुद को सिक्खों का नेता बताते हैं, मैं इस मामले में कोई राजनीति नहीं चाहता। बस हाथ जोड़ के ये अपील करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस मामले में इन्साफ मिले तो आप ही की पार्टी है जो इस समय देश में एक मजबूत केन्द्र सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री आपके हैं। राष्ट्रपति आपके हैं। उपराष्ट्रपति आपके हैं। एल.जी. आपके हैं। आप चाहे तो न्याय विदिन टाईम मिल सकता है। आलरेडी 32—33 साल हो चुके हैं। तो मैं इस सदन के माध्यम से उन सदस्यों के भी क्योंकि सामने ही बैठे हैं सिरसा जी, इन्होंने अपील करदां, जिथे तुसी कहोगे, अपन साढ़े तू हड़दम चलने दूं तैयार हैं। इस मसले के ऊपर कोई राजनीति नहीं चांदे। तू सी टाईम लो। एस.आई.टी. बने अध्यक्ष जी, ढाई साल हो गये आज। विक्टिम सामने हैं।

विक्टिम की एफिडेविट सामने है। जिन्होंने अपने हाथ से एफिडेविट भर–भरके दिये कि हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और जिनकी लिखीं गयी है, उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई, विक्टिम्स हैं, सरकार मानती है 5000 लोगों का कत्ल हुआ। 2733 लोगों को सरकार मुआवजे देती है। जब मुआवजे भी देती है। सरकार मानती भी है विक्टिम भी सामने बैठे हैं। कमीशन की रिपोर्ट भी हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस सदन के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कि इसमें कोई राजनीति न की जाये और बी.जे.पी. के अपने साथियों से ये प्रार्थना करता हूं कि आप एस.आई.टी., सेन्ट्रल होम मिनिस्ट्री जहां भी जो भी एफर्ट कर दें, करके आखें सूख चुकी हैं अध्यक्ष जी, न्याय का इन्तजार करते–करते। बहुत सारे लोग उनमें से चल बसें हैं और ये आखिरी मौका है इनके पास। अगर हम भी इस सदन में बैठे सारे साथी क्योंकि इन्साफ हर आदमी की जिम्मेवारी है, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि हम 1984 के पीड़ितों को इन्साफ दिलायेंगे। पर हमारी एस.आई.टी. बनने नहीं दी। अपनी जो एस.आई.टी. बनाई है, वो काम नहीं कर रही पर इन्साफ तो दिलवाना पड़ेगा। इस सदन में बैठा एक–एक सदस्य इस चीज को मानता है कि जो हमारा मैनिफेस्टो हैं, हमारे लिए वो हमारे धार्मिक ग्रन्थ से ज्यादा पूजनीय है। हम उसके एक–एक अक्षर को अपने धर्म ग्रन्थ की तरह मानते हैं। पर।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिए जरनैल जी। अब कन्क्लूड करिए जरनैल जी।

श्री जरनैल सिंह : आपने अपने मैनिफेस्टो को जुमला बोला था। इस मामले में जुमला नहीं चलेगा। मैं अपनी बात को कन्क्लूड करते हुए दो लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा :

चलने दो जरा आंधियां हकीकत की,
न जाने कौन से झोके में अपनापन दिखाने
वालों के मुखौटे उड़ जायें।

अब या तो इस मामले में आप अपनापन साबित करो, नहीं तो हम यही मानेंगे कि कांग्रेस और आप में वही समझौता हुआ है कि आप 1984 मत उठाओ और हम 2002 नहीं उठाएंगे। आपने मेरे का समय दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस सेन्सिटिव मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। चूंकि सदन के अन्दर पहले भी इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है और मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था। 10 कमीशन्स बने और रहा वही ढाक के तीन पात। जैसा जरनैल भाई ने अपने वक्तव्य समाप्त करते कहा कि डीलिंग हो चुकी है। 1984 तुम न छेड़ो, 2002 हम न छेड़ों। दोनों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। एक का रंगे हुए है 1984 के और एक का रंगा हुआ है 2002 के दंगों से।

अध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर कई दंगे हुए लेकिन मुद्दे की बात क्या है इन दंगों में कोई नेता नहीं मरता। आम आदमी मरता है। न तो 2002 के दंगों में कोई नेता मरा, न 1984 में कोई नेता मरा। जितने छुटपुट दंगे हुए थे देश के अन्दर, न उसमें कोई नेता मरा। इनका काम मारना है, ये मरते नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर है ये। 33 साल गुजर गये। जो लोग उस वक्त बच्चे थे अब जवान हो चुके हैं उनके बच्चे आ चुके हैं। इसकी आप जब भी डिसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो खून खौल उठता है। कैसे रहे होंगे वो लोग जिन्होंने कि जिन्दा जला दिया, जिन्दा काट

दिया। कुछ नहीं देखा और बकायदा रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स कहती है इन्फैक्ट ये बड़ा दुर्भाग्य रहा इस देश का कि जेनोसाईड जो कल अपने जगदीप भाई ने भी कहा था की फारेन के एसेम्बलीज ने कैलिफोर्निया में शायद ये इसको जेनोसाईड का दर्जा दिया गया। हिन्दुस्तान में कुछ नहीं दर्जा दिया गया सर। ऐसी बात क्या है, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी भई, आप इसकी चर्चा नहीं करना चाहते? आपने चूंकि एक एस.आई.टी. फॉर्म की गयी थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसको अन्डरमाइन करने के लिए की भई SIT formed by the Central Government will have an edge over SIT formed by State Government. अण्डरमाईन करने के लिए। इनको पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर कुछ करेगी तो तह तक जाएगी, छोड़ेगी नहीं। वो दोस्ती नहीं करती। उनको बस इतना पता है और सारे साथी इस बात के विटनेस हैं कि आम आदमी पार्टी ने जहां हाथ लगाया है, वहां तह तक गयी है और जो दोषी पाया गया है, उसके खिलाफ जो भी हो सकता है, उन्होंने किया है। और शायद इसी के डर से जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बनते के साथ ही एन्टी करप्शन ब्रान्च को उनके हाथ से छीन लिया। अगर ये इनके साथ रह गया तो पता नहीं किस–किस को जेल भेजेंगे ये।

अध्यक्ष महोदय शायद यही कारण रहा होगा कि जब 12 फरवरी, 2015 को जब हमारी सरकार चुन चुकी थी। आज उनको मालूम था कि एस. आई.टी. फार्म्ड है, इनको मालूम था कि सरकार बनने वाली है तो इन्होंने ऐसे आनन–फानन में एस.आई.टी. फार्म करके जो इनके दोस्त, यार, मित्र, सगे, सम्बन्धी जो कांग्रेस में हैं, उनको बचाने के लिए इन्होंने ऐसा फार्म कर दिया, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये बड़ा इस केस को पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े जो जाते हैं। सी.बी.आई. ने कहा दिल्ली पुलिस का रोल है इसके अन्दर और स्टेट ने बकायदा, बखूबी दिल्ली पुलिस को यूज किया और सी.बी. आई. ने कहा अपने वक्तव्य में कि it was organized with support from Delhi and some central government officials और बड़ा दुर्भाग्य रहा उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। अगर रूलर ही ऐसी बात करेगा तो क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में कई किताबें लिखी गयी। हमारे एक साथी फुलका जी ने तो अपनी जिन्दगी इसको डेडिकेट कर दी। जिनको हमने एल.ओ. पी. बनाया पंजाब में। एल.ओ.पी. तक का पोजिशन जो मंत्री का पोजिशन होता है, छोड़ दिया। किसके लिए? कि 1984 का राईट्स के जस्टिस के लिए हम लड़ेंगे। है इनमें दम? ये तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सबको पता है, गोधरा में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ। किस तरह से इनकी अण्डरस्टैन्डिंग है। न तुम पकड़ो हमारे ओर न हम पकड़े तुम्हारे। बड़े छाती पीट–पीट के आये थे, कहा था कि भई, हम इनके तरफ को जेल भेजेंगे। न ये करप्ट को जेल भेजेंगे, न क्रिमिनल को जेल भेजेंगे, कांग्रेस के, अध्यक्ष महोदय। इनकी शादी बहुत पक्की है। टूटती नहीं है और इसलिए टूटती नहीं है क्योंकि इन दोनों ने ऐसे कुकर्म कर रखे हैं कि इनसे न भला हो पायेगा देश का, इनसे न भला हो पायेगा किसी भी केस का। जब तक आम आदमी पार्टी है, इनको चुभ रही है। इसी कारण कि आम आदमी पार्टी न तो इनसे दोस्ती करती है, न इनकी मानने वाली है, न ये झुकने वाली है। ये हमें जेल भेजते रहते हैं और हम खड़े होके अपनी बात करते रहते हैं अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा एक स्टेटमेंट जो कि पीछे भी आया। मेरे साथी ने पढ़ा। उसमें बकायदा इन बातों का उल्लेख हुआ कि भई किस तरह से उस वक्त की पुलिस और उस वक्त की सरकार ने इसके अन्दर बखूबी अपना रेाल निभाया। मैं एक स्टेटमेन्ट जो दि ट्रिब्यून में आया था उस वक्त, जगमोहन सिंह खुरमी जो उसके राईटर हैं, उन्होंने लिखा "such wide scale violence can not take place without police help, Delhi Police whose paramount duty was to upkeep law and order situation and protect innocent life, gave full help to writers who were in fact working under the able guidance of psycho friend leaders like Jagdish Tytler, H.K.L. Bhagat. It is well known fact that many jails, sub jails and lock ups were opened for three days and prisoners, the most hard hardened criminals were provided fullest provisions, means and instructions to teach the Sikhs a lesson but it will be wrong to say that Delhi Police did nothing or it took full and keen action against Sikhs who tried to defend themselves. The Sikhs who opened fire to save their lives and property had to spend moths dragging heels because there were afterwards."

अध्यक्ष महोदय, जगदीश टाईटलर और सज्ज्न कुमार आज तो बड़े उनको सिक्योरिटी प्रोवाईड की गयी। भा.ज.पा. के द्वारा सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। बड़े आराम से घूम रहे हैं। वो आज भी सुनिश्चित है कि कोई कोट कर लें, जैसे साथियों ने कहा, 33 साल बाद अब कहां रह जाएगा प्रूफ कि रिइनवेस्टिगेशन करेंगे, रिट्रायल करेंगे, अब प्रूफ कहा रह जाएगा! कइयों के पास जिनके पास प्रूफ्स थे, वो हमारे बीच से चले गये। इन फेक्ट उस वक्त सज्जन कुमार का स्टेटमेंट था अध्यक्ष महोदय, कहा था

कि whoever kills the sons of the snakes, I will reward them. whoever kills Roshan Singh and Bagh Singh will get five thousand rupees each. one thousand rupees each for killing any other Sikhs who can collect these prizes from November three from my personal assistant Jai Chand Jamadar. What would you need? साफ–साफ कहा जा रहा है, अब समझ में मुझे आ रहा है जो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस अनबायस्ड है। अरे! अनबायस्ड कहां है? यहां तो जब–जब स्टेट ने चाहा, उनको पॉलिटिकल अपोजिशन के ऊपर तो यूज किया, जनता के प्रति यूज किया, चाहे वो गुजरात का रॉयट हो या चाहे यहां का रॉयट हो, हर जगह यही हुआ।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टीट्यूशन बेंच में एक बहस चल रही है आधार कार्ड के ऊपर और मैं चूंकि इस बात का वाकिफ था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने वोटर लिस्ट को यूज किया। कांग्रेस पार्टी ने वोटर लिस्ट को, स्कूल रजिस्ट्रेशन फार्म्स को और राशन लिस्ट को यूज किया अध्यक्ष महोदय, to identfy, who are Sikhs and who are not Sikhs to kill them now. imagine, Speaker Sir! उस वक्त तो अगर कोई सिख अपनी जान बचाने के लिए, अपना पग उतार ले, अपने बाल काट ले, अपनी दाढ़ी काट ले और मोना बन जाए आज अध्यक्ष महोदय, नहीं हो सकता वो, आधार कार्ड है, अंगूठे का प्रिंट है। आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपके अंगूठे का प्रिंट लेंगे, बोलेंगे अंदर तो सिख है जी। यह फोटो तो सिख की है। अब कैसे बचोगे? इसी कारण अध्यक्ष महोदय, 2002 से मैं इस आधार कार्ड का बड़ा अपोजिशन कर रहा हूं लेकिन अब तो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़े इन्सैन्सिटिव पॉलिटिकल रीजन्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं और यह साफ–साफ लिखा है कि यह राशन लिस्ट भी

यूज किया गया, वोटर लिस्ट यूज किया गया तो आप सोचिये कि जिस वक्त इनके मन में किसी को मारने की इच्छा जग उठेगी, जब कभी रॉयट होगा इस देश के अंदर तो अब आप पगड़ी खोल कर के भी, दाढ़ी काट के भी बच नहीं सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, कन्क्लूड करिये।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं इतना ही कहता हूं कि जिस मंशा से आपने एस.आई.टी., कम से कम इन परसैप्शन हम लोगों को तो पता है कि क्यों आपने किया। न्याय कब आएगा, वो सिख भाइयों को न्याय कब आएगा और यह उस धर्म के लोग हैं, जहां कहा गया कि मानव की जाति सब एक ही पहचान। जैसे कहा जरनैल भाई ने कि एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे, यह उस रिलिजन के लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर जब—जब जरूरत पड़ी, चाहे बॉर्डर पर पड़े, चाहे ऑफ द बार्डर पड़े, ये खड़े रहे। आजादी की लड़ाई में इन्होंने जिस तरह का योगदान दिया भगत सिंह हो, उधम सिंह हो, आज भी जब कहीं रॉयट हो जाए, जब कहीं कुछ भी हो जाए तो इनका लंगर हमारे बीच में, जगदीप जी बैठे हैं, इनका लंगर खटाक से पहुंच जाता है। कहीं आग लग जाए, खटाक से पहुच जाता है। इस रिलिजन के लोग, इस धर्म के लोग, गुरू गोविन्द सिंह जी का जो पूरा संदंश है, कम से कम उनका तो ख्याल करो। जैसा कहा जरनैल भाई न, सिरसा जी बैठे हैं उधर और उस पार्टी में है जहां कि आज सेंट्रल में सरकार है और उप राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं सब कुछ तो इनका ही है आज की तारीख में। 16 राज्यों में सरकार है, थोड़ी हिम्मत दिखाओ और मांग डालो, क्या होगा,

देख जाएगा। 2002 के दंगे नहीं खुल रहे हैं, आपकी सरकार अभी है पांच साल और रहेगी, जितना वक्त रह गया है, कम से कम न्याय तो कर दो। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं, सोमनाथ जी, कन्क्लूड करिये।

श्री सोमनाथ भारती : एक रूरल था जिसने कि क्रूसिफाइ किया जीसस क्राइस को, जब उसने क्रूसिफाइ किया, वो ताउम्र अपना हाथ धोता रहा। उसको लगा कि मेरे हाथ में खून लगा हुआ है। मुझे पता नहीं कि जिन लोगों ने सिख भाइयों की हत्या यहां की और 2002 के दंगे कराये, वो क्या कर रहे होंगे, अपने पश्चाताप को लेकर। मैं इनसे गुजारिश करता हूं और अपनी सरकार से गुजारिश करता हूं किजो आपने एस.आई.टी. फॉर्म किया था, उसको लेकर जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहां पूछिये क्या होगा इसका!

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय बहुत कम है। जितने भी प्रूफ्स, एविडेंसिस आपके पास हैं, चूंकि कोर्ट ऑफ लॉ तो अपने तरीके से चलेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है, आपके जरिये मैं विनती करना चाहता हूं, दोनों सरकारों से, सेंट्रल से भी और स्टेट से भी, जैसा जरनैल भाई ने कहा, चूंकि मैं भी सिख रिलिजन से बड़ा प्यार करता हूं क्योंकि मेरे गुरू भी सिख हैं, मैं उनका चेला हूं हक्योंकि सारा गुरू गोविन्द साहब को पढ़ते–पढ़ते बड़े हुए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह छोटी–मोटी घटना नहीं है। इस घटना की सिरियसनैस को देखते हुए और जिस तरह का क्राइम इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर हुआ, तीन हजार लोग मारे गए, वो रिकार्ड पर है, आठ हजार लोग अदरवाइज इसके अंदर डेटा आता है।

मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको सीरियसली लेकर दोनों सरकारों को लिखें, जिससे कि उन पीड़ितों को न्याय मिलें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री अवतार सिंह कालका जी।

सरदार अवतार सिंह कालका : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे 1984 के एस.आई.टी., जो कमेटी बनी थी, उसके ऊपर बोलने का मौका दिया क्योंकि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मैं पीछे की बात बाद में करूंगा, जब हम सरकार में आए तो लोगों को बहुत उम्मीद जगी थी कि अब कोई 1984 के कत्लेआम का इंसाफ होगा और ऐसे में बहुत जल्दी हमारी सरकार ने एस.आई.टी. कमेटी बनाई ताकि जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, उसका इंसाफ हो सके। क्योंकि जो पीछे सरकारें आई, उनकी उस वक्त भी सरकार थी, उन्होंने जब 1984 की जांच कमेटी बनाई तो ए.सी.पी. वेद मारवाह को सौंपा गया, पर उसके ऊपर सच्चाई की, बहुत गम्भीरता से ले रहे थे। वो सब कुछ सुलटा रहे थे, ठीक कर रहे थे सब कुछ, कार्रवाई अच्छी हो रही थी पर उन्होंने देखा यह तो सच्चाई को लेकर बड़े गम्भीरता से काम कर रहे हैं, यह तो हमारे को, जो हमारे लोग सामने आ जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी, हमारे नेता लोगों को तो 1985 में आकर उस कमेटी की जांच रंगनाथन मिश्रा जी को दे रही ताकि उसके बाद, एक साल में जो रिपोर्ट आई तो उसके बाद उन्होंने अपना सब को क्लीनचिट दे दी, कोई हुआ ही नहीं। उनको कहा जी, नाम लेकर बताओ। कोई नाम लेने को कहे, नाम नहीं लिया जा सकता तो ऐसे ही ये कमेटियां बनीं और इसके बाद जब ऐसी कमेटी बनी, एस.आई.टी. जो बी.जे.पी. को लगा, यह तो बहुत काम खराब हो जाएगा, सब चेहरे नंगे हो जाएंगे। जो बड़े–बड़े नेता हैं मुश्किल में आ जाएंगे क्योंकि बी.जे.पी. और कांग्रेस दोनों ही एक है।

अध्यक्ष महोदय, अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँ, इंदिरा गांधी को किसने उकसाया, दरबार साहब पर अटैक करने के लिए? अगर दरबार साहब के ऊपर अटैक न होता, अगर वहां बैठकर बात हो जाती, बड़े आराम से सब कुछ ठीक हो जाता, तो आज देश में ऐसे हालात नहीं होते। उस वक्त अडवाणी जी ने खुद लिखा है अपनी किताब में कि इंदिरा गांधी को मैंने कहा कि जाकर दरबार साहब पर अटैक करो और दोनों ही मौजूद, दोनों ही चाहते थे कि कुछ न कुछ ऐसी राजनीति हो, क्योंकि राजनीति आर.एस.एस. शुरू से करती आ रही है कि कैसे सिखों को दबाया जाए। ऐसी मार्शल कौम कैसे आगे चल रही है। अभी चाइना की लड़ाई की बात शुरू हुई है, उसमें फिर शुरू कर दिया है कि जब तक हमारे पास सिख वीर हैं तो हमारे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे या तो हमारे को फुलाया जाता है या अपने देश मे जो दूसरे अपने सैनिकों से उनको कमजोर किया जाता है तो कहने का मतलब है दोनों ही तरफ से, दोनों सरकारें ऐसी हैं, मतलब ये जिंदा नहीं, ये मुर्दा सरकारें हैं। सात साल पहले बी.जे.पी. की सरकार भी रही थी, तब भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला। 1984 में इंसाफ नहीं मिला। जब भावनाओं में देश बहता है, उनके बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो यह देश भावनाओं का देश है। हमारे अंदर भी आस्था है, हम भी समझ सकते हैं कि देश के अंदर अगर इंसानियत नहीं है, अगर कानून नहीं है, हमारे नरेन्द्र मोदी जी जब लोक सभा में गए, उन्होंने जाकर वहां पर मत्था टेका कि यह मंदिर है, उसको नमस्कार किया। हमने कहा कि बहुत अच्छा लगा हमारे को कि अब हमारे को कुछ इंसाफ की आशा लगती है। हमारे को इंसाफ मिलेगा पर जैसे ही हमने एस.आई.टी. कमेटी बनाई, दिल्ली सरकार, आदमी आदमी पार्टी ने उस कमेटी को अपने अंदर ले लिया और आज दो साल हो गए हैं। दो साल में 293 केस थे 293 केसों पर स्क्रूटनी हो गई, इसमें से 51 केसों

को बंद कर दिया गया बिल्कुल। तो कैसा इंसाफ है, कैसा मंदिर है जिसमें आपने आगे हाथ जोड़कर मंदिर अपना नमस्कार किया था। यहां लोगों के लिए सरकारों ने काम करना है अगर ऐसा इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये मुर्दा सरकारें फिर क्या करें! इस देश का हाल किस तरफ जाएगा। ये सोचते हैं कि हम इनको दबा लें लेकिन ये दबने वाले नहीं ळैं। ये कम्युनिटी जो दूसरों के लिए जुल्म के खिलाफ खड़ी हो सकती है, वो अपने लिए हमेशा खड़ी रहेगी, चाहे इसमें 100 साल लग जाएं 200 साल लग जाएं, ये इंसाफ लेकर ही छोड़ेगी। यह सरकारों को सोच लेना चाहिए कि इंसाफ हमारे को देना पड़ेगा नहीं तो ये देश के ऊपर बहुत बड़ा कलंक रहेगा। बेशक मनमोहन सिंह जी ने इस देश को देखते हुए या राजनीति को देखते हुए उन्होंने अपने मन में सबको लेकर कहा कि इस पर हमारे को माफी मांगनी चाहिए पर चोट भी खाई और माफी भी खुदी मांगी, यह हमारे लिए बड़ी महानता की बात है कि खुद चोट खाकर खुद ही माफी मांग रहे हैं पर उन सरकारों को धिक्कार है जिन्होंने उस वक्त के समय में इंसाफ नहीं किया। ऐसे कत्लेआम किए जो देखें नहीं जा सकते। अगर आज एक बात करते हैं आज एक ने अपना आई.एफ.एस. की बेटी का अगला कोई लड़का छेड़ता है, उसके ऊपर हाकाकार मच जाता है तो उसका वीडियो भी गायब हो जाता है पर भी ऊपर वाला इंसाफ दिलाता है, एक वीडियो रुक जाती है। एक वीडियो से वो पकड़ा जाता है और अंदर हो जाता है, चंडीगढ़ के अंदर में। अगर इन लड़कियों को जाकर किसी गांव में किसी अपना अन्य स्थानों पर ले जाकर उनके कपड़े उतारकर, उसके साथ रेप करते हैं, आप सोचो कि क्या हाल है इस देश का, कैसे इंसाफ मिलेगा, ये सोचने वाली बात है! ये सोच लेना चाहिए कि जब तक इंसाफ नहीं होगा इस देश के अंदर इसमें त्रासदी आती रहेगी। ये हम इस विषय में देख रहे हैं। हमारे को सब समझ आती है। हमें भी पता है जब दिल्ली

में कत्लेआम हुआ तो नाजायज लोग भी मारे गये बबाल के अंदर। ये भावनाओं का देश है, करता कोई है, भरता कोई है जाकर। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं देश के अंदर अगर सरकार सच्ची है, अगर वो काम करती है तो इस देश के अंदर कानून है तो आने वाले समय आज अगर 84 न होती, 2002 न होता, गुजरात का न होता तो आज किसी की जुर्रत न होती कि आज गौहत्या के चक्कर में उतारकर गाड़ियों से लोगों को मारा जाता। आज जगह जगह गुंडागर्दी हो रही है। ये क्यों हो रही है, क्योंकि इनकी खुल है इनको आर.एस.एस. की। अगर ऐसे सरकारें काम करेंगी तो आने वाले समय में जो खतरा मंडरा रहा है, इस देश के ऊपर जो कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है जिसके कानून के नाम पर कुछ भी काम नहीं होने दे रहे, चाहे हमारी सरकार के साथ है, लोकतंत्र को खतरा हो रहा है। ये सारी बातें हमारे को सोचनी पड़ेंगी और अगर हम इस कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि मुझे लगता है हमारे को यह कन्फर्म भी है कि आर.एस.एस. की सरकार, बी.जे.पी. की सरकार और कांग्रेस की सरकार हमारे को इंसाफ देने वाली नहीं है। हमारे को लगता है कि कोई न कोई करिश्मा जरूर होगा चाहे 19 में, चाहे 24 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और ये हमारे को इंसाफ मिलकर रहेगा और इंसानियत के नाते अपने जरनैल सिंह जी ने भी कहा है कि 'सबे सांझी वाल सधाये कोई न देखे बाराजिओ, मानस की जात सबे एक ही पहचानो' हम तो सबको प्यार करने वाले हैं। ये जुल्म के खिलाफ आई थी कौम। आज हर कौम में बुरे लोग होते हैं। हर कौम में अच्छे लोग भी होते हैं। हर पुलिस में भी अच्छे लोग होते हैं। बचाने वाले भी होते हैं। अगर बात करें सिक्खों ने कुर्बानी दी है तो वहां पर हिन्दुओं ने भी कुर्बानी दी है। अगर गुरु गोविन्द सिंह के बेटों को दूध पिलाया मोती मेहरा जी ने उनका उस वक्त की मुगल सरकार ने कोल्हू में पीस

दिया था। उसके पूरे परिवार को उसमें डाल दिया था। अगर गुरू गोविन्द सिंह के बच्चों के शहीदों की अगर जगह लेनी थी तो उसके लिए टोडरमल भी आए थे सामने। उन्होंने कहा कि मोरे रखद बिछा दो सरकार ने कहा कि इतनी जगह हम संस्कार करने के लिए दे देंगे। यही नहीं कि सिक्खों ने कुर्बानी की हैं। उस वक्त के पीर बुद्धु शाह जी ने, 400 मुरीदों ने कुर्बानी की, जब देश में मुगल साम्राज्य था।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्ल्यूड करिए अवतार जी, प्लीज।

श्री अवतार सिंह कालका : मैं चाहता हूं कि अगर हमारा देश प्रगति की ओर जाए, ये हिंसा जो होती हैं, ये खत्म करनी चाहिए। ये मंदिर है, इस मंदिर से लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ मिलके रहना चाहिए। इंसाफ मिलेगा, हमारे को यकीन है क्योंकि जुल्म के खिलाफ कभी उसकी जीत नहीं हो सकती। जुल्म के खिलाफ सच्चाई की जीत होती है हमेशा और सच्चाई की जीत होकर रहेगी। मैं सिर्फ अपनी इतनी बात कहकर खत्म करता हूं। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उन्होंने एस. आई.टी. कमेटी बनाई थी, मैं चाहता हूं कि अगर अभी भी कुछ उनके अंदर न्याय देने का मन है सरकार के अंदर अपना तो वो चाहे तो इस एस. आई.टी. कमेटी को एक टीम बनाकर कुछ पुलिस के अधिकारी इसके साथ लगा दें ताकि वो टीम पूरा अपना काम करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। अगर सोचते हैं सज्जन कुमार जी, हम आजाद घूम लेंगे। अगर जगदीश टाइटलर कहते हैं, हम आजाद घूम लेंगे तो उनको रात को नींद नहीं आती होगी, ये हमारे को यकीन है। उनको मौत भी नहीं आ सकती जब तक इंसाफ नहीं मिलता। अगर वो मौत मांगें, उनको मौत भी नहीं मिलेगी। हमें पता है कि भगतसिंह आज बेशक जा चुका है और वो किन हालातों में मरा, ये देश को इंसाफ करना पड़ेगा। नहीं तो जो

देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा, उनको इसका आगे इंसाफ लेकर आना पड़ेगा, धन्यवाद, जयहिन्द, जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : श्री सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मेरे को इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, हम तो इस पीड़ा में से निकले हैं। किसी ने किस तरह से देखा, किसी ने किस तरह से देशा। इमने वो वक्त देखा है जब अपनी जान बचाने क लिए एक चक्की में छुपना पड़ा। मैंने वो वक्त देखा है जब मेरे हैडमास्टर जो मेरा मैथ्य का टीचर भी था, उसने अपने घर में छुपाकर मेरे को बचाया था। मैंने वो वक्त भी देखा था। येएक पार्टी की बात नहीं है, सभी ने इस पर सियासत की है। जो भी आया, उसे 84 का मुद्दा सियासत के लिए मिल गया। किसी ने ये मन में सोचा ही नहीं कि किन परिस्थितियों में से वो मांग उठी जगदीश कौर जैसे जिसको अपने बच्चों का संस्कार करने के लिए भी घर का फर्नीचर तोड़कर संस्कार करना पड़ा अपने बच्चों का। कभी नहीं किसी ने सोचा था। ऐसे भाषण हम पिछले 30 सालों से 32 सालों से सुन रहे हैं। कभी नहीं किसी ने ये सोचा, ऐसा वक्त एक आ गया था।

अध्यक्ष जी, बहुत गांवों के अंदर, पंजाब के बहुत सारे गांवों के अंदर 20–20 साल तक कोई बारात लेकर नहीं निकला था क्योंकि सारे ही नौजवान मार दिए गए थे। हमने ऐसे वक्त को देखा है। ये लड़ाई एक पार्टी के साथ नहीं थी, पूरे सिस्टम के साथ हमने लड़ी है। जिन लोगों ने हमें मारा था, यह सोचकर नहीं कि हमने सिक्खों के कुछ लोगों को मारना है। यह सोचकर यह शुरू किया था कि सिक्खों की नस्ल को इस

देश में खत्म कर देना है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। बहुत बार हमें खत्म करने की कोशिश की गई। इससे पहले भी बहुत बार कोशिशें की गईं लेकिन गुरू गोविंद सिंह साहब की बनाई हुई ये कौम न कोई खत्म कर पाया और न कोई खत्म कर पायेगा। 1984 के अन्दर क्या कसूर था हमारा? इंदिरा गांधी ने श्री दरबार साहब के ऊपर हमला किया था, उस हमने के एवज में उनका कत्लेआम कर दिया जाता है। जिन्होंने कत्ल किया, उनको फांसी की सजा हो जाती है। सतवंत सिंह बेअंत सिंह को, केहर सिंह को मौके पर मार दिया जाता है। ये लड़ाई लंबी चली लेकिन जो घरों में बैठे हुए लोग थे, दिल्ली की सड़कों पर उनको निकाल निकालकर मारा गया। ट्रेन की बोगियों में जो सैनिक छुट्टियों पर आ रहे थे उनको निकाल कर आग लगा दी गई। जिंदों को आग लगा दी गई। सरकार ने कैमिकल प्रोवाइड किया, उस कैमिकल का काम ये था, वे एक मुट्ठी भर कैमिकल फैंकते थे, आग लगा देते थे, बुझा नहीं सकता था। अध्यक्ष जी, जिन्होंने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की, उनका क्या हुआ? उनको पुलिस ने 302 के अंदर अंदर बंद कर दिया। 12 साल एक सरदार जी केवल इसलिए सजा भुगत कर आए क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए गोली चलाई थी। जिन पुलिस स्टेशनों में जाया जाता था, उन पुलिस स्टेशनों में परिवार के मर्द को बंद कर दिया जाता था ताकि औरतों और बच्चों को आसानी से मारा जा सके। रात को घरों के ऊपर निशान लगाए गए जैसे मेरे से पही बताया गया कि वोटर लिस्ट निकालकर घरों पर निशान लगाए गए और सुबह। पूरे का पूरा गांव नजफगढ़ के पास खत्म कर दिया गया और ये कोई एक बार नहीं ऐसा किया, एक लंबी लड़ाई के अन्दर बहुत सारी पार्टियां हमारे साथ आईं लेकिन इंसाफ हमें कोई नहीं दे पाया। कांग्रेस का बड़ा लंबा राज रहा। नानावती कमीशन बना। नानावती कमीशन ने भी बहुत कुछ निकाल कर दिया।

अध्यक्ष जी, मेरे से पहले जरनैल जी ने भी कहा, अवतार जी ने भी कहा एस.आई.टी. बनाई गई। एस.आई.टी. कोई पहली बार नहीं बनाई गई। बहुत सारे कमिशन और कमेटियां बनी थी। कुल मिलाकर एक भी आदमी को अभी तक सजा देने में हम नाकामयाब रहे और ये सुमोटो तो बहुत दूर की बात है, जैसे अभी कहा गया कि पांच दिन तक कचहरियों के जज अपने घरों पर बैठे थे फिर भी उनको नहीं दिखा कि दिल्ली में क्या हो रहा है। सुभोतो भी छोड़ दीजिए। हमारी रिट पैटीशनें डली, उनको भी जजों ने खारिज कर दिया, माना नहीं कि उस पर एस.आई.टी. बना दी जाए। आप देखिए 1984 के 32–33 साल बाद जो विटनेस थे, आज उनमें से विटनेस कितने रह गए। जो कोई बच्चा 30 साल का था, आज वो 63 साल की उम्र में बोल नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसने देखा कि 33 साल में मुझे इंसाफ नहीं मिला, मिलना नहीं है मुझे। सारी सियासत की जाएगी। सभी ने कहा हम ऐसा करके देंगे, हम ऐसा करके देंगे। पर केवल–केवल जब मंच मिला बोलने को, माईक मिला बोलने को, कैमरा सामने है, बस हमारा मकसद उतने में खत्म हो गया। उसके बाद जाकर किसी ने नहीं पूछा कि जगदीश कौर तू कहां रहती है। तेरे बच्चे कैसे हैं। तेरा कोई है, अब तुझे पूछने वाला। किस ने पूछा माता माई से? तुम रहती कहां हो, तुम आ सकते हो, तुम कोई विटनेस दे सकते हो।

अध्यक्ष जी, आज कहा जाता है एस.आई.टी. दिल्ली सरकार ने बनाई है। मैं कहता हूं कि कोई भी सरकार बनाती। दिल्ली सरकार बनाती, केन्द्र की सरकार बनाती। हमने तो इंसाफ ही मांगा था। हमने तो एक ही बात ही कही थी कि जो 1984 के कातिल हैं, अगर हिरण मारने वाले को सजा हो सकती है तो इंसान मारने वाले को कोई नहीं पूछने वाला। सरदार अवतार सिंह कालका जी ने बहुत बढ़िया बात कही। मैं कद्र करता हूं उनकी भावनाओं की।×××[2]

×××[2]चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से हटाया गया।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : मैंने तो कोई बाद में बोला, नहीं मैंने सारी बात सुनी...

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, ये व्यक्तिगत ना कहो। प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अध्यक्ष जी, दो–दो बार मेरा नाम लेकर कहा...

अध्यक्ष महोदय : मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये व्यक्तिगत चीजें बड़ी गड़बड़ होती हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : बात नहीं करनी देनी। सच्चाई को नहीं बोलने देना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अवतार जी, बैठिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : बाहर निकाल दीजिए, नहीं सुनना चाहते सच्चाई को।

सरदार अवतार सिंह कालका : मैं तो किसी के साथ नहीं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : नहीं आप सोनिया गांधी के साथ नहीं किसी के साथ नहीं, मैं तो कह नहीं रहा। जब मेरे को बोला, मैंने तो कुछ नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : फिर कन्ट्रोवर्सी खड़ी की है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : आपको मेरे बोलने पर एतराज है, मैं चुप कर जाता हूं, नहीं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ये व्यक्तिगत हम करेंगे तो...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : मेरे को व्यक्तिगत कहा गया था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं व्यक्तिगत अगर करेंगे तो बात उठेगी। कौन कहां था, जगदीश प्रधान जी कल कांग्रेस में थे। मैं भी बी.जे.पी. में था। जगदीश प्रधान भी कल कांग्रेस में थे। सिरसा जी भी कहीं और थे।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, अवतार जी। सिरसा जी, मेरी प्रार्थना ये है, मेरी प्रार्थना ये है। देखिए, इसको व्यक्तिगत मत लीजिए। ये जो माहौल बना था, बहुत अच्छा माहौल बना है। इसको व्यक्तिगत लेकर गड़बड़ कर रहे हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : पन्द्रह–पन्द्रह साल कमेटी के मैम्बर रहे, चेयरमैन आप रहे स्कूलों के। आज आप मेरे को कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए!

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत समझदार आदमी हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अध्यक्ष जी मेरा नाम लेकर..

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत समझदार आदमी हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत लेकर जाकर, इतना बढ़िया लोग सुन रहे थे, सारा माहौल खराब हो गया।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अपनी बात बता दें कि अगर मैंने कुछ गलत कहा, मुझे मेरी बात ही...

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिए। माननीय सदस्य बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, कन्क्लूड करिए अब।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : मैं बैठ जाता हूं, आप नहीं चाहते तो।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, कन्क्लूड करिए अब आप।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अवतार जी बैठिए अब।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : बात ये नहीं है। आज यहां पर लोग शोर मचा रहे हैं और ये कभी ये नहीं सोच पा रहे कि 1984 के... आज पता क्या ये ही रोना है हमारा, सियासत होती है।

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, अब सियासत हो रही है। अब सियासत हो रही है। अब ये सियासत हो रही है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : नहीं, मैं बोला तो सब को तकलीफ होनी शुरू हो गई।

अध्यक्ष महोदय : अवतार जी, वहीं बैठिए। प्लीज वहां बैठिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : सिक्खों के कत्ल करने की बात हो रही है और हम सिक्खों के कत्ल करने... हमें उस पर नहीं कहने दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी ने जो अवतार सिंह जी के नाम को लेकर जो भी बात बोली है, वो डिलीट कर दें।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : मेरा आप सारा ही काट दीजिए ना, मेरा सारा ही काट दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपको लगता है, मेरा सब कुछ काट दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अवतार जी, सब मामला खराब हो गया, हम नहीं चाहते चर्चा हो।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : मैं आपको एक बार नहीं कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हम नहीं चाहते, इसका मतलब हम नहीं चाहते 1984 के दंगों के शिकार को इंसाफ मिले। हमने इसको व्यक्तिगत लड़ाई बना ली है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : हम चुपचाप बैठे रहे। हमारा नाम लिया गया... दो मैंबरों में नाम लिया गया, हम नहीं बोले। हम नहीं बोले कुछ भी। क्योंकि 84 की बात हो रही थी। अब इनको इस लिए तकलीफ होनी शुरू हो गई क्योंकि सच्चाई सामने आ गई, तो तकलीफ होनी शुरू हो गई।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अभी तो जनरैल का भी बताऊंगा। मेरे को बोलने दो। अभी तो अवतार को बताया है। अभी जनरैल का भी बताएंगे। ये देखो, मैं हाथ जोड़ता हूं। ये 84 की बात हो रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या बैठाऊं? क्या करूं मैं? मेरी पोजिशन इतनी ऑकवर्ड हो जाती है। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : कांग्रेस का बोलेंगे आपको तकलीफ होगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस में कौन नहीं रहा। इन्होंने अवतार सिंह जी का नाम लेकर बोला। दो तीन एग्जाम्पल कोट कर दिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अध्यक्ष जी, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं, मुझे इस पर बोलने दो। मेरे को अपनी बात करने दो इस पर। अगर आपको... अगर इसकी बात को बोलने का हक ही नहीं है। अध्यक्ष जी, क्या विपक्ष को अपनी बात रखने का हक ही खत्म हो गया? हमने तो अपनी बात... जब उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा, तो मैंने बताया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अवतार जी, दो मिनट बैठिए। बैठिए सिरसा जी। सिरसा जी दो मिनट बैठिए। दो मिनट बैठिए प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं बैठें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अरे भई, बैठा तो सही अब। मैंने रोक दिया है उनको। बैठिए अवतार जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिए—बैठिए, अवतार जी, जगदीप जी। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कृपया बैठें। बैठ जाएं जगदीप जी। ऋतुराज जी, बैठिए, जगदीप जी, बैठिए प्लीज, नितिन जी, बैठिए आप।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वो आप लोगों को प्रवोक करने के लिए हंस रह हैं और आप समझ नहीं रहे हैं। वो नहीं चाहते कोई डिसीजन पर पहुंचें। वो प्रवोक करने के लिए हंस रहे हैं आपको। चलिए करिए, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अवतार जी, बैठिए प्लीज। बैठिए—बैठिए प्लीज। आप सब बोल लीजिए, मैं सुनता रहूंगा। अब जो भी सदस्य बोल रहे हैं रिकार्ड में न लाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं सिरसा जी, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं कन्ट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, हम लोग फिर व्यक्तिगत जाते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं सिरसा जी, ठीक नहीं है। अवतार जी, वहीं बैठिए आप। नहीं, आप बीच में वैल में मत आइए।

(अवतार सिंह कालका वैल में अध्यक्ष महोदय के आसन के सामने आए)

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए मुझे। आप लिख कर दे दीजिए।

सरदार अवतार सिंह कालका : ये ऐसे कैसे कह सकते हैं किसी को?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, प्लीज। लिखकर दीजिए मुझे। आप लिखकर दीजिएगा। अवतार जी, आप समझदार आदमी हैं, आप वहां पहुंचें। जगदीप जी, बैठिए। मैंने सब सुना है, मैंने बता देता हूं। मैं बता देता हूं, आपने क्या बोला। जो आपने बोला, मैंने सुना है और क्या—क्या बोला, मैं बता देता हूं। बैठिए आप, प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मत दोहराइए इन चीजों को सिरसा जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अरे भई मैं कह रहा हूं एक मिनट बैठ जाइए। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, कितना बढ़िया गम्भीर वातावरण चल रहा था, सिरसा जी बहुत अच्छा बोल रहे थे। अवतार जी मैं बंद कर देता हूं। पता नहीं सिरसा जी क्यों उन्होंने अपना स्टेशन चेंज कर दिया। आप बड़े समझदार आदमी हैं। एक सैकेंड प्लीज। मेरी ये प्रार्थना है कि हम दिल से अपने एक बार पूछ लें, बोलने से पहले कि सिख कौम कहां खड़ी है, उनके साथ हुआ अन्याय कहां खड़ा है, उसके लिए किस—किस राजनीतिक दल से क्या किया। अब एस.आई.टी. का मुद्दा जरनैल सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से रखा। कानूनी तौर पर रखा कि एस.आई.टी. बनी। चौदह फरवरी को बारह फरवरी को बन गई। इसके बाद

से अब तक उस पर निर्णय नहीं हो पाया। अच्छा रहता ये सदन सामूहिक रूप से चले। देश के गृह मंत्री जी से बात करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं सिरसा जी, ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये तरीका ठीक नहीं है ये तरीका ठीक नहीं है। मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम लोग फिर व्यक्तिगत जाते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, ठीक नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अवतार जी, वहीं बैठिए आप, नहीं, आप बीच में वेल में नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लिख के दीजिए मुझे, आप लिख के दे दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लिख के दीजियेगा मुझे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अवतार जी, आप प्लीज, आप समझदार आदमी हैं।

(माननीय सदस्य सरदार अवतार सिंह कालका सदन के वैल में आये)

अध्यक्ष महोदय : वहां पहुंचिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी, बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, बैठिये, वहां बैठिए प्लीज। मैंने सब सुना है। मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं, आपने क्या बोला, मैं बता देता हूं। मैंने नहीं, जो आपने बोला है, मैंने सुना है और क्या क्या बोला, मैं बता देता हूं। नहीं, बैठिए आप, प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, प्लीज, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मत दोहराइए इन चीजों को सिरसा जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप बैठिये।

नहीं, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अरे भई, मैं कह रहा हूं। एक बार, दो मिनट बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, इतना बढ़िया गंभीर वातावरण चल रहा था, सिरसा जी बहुत अच्छा बोल रहे थे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अवतार जी में बंद कर देता हूं प्लीज। पता नहीं, सिरसा जी क्यों उन्होने अपना स्टेशन चेंज कर दिया! आप बड़े समझदार आदमी हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सैकिण्ड प्लीज, मेरी ये प्रार्थना है कि जिस ढंग से हम दिल से एक बार अपने पूछ लें बोलने से पहले कि सिख कौम कहां खड़ी है, उनके साथ हुआ अन्याय कहां खड़ा है। उसके लिये किस किस राजनीतिक दल ने क्या किया, अब एस.आई.टी. का मुद्दा जनरैल जी ने बहुत अच्छे ढंग से रखा, कानूनी तौर पर रखा कि एस. आई.टी. बनी 14 फरवरी को 12 फरवरी को बन गई उसके बाद से उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। अच्छा रहता ये सदन सामूहिक रूप से चले देश के गृह मंत्री जी से बात करे, उन्होंने कहा कि खुद उन्होंने कहा कि मैं साथ चलने को तैयार हूं। हम चलें सब चीजों से ऊपर उठकर व्यक्तिगत तौर पर मैं पहले भा.ज.पा. में था, व्यक्तिगत तौर पर जगदीश जी कांग्रेस में थे हम में से अनेक सदस्य कांग्रेस में रहे होंगे, अनेक सदस्य

भा.ज.पा. में रहे होंगे। ऐसे भी सदस्य रहे हैं कांग्रेस में उस वक्त, जिन्होंने घरों में...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सैकिण्ड अवतार जी, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं लेकिन सिरसा जी को एक उत्तर दे रहा हूं। ऐसे बहुत सदस्य मेरी अपनी कालोनी में थे जो कांग्रेस के थे जिन्होंने अपने घरों में सिखों को रखकर बचाया है, उनको भोजन दिया है। कांग्रेस के लोग थे और अटल जी का स्टेटमैंट उस वक्त पूरे देश को चौंकाने वाला था लेकिन हम इस क्रिया पर जितनाआज सदन में चर्चा गंभीरता से हो रही थी, मुझे लग रहा था कि हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे लेकिन हमने डायवर्ट कर दिया। मैं माननीय सिरसा जी से प्रार्थना कर रहा हूं, आप बहुत गंभीर सदस्य हैं दिल्ली सिख प्रबंधन कमेटी में, गुरुद्वारों में आप बहुत बड़ी शै हैं, आपका नाम है, उस नाम की गरिमा को इस विषय को लेकर डायवर्ट मत करिये। पार्टी से ऊपर उठकर आप अपनी बात करिये। बस हो गया अब, प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब अखिलेश जी, दो मिनट, नहीं, बैठ जाइए, आप रहने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पीछे भी गड़बड़ हुआ था। मैंने बात बोल दी ना, कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं, बोल दी है

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलिये, ठीक है, कर लीजिए। अवतार जी, प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिकवेस्ट कर रहा हूं, आप लिख के दे दीजियेगा, जो भी कुछ है, आप लिख के दे दीजियेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अरे! मैंने बोल दिया, सब कुछ बोल दिया और क्या रह गया अब? सिरसा जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट, अब इसको कन्कलूड करिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : मेरे को कहेंगे, मैं नहीं बोलूंगा मेरे को...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। भई, आप अगर ठीक बोलेंगे तो अच्छा लगेगा।

सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा : बाकी बोलते हैं, मेरा नाम लेकर बोला, मैंने ऐतराज नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : देखिए ऐसा है...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : मैंने उनकी भावना की कद्र की है।

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, मैं सदन की भावना, सदन का हाऊस का सैन्स एक जायेगा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : मेरी विनती सुन लीजिए अध्यक्ष जी, मेरी बात अगर जनरेल सिंह जी को लगता है...

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : तो बता देते जी कि मैं सरना के साथ हूं। उनको अपनी भावना बता देते बाद में, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात हो गई।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : सरदार जनरेल सिंह जी।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अब अध्यक्ष जी, लाशें हमारी बिछ गईं, बोलने का मौका इनको मिल रहा है, सियासत इनको करनी है। क्या ये ठीक है?

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात हो गई!

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या ये ठीक है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये सियासत के लिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जनरैल सिंह जी का जो नोटिस है, सियासत के लिये है ये?

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सियासत के लिये है ये?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : एक सैकिण्ड, एक सैकिण्ड, रुक जाइए सिरसा जी, सिरसा जी, मेरी बात सुन लीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : इसके बाद भी, एक बार भी टोका नहीं उसको।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, दो मिनट सुन लीजिए अब मेरी बात।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : मन में भावना...

अध्यक्ष महोदय : फिर आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। दो मिनट अवतार जी, बैठिये अवतार जी बैठिये, पूरे भारत में...

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : ये बात खत्म हो गई।

अध्यक्ष महोदय : अभी चुनाव नहीं हैं तो सियासत में आप ये बात. ..

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : खत्म नहीं होगी ये, अध्यक्ष जी, मैंने अपने वक्तव्य में सबसे पहले एक बात कही। मैंने तो किसी पार्टी को ये तो कहा ही नहीं, किसी एक पार्टी ने मेरे साथ...

अध्यक्ष महोदय : भई सिरसा जी, आप सफाई देंगे, मामला फिर खराब

होगा। जो आपने कहा, वो सारा सदन ने सुना है, रिकार्ड में है। आप अभी इस विषय को कन्कलूड करिये प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : हमें इंसाफ नहीं दिया, किसी पार्टी ने हमें इंसाफ नहीं दिया। ये हम एक बार नहीं, सौ बार कहते आये हैं। एक बार नहीं फिर से कह दूं किसी पार्टी ने हमें इंसाफ नहीं दिया, हम सौ बार बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं अब विषय जो प्रस्ताव है एस.आई.टी. का, उस पर आप अपने विचार रखकर कन्कलूड करें।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अध्यक्ष जी, आ तो रहा हूं। जब सब कुछ हर कोई बोला तो कोई कुछ नहीं बोला। हमारे ये दृश्य जो है ना, मेरे लिये सियासत से बहुत ऊपर उठके मेरे ह्रदय के इसलिए पास में है केस मैंने लड़े हैं अध्यक्ष जी, उन विटनेसों को मैंने संभाला है। मेरे भाई जरनैल जी एक विटनेस का नाम नहीं बता पायेंगे, मैंने उन परिवारों को अपने पास रखा है। अध्यक्ष जी, कहां कहां तक मैंने...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई फिर आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : एक केस में कभी गये नहीं...

अध्यक्ष महोदय : फिर पर्सनल अटैक कर रहे हैं सिरसा जी।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अध्यक्ष जी, मैं लगभग हर...

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : कोर्ट में गया हूं। मैंने इस लड़ाई को पिछले इतने सालों से, इस लड़ाई को झेला है। अध्यक्ष जी, बोलना बहुत आसान है, इस बात को कह देना यहां पर।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूं इस चर्चा का...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज हमने क्या तय किया था, हम क्या कर रहे हैं!

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : गुरुद्वारा कमेटी करे, ये कह देना बहुत आसान है अध्यक्ष जी। कोई करके दिखाये, एक दिन कोई उनके साथ खड़ा होकर दिखाये। मैंने हर वो लम्हा अपनी जिंदगी का अध्यक्ष जी, मैंने उनके

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : साथ जोड़ा है मैंने।

अध्यक्ष महोदय : जगदीप सिंह जी, आप किसी पर व्यक्तिगत अटैक नहीं करेंगे।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : हर जगह पर अध्यक्ष जी...

अध्यक्ष महोदय : व्यक्तिगत किसी पर नहीं बोलेंगे पर्सनल कोई चीज नहीं बोलेंगे, मेरी प्रार्थना है

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अध्यक्ष जी, आज से नहीं, गर्मी की तपती धूप में हम सड़कों पर बैठे।

अध्यक्ष महोदय : अवतार जी, बैठिए आप जरनैल सिंह।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : हर वो लड़ाई लड़ने के लिये हम मंच पर पहुंचे।

अध्यक्ष महोदय : अब ये भई मैं अब और समय नहीं दे पा रहा हूं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : आज हमें ये कह दिया जाये कि...

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, भई मैं आपको और समय नहीं दे रहा हूं। बीस मिनट खराब हो गये बीस मिनट पूरे सदन के, बीस मिनट खराब हो गये बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्लीज, प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऋषि जी बैठिये, बैठिये प्लीज

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सिरसा जी, अब बैठिये प्लीज। मैं हाथ जोड़कर रिकवेस्ट कर रहा हूं। मेरी प्रार्थना मानिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : न, न, ठीक है जो मर्जी आये करो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप चैलेंज कर लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी को लांछन नहीं लगाने दूंगा, नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यक्तिगत तौर पर...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बोलने दीजिए, आप बात।

...(व्यवधान)

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर आप दोबारा बोलने का मौका दिया ये...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये, बोलिये।

श्री जगदीप सिंह : बस जी, बस।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलिये, जगदीप जी।

श्री जगदीप सिंह : पूरा सदन, इस मुद्दे पर जितनी भी चर्चा हो रही थी।

(भा.ज.पा. के सभी सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री जगदीप सिंह : तुम भागोगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी, बैठिये प्लीज। जरनैल जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी, जगदीप जी।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जितनी संजीदगी से पूरा हाउस इसके ऊपर विचार कर रहा था, कहीं न कहीं लग रहा था कि कुछ लोग गंभीर रूप से इसपे कुछ करना चाह रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा भी बोले शुरुआत उन्होंने बहुत गंभीरता से

की। मैंने कहा शायद लोगों का दु:खदर्द सुनके, उनको शायद यहां पर बैठके थोड़ा दु:ख हो गया होगा, तो इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो खून की आग जो सबके दिलों के दर्द की आग जल रही थी, इन्होंने उसपे राजनीतिक का तवा रख दिया।

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी चर्चा छोड़ दीजिए, आप विषय पर आइये।

श्री जगदीप सिंह : सर, मैं आपको कुछ...

अध्यक्ष महोदय : अब उनकी चर्चा मैं...

श्री जगदीप सिंह : प्लीज नोट कीजिएगा, मैं बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : फिर आप उसकी ओर जा रहे हैं।

श्री जगदीप सिंह : सर, मैं बड़ी इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। जिस तरीके से उन्होंने बोला हमारे एक साथी के ऊपर।

अध्यक्ष महोदय : अरे भाई छोड़ दीजिए, उस चीज को।

श्री जगदीप सिंह : सर, गलत किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप विषय को रखिये।

श्री जगदीप सिंह : सर, गलत किया है। अगर हम यहां पर बात नहीं करेंगे तो हम कहां पर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं हाउस एडजोर्न कर रहा हूं 15 मिनट के लिए।

(सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गयी।)

सदन पुनः 7:08 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी।

श्री जगदीप सिंह : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर राजनीति नहीं करने आया, न कोई राजनीति की बात करने आया हूं। जो भी बात रखूंगा यहां पर, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण होंगे, एक एक बात सच होगी। ये जो सारी बातें बोल रहे थे, मैं आपको ये जगदीश कौर, निरप्रीत कौर की बात कर रहे थे, निरप्रीत कौर को जो 30 साल से इस केस को लड़ रही हैं। जगदीश कौर भी इस केस को लड़ रही है। जब जगदीश टाईटलर को क्लीन चिट दे दी जाती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये क्या हो रहा है? एक सेकेण्ड, ये क्या आवाज आ रही है?

श्री जगदीप सिंह : कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आप इधर ध्यान दें। क्लीन चिट दी जाती है। दो दिन ये लोग उसपे प्रदर्शन करते हैं कि अब हम क्या करें, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? सात दिन के लिए जंतर मंतर पर वो भूखे बैठती हैं, हम लोग उनके साथ प्रदर्शन करते हैं, वहां पर हर उस व्यक्ति का पोस्टर लगाया जाता है, जो नेता इस जेनोसाइड में एनवॉल्व था। लेकिन इन्हीं की पार्टी के कुछ लोग आके इवन जैसे अवतार सिंह कालका जी के ऊपर मनजिंदर सिंह सिरसा ने बोला, मनजिंदर सिंह सिरसा आके कहता है कि ये राजनाथ सिंह का पोस्टर, ये इनका पोस्टर, बी.जे.पी. के जितने पोस्टर, ये सारे फाड़ दो क्योंकि हम

लोग इनके अलाइड हैं। ये हमारी एलाइड गवर्मेंट हैं, इनके पोस्टर यहां से हटाओ तब इनको दुख—दर्द भूल जाता है। हर 15 दिन बाद ये कांग्रेस के ऊपर प्रोटेस्ट करते थे, जंतर—मंतर पहुंच जाते थे और हर जगह जाकर ये प्रोटेस्ट करते थे। आज तीन साल से एस.आई.टी. में कोई कार्य नहीं हो रहा, अब क्यों नहीं कर रहे प्रोटेस्ट, अब क्यों नहीं कर रहे होम मिनिस्टर से बात? एक इलाके में कहीं पर भी एक मर्डर हो जाता है, उस एस. एच.ओ. की ट्रांसफर कर दी जाती है या उस एस.एच.ओ. को लाईन हाजिर कर दिया जाता है। 2733 ऑफिशल रिकार्ड है, 2733 ऑफिशल रिकार्ड है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने खड़ा है, शादीपुर थाने में कपड़े की बोरियां खोल—खोलकर के अपने बाप के कपड़े ढूंढ़े हैं, हमने अपने पिता के कपड़े ढूंढ़े और बताया गया कि इन कपड़ों में देख लो। अगर वो कपड़े हैं, आपके तो शायद आपके पिताजी नहीं है। तभी इनको कहां याद आता, इनको नाम याद हैं। इनसे पूछ लो जगदीप सिंह रहता कहां था, इनको ये भी नहीं पता होगा। ये बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में थे, अरे! डेढ़ सौ कांग्रेस के लोग तो भा.ज.पा. के एम.पी. बन गए, तुम्हारे साथ संसद में आकर बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं ये लोग। ग्यारह मंत्री जो हैं, वो कौन सी स्टेट है, उस स्टेट में 11 मंत्री वो ही कांग्रेस में थे, वो ही ग्यारह मंत्री जो हैं, उठकर भा.ज.पा. में आ जाते हैं। आज तीन साल से इन्होंने आवाज नहीं उठाई। हर 6 महीने का, हर एक साल की डेट डाल दी जाती है कि एस.आई.टी. में काम होगा। अब उसी नौ कमीशन्स की तरह आप भी हमारा बेवकूफ बना रहे हैं। ये कह रहे हैं छातियों पे हंडाया है। छातियों पर तो हमने हंडाया है। कैसे सौ—सौ रुपये के लिए हम लोग तरसते थे। अभी जरनैल जैसे बोल रहा था, वो समय याद आ जाता है। बिन बात के जब आपके पास घर में पैसा नहीं होता, आपके घर की तरफ लोग गिद्ध की तरह देखते हैं, गिद्ध की तरह आपके घर

की तरफ देखते हैं। ये बातें करते हैं यहां पर आकर, ये इंसाफ दिलवाएंगे! ये राजनीति कर रहे हैं और राजनीति ही करें और कल भी आपसे निवेदन किया था, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अगर ये इंसाफ की लड़ाई हमने इस मंदिर में आकर भी अगर हम लड़ने में कामयाब नहीं हुए, हमें इंसाफ नहीं मिला तो ये हिंदुस्तान के इतिहास में ये काला सैन्टेन्स लिख दिया जाएगा कि इन्होंने वो इंगलिश का प्रोवर्ब पूरा किया कि 'Justice delayed is justice denied and this, the Indian Govt. has done by not giving the justice to the 2733 people who were killed nakedly in Delhi where 53 officers were involved and none of the police officer has been convicted for this case.'

जहां पर एक एस.एच.ओ. को हम लोग उठा के बंद कर देते हैं, एक भी पुलिसवाले को हम लोग अभी तक जेल में नहीं डाल पाए।

तीन नेताओं का क्लीयरली नानावटी स्टेटमेंट में रिकार्ड है कि वो ट्रक लेकर आया, राडों के भरकर, उसने राडें बांटी और बोला जाकर सिखों को मारो, एक सिख का सिर उड़ा के आओगे और मैं आपको हजार रुपये दूंगा। ये क्लीयरली नानावटी कमिशन ने स्टेटमेंट्स ले–लेकर रिकार्ड में डाली हुई है। ये एक दिन गली हुई किताबों की तरह ये पॉश बन जाएंगी और यहां पर इंसाफ नहीं मिलेगा और ये लिखा जाएगा यहां पर, जिस तरीके से आज भी हम विभीषण को एक गंदे नाम से याद करते हैं ना कि 'घर का भेदी लंका ढाए'। इसी तरीके से एक दिन हमारी जूडिशयरी के ऊपर भी किसी तरीके, ये एक ब्लैक स्पॉट रहेगा, अगर इस पर कुछ नहीं किया। मेरा आपसे बस यही आग्रह है, अपने मंत्री जी से यही आग्रह है कि इसके ऊपर हम लोग क्योंकि हमारी सरकार ने एक ही बात कही थी, जो कहा वो किया। हम लोगों ने जो–जो अपने मैनिफैस्टो में डाला, वो हमने किया।

1984 के जितने भी विक्टम्स हैं, उनको जस्टिस दिलवाने का वादा किया। हम लोग बार–बार जाएं, अगर हमें जेल में डालेंगे, हम जेल में डलेंगे, हमें जितने दिन के लिए डालना चाहेंगे, वहां पर हम जाएंगे जेल में लेकिन हम जाकर होम मिनिस्टर से बात करें और उसको पब्लिक रिकार्ड में लाएं कि आप कितनी जल्दी इस केस को एक्सपीडाइट करके, इस पे आप इंसाफ देंगे। एवरीबॉडी, बहुत सारे लोग हैं, पैसे से ठीक है, कुछ लोग के बच्चों को कोई रोजगार मिल गया होगा, कुछ बच्चों को पढ़ने को मिल गया होगा, बहुत अच्छी बात है लेकिन बहुत सारे लोग मेरे जैसे जिन्होंने एक रुपया नहीं लिया, वो आज तक वेट कर रहे हैं कि शायद हमें इंसाफ मिलेगा, नहीं तो वो माचिस पिक्चर में जैसे दिखाया था कि वो टेररिस्ट बन गए थे, हम और टेररिस्ट न पैदा करें, धन्यवाद सर, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी।

गृह मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 1984 के अंदर दिल्ली के अंदर जो कत्ले आम हुआ था, वो देश के इतिहास में एक काला धब्बा है। ये सिर्फ 33 साल की बात नहीं है, अगर हम पीछे जाएं तो हमारे को 3300 साल में भी शायद ऐसा इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा, जैसा दिल्ली में हुआ। ऑफिशियली 2700 के करीब बता रहे हैं, पर टोटल वैसे 8,000 के करीब लोगों का कत्ले आम हुआ और कोई भी कत्ल करने वाला नहीं मिला। ये बड़ी अजीब सी बात है। तो 8,000 लोग आत्महत्या तो नहीं कर सकते। किसी न किसी ने तो उनको मारा था। दरअसल अगर कोई आदमी सो रहा हो तो उसको जगाना बहुत आसान होता है परंतु जो जाग रहा है और सोने की एक्टिंग कर रहा है, उसको कोई जगा नहीं सकता। ऐसा ही इस केस में लगता है कि जो कल्प्रिट

हैं, अगर वो छुपे होते तो उनको पकड़ा जाता, उनको ढूढ़ना पड़ता। क्योंकि कल्प्रिट छुपे हुए नहीं हैं, उनके बारे में सबको पता है कि कौन कल्प्रिट है, किन्होंने हत्याएं की हैं। इसलिए जो पॉवरफुल लोग हैं, उनको पकड़ना नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री, जी एक सैकेंड, सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए, इसकी प्रार्थना करता हूं।

(सदन की सहमति से समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया गया)

गृह मंत्री : बार–बार ये बात कही जाती है कि 33 साल हो गए, 33 इयर्स हो गए। अध्यक्ष महोदय, 33 साल में से बी.जे.पी. के 6 साल पहले थे और 3 साल अब हैं तो 9 साल इनके भी हैं। सबसे बड़ा संशय इसी बात पे होता है, ठीक है। तो चलो कांग्रेस के राज में हुआ था, उन्होंने किया था, वो तो कोशिश करेंगे इसको छुपाने की, समझ में आता है। अरे! जिसने क्राइम किया है, वो अपने आपको कभी भी मानेगा ही नहीं कि उसने क्रइम किया है परंतु ये तो कहते हैं हम तो क्राइम के भागीदार नहीं हैं, अगर ये क्राइम के भागीदार नहीं हैं तो पहले 6 साल और अब 3 साल, 9 साल हो चुके हैं, अब इसको छुपाने में इनका क्या इंट्रेस्ट है! ये बहुत ही दु:खद है।

पिछले 3 साल में आप इनसे पूछिएगा, जब हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी, हमने एस.आई.टी. बनाई, उस एस.आई.टी. ने काम करना स्टार्ट किया। इसको ऐसी कौन सी आफत आ गई थी, जब दूसरी बारी हम जीत गए, रिजल्ट गया। उस रिजल्ट के बाद जब इन्हें पता था कि 2 दिन के बाद शपथ होनी है तो इन्होंने एक एस.आई.टी. का गठन कर दिया। आज उस एस.आई.टी. को बने हुए जो 12 फरवरी, 2015 को बनी थी,

ढाई साल से ज्यादा हो चुके हैं अगर एस.आई.टी. बनाने में इनका इंट्रेस्ट था, सरकार तो इनकी मई में बन गई थी, 26 मई को केन्द्र सरकार ने शपथ ली थी तो इन्होंने 26 मई से लेकर 12 फरवरी तक इंतजार क्यों की? क्योंकि इनको कोई एस.आई.टी. बनानी ही नहीं थी। इनको अच्छी तरह से पता था कि केजरीवाल सरकार आ गई तो आते ही 14 तारीख को शपथ होगी और 15 तारीख को एस.आई.टी. का गठन होगा तब उनके पास रास्ता नहीं बचेगा। इन्होंने per-emptive action लिया। pre-emptive action लेकर कि राज्य सरकार एक एस.आई.टी. का गठन ना कर सके, इसकी जांच ना हो सके इन्होंने 2 दिन पहले उस एस.आई.टी. का गठन किया, ये सिद्ध करता है कि इनकी नीयत खराब थी। अगर ये बार–बार कहते हैं कि हमारी नीयत साफ है, तीन साल का समय कम नहीं होता। तीन साल में इन्होंने तीन भी काम किए हों तो बता दीजिएगा, एक काम किया जो बताया मेरे साथी ने कि 51 केस क्लोज कर दिए, 293 केसों में से 51 केस क्लोज कर दिए, यही करना है क्या? इसी के लिए एस.आई.टी. बनाई थी क्या? इसका मतलब तो इस तेजी से चलेंगे तो और एक दो साल के अंदर सारे केस बंद कर देंगे ये। एस.आई.टी. केसों की जांच करने के लिए बनाया था या कि केसों को बंद करने के लिए बनाया था, ये भी क्वैश्चन उठ रहा है। जितनी इन्सैंसटिविटी विपक्ष ने विपक्ष ने दिखाई ऐसे गम्भीर मुद्दे के ऊपर, जिसके लिए बोल पाना भी सम्भव नहीं है, सुनते हुए रौंगटे खड़े हो जाते हैं, अभी जगदीप भाई बोल रहे थे, अपने पिता के बारे में कि उनको पिता का पता करने के लिए कपड़ों की गठरी में से ढूंढ़ना पड़ा कि उनके पिता के कपड़े कौन से हैं, तब उन्हें पता लगा कि उनके पिता की डैथ हुई है, कि उनको मारा गया है। ऐसे सैंसिटिव इशू के ऊपर बहाना बना के ये लोग बाहर जाते हैं। ये तो वही वाली बात हुई कि जाना तो है ही हमें, बहिष्कार

तो करना ही करना है, क्योंकि इनके हाथ भी उसमें रंगे हुए हैं, मुझे पूरा–पूरा शक है कि बी.जे.पी., कांग्रेस से किसी तरह से कम नहीं है। या तो इनकी उनके साथ कोई डील हो चुकी है जिस लिए ये उनको बचाना चाहते हैं, अगर इनकी डील नहीं हुई है तो अभी–भी इनके पास दो साल का समय है, न्याय करके दिखाइएगा। अरे! जिसके पिता को मारा गया, भाई को मारा गया, आप पैसे देके उनको न्याय नहीं दिला सकते। कई बार लोग कहते हैं कि हम इनका ध्यान रखेंगे, शिक्षा देंगे, पैसे देंगे। इसके लिए थोड़ा है! अरे भई! जिसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा, तो सरकार की ड्यूटी है कि उनका लालन–पालन करे, परन्तु न्याय दिलाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो देश की बुनियाद कमजोर हो जाएगी, न्याय मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस देश के अंदर न्याय व्यवस्था से अगर लोगों का विश्वास उठ गया तो उस देश का आगे चल पाना भी मुश्किल है। तो मेरा ये कहना है कि न्याय मिलना चाहिए, 8 हजार लोग हैं, 7 हजार हैं या 9 हजार हैं एक–एक डैथ का बदला लिया जाना चाहिए, एक–एक दोषी को सजा मिलनी चाहिए, जब तक वो सजा नहीं मिलेगी इस देश के ऊपर हमें शर्म आएगी, हमारी न्याय व्यवस्था पर भी क्वैश्चन मार्क लगेगा, जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, उन लोगों को लगेगा कि वो लोग, कोई भी काम करके ऐसे बच सकते हैं और आगे भी बार–बार उनको लगेगा कि दुबारा भी पुनरावृत्ति की जा सकती है। एक बारी अगर 84 के दंगों के दोषियों को सजा मिली होती तो 2002 के दंगे नहीं हुए होते। दंगे इसलिए हो सकते हैं क्योंकि वो बच सकते हैं, अगर आज कोई क्राइम में फंसने का डर होता है तो क्राइम नहीं होता, इसमें फंसने का डर नहीं है और उसके बाद नेतागिरी चलती रहती है, इसलिए ये कर पाएं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की ओर से, केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलने का समय मांगूंगा और सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा। विपक्ष के जो सदस्य जो बाहर चले गये, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे साथ चलें और उनके सामने अपनी बात रखेंगे कि कम से कम न्याय की खातिर इस चीज को दबाया न जाए, इस चीज को मिट्टी न डाला जाए, इसकी जांच न्यायपूर्वक होनी चाहिए और जिन दोषियों ने गलत काम किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी, मुझे लगता है सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, जिन्होंने अपने रियल भाई को, पिता को, अपनी बहनों किसी को भी खोया है, हमने भी तो खोया है ना, वो भी हमारे देश के लोग हैं, हमारे साथी थे। मैं अपने यहां बता सकता हूं मैं 18–19 साल का था, मेरी कालोनी के अंदर रात के टाइम, दूर देखते थे कहीं धुआँ उठा रहा होता था, उस टाइम पर आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ लोगों ने आकर कोशिश की कि चलो ग्रुप बनाकर वहां चलते हैं। क्या करने चलेंगे, हम भी कुछ उसमें मदद करें। ये तो शुक्र है संस्कार अच्छे थे, माँ–बाप अच्छे थे, माँ–बाप की तरफ से पूरा वो था कि कोई गलत काम नहीं करना है। इसका मुझे गर्व भी है। हमारी कालोनी में ऐसा कुछ काम भी नहीं हुआ। बिल्कुल हमारे घर के अंदर ही, हमारे किराये पर सिख रहे थे कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारी कालोनी में एक भी इन्सीडैंट नहीं हुआ, उसका मुझे गर्व है। पढ़े–लिखे लोग थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। परन्तु मुझे लगता है उकसाया तो जरूर गया था, जगह–जगह लोगों को आके उकसाया गया था कि आप चलिएगा। आप बदला नहीं लेंगे तो ये होगा, वो होगा तो उन सब चीजों से मुझे लगता है न्याय मिलना चाहिए और आगे के लिए भी एक रास्ता बंद होना चाहिए। एक क्राइम इन्डिविज्युअल आदमी करता है, एक आदमी ने किया, जब समाज मिलके करता है, पूरे समाज के ऊपर

लांछन होता है, पूरे देश के ऊपर लांछन होता है। इसको साफ करने के लिए न्याय मिलना जरूरी है। मैं इसकी आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार को सद्‌बुद्धि आएगी, इसकी न्यायपूर्वक जांच कराई जाएगी और सब दोषियों को सजा दी जाएगी, धन्यवाद जयहिन्द।

श्री सुखवीर सिंह दलाल : अभी अध्यक्ष महोदय, अभी बताया मेरे एक साथ ने दो मिनट पहले बताया कि हमारे एक विधायक पर हमला हुआ था, वो सोमनाथ भारती हैं। अभी बताया, पुलिस को बुलाया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं ले रहा हूं।

श्री अजय दत्त : अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायकों पर हमले होते हैं और उनको मारने की कोशिश की जाती है। हम पब्लिक रिप्रजेंटेटिव हैं और पुलिस को जब बुलाया जाता है तो उसको 45 मिनट, 50 मिनट लगते हैं और एक कॉन्सटेबल को भेज दिया जाता है। अगर किसी की हत्या हो गई हममें से उसका जिम्मेदार पुलिस होगी, ये कमिश्नर होगा, वहां का डी.सी.पी. होगा क्योंकि उसको अगर बी.जे.पी. का कोई भी आदमी एक चूहा भी जाके बोल दे, पूरी फोर्स खड़ी कर देते हैं। क्या हमने गुनाह किया कि हम दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी की, हमारे भाई सोमनाथ की सिक्योरिटी की कोई परवाह नहीं है। तो मैं आपसे पुरजोर रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि आप पुलिस कमिश्नर को अपने यहां कल ही बुलवाएं, इस बारे में बात हो और उससे पूछा जाए कि विधायकों की सिक्योरिटी को क्यों आप तवज्जों नहीं दे रहे, क्यों नहीं पूछा गया जब सोमनाथ भारती जी की कॉल गई, उनसे क्यों बात नहीं की गई, वहां पे पुलिस फोर्स क्यों नहीं भेजी गई?

अध्यक्ष महोदय : चलिए हो गया, बैठिए—बैठिए।

श्री अजय दत्त : क्या दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ बी.जे.पी. के चमचों की तरह रहना चाहती है या दिल्ली की जनता की सेवा के लिए रहना चाहता है, ये बहुत गम्भीर मुद्दा है। एक बार पहले भी दिनेश मोहनिया जी के साथ ऐसा ही हुआ। एक बार मेरे साथ हुआ। नहीं तो हम कल सब जाके पुलिस कमिश्नर के यहां धरना देंगे और जो होगा देखा जाएगा। हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है?

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास दो माननीय सदस्यों के, एक तो माननीय भारती जी का, इन्होंने विस्तारपूर्वक मुझसे घटना, मेरे चैंबर में आके जिक्र की थी, देर से आने का कारण कि वे आज एक आंगनवाड़ी के कार्यक्रम में गए थे, प्रिप्लान था वहां इनका जाना, क्योंकि उस आंगनवाड़ी में जो शरारती तत्व हैं, वहां बार–बार उनको परेशान किया जा रहा है, आंगनवाड़ी के कर्मचारियों को। ये सब जगह हो रहा है, मेरे विधान सभा में भी हो रहा है। उतनी देर में कुछ लोग डंडे लेकर के आ गए जो उन्होंने जिक्र किया है। मैंने कहा, मुझे लिखित में दो, मैं इसको टेकअप कर रहा हूं और सोमनाथ भारती जी अगर चाहते हैं 2–5 मिनट में अपना जिक्र कर सकते हैं, सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद आप मुझे ये अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये आज 1984 के राइट्स की बात कर रहे थे, कल मैंने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा इसके ऊपर, स्टेट स्पोंसर्ड पुलिस क्या करती है, 1984 राइट्स उसका एक नायाब नमूना है। आज भी देखने को मिला, आंगनवाड़ी वर्कर्स, चूंकि शरारती तत्व हैं, इन्सपाइट ऑफ दा फैक्ट कि हमने उनके वेतन को बढ़ाना था, बढ़ा दिया, दुगुना कर दिया लेकिन

कुछ लोग पॉलिटिकल स्पोंसर्ड लोग कर रहे हैं तो मेरे क्षेत्र के अंदर जो आंगनवाड़ी है, होजखास गांव के अंदर वहां तीन आंगनवाड़ियों के ऊपर 8 तारीख को कुछ लोगों ने जाकर के शरारत किया और वहां आंगनवाड़ियों को बंद करने का प्रयास किया। मुझे बड़ा दुःख पहुंचा। चूंकि हमने अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हैल्पर्स को, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाया था, उनको धन्यवाद किया था, उनके साथ सारे काम हमने पूरे किये थे। तो मेरा शेड्यूल था, वहां जाना आज 12 बजे, मैंने कहा कि मैं विधान सभा के लिए वहां होते हुए निकल जाऊं। इस बीच अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम पड़ा एक हमारे क्षेत्र के एक अनाथ महिला थी उनका देहांत हो गया तो मैं पहले श्मशान घाट गया, उनका संस्कार अटैंड करके, मैं फिर वहां गया तो एक बजे के करीब पहुंचा। मैं बात कर ही रहा था, वो वाल्मिकी मंदिर के अंदर एक कमरा है उसके अंदर ही हमारी ये आंगनवाड़ी चलती है वहां की। तो बात कर रहा था, समझने का प्रयास कर रहा था कि भई क्या हुआ तभी देखा कि एक इकबाल चौहान नाम का इन्सान जो वहां के एक्स काउंसलर भा.ज.पा. के नेता हैं, श्री शैलेंद्र सिंह मोंटी, उनके बिजनेस पार्टनर भी है और उनके साथ काम करते हैं, उनको आते हुए देखा, 10–15 लोग साथ में आ रहे थे उनके हाथों में डंडे थे; हॉकी स्टीकस थी, तो मैं कमरे में बैठा था मैंने कहा, भई क्या हो रहा है ये, जानने का प्रयास किया कि क्या चक्कर है, क्यों तो चिल्लाते हुए आ रहे, इसको बाहर निकालो, इसको हम बताते हैं, मोंटी जी को तंग करता है, मैंबर डी.डी.ए. बनता है, मेरे साथी बैठे हैं यहां पर, बग्गा साहब, चूंकि उस मुद्दे को बहुत दिन उठाया है डी.डी.ए. के अंदर। क्योंकि जो मोंटी जी हैं, उन्होंने क्या किया कि डी.डी.ए. के एंक्रोच लैंड के उपर एक बिल्डिंग बना लिया। 26.5.2015 को डिमोलिशन का आर्डर हुआ। डी.डी.ए. ने ऐफिडेविट दिया है हाई कोर्ट के अन्दर। लेकिन पुलिस फोर्स नहीं है करके उनके मकान

को छोड़ दिया गया और उनको पूरा मौका दिया एल.जी. महोदय ने, पूरी व्यवस्था ने पुलिस ने कि तुम सिस्टम को ऐब्यूज करके अपना मकान बचा लो। तो मैं उस मुद्दे के ऊपर काम कर रहा हूं। इससे आहत होकर के वो आदमी कहता है कि जी, ये बड़ा मैम्बर डी.डी.ए. बनता है, इसको आज बताते हैं। यहां से अपने पैरों पर चलकर नहीं जाएगा। देखो भईया, ऐसा है कि आपको जो बात करनी है, आकर बैठ लो। मेरी न आपसे कोई दुश्मनी है, न उनसे कोई दुश्मनी है। कहता है कि बहुत बड़ा नेता बनते हो, आज मेरे क्षेत्र में हो, आज तुम्हें बताते हैं। फिर मेरे साथी सेक्रेटरी थे कुलदीप, अभी तो 100 नम्बर पर फोन करो तीन कॉल रिकार्डिड है मेरे पास और सारे कॉल्स रिकार्डिड हैं; एक हमने 1.31 पर किया है, एक 1.38 पर किया है और एक 1.45 पर किया है लेकिन पुलिस 2.15 तक नहीं आई। मुझे अब लग रहा था कि भई वो भीड़ बढ़ती जा रही थी साहब। एस.एच.ओ. को फोन किया गया, ए.सी.पी. को फोन किया गया, किसी ने फोन नहीं उठाया। तो मुझे फिर वो बड़ा ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं फंस गया हूं। अब तो यहां से निकलना मुश्किल है। अब तो जान गई और साथ और लोग भी थे। फिर अचानक देखा कि पुलिस वाले आ रहे हैं, बड़े हंसते हुए आ रहे हैं। मैं थोड़ा बाहर निकला, मैंने कहा, "भई इतना वक्त लगता है आने में? दिल्ली में एक एम.एल.ए. की स्थिति ये है तो आम आदमी का क्या होगा?" कहा, "साहब, हम आ रहे थे, ये हो गया, वो हो गया।" जबकि हौजखास विलेज के अन्दर पी.सी.आर. वैन रहती है। अगर उनको आना होता तो दो मिनट लगता है, उनको आने में वहां। मैंने कहा, "भई अब क्या करोगे?" उनके सामने भी उनकी इतनी हिम्मत थी। इसी को बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर पुलिस। इतनी हिम्मत थी उनके सामने भी कह रहे हैं, इसको तो आज जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि भई, आपके पास पिस्तौल है, आपके पास अथोरिटी है। आप अपना इस्तेमाल

करिए उनको डराइए तो वो कहने लगे कि साहब, जैसे आप मालिक हैं, वैसे ही ये मालिक हैं। हद ही हो गई! ये कौन से मालिक हैं तुम्हारे? इकबाल चौहान एक लोकल गुंडा है, शैलेन्द्र सिंह मोंटी का गुंडा है वो, शैलेन्द्र सिंह मोंटी खुद गुंडा है, साथ में गुंडे हैं सारे ये। कहता, नहीं साहब, हम इनको जानते हैं। लो भैया, जानते हो अच्छा हो गया। लेकिन फिर जो साथ के लोग थे, उनके साथ फिर किसी तरह से पुलिस हमें निकाल के वहां से ले गई। उसके बाद जब मैंने डी.सी.पी. साहब को फोन किया तो वो भई आपने तो फोन नहीं उठाया हमारा जब हम फंसे हुए थे। कहा कि साहब हम कहीं बिजी होंगे। मैंने कहा कि आपको मालूम है कि क्या–क्या हो गया? कहते हैं, जो कुछ भी हो गया ना, आप वो लिखित में दे दो। आप तो वकील हैं आपको मालूम है...

अध्यक्ष महोदय : कनक्लूड करिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : एक मिनट और... तो कहते हैं कि आप... मैंने कहा भई 154(1) सी.आर.पी.सी. पढ़ हो। भई ओरल कंप्लेंट्स के अंदर reduce to writing by you. अच्छा साहब। अपने एस.एच.ओ. को बोलता है कि आपसे बात करें। आज ऐसा माहौल पूरी दिल्ली के अन्दर, अगर हमारे सारे विधायकों की तरह से सुरक्षा के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा और जान से मारने का प्रयास हुआ तो बोला कि भई, मुझे सदन जाना है आपको बताने कि कंस्टीट्यूशनली आप एक क्राइम कर रहे हो। आप किसी को जाने से रोक नहीं सकते। कहा कि बड़ा हुआ, सदन–वदन हम नहीं जानते। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से चूंकि मैंने लिखित में दे दिया है और मैं एल.जी. साहब से भी मिला हूं। इसका संज्ञान गंभीरता से लीजिए। अगर हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहां से सेवा कर पायेंगे, अध्यक्ष महोदय? तो आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इसका संज्ञान इस तरह

से लें कि पुलिस एकाउंटेबल हो आन्सरेबल हो और जो 1984 का हमने सब पढ़ा, उस तरह की हरकत में तो न आए, पुलिस इस तरी की नीचता पर तो ना उतरे, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : भई अजय जी, हो गई बात। चलिए, मेरे पास कल भी अमानतुल्लाह जी की स्लिप आई थी। कल समय का अभाव था। आज आसिम अहमद जी की भी स्लिप आई है सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड दिल्ली पुलिस, सी.आर.पी.एफ. ने जो घटना है, जो उसका दो मिनट में, संक्षेप में जिक्र कर लीजिए।

श्री आसिम अहमद खान : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। वैसे सिर्फ दो ही मिनट लूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड पे मस्जिद है; लाल मस्जिद, उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं। ये मस्जिद अध्यक्ष जी, निजामुद्दीन के निकट है सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स में और इसका खसरा नं.–360–361 पर सैकड़ों साल पहले बनी लाल मस्जिद दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद की देखभाल दिल्ली वक्फ बोर्ड आजादी के समय से कर रहा है और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के गजट डेटिड 31.12.1970 में दर्ज है। इस मस्जिद के चारों तरफ बनी सैकड़ों कब्र में 1857 का पहली आजादी की लड़ाई के वक्त शहीद हुए लोगों की पवित्र कब्र और मकबरा मौजूद है। इस मस्जिद पर कई सरकारी एजेंसियों ने समय–समय पर कब्जा करने का प्रयास किया। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड और स्थानीय लोगों के विरोध के कारण ये सफल नहीं हो पाया। 1996 में जब इस मस्जिद और कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई तो यहां के मुतावल्ली ने दिल्ली सेशन कोर्ट में अपील की। जिसमें सेशन कोर्ट ने दिनांक 31.10.1996 को लाल मस्जिद और कब्रिस्तान की यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्टे आर्डर दिया। ये

मुकद्दमा अभी कोर्टं में लंबित है। दुर्भाग्यवश, जिन्हें इस प्राचीन मस्जिद और कब्रिस्तान की जिम्मेदारी दी गई थी, वही दिल्ली पुलिस ने दिनांक 20 जुलाई 2017 को सी.आर.पी.एफ. के साथ अचानक वहां पहुंचकर मस्जिद के चारों तरफ मौजूद कब्रों को तोड़ना शुरू कर दिया। मस्जिद के इमाम और स्थानीय लोगों ने वहां पहुंचकर पुलिस वालों से इसे रोकने की कोशिश की। पुलिस वालों से ये पूछा गया कि वो लोग ये क्या क्या कर रहे हैं तो उन्होंने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्हें कोर्ट का आर्डर दिखाया उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया और उस जगह के उपर अपनी फैंसिंग लाइटिंग लगा दी, दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर इस बात को मेंशन किया और वहां से एक स्टे आर्डर लेकर तामील कराया। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली पुलिस और सी.आर.पी.एफ. ने अभी तक यहां पर अपना काम रोका नहीं है। उन्होंने इस कब्रिस्तान और इस मस्जिद के बड़े इलाके को अपने कब्जे में कर लिया है ओर उसके चारों तरफ अपनी फोर्स लगा दी है।

अध्यक्ष महोदय, इस पर ये जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की है, हमारी दिल्ली सरकार की है। तो मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर दिल्ली सरकार और वक्फ बोर्ड उचित से उचित कार्रवाई करे और वहां पर अगर ये जमीन हमारे जो गजट में चढ़ी हुई जमीन है, इस जमीन को वापस लिया जाए, उस जमीन को खाली कराया जाए और ये मुद्दा पिछले 10—15 दिन से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और लोग वहां बहुत ज्यादा जाने भी शुरू हो गए। कल को वहां पर कुछ लॉ एण्ड आर्डर की भी प्रोब्लम हो सकती है। सौओं साल पुरानी ये जमीन है और ये गजट में चढ़ी हुई जमीन है और कोई नई मस्जिद नहीं है। 1857 की लड़ाई की कब्रें वहां मौजूद हैं यानि कि वो मस्जिद कम से कम 200—250 साल पुरानी

मस्जिद हैं। तो अध्यक्ष जी, इस पर मेरी दरख्वास्त है कि इस पर दिल्ली सरकार और वक्फ बोर्ड उचित से उचित कार्रवाई करे, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : गैर सरकारी सदस्यों केसंकल्प नियम 89 में जगदीश प्रधान जी यहां हैं नहीं और मैं इसको अब ड्रॉप कर रहा हूं।

माननीय सदस्यगण, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को 71वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों को ये भी सूचित करना चाहूंगा कि दिनांक 14 अगस्त तथा 15 अगस्त 2017 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन में प्रकाश व्यवस्था की गई है। पूरा विधानसभा भवन रोशनियों से जगमगा उठेगा। इस अवसर पर सी.आई.एस.एफ. द्वारा म्युजिकल बैंड का आयोजन भी किया गया है। अतः आप सभी को इस अवसर पर सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय विधायकों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र की जनता को भी इस संबंध में सूचित करें। दोनों दिन अर्थात 14 अगस्त और 15 अगस्त को सायं 5.30 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक विधानसभा की प्रकाश व्यवस्था और संगीतमय कार्यक्रम का आनन्द लिया जा सकता है। आप परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व है। मैं आप सभी को जन्माष्टमी की भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं।

श्री संजीव झा : इनसेंसिटिविटी को लेकर के मुझे ऐसा लगता है किये आए दिन सारे विधायकों के साथ ऐसा होता रहता है, तो मुझे लगता है कि आप पुलिस कमिश्नर को बुलाकर के उसको सख्त हिदायत दिया जाए। किसी एक विधायक के साथ हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि घटनाएं होती हैं। मैं खुद भी, आज से तीन महीने पहले घटना हुई थी, हम बार–बार फोन करते रहे लेकिन पुलिस नहीं आया तो मुझे लगता

है कि उनकी इनसेंसिटिविटी पूरी सरकार के लिए है, पता नहीं वो जो स्टेट स्पॉन्सर की बात कर रहे थे तो मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह से डरा–धमकाकर रखा जाए। मुझे लगता है उनको बुलाकर सख्ती से हिदायत दी जाए, निपटा जाए सख्ती से इसको।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष जी मैंने एक बार 280 में प्रश्न उठाया था कि दिल्ली पुलिस अगर बुलाती है तो।

अध्यक्ष महोदय : भई, अब इन चीजों की चर्चा रहने दीजिए।

श्री राजेश ऋषि : सिर्फ दो शब्द सर, अभी डी.सी.पी. का आफिस का उद्घाटन हुआ हमारे यहां स्पेशल सेल बी.जे.पी. वालों को कार्ड बांटे गये और वहां मेरे को नहीं बुलाया गया जबकि मैं उसी कालोनी में रहता हूं, ये दुविधा है दिल्ली पुलिस की।

अध्यक्ष महोदय : चलिए। इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित करूं, स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय सभी मंत्रीगण, नेता विपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ–साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव व उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सी.आर.पी.एफ. बटालियन–55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलैक्ट्रिकल व हार्टिकल्चर

डिविजन, अग्निशमन विभाग आदि द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिये भी उनका धन्यवाद करता हूं।

विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्र गान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों।

(राष्ट्र गान : जन–गण–मन)

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई।)